खण्ड-312, अंक-4
सोमवार, 9 पौष, शक संवत् 1896
(30 दिसम्बर, 1974 ई0)

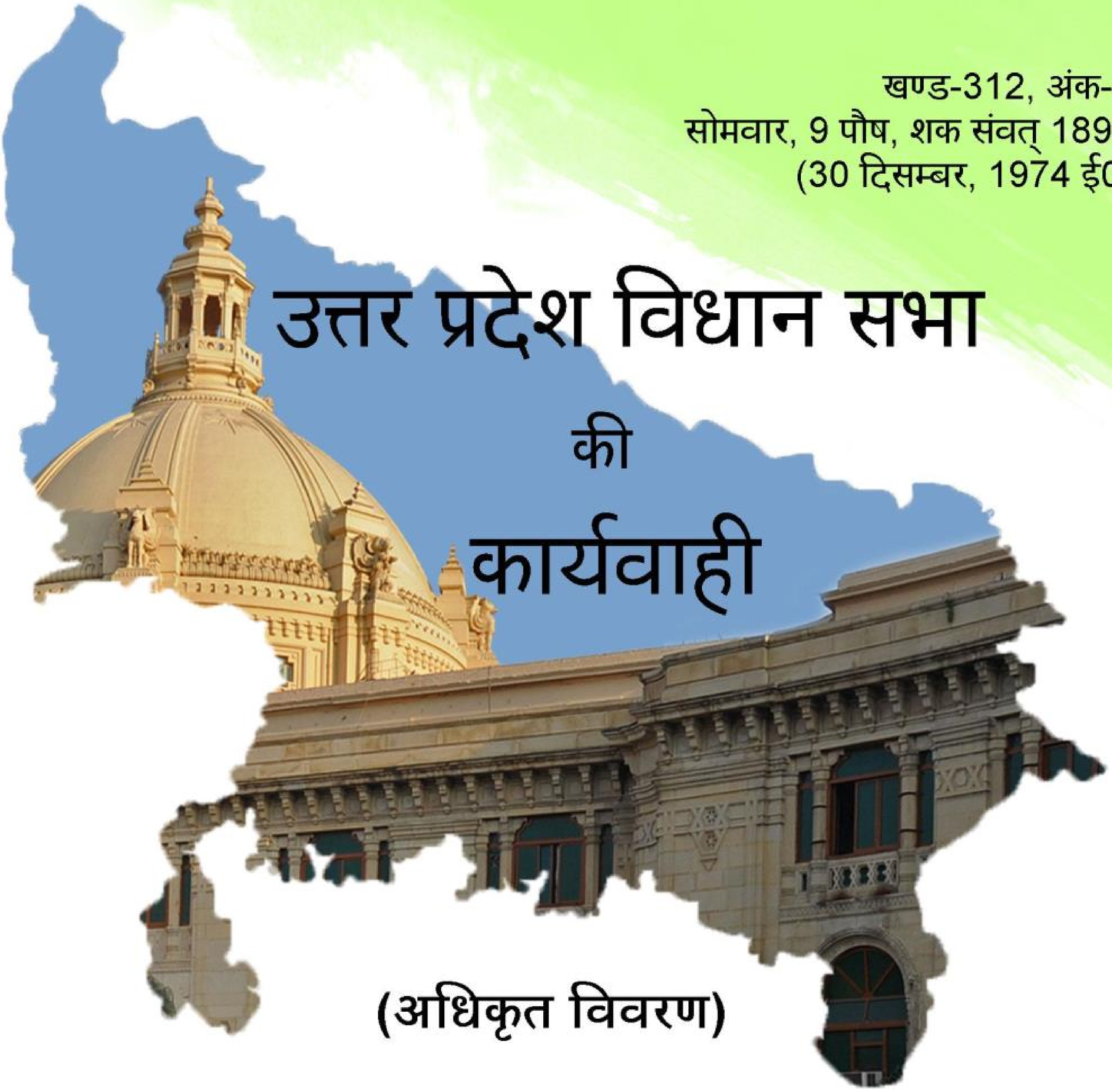

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 312 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1975

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) अध्यादेश, १९७४ के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, १९७४ (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक विचारोपरान्त पारित) ..	४६९–४८२
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जन जातियां तथा विमुक्त जातियां ऋण अनुतोष अध्यादेश, १९७४ के अननुमोदन का संकल्प (सदन की अनुमति से वापस लिया गया)	४८२
उत्तर प्रदेश भूमिहीन कृषि श्रमिक ऋण अनुतोष विधेयक, १९७४ (विचारोपरान्त पारित)	४८३–५०५
लोक लेखा समिति में श्री किरंगी प्रसाद विशारद के निर्वाचन की सूचना ..	५०५
सदन में नोट प्राप्ति के सम्बन्ध में सूचना	५०६
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें	५०६
नस्थिय	५०७–५२८

—o—

विधान सभा सचिवालय

विधान सभा
सचिवालय, पटना

उत्तर प्रदेश विधान सभा की दिनांक 30 दिसम्बर, 1974 की कार्यवाही का शुद्धि-पत्र

क्रम-सं0	पृष्ठ-सं0	विवरण
1	2	3
1	421	तारांकित प्रश्न संख्या 20 के शीर्षक में शब्द "निसवा" के स्थान पर "निवास" पढ़ा जाय।
2	438	खाद्य तथा रसद मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार सम्बन्धी शीर्षक के नीचे 8वीं पंक्ति में शब्द "दिनांक" और "अगस्त" के मध्य अंक "7" पढ़ा जाय।
3	444	नीचे से 7वीं पंक्ति में "केरों" के स्थान पर "रोके" पढ़ा जाय।
4	445	प्रथम पंक्ति को "श्री काशी नाथ मिश्र" पढ़ा जाय।
5	445	8वीं पंक्ति को "श्री नियाज हसन खां" पढ़ा जाय।
6	468	प्रथम पंक्ति में शब्द "सयय" को "समय" पढ़ा जाय।
7	482	खंड 2 के पार्श्व शीर्षक में "1062" के स्थान पर "1962" तथा "धारा" एवं "का" के मध्य "1" पढ़ा जाय।
8	483	प्रथम शीर्षक में "भूमिहीन" एवं "श्रमिक" के मध्य शब्द "कृषि" पढ़ा जाय।
9	501	24वीं पंक्ति में कोष्ठक में शब्द "अस्वीकृत" को "स्वीकृत" पढ़ा जाय।
10	502	खंड 2 (ग) की पहली पंक्ति का प्रथम शब्द "न्याय-भंग" को "न्यास-भंग" पढ़ा जाय।
11	502	खंड 2 (च) (4) की प्रथम पंक्ति में "उत्तर प्रदेश लेतक-धन" को "उत्तर प्रदेश लोक-धन" पढ़ा जाय।
12	509	नत्थी 'ख' की तालिका में क्रम संख्या 36, कालम 2 में "महतली" को "महोली" पढ़ा जाय।
13	510	नत्थी "ख" की तालिका में क्रम संख्या 74, कालम 2 में "विच्छा" के स्थान पर "किच्छा" पढ़ा जाय।

बिहार पंचायत सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ३० दिसम्बर १९७४

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बज दिन में अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--३७९

अंगने लाल, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री (उर्फ जिमी मियां) (एडवोकेट)
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां नशतर, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रमोहनी, श्रीमती
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री (जिला जौनपुर)
ओम प्रकाश सिंह, श्री (जिला मिर्जापुर)
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काली चरन यादव, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण वीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री

गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वर पुरी, श्री
गोरे लाल शास्त्री, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री (जिला अल्मोड़ा)
गोविन्द सिंह, नेगी, श्री (जिला टिहरी-गढ़वाल)
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डा टर
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेंहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जगदीश मिश्र, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जटाधर बाजपेयी, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जुगल किशोर यादव, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दलसिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नारायन वन महन्थ, श्री
दीपनारायण पान्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (जिला फर्रुखाबाद)
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नत्थू सिंह यादव, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री (जिला देवरिया)
चौधरी पुरुषोत्तम दास, श्री (जिला मिर्जापुर)
पूरन चन्द, श्री

विधान सभा

पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल वर्मा, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला एटा)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह यादव, श्री
बलवान सिंह, श्री
बलदेव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भूप सिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मंजूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
महावीर प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल, मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मान बहादुर सिंह, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुलतान सिंह यादव चौधरी, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द राजपूत, श्री
मेघ नाथ सिंह शिशौदिया, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पंत, कुमारी

रमाकांत द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण सिंह ठाकुर, श्री
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब कैप्टेन, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
राम जी लाल सहायक, श्री
राम जी लाल सेन, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राम बाबू, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति बिन्द एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दूबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायण पाण्डेय, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री

शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री (जिला आगरा)
शिव प्रसाद, श्री (जिला आजमगढ़)
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यबीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह, यादव श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नबाब
सोहन लाल लाठ, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल, श्री (जिला रामपुर)
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार ३० दिसम्बर १९७४

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

खाद्यान्न उत्पादन हेतु चालू योजनायें

**१—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में वर्तमान चालू रबी की फसल में कितने टन खाद्यान्न के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है और उसे पूरा करने के लिये शासन ने क्या-क्या योजनायें लागू की हैं तथा कौन-कौन सी योजनायें लागू करने के लिये शासन के विचाराधीन हैं ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)—

प्रदेश में चालू रबी (१९७४—७५) में १३४.५० लाख मै० टन खाद्यान्न के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसे पूरा करने के हेतु, बिजली, सिंचाई, खाद, बीज, कीट-नाशक दवाओं आदि सभी आवश्यक संसाधनों की सामयिक व्यवस्था के अतिरिक्त शासन द्वारा संलग्न सूची† में उल्लिखित योजनाओं को चलाया जा रहा है । इनके अतिरिक्त फिलहाल कोई अन्य योजना शासन के विचाराधीन नहीं है ।

---

†देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ ५०७ पर ।

श्री कल्याण सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये कुल कितना उर्वरक उठने का अनुमान सरकार ने लगाया था और अब तक वास्तव में कितना उर्वरक किसानों द्वारा उठा लिया गया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, सरकार ने २ लाख ४१ हजार मैट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध किया है । इसमें से १ लाख ४७ हजार मैट्रिक टन अबतक वितरित किया जा चुका है ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

श्रीमन्, जहां यह सवाल आवश्यक है कि खाद्योत्पादन का लक्ष्य पूरा करने के लिये बीज और खाद का कितना इंतजाम किया गया, वहां यह भी बताना आवश्यक है कि कितनी जमीन पर रबी की फसल की बोआई गतसाल की गई और कितनी अधिक जमीन पर खेती करने का इस साल इंतजाम किया गया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

१०६.०६ लाख हेक्टेयर भूमि में गत वर्ष बोया गया था और इस वर्ष १११.९५ लाख हेक्टर भूमि में रबी की फसल बोई गई है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

जो जमीन पिछले साल रबी की कल्टीवेशन में नहीं थी, इस साल रबी की बोआई में आ गई है, यह मैं जानना चाहता हूं कि यानी इस तरह से कितनी जमीन की बढ़ोत्तरी हुई है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मैंने निवेदन किया १११ इस वर्ष और १०६ गत वर्ष, अब १११ में से १०६ घटाने पर जो शेष बचा वही आप बढ़ोत्तरी समझ लीजिये ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

नियम यह है कि जो मंत्री जी जिस विभाग से सम्बन्धित है वही सम्बन्धित विभाग के प्रश्नों का जवाब दे । यों मंत्रिमंडल के संयुक्त उत्तरदायित्व के नाते कोई भी मंत्री उत्तर दे सकता है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समय विभाग के मंत्री यहां क्यों नहीं उपस्थित हैं, मैं देख रहा हूं कि इनको उत्तर देने में कठिनाई पड़ रही है । इसमें आप व्यवस्था दें । क्या ऐसा करना सम्भव है ?

श्री अध्यक्ष--

आपने तो व्यवस्था उठाकर स्वयं ही उसका जवाब दे दिया है ।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मैंने कोई ऐसा उत्तर नहीं दिया जो सही न हो ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन् एकोनामिक मंत्रिमंडल का उत्तर भी एकोनामिक होगा ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया (जिला आगरा)--

जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, वह शायद पूरा न हो, क्योंकि किसानों को पर्याप्त और समय पर न तो बिजली मिली है न यूरिया खाद आदि ही मिली है, तो क्या इसके लिये समुचित प्रबन्ध करने के लिये मंत्री जी कोई आश्वासन देंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, समय पर बिजली देने की व्यवस्था सरकार की ओर से की गयी है । शहरों में बिजली कुछ घंटों के लिये बन्द करके देहात को दी जाती है ताकि देहात में जो नलकूप लगे हुये हैं वह चालू रहें और उनसे खेतों को अधिक अन्नोत्पादन के लिये पानी मिल सके । यह व्यवस्था सरकार की ओर से बराबर चालू है ।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्पादन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिये सरकार ने इस प्रकार के आदेश जिलों को भेजे हैं कि एक एकड़ तक के हरिजन किसानों को ३३ फीसदी कम कीमत पर खाद सप्लाई की जाय, सरकार को क्या पता है कि खाद डालने का समय निकल गया लेकिन अभी सूचियां तक तैयार नहीं हुई हैं तो खाद कब बंटेगी, क्या सरकार इस सम्बन्ध में बतायेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

सरकार ने ऐसा आदेश ही नहीं दिया बल्कि १ करोड़ ६५ लाख, रुपया तकावी के रूप में भी दिया है ताकि छोटे किसान तकावी लेकर उर्वरक को खरीद सकें ?

श्री कल्याण सिंह--

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि जितनी खाद लगनी चाहिये थी या जितनी खाद उपलब्ध की गयी उसकी आधे से अधिक खाद उठ पायी । इसका कारण यह है कि खेती में लगाने वाले जितने इनपुट्स हैं, खाद, बिजली, पानी, कीटनाशक दवायें, इत्यादि सब की कीमतें आसमान छू रही हैं जिसका परिणाम यह हो रहा है कि उत्पादन घट रहा है और भुखमरी की स्थिति में प्रदेश आ गया है, इन सब चीजों को देखते हुये क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि ८० फीसदी छोटे किसान हैं, जो उत्पादन के बहुत बड़े अंग हैं उनको खाद, बिजली और पानी सस्ते रेट पर दिया जाय ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, सस्ते रेट पर देने की तो बात नहीं है । पर जो सुविधायें सरकार ने उपलब्ध की है, उचित मूल्य पर वह व्यवस्था सरकार की तरफ से की गयी है ।

श्री धीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत)--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो उन्होंने बताया है कि १ लाख ४७ हजार टन खाद उठ गयी है तो दिसम्बर तक पिछले वर्ष कितनी खाद उठ गयी थी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

पिछले वर्ष के आंकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि इतना उर्वरक हमने उपलब्ध कराया है, जो बांड की व्यवस्था है उसके कारण छोटे किसान जो बेचारे छोटे तबके के हैं और कमजोर हैं, उनको दबा कर प्रभावशाली लोग ही बांड भरवा कर, अफसरों को मिलाकर खाद ले रहे हैं, क्या इससे दुरुपयोग नहीं हो रहा है ? दूसरी बात, माननीय मंत्री ने कहा कि सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था की गयी है, क्या उनको पता है कि प्रति दिन सैकड़ों नहीं हजारों लोग अपने ट्यूबवेल का कनेक्शन कटवा रहे हैं, इतने अधिक दाम बढ़ा दिये हैं, क्या इससे प्रभाव नहीं पड़ेगा इस लक्ष्य में ?

श्री अध्यक्ष--

आप सुझाव दे रहे हैं।

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)--

माननीय मंत्री जी ने रबी के जो आंकड़े बताये हैं, अगर मैं गलत नहीं समझा हूं, उसमें रबी की फसल का कुल रकबा इस साल घट गया है । क्या सरकार इसका कारण जानती है जिससे रकबा घटा है और अगर नहीं जानती है तो क्या सरकार इस बात को मानेगी कि आज जो किसान की उपज का सही दाम नहीं दे रहे हैं इसलिये किसान ने रबी की फसल बोना कम कर दिया है, और अगर यह सही है तो सरकार ने इसको दूर करने के लिए क्या किया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, मैंने निवेदन कर दिया कि रबी का जो क्षेत्रफल है वह पहले से अधिक है।

श्री सत्यपाल मलिक--

मैं इसको चुनौती देता हूं । प्रदेश भर में गेहूं का रकबा १,४ घट गया है तो क्या सरकार इसके लिये सदन की एक समिति बनायेगी जो इस बात की जांच करेगी कि प्रदेश में गेहूं का कितना रकबा घट गया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, मैं उन आंकड़ों को प्रस्तुत कर सकता हूं जो मेरे पास हैं कि कितने क्षेत्रफल में गेहूं की फसल बोई गयी है । पिछले साल के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं । इस साल ४० लाख हेक्टेयर भूमि में गेहूं बोया गया है । मैं कह सकता हूं कि इससे कम क्षेत्रफल में गेहूं नहीं बोया गया है ।

श्री सत्यपाल मलिक--

मान्यवर, १९७१ से बराबर गेहूं का रकबा घटता चला जा रहा है । मंत्री जी के पास आंकड़े नहीं ह तो क्या वे एक सदन की समिति बनायेंगे जो इस बात की जांच करे कि प्रदेश में गेहूं बोने का क्षेत्रफल कितना घट गया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, मैंने रबी के क्षेत्रफल की बात की है । लेकिन माननीय सदस्य कहते हैं कि कमेटी बना कर पता लगाया जाय कि गेहूं का रकबा क्यों कम होता जा रहा है । कमेटी की आवश्यकता नहीं है । अगर ऐसी बात है तो विभाग के उच्च अधिकारियों से छानबीन कराकर मैं सदन को अवगत कर सकता हूं ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि जनपदों में किसानों के ऊपर यह प्रतिबन्ध है कि जो एक बोरी उर्वरक को लेगा उसको दस किलों गेहूं ढाई रुपये प्रति किलो के हिसाब से देना पड़ेगा?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, ऐसी सूचना सरकार के पास नहीं है कि गेहूं के बदले खाद देने के कहीं आदेश सरकार की ओर से हुए हों।

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए मंत्री जी ने कहा है कि खाद, बीज वगैरा की व्यवस्था की जा रही है । कृपया मंत्री जी बतायेंगे कि नलकूपों को कितनी बिजली देने की व्यवस्था सरकार ने की है ? दूसरे यह कि नलकूपों को उचित मात्रा में बिजली नहीं मिल रही है क्या मंत्री जी इसका जांच करायेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, सरकार की ओर से बराबर प्रयास है कि जितने नलकूप बने हुए हैं और उनमें कोई अवरोध नहीं है तो उनको बिजली देने का सरकार का निर्णय है और जितनी बिजली उपलब्ध है वह दी जा रही है।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

मान्यवर, सरकार ने खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए एक लक्ष्य रखा है उसकी पूर्ति के लिये क्या-क्या उपाय किये हैं ? इसके साथ-साथ सिंचाई से भी इसका विशेष संबंध है । अभी मैं आपको बता दूं कि जाखोली ब्लाक में लस्तर और भिलंगना और चौरसी घाटी योजनायें जिनमें काफी भूमि ऐसी है जिसमें अच्छा उत्पादन हो सकता है । क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पहाड़ों पर इन मूल्यवान योजनाओं को लागू कर देने का लक्ष्य आपने रखा है या नहीं ? यदि नहीं रखा है, तो क्या आप आश्वासन देंगे कि इन योजनाओं को इसमें शामिल किया जायगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों में गूल निर्माण की योजनायें चल रही हैं, जहां पर पानी आ सके और सिंचाई की व्यवस्था हो सके । सरकार की ओर से बीज, उर्वरक और कृषि रक्षा कार्यक्रम अधिक उत्पादन के लिए यह कार्यक्रम चल रहे हैं ।

सुपर मार्केट, लखनऊ द्वारा कपड़े की बिक्री

**२--श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)--

क्या यह सही है कि इस वर्ष दशहरा और ईद की अवधि के मध्य सुपरमार्केट, लखनऊ ने बेलवेट (मखमल) स्ट्रेचलान एवं नाईलोन्स जिसका क्रय मूल्य क्रमशः २२.५१ रु० तथा १३.६० रु० प्रति मीटर था, को क्रमशः २८.७० रु० तथा २०.०० प्रति मीटर के हिसाब से बेचा, इस प्रकार १२७ प्रतिशत, ३७ प्रतिशत तथा ४७ प्रतिशत का फायदा लिया जो कि सुपर मार्केट खोलने के उद्देश्यों के विपरीत था ? यदि हां, तो इसके लिये कौन कौन अधिकारी दोषी हैं और उनके प्रति क्या सरकार कठोर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)--

जी नहीं । इस वर्ष दशहरा और ईद की अवधि के मध्य सुपर मार्केट, लखनऊ द्वारा बेचे गये वेलवेट (मखमल), स्ट्रेचलान तथा नाईलेक्स प्लेन साड़ी का न तो क्रय मूल्य क्रमशः २२ रुपये, ५१ रुपये तथा १३.६० रुपये प्रतिमीटर था और न ही उन पर क्रमशः १२७ प्रतिशत, ३७ प्रतिशत तथा ४७ प्रतिशत का लाभ लिया गया ।

श्री बाबू लाल वर्मा--

महोदय, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में । दशहरा और ईद के बीच में सुपर मार्केट, लखनऊ में वेलवेट (लखनऊ) स्ट्रेचलान एवं नाईलेक्स ये जो कपड़े खरीदे गये, मंत्री जी कहते हैं ये अधिक भाव में नहीं खरीदे गये और न बेंचे गये । मैं जानना चाहता हूं कि ये कपड़े किस भाव में खरीदे गये और किस भाव में बेचे गये ।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

मान्यवर, जो उपभोक्ता फेडरेशन है, तस्करी का कंज्यूमर फेडरेशन जितने दाम का लेता है, उसमें १५ परसेंट की छूट देता है । वेलवेट २९.७५ रुपये में खरीदा गया और उसे ५०.०० रुपये में बेंचा गया । मुनाफा हुआ इसमें कोई शक नहीं । इसमें ६६.६ परसेंट दाम ज्यादा लिया गया । स्ट्रेचलान ६५ रुपये में खरीदा गया इसमें १५ परसेंट निकालने के बाद ५५.२५ रु० हुए । इसे ७० रुपये में बेंचा गया । इसमें २७.०३ प्रतिशत ज्यादा रहा । नाईलेक्स का दो दाम रहा एक ११.०० रुपये और दूसरा १४.४५ रुपये

यह बेंचा गया १६ रुपये में और दूसरा २० रुपये में बेचा गया । इसमें ३३.३ परसेंट ज्यादा लिया गया ।

श्री बाबू लाल वर्मा--

मान्यवर, जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि अधिक लाभ कमाया गया, तो मैं जानना चाहता हूं कि अधिक लाभ कमाने के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की और सहकारी समिति द्वारा क्या अधिक दाम कमाना सहकारिता व्यवस्था के अनुकूल है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

जी हां । हमारे यहां कान्फिस्केटेड सामान का भाव बाजार भाव के करीब-करीब रखा जाता है । मेरे पास आज भी सूचना है कि वेलवेट स्ट्रेचलान के भाव बाजार भाव से १० रु० प्रति मीटर कम है । अगर बहुत कम दाम कर देंगे तो जो ट्रेडर या व्यक्ति जो वहां पहुंच जायेगा और आवश्यकता से अधिक सामान उसे मिल जायेगा तो वह बाजार में जाकर अधिक दामों पर बेंच देगा । लखनऊ के सुपर मार्केट में पहले घाटा हो रहा था, अगर हम इसी तरह से उस घाटे को पूरा करें तो कोई हर्ज नहीं है । यह प्रदेश के हित में ही होगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

जैसा माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि यह सुपर मार्केट ऐसा है कि जिसमें लाखों का घोटाला हुआ और नुकसान हुआ । इसमें इन्क्वायरी भी बैठी थी । मुझे मालूम नहीं कि उसमें क्या हुआ । तो उस कमी को पूरा करने के लिए किस सिद्धांत पर यह निर्णय लिया कि जो तस्करी से माल मिला है, उससे घाटा पूरा किया जाये ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

यह तो इन सामानों का रहा वहां पर और भी सामान बिकते हैं, जिनमें सामान्यतः मुनाफा हो रहा है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला । मेरे कहने का आशय यह था कि यह वही सुपर मार्केट है जिसमें लाखों रुपये का घोटाला हुआ था । मैं यह जानना चाहता हूं कि किस आधार पर यह तय किया गया कि उस कमी को पूरा किया जाये ।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

मान्यवर, हमने तो पहले ही निवेदन किया था । आमतौर से देखा यह जाता है कि बाजार में जो भाव है उसी के करीब दाम रखते हैं ।

श्री काशी नाथ मिश्र--

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सुपर मार्केट कम आमदनी और गरीब आदमियों के लिए चलाया गया था । यह कपड़ा जो यहां बेंचा जा रहा है वह गरीब आदमी ही प्रयोग करते हैं । तो मैं चाहता हूं कि इस कपड़े को और अधिक महंगा करें जिससे अन्य सामान गरीब आदमियों को सस्ता मिल सके ।

श्री अध्यक्ष--

यह तो आपका सुझाव है ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

सुपर मार्केट इस आधार पर बनाया गया था कि लोगों को चीजें सस्ते दामों पर मिले तो क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि उस नीति को बदल दिया गया है ।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

वह तो बदलने की नहीं । जैसा मैंने निवेदन किया कि बाजार भाव उसे कम ही दामों पर बेचा गया ।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

माननीय अध्यक्ष, महोदय सुपर मार्केट देश के हित में तब होगा जब यह दूसरे बाजारों के भावों को कंट्रोल करे । सुपर मार्केट जब ज्यादा दाम पर बेचने लग जायेगा तो नियमतः बाजार भाव बढ़ जायेंगे तो क्या सरकार यहां बेची जाने वाली हर चीज को केवल साधारण मुनाफा लेकर बेचेंगी और यदि नहीं तो क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी ।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं उठता । सुपर मार्केट या ऐसे ही जो बाजार हुआ करते हैं, उनका मुख्य ध्येय वास्तव में यही होता है कि दाम न बढ़ने पाये और लोगों को चीजें मिल सकें और जब जब ऐसा हुआ, सहकारी भंडार से ऐसा किया गया । ये कीमती कपड़े बड़े लोगों के खरीदने के लिए थे लेकिन जो बाजार के भाव थे, उनसे कम पर ही बचे गये ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में अन्न के अभाव के फलस्वरूप भुखमरी

१—श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या खाद्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में अन्न के अभाव में भयंकर भुखमरी फैल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीण अंचलों में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें निकट भविष्य में खोलने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो दुकानें कब से खोली जायेंगी । यदि नहीं तो क्यों ?

खाद्य तथा रसद मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेई)—

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों से भुखमरी की स्थिति की सूचना प्राप्त नहीं हुई है । जिस किसी विशेष क्षेत्र में खाद्यान्न के अभाव की सूचना मिलती है वहां तदर्थ रूप से मोटे अनाज के वितरण की व्यवस्था की जाती है ।

श्री बाबूलाल वर्मा—

३० जुलाई, १९७५ को खाद्य मंत्री ने खाद्य स्थिति पर जो वक्तव्य दिया था, उसमें लिखा था कि मोटा अनाज काफी मात्रा में स्टाक में है और उसके बाद यह भी कहा था कि उस प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में सस्ते अनाज और मोटे अनाज के पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे और प्रदेश में किसी प्रकार की भुखमरी नहीं फैलने दी जायेगी । मेरी इस सूचना को सही मानकर कि बांदा जिले में ३–४ व्यक्ति भूख से मरे हैं तथा सारे प्रदेश में ऐसा ही हुआ है, क्या सरकार तत्काल इसकी कोई व्यवस्था करेगी कि लोग भुखमरी से न मरने पायें ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

सरकार के पास भुखमरी की कोई सूचना नहीं है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

ऐसा विश्वास है कि माननीय खाद्य मंत्री को अवसर मिला होगा और उन्होंने अखबार में सूचना पढ़ी होगी कांग्रेस दल के ही २ सदस्यों ने यह वक्तव्य निकाला कि मिर्जापुर में लाखों लोग भुखमरी के शिकार हैं और बांदा के सदस्य ने तो घास की रोटी तक लाकर दी । तो जब ये सूचनायें हैं, पत्रों के द्वारा प्रकाशित हुई हैं, तो सरकार इस ओर क्या कर रही है क्या सरकार ने इन दोनों स्थानों पर जांच कराई है कि वहां पर भुखमरी की स्थिति नहीं है और यदि है तो सरकार ने उनके भोजन की क्या व्यवस्था की है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

इस वक्त भी पाठा क्षेत्र में, जिसके बारे में पिछले दिनों सदन में चर्चा हुई थी, माननीय मुख्य मंत्री के आदेश पर हमारे अधिकारी वहां पर गये हुए हैं। अभी तक वहां के जिलाधिकारी ने बांदा के लिये समय-समय पर जो मोटे अनाज की मांग की, उसके आधार पर २५० टन मोटा अनाज उपलब्ध कराया गया। पाठा में ५० टन दिया गया जब-जब और जिस तरह से जिलाधीश ने मांग की। माननीय सदस्य भी जब सम्पर्क स्थापित करके यह बताते रहे, कुछ जिलों के कुछ हिस्सों में जहां पर स्थिति खराब थी, वहां पर मोटा अनाज भेजा गया और अभी तक केवल ३८,०२७ टन मोटा अनाज स्टेट के विभिन्न हिस्सों में जहां पर अनाज की कमी पाई गई और बाढ़ क्षेत्र में इसलिए भेजा जिससे जो लैन्ड-लैस लेबरर्स हैं, गरीब लोग हैं, उनको अनाज उपलब्ध हो सके।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मिर्जापुर से जो मांग हुई क्या (व्यवधान) उसके अनुसार वहां पर अनाज पहुंचा ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मिर्जापुर में ५,५१५ टन मोटा अनाज अभी तक दिया जा चुका है और इस महीने में भी हम और दे रहे हैं। भुखमरी की स्थिति कहीं नहीं है।

श्री शिव चरन लाल (जिला आगरा)—

माननीय मंत्री जी ने कहा था कि जहां से सूचना आयेगी वहां सस्ते गल्ले की दुकान खोली जायगी। मेरी यह निजी जानकारी है कि आगरा जनपद में ग्रामीण अंचलों में सौ, सवा सौ रुपये मन बाजरा बिक रहा है। तो मेरी इस सही सूचना को मानकर क्या माननीय मंत्री जी एक-एक सस्ते गल्ले की दुकान आगरा की हर तहसील में खोलने की कृपा करेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मान्यवर, आगरा से ऐसी कोई सूचना नहीं है। माननीय सदस्य जो बाजरा की कीमत के सिलसिले में कह रहे हैं, हो सकता है उनकी सूचना सही हो लेकिन जो सरप्लस माल बाजार में आता है वह इस प्रकार बिकता है। बाकी तो ग्रामीण अंचल के लोगों को स्वयं कितना मोटा अनाज मजदूरी के रूप में देते हैं। इस तरह आज उत्तर प्रदेश में कहीं भी यह स्थिति नहीं है।

(व्यवधान)

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

माननीय मंत्री की जानकारी में पहले से है, शायद वह भूल गयी हैं कि गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, बलिया जो बाढ़ से तबाह रहे हैं, मैं मुख्य रूप से गोरखपुर की बात कर रहा हूं, मुंडेरा बाजार चौरीचौरा के पास है वहां गोरखपुर के दोआब के जितने निवासी हैं, सहजनवां भी उसमें शामिल है, वहां के निवासी भूखों मर रहे हैं। वहां मार्केटिंग इंस्पेक्टर छोटी-छोटी गठरी वालों को इस बिना पर बन्द कर रहे हैं कि यहां लोग मिलों में चावल कुटवाते हैं। अभी २१ दिसम्बर को ऐसी घटना घटी है। तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ऐसे क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था करेंगी कि उनको सस्ते दामों पर मोटा अनाज पूर्णरूप से उपलब्ध हो सके ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

गोरखपुर में इस महीने भी ६०० टन मोटा अनाज भेजा गया है सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से वितरित कराने के लिये। जहां तक भुखमरी का सवाल है, प्रदेश के किसी भी क्षेत्र से भुखमरी की कोई भी किसी प्रकार की सूचना सरकार के पास नहीं है।

श्री राज ब्रजराज सिंह (जिला लखीमपुर-खीरी)—

आपकी पूर्व निश्चित योजनानुसार आपने घोषित किया था कि प्रत्येक न्याय पंचायत में एक सस्ते गल्ले की दुकान खोली जायेगी। यह योजना सरकार की कब से लागू होगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मैंने बाढ़ के दिनों में जिन क्षेत्रों में बाढ़ आयी थी वहां के लिये यह बात कही थी। अभी पूरे उत्तर प्रदेश में १८ जिले हैं जहां हम नहीं खोल पाये हैं। वहां भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर जनवरी से सस्ते गल्ले की दुकानें खोलने जा रहे हैं।

श्री बाबू लाल वर्मा--

५ सितम्बर, १९७८ को मुख्य मंत्री जी ने ग्राम प्रधानों के नाम एक पत्र भेजा है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अब राहत काम भी शुरू होंगे और सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि हर न्याय पंचायत में सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा मोटा अनाज लोगों को दिया जायगा। तो इस वायदे को आप कब पूरा करेंगी तथा क्या सरकार कोई जांच कमेटी ऐसी बिठायेगी जो एक महीने के अन्दर रिपोर्ट दे कि प्रत्येक जिले के किन-किन गांवों में भुखमरी फैली है और उसके अनुसार आप काम करेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

जहां तक माननीय सदस्य ने यह उल्लेख किया है कि हर न्याय पंचायत में राहत कार्य के लिये दुकानें खोली जायंगी, तो राहत कार्य एक लिमिटेड समय के लिये होता है और गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, बलिया आदि क्षेत्रों में जहां बाढ़ आयी हुई थी और आजमगढ़ और कुछ और हिस्सों में जहां सूखे की स्थिति थी राहत कार्य के लिये दुकानें खोली गयी थीं। ग्रामीण अंचलों में हर न्याय पंचायत स्तर पर सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें खोलने की व्यवस्था अभी सरकार की तरफ से नहीं है।

(अगला प्रश्न लिये जाने पर)

(कई सदस्यों द्वारा व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बहस मांग सकते हैं, पर इस तरह से मैं इजाजत नहीं देता हूं। मैंने अगला प्रश्न ले लिया है। (व्यवधान) आप इस तरह से दूसरों के सवालों के बीच आ रहे हैं। आपके जिलों में अगर देवरिया के लोगों के लिये पीड़ा थी तो उसके लिये चर्चा आपने क्यों नहीं मांगी। इस तरह से आप अव्यवस्था पैदा न करें।

श्री भाभी (जिला आजमगढ़)--

मेरे यहां की स्थिति बहुत खराब है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

इस तरह से मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। आप कृपया बैठें। (श्री भाभी के बैठने पर) आप कृपया बैठें, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। आप बैठिये। यह सदन है, इस तरह से अव्यवस्था पैदा न करें। आप चर्चा मांग सकते हैं, पर इस तरह से दूसरों के सवालों का समय नष्ट न करिये।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

इन्होंने यहां सदन को मछली बाजार बना रखा है।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्नों का समय बड़ा महत्व का समय विरोधी पक्ष का होता है। उन पर असर पड़ता है। आप लोग अपने ही समय को नष्ट न करें। कृपया बैठें। औरों के भी प्रश्न हैं, उनको भी मौका दीजिये। लोक तंत्र में हर जगह सवालों का समय आपका समय होता है, उसका सही इस्तेमाल होना चाहिये। (श्री भाभी के न बैठने पर और व्यवधान करने पर) इस तरह से मैं इजाजत नहीं दे सकता। आप कृपया सदन से निकल जाइये, आप बाहर चले जायें।

(श्री भाभी सदन से बाहर चले गये)।

श्री अध्यक्ष. —

सवालों का समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है। सवाल करने का आपको हक है, वह सुरक्षित रहना चाहिये, मैं उसे सुरक्षित रखना चाहता हूं।

(अगला प्रश्न पुकारा गया।)

श्री राम अधार (जिला आमजगढ़)—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं देता, आप सवाल करें।

(व्यवधान)

श्री राम अधार—

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आपका कुछ नहीं लिखा जायेगा, न इजाजत है।

(व्यवधान)

श्री राम अधार—

आपकी इस व्यवस्था के विरोध मे मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री रामअधार सदन त्याग कर चले गये।)

बकाया बिक्री कर की वसूली

*२—श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

द्वितीय सत्र के पहले सोमवार, दिनांक १० जून, १९७४ के तारांकित प्रश्न संख्या ६ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बिक्री-कर का जिन लोगों पर बकाया पड़ा हुआ है उनमें से सबसे अधिक रकम जिन दस बकायादारों के ऊपर बाकी हैं उनके नाम क्या हैं तथा उनसे बकाया रकम वसूल करने की सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

बिक्री कर को सबसे अधिक धनराशि जिन दस बकायादारों पर बकाया है उनके नाम तथा उनसे बकाया रकम वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है उसका विवरण निम्न प्रकार है.—

(१) मेसर्स सिन्थेटिक्स एंड केमिकल्स लि०, फतेहगंज, बरेली—बकाया धनराशि ७६,६३,३७५ रु० उच्च न्यायालय तथा अतिरिक्त न्यायाधीश (पुनरीक्षण) द्वारा फर्म के विरुद्ध बिक्रीकर बकाया की वसूली स्थगित हो जाने के कारण फर्म से वसूली करना सम्भव नहीं है।

(२) रीजनल फूड कन्ट्रोलर, गोरखपुर—बकाया धनराशि ६०,१२,६१० रु० इस सरकारी विभाग पर पत्र-व्यवहार द्वारा दबाव डाला जा रहा है कि यह बकाया का भुगतान शीघ्र करें।

(३) मेसर्स धर्म सिंह, राम सिंह मोटर्स प्रा० लि०, लखनऊ—बकाया धनराशि ४६,८७,८८४ रु० फर्म से बकाया की वसूली के लिये उत्पीड़क कार्यवाही की जा रही थी कि उसी मध्य फर्म लिक्वीडेशन में चली गई। आफिशियल लिक्वीडेटर, नई दिल्ली तथा शासन द्वारा नियुक्त वकील से बिक्रीकर विभाग के अधिकारीगण बराबर सम्पर्क बनाये हुये हैं कि बिक्रीकर विभाग के क्लेम को प्रिफिरेन्शियल डेट की भांति रजिस्टर कराया जाय।

[×××] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

(४) मेसर्स साह स्मेल्टिंग एण्ड रिफाईनिंग कारपोरेशन प्रा० लि०, मेरठ—बकाया धनराशि ३२,६७,७४३ रु० । समस्त धनराशि की वसूली न्यायाधीश (पुनरीक्षण) द्वारा स्थगित है ।

(५) मेसर्स गणेश फ्लावर मिल्स कं० लि०, कानपुर—बकाया धनराशि ३२,७६,२८५ रु० । २६,१८,०४० रु० की वसूली उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा स्थगित है । शेष की वसूली की कार्यवाही जारी है । यह फर्म ३ नवम्बर,१९७२ से भारत सरकार के नियंत्रण में आ गई है । फर्म से वसूली योग्य बकाया की वसूली काफी समय तक भारत सरकार द्वारा (Industries Development & Regulation Act) ,१९५१ की धारा १८ एफ० (बी०) के अधीन जारी विज्ञप्ति दिनांक २७–११–१९७२ के कारण न की जा सकी । अब इस वसूली योग्य धनराशि की वसूली के लिये आवश्यक कार्यवाही जारी है ।

(६) परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ—बकाया धनराशि २६,९०,००० रु० । इस सरकारी विभाग से बकाया की वसूली इस कारण नहीं की जा सकी है क्योंकि इसने यह पेश किया है कि इसके द्वारा जो बिक्री की गई है वह सरप्लस सामान की थी और सरप्लस सामान के डिस्पोजल पर बिक्री कर न लगना चाहिये । बिक्रीकर विभाग द्वारा मामले का निस्तारण शीघ्र करने का प्रयास किया जा रहा है ?

(७) मेसर्स दुली चन्द उमराव लाल आयल मिल्स, कानपुर—बकाया धनराशि २२,७३,६५५ रु० । ८७,१९९ ७१ रु० की वसूली न्यायाधीश (पुनरीक्षण) द्वारा स्थगित थी जो अपील के निर्णय के बाद लागू हो गई है । बकाया की वसूली के लिये फर्म के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर दिये गये हैं ।

(८) मेसर्स गौरी शंकर राधेश्याम, झांसी—बकाया धनराशि २१,८७,५०० रु० । कर निर्धारण आदेश जब पारित किये गये तथा फर्म के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये गये उसके पूर्व ही फर्म समाप्त हो चुकी थी । विभागीय अधिकारियों तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा जब फर्म का कोई उत्तरदायी व्यक्ति या उसका (asset) न पाया जा सका तो सी० आई० डी० के इकनामिक विंग द्वारा जांच कराई गई परन्तु कोई फल न निकला । बकाया के अप लेखन की औपचारिकतायें पूरी की जा रही हैं ।

(९) मेसर्स नेशनल कन्ड्यूट प्रा० लि०, कानपुर—बकाया धनराशि २१,७३,३५२ रु०, १,३२९ रु० की वसूली न्यायालय द्वारा स्थगित है । शेष बकाया की वसूली के लिये फर्म की सम्पत्ति अटैच कर ली गई है । फर्म का मुख्यालय दिल्ली में है अतः वसूली प्रमाण-पत्र दिल्ली भेजे गये तथा फर्म के उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध वारण्ट भी जारी किये गये । अब इस मामले में आफिशियल लिक्वीडेटर की नियुक्ति कर दी गई है । विभाग अपने क्लेम को रजिस्टर कराने की कार्यवाही कर रहा है ।

(१०) मेसर्स कैम्फर एण्ड एलाइट प्रोडक्ट, कलेक्टरबकगंज, बरेली—बकाया धनराशि १८,०९,१६५ रु० । फर्म के विरुद्ध बकाया की वसूली उच्च न्यायालय तथा अतिरिक्त न्यायाधीश (पुनरीक्षण), लखनऊ द्वारा स्थगित है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि १० फर्म हैं इसमें से २ तो सरकारी विभाग हैं और बाकी व्यापारिक संस्थायें हैं । इन पर लगभग पौने ४ करोड़ रुपया बकाया है । ८ व्यापारिक संस्थायें हैं इसमें से ३ फर्में कानपुर की हैं । लखनऊ की हैं, २ बरेली की हैं, १ मेरठ की है, तथा २ झांसी की हैं । कृपया यह बताने का कष्ट करें कि इन फर्मों के मालिक कौन-कौन से हैं । उनके नाम क्या हैं और पता क्या है ? दूसरे बकाया धनराशि जो करोड़ों रुपयों में है यह कब से

बाकी है। तीसरे जो स्टे आर्डर्स हो गये हैं यह कब से हैं और उनके वैकेट कराने के लिये सरकार ने वकील रखा है और कोई कार्यवाही की है या नहीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

इसमें मेसर्स सिन्थेटिक एंड केमिकल लि०, फतेहगंज, बरेली, फर्म पर वर्ष ६८-६९ और ६९-७० में निम्न प्रकार से बकाया था :--

१९६८-६९ में केन्द्रीय कर १३,४९,१६७ रुपये बकाया था। इसमें २६-४-७३ को उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश हो गया।

१९६९-७० में प्रांतीय कर २७,००० रु० बकाया था और इसमें ३०-४-७४ को अतिरिक्त न्यायाधीश, बरेली द्वारा स्थगन आदेश हो गया।

१९६९-७० में केन्द्रीय कर के रूप में ६२,८७,२०७ रुपये का बकाया था। इसमें २३-४-७४ को उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश हो गया। इस प्रकार लगभग ७६,६३,३७५ रुपये की धनराशि इन पर बकाया है।

इस संबंध में वैकेट कराने के लिये कहा गया है।

२--रीजनल फूड कंट्रोलर, गोरखपुर--इन पर निम्न प्रकार से बकाया है :--

१९६४-६५ में ४०,४५८ रु०
१९६५-६६ में १,८६,१२२ रु०
१९६६-६७ में ६,८२,८०७ रु०
१९६७-६८ में ९,७३,७५८ रु०
१९६८-६९ में १८,००,९१३ रु०
१९६९-७० में २३,२८,५४९ रु०

इस प्रकार कुल ६०,१२,६०९ रु० का बकाया है। इस संबंध में रीजनल फूड कंट्रोलर को लिखा गया। उन्होंने यहां तक लिखा कि एक सरकारी विभाग के विरुद्ध कोई उत्पीड़क कार्यवाही करना उचित नहीं होगा। इस संबंध में समस्त क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रकों को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिये लिखा गया था। अभी कुछ समय पहले इस संबंध में खाद्य आयुक्त को भी लिखा गया है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मैंने जो यह सरकारी विभाग, रीजनल फूड कंट्रोलर और ट्रांसपोर्ट विभाग, इनके बारे में नहीं पूछा है। यह सरकारी विभाग हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मेसर्स धर्मसिंह, राम सिंह मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, स्टेशन रोड, लखनऊ पर वर्ष १९५७-५८ से १९६६-६७ तक निम्न प्रकार से बकाया चला आ रहा है :--

१९५७-५८ में प्रांतीय कर २०,०८० रु०
१९५८-५९ में प्रांतीय कर १,४५,९७२ रु०
१९५८-५९ में दण्ड ९,६२० रु०
१९५९-६० में दण्ड २४,२७३ रु०
१९६०-६१ में प्रांतीय ८९,२६५ रु०
१९६१-६२ में दण्ड १६,९०६ रु०
१९६१-६२ में प्रांतीय कर ८१,५०७ रु०
१९६१-६२ में केन्द्रीय कर ७,५७४ रु०
१९६२-६३ में प्रान्तीय कर ७६,६४५ रु०
१९६२-६३ में केन्द्रीय कर ९,४०४ रु०
१९६२-६३ में प्रान्तीय कर ९९,८०७ रु०
१९६२-६३ में केन्द्रीय कर ४,५५० रु०
१९६३-६४ में प्रा० कर २,५०,१४४ रु०
१९६३-६४ में केन्द्रीय कर १५,३३७ रु०
१९६३-६४ में प्रान्तीय कर ५,५६,२२० रु०
१९६३-६४ में केन्द्रीय कर १६,००० रु०
१९६४-६५ में प्रान्तीय कर १०,९९,०५६ रु०
१९६४-६५ में केन्द्रीय कर ३९,६४० रु०
१९६५-६६ में प्रान्तीय कर १०,३२,८९९ रु०
१९६५-६६ में केन्द्रीय कर ४२,९७८ रु०
१९६६-६७ में प्रांतीय कर १०,००,००० रु०
१९६६-६७ में केन्द्रीय कर ५०,००० रु०

इस प्रकार कुल धनराशि लगभग रु० ४६,८७,८८३ बकाया है। इस संबंध में इस फर्म की संपत्ति कुर्की भी की गयी और भवन को भी नीलाम कराया गया। अब फाइनेंशियल लिक्वीडेटर और वकील की तरफ से अनुस्मरण-पत्र भेजे गये हैं और कहा गया है कि विभाग को क्लेम के संबंध में कार्यवाही करें और विभाग को सूचना दें।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

इस फर्म के मालिक का क्या नाम है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मेरे पास नामों की तो सूचना है नहीं। पूरी जानकारी के लिये मुझे सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, यह उत्तर अप्रैल से चला आ रहा है। उसके बाद ३ बार विभाग ने उत्तर देने के बारे में समय मांगा और फिर भी पूरी सूचना नहीं आयी है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अभी मैं उत्तर और दे रहा हूं। चौथी फर्म मेसर्स सारु स्मेल्टिंग एन्ड रिफाइनिंग कारपोरेशन, प्रा० लि०, मेरठ है। इस फर्म पर १९६८–६९ में ४२,८८४ रु०, ६९–७० में २१,७६०, ६९–७० में ३,४५,६०८ रु०, ७०–७१ में ६८,६४८ रु०, ७०–७१ के १४,१६,८९४ रु०, ७१–७२ में ७२,०८१ रु०, ७१–७२ में १३,१९,८६५ रु० बकाया है। इस फर्म के विरुद्ध न्यायिक अधिकारियों से १३ अप्रैल, १९७३, २४–६–७४, २९–६–७४ तथा ७–८–१९७४ को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये थे।

(५) मेसर्स गणेश फ्लोर मिल्स, कं० लि०, कानपुर—इस फर्म को भारत सरकार ने अधिग्रहीत कर लिया है। कुल बकाया १९६६ से १९६९ तक का ६,५८,२४५ रु० है। ६६–६७ में ९,५११ रु०, १९६७–६८ में २,३४२ रु०, ६७–६८ में २,१५,२५५ रु०, १९६८–६९ में ४,१२,४१९ रु० तथा १९६८–६९ में १८,६१६ रु० बकाया था। इस बकाया के वसूली में भारत सरकार ने इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट एन्ड रिगुलेशन ऐक्ट, १९५१ की धारा १८-ए के अधीन दिनांक ३–११–७२ से मिल का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया है।

(६) परिवहन आयुक्त, लखनऊ पर १९६२ से १९६५ तक कुल २६,९०,००० रु० बकाया था। कर निर्धारण के समय तक राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन नहीं हुआ था। कर विभाग के व्यापार के सामान से संबंधित नहीं था। इस कारण अदायगी रोके रहे।

(७) मेसर्स दुलीचन्द उमराव लाल आयल मिल, फैक्ट्री एरिया, कानपुर—इन पर बकाया ६५-६६ में ८७,१९९ रु०, ६५–६६ में ६२,४३९ रु०, ६६–६७ में ७२,३०० और ६,६७,२६१ रु० ६७–६८ में २,५७,७६२ रु० और ८,२५,६५५ रु०, ६९–७० में २,९८,५९८ रु० और २,४३८ रु० था। इन पर वसूली की कार्यवाही पहले स्थगित हो गयी थी। परन्तु अब यह २० जुलाई, ७२ को अपील पर निर्णय के फलस्वरूप पुनः लागू हो गयी। बकाया के विरुद्ध वसूली प्रमाण पत्र अब जारी कर दिये गये हैं।

(८) मेसर्स गौरी शंकर राधेश्याम, झांसी—इस फर्म के बकाये के संबंध में पहले कहा गया था कि सी० आई० डी० की जांच की जा रही है परन्तु इस फर्म के किसी आदमी का पता नहीं लगा।

(९) मेसर्स नेशनल कंड्यूट प्रा० लि०, सिविल लाइंस, कानपुर—इस फर्म पर ६१–६२ से ६९–७० तक कुल बकाया २१,७३,३५१ रु० है। मुख्य बकाया ६६–६७ में २,३२,११० रु० और ७,६५,७८६ रु० है ६७–६८ में ४,००,६९१ रु० और ६७–६८ में ही ५,९७,४३४ रु० है।

इसकी अचल संपत्ति २१-३-६८ को अटैच कर ली गयी थी तथा ४-४-६८ को वारन्ट भी जारी किया गया था। फर्म का हेड आफिस दिल्ली में है। अतः वसूली प्रमाण-पत्र दिल्ली में दिये गये हैं। २७-१-७० को बन्द फर्म पर नोटिस चस्पा कर दी गयी है कि उसका सामान उच्च न्यायालय दिल्ली के अधिकार में है। इसमें विभाग के क्लेम को रजिस्टर कराने की कार्यवाही कर दी गयी है।

(१०) मेसर्स कैम्फर एन्ड एलाइड प्रोडक्ट, कलक्टरबक गंज, बरेली—इनके मुख्य बकाया ६७-६८ में १,६८,५७० रु०, ६९-७० में ९४ हजार रु० और ६९-७० में १५,३६,६८६ रु० है। इसमें भी स्थगन आदेश जारी नहीं किये गये है। १-५-७२ को अतिरिक्त न्यायाधीश (पुनरीक्षण), लखनऊ द्वारा तथा २३-४-७४ को उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश किये गये हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, जो उत्तर मंत्री जी ने दिया है उससे स्पष्ट हुआ है कि सरकारी विभाग जैसे ट्रान्सपोर्ट और आर० एफ० सी० जिनमें लाखों का बकाया है। तो क्या कारण है कि सरकार ने आज तक यह कार्यवाही समाप्त नहीं की? इस वसूली कार्य में क्या कदम उठाये हैं?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, जहांतक विभागीय बकाया की बात है तो यह बाकी नहीं रहना चाहिये था। मैं खाद्य विभाग से सम्पर्क करूंगा और परिवहन विभाग में डिस्पोजल का मामला है इसलिये इस पर सेल्स टैक्स नहीं लगना चाहिये था। इसकी पत्रावली को देखेंगे कि जो एडजेस्टमेन्ट होता है उसमें देर नहीं होनी चाहिये थी।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, जनता से पैसा वसूल करके विभाग ने रख लिया। तो इसकी वसूल करने में इतनी देर क्यों हो रही है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैंने स्वीकार किया कि इतनी देर न होनी चाहिये थी। पत्रावली को देखकर माननीय सदस्य को अवगत करा दूंगा।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, उन्होंने कारण क्या बताये हैं? यह बतायें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, जो सूचना में संख्या है उसमें फीगर्स में हेर-फेर है इसलिये फीगर्स में एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है।

श्री मधुकर दिघे—

यह पैसा वसूल करके डिपार्टमेन्ट में आ गया। हो सकता है कि हिसाब में कुछ गड़बड़ी हो लेकिन ६० लाख की बकाया रकम तो बहुत बड़ी रकम है। तो सरकारी विभाग को इसको चुकता करने में इतनी देर क्यों हुई?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

देरी का मुख्य कारण यह है कि खाद्य नियंत्रक ने जो सेल्स टैक्स वसूल किया है, हमारी तरफ से बिक्री कर विभाग ने उससे अधिक लगाया है। तो फिगर्स टैली करने में देरी हो गई है।

श्री काशी नाथ मिश्र—

दो अरब का बकाया है। किसान का तो १०, ५ रुपये के बकाये पर ही गाय बैल कुर्क हो जाता है। मेरे विचार से अगर सरकार चाहे तो उसमें इतनी शक्ति है कि यह रकम भी वसूल की जा सकती है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या कठिनाई है और वसूली में तेजी क्यों नहीं आ रही है ? तत्काल वसूलयाबी के लिये कौन सी प्रक्रिया आप अपनाने जा रहे हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं माननीय सदस्य की भावना से सहमत हूं कि बकाया की वसूली में सभी वर्गों के साथ कड़ाई बरती जानी चाहिये। माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि इस समय कड़ाई ही जा रही है।

श्री भीखा लाल—

किसान और छोटे व्यापारियों के साथ ही कड़ाई की जा रही है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जहां तक वसूली का प्रश्न है मैं पहले ही बता चुका हूं कि हाई कोर्ट से अथवा न्यायालय से पुनरीक्षण के निर्णय के कारण अधिकांश मामले स्थगित हो गये हैं। कुछ फर्में लिक्वीडेशन में भी चली गई है। जो बाकी है उनसे वसूली की जा रही है।

श्री काशी नाथ मिश्र—

अगर हाई कोर्ट वसूली में बाधक है तो विधान सभा से कानून पास कराया जाय, यही तो मेरे कहने का मतलब था।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुज़फ्फरनगर)—

इन निजी फर्मों से या निजी व्यक्तियों के ऊपर जिन पर इतनी बड़ी धनराशि बकाया है क्या कोई भी आदमी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है अथवा प्रासीक्यूशन नोटिस जारी किये गये हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मेरा निवेदन यह है कि किसी की गिरफ्तारी के पहले रिकवरी वारन्ट जारी किया जाता है जिसमें ३० दिन का समय दिया जाता है। उस समय में यह स्टे ले लेते हैं और उसके बाद वसूली करने से कान्टेम्प्ट आफ कोर्ट की बात आ जाती है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या वित्त मंत्री जी बतलायेंगे कि इन मगर मच्छों से इतनी बड़ी धनराशि बाकी है उनमें से किसी की गिरफ्तारी की गई है। जब स्टे आर्डर नहीं था और मिआद खतम हो गई थी तो क्या ऐसी कार्यवाही की गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मिआद खतम होने के पहले ही स्टे आर्डर ले लिये गये हैं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

अध्यक्ष महोदय, हर तीन महीने पर हर कम्पनी अपना रिटर्न भेजती है। सेल्स टैक्स आफिसर को, फिर मेरे ऊपर इतना रुपया बकाया है टैक्स का और उसके आधार पर उसका पेमेंट होता है। तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इतने दिनों तक क्यों नहीं वह रुपया वसूल किया गया और विभाग ने, कमिश्नर ने या मंत्री जी ने क्यों उस पर उचित कार्यवाही नहीं की और क्या इस संबंध में किसी अधिकारी/कर्मचारी को दण्डित किया गया ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मान्यवर, जो इस संबंध में मैं माननीय सदस्यों को समझा हूं, मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि पहली जनवरी से बिक्री-कर के बारे में विशेष अभियान चलाने का विचार है और गिरफ्तारी की जायेगी और कानून में भी कुछ संशोधन की आवश्यकता होगी, तो वह भी की जायगी ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और इस पर एक घण्टा की चर्चा दी जाय ।

बांदा जिले में मोरंग की नीलामी

*३—श्री केशरी लाल (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बांदा में जो मोरंग निकलती है उसका ठेका कब और कितने में दिया गया था और ठेकेदार कहां के हैं ? क्या सरकार को ठेके का पूरा रुपया प्राप्त हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों और धन वसूलने के लिये क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जिला बांदा के विभिन्न भागों में पाई जाने वाले मोरंग की नीलामी १४ क्षेत्रों में विभक्त है । तीन क्षेत्रों का ठेका दिनांक १–६–७३ से दिनांक ३०–६–७४ तक का, रु० ५०,३०० में तथा दिनांक१५–७–७४ से दिनांक ३०–६–७५ तक रु० ५२,००० में, चार क्षेत्रों का ठेका दिनांक १–६–७३ से दिनांक ३०–६–७४ तक का रु० २५,२०० में, तथा दिनांक ६-९-७४ से दिनांक ३०–६–७५ तक का रु० ७,२५० में, छः क्षेत्रों का ठेका दिनांक २५–१२–७३ से दिनांक ३०–९–७४ तक रु० ८३,५९० में तथा एक क्षेत्र का ठेका दिनांक ८–५–७४ से दिनांक ३०–९–७४ तक का रु० ३,००० रु० में दिया गया ठेकेदार बांदा, हमीरपुर व फतेहपुर के हैं। जो धनराशि अब तक वाजिब (ड्यू) हुई है उसकी पूरी वसूली की जा चुकी है ।

मिर्जापुर जिले में खदान से निकाला गया सीमेन्ट का पत्थर

*४—श्री शिवसम्पत्ति राम (जिला मिर्जापुर), श्री कल्याण सिंह तथा श्री अवधेश कुमार (जिला गोरखपुर)—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सीमेंट निगम में चुर्क इकाई के खदान विभाग घुर्मा में वर्ष १९७३–७४ में कितने लागत का पत्थर खदान नं० ६ बढ़ोत्तरी से निकाला गया था और उसमें से कितने लागत का पत्थर बिना प्रयोग में लाये वहीं छोड़ दिया गया ? यदि हां, तो छोड़ने का क्या कारण था ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

वर्ष १९७३–७४ में खदान नम्बर ६ बढ़ोत्तरी से रुपये १९,९२,५८९ की लागत का पत्थर निकाला गया था और वह सब पत्थर प्रयोग में लाया गया था ।

नोट—नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या २ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्रीमती रहसरानी,देवी निवासी पुरानी बाजार, शहर उन्नाव को स्वीकृत ऋण

*५—श्री मधुकर दिघे—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती रहसरानी देवी, निवासी पुरानी बाजार, शहर उन्नाव को उद्योग विभाग द्वारा सन् १९७२–७३ में हस्तकला उद्योग के लिये ४,००० रु० ऋण स्वीकृत हुआ था और क्या यह रुपया आज तक उनको नहीं दिया गया तथा उनसे ऋण और ब्याज की किस्त की अदायगी का नोटिस दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

लघु उद्योग मंत्री (श्री इस्तफा हुसैन)—

श्रीमती रहसरानी देवी, निवासी पुरानी बाजार, शहर उन्नाव को वित्तीय वर्ष १९७२–७३ में हस्तकला उद्योग हेतु ४,००० रु० ऋण स्वीकृत हुआ था जिसका भुगतान उन्हें किया जा चुका है ।

ऋण तथा ब्याज की अदायगी की कोई नोटिस नहीं जारी की गई है ।

कमालगंज, फर्रुखाबाद में उद्योग स्थापित करने की मांग

*६—श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के ग्रामीण क्षेत्र का प्रमुख केन्द्र कमालगंज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये वहां पर उद्योग स्थापना पर सरकार विचार करेगी ?

श्री इस्तफा हुसैन—

फर्रुखाबाद के ग्रामीण क्षेत्र कमालगंज में उद्योगों की स्थापना के लिये यथासम्भव हर प्रकार का प्रोत्साहन और सुविधायें दी जाती हैं । अभी इस क्षेत्र के लिये पांचवी पंचवर्षीय योजना काल में कोई उद्योग स्थापित करने की योजना नहीं है ।

प्रदेश की चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य

*७—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि १९७३–७४ के सीजन की कुल कितना गन्ना मूल्य सोसाइटी कमीशन,सरकारी क्रय-कर अलग-अलग मिल मालिकान पर अभी तक शेष है ? तीन वर्ष या उससे अधिक उपरोक्त तीनों प्रकार की कितनी-कितनी रकम किस-किस मिल पर शेष है और उनकी वसूलयाबी के लिये सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

प्रदेश की चीनी मिलों पर दिनांक ३१–१०–७४ तक सीजन १९७३–७४ का कुल गन्ना मूल्य ४९३.३५ लाख रु० अवशेष था। इसी सीजन का कुल सोसाइटी कमीशन तथा कुल क्रयकर क्रमशः ५२.७३ लाख रु० तथा ११४.८१ लाख रु० अवशेष था ।

तीन वर्ष या उससे अधिक उपरोक्त तीनों प्रकार की कितनी-कितनी रकम किस-किस चीनी मिल पर दिनांक ३१–१०–७४ तक वसूली हेतु अवशेष थी, उनका विवरण संलग्न तालिका (क) में दर्शाया गया है ।

बकाया देयों की वसूली के लिये हर सम्भव प्रयास किये जा रहे है, जिनमें निम्नलिखित कार्यवाही उल्लेखनीय है :—

(१) १२ चीनी मिलों के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर दिये गये।

(२) एक चीनी मिल को नीलाम किया गया ।

(३) पुरानी बकाया की वसूली के लिये एक और चीनी मिल को नीलाम पर चढ़ाया गया, परन्तु हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के कारण नीलामी नहीं हो सकी ।

(४) ७ चीनी मिलों में रिसीवर नियुक्त किये गये ।

(५) पुरानी बकाया की वसूली हो सके इसलिये शासन ने १२ चीनी मिलों को अधिग्रहीत किया, परन्तु उनमें से ७ चीनी मिलों ने हाई कोर्ट से स्थगन आदेश ले लिये और शासन का प्रयास है कि शीघ्र उनका निर्णय हो जाय ।

(६) क्रेडिट स्क्वीज नीति के कारण बैंकों ने चीनी मिलों को कम धन उपलब्ध किया, क्योंकि क्रेडिट लिमिट नहीं बढ़ाई वरन मार्जिन का प्रतिशत बढ़ा दिया । चीनी मिलों को गन्ने की कीमत देने के लिये अधिक धन उपलब्ध हो इसलिये शासन ने रिजर्व बैंक व भारत सरकार से आग्रह किया है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५०८–५१० पर)

स्वर्ण नियंत्रण से प्रभावित व्यक्तियों को नौकरियों में प्राथमिकता

*८—चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश में स्वर्ण नियन्त्रण से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वासन हेतु प्रदत्त सुविधाओं के अन्तर्गत तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में प्राथमिकता व उम्र में ५ वर्ष तथा टाइप की छूट दिये जाने संबंधी आदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो अब तक कितने इस प्रकार के लोगों को नौकरियां प्राथमिकता के आधार पर दी गईं ? साथ ही क्या सरकार को राज्य सड़क परिवहन विभाग कानपुर के क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा शासनादेश सं० ३६०५/जी–सी०–१८–६, का अनुपालन न किये जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ?

श्री इस्तफा हुसैन—

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वर्ण नियंत्रण से प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वासन हेतु प्रदत्त सुविधाओं के अन्तर्गत तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में प्राथमिकता व उम्र में पांच वर्ष तथा टाईप में छूट दिये जाने संबंधी आदेशों का अनुपालन किया जा रहा है ।

अब तक इस प्रकार के २,८८३ लोगों को नौकरियां प्राथमिकता के आधार पर दी गई ।

जी हां ।

रानीपुर रजमों, जिला आजमगढ़ में कथित खान्डसारी मिल बनाने की स्कीम

*९—मुहम्मद मसूद खां (जिला आजमगढ़)—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि ब्लाक मोहम्मदपुर, जिला आजमगढ़ में सन् १९६४ के लगभग कोआपरेटिव खान्डसारी मिल, रानीपुर रजमों, बनाने की स्कीम थी और उस संबंध में सरकार द्वारा हिस्से की खरीददारी भी हुई थी ? यदि हां, तो सरकार द्वारा कितने रुपये के हिस्से की खरीददारी की गई थी और उस रुपये को कब और कैसे वापस किया जायगा और साथ ही उक्त मिल के कब तक चालू होने की सम्भावना है ?

श्री इस्तफा हुसैन—

जी नहीं ।

इलाहाबाद की सिराथू तहसील के अन्तर्गत उद्योग हेतु दिया गया ऋण

*१०—श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा (जिला इलाहाबाद)—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जनपद की तहसील सिराथू में पिछले १५ वर्ष में उद्योग के लिये कर्ज दिये गये थे ? यदि हां, तो कितने लोगों को और कितनी-कितनी रकम किन-किन उद्योगों के लिये दी गयी थी, उनमें से किस-किस प्रकार के और किन-किन स्थानों पर वे उद्योग चल रहे हैं ?

श्री इस्तफा हुसैन—

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५११–५१३ पर) ।

फर्रुखाबाद के बुनकरों को सूत की उपलब्धि

*११—श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या लघु उद्योग मंत्री को यह जानकारी है कि फर्रुखाबाद के बुनकरों के सम्मुख विभिन्न प्रकार के सूत के अत्यधिक कीमत तथा कम उपलब्धि के कारण विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है ? यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

श्री इस्तफा हुसैन—

इस समय बुनकरों के समक्ष सूत के अधिक मूल्य व उसकी उपलब्धता की कोई समस्या नहीं है ।

[सोमवार, 30 दिसम्बर 1974 के लिए निर्धारित]

तारांकित प्रश्न

*१—श्री राम सेवक यादव—

[निधन होने के कारण निरस्त ।]

राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद द्वारा कागज की खरीद

*२—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय प्रेस, इलाहाबाद में मुद्रण अधीक्षक द्वारा अप्रैल, १९७३ में ११ हजार रिम सफेद कागज ५९.४ × ८४.१ आकार का वजन १५ किलो ५१० की खरीद हेतु जो टेंडर मांगे गये थे उनमें किस-किस व्यक्ति अथवा संस्थान ने किस दर को कोट किया और कागज किस दर पर खरीदा गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

टेंडर नोटिस के उत्तर में ११ व्यक्तियों संस्थानों से उत्तर प्राप्त हुये थे जिनमें से ७ ने कागज की पूर्ति करने में असमर्थता व्यक्त की थी । शेष चार ने जो दरें कोट कीं वे इस प्रकार थीं:—

१—सर्वश्री जनरल पेपर ट्रेडिंग कं०, इलाहाबाद ।	. . २,४०० रु० प्रति टन	(इस पर १ १/२ प्रतिशत डिस्काउन्ट) एफ० ओ० आर० डिस्टेनेशन टेक्सेज अतिरिक्त । ३००० रिम तैयार स्टाक से सप्लाई करने के लिये ।
२—सर्वश्री ईस्टेन्ड पेपर इन्डस्ट्रीज कलकत्ता ।	. . २७२९.५० प्रति टन रु०	एफ० ओ० आर० इलाहाबाद टैक्सेज अतिरिक्त ।

३—सर्वश्री नीरज पेपर कारपोरेशन इलाहाबाद । .. २३५० रु० प्रति टन एफ०ओ०आर० डिस्टीनेशन टैक्सेज अतिरिक्त डिलीवरी का समय ३० दिन ।

४—सर्वश्री छोटेलाल सिया लाल, दाल तथा राइस मिल इलाहाबाद । .. २,४५० रु० प्रति टन एफ०ओ०आर० डिस्टीनेशन चुंगी तथा टैक्सेज अतिरिक्त ।

३,००० रिम कागज सर्वश्री जनरल पेपर ट्रेडिंग कम्पनी, इलाहाबाद के तैयार माल से, जिसकी वास्तविक दर टैक्सेज आदि को मिला कर २,५४४ रु० प्रति टन आई तथा शेष ८,००० रिम सर्वश्री नीरज पेपर कारपोरेशन, इलाहाबाद से जिनकी वास्तविक दर टैक्सेज आदि को मिलाकर २,५३० रु० प्रति टन थी, क्रय किया गया ।

*३—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या यह सही है कि उपरोक्त पहली बार आये टेन्डर रद्द करके दुबारा टेंडर मंगाकर खरीदा गया ? यदि हां तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

दुबारा टेण्डर्स नहीं मांगे गये थे ।

*४—श्री राम पति—

[४थे गुरुवार में प्रश्न संख्या ५१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

बरेली जिले में राशन की दुकानों के आवंटन के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*५—श्री श्याम बिहारी सिंह (जिला बरेली), श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १६-८-७४ को प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित कोई इस आशय का शिकायती-पत्र उन्हें मिला जिसमें कि बरेली जिले में राशन की दुकानों को आवन्टित किये जाने में व्याप्त अनियमितताओं की शिकायत की गई थी ? यदि हां, तो शिकायत क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां । शिकायत यह थी कि आंवला में सस्ते गल्ले की दुकान बरेली के स्वतंत्रता सेनानी श्री दीना नाथ गुप्ता के पुत्र श्री हरी कृष्ण गुप्ता को न आवंटित करके श्री धर्मपाल पुत्र गिरधारी जाटव जो कि नाबालिग हैं को आवंटित की गई है । उक्त शिकायत पर जिलाधीश बरेली को जांच एवं उचित कार्यवाही हेतु कहा गया । जिलाधीश बरेली ने सूचित किया है कि श्री हरी कृष्ण गुप्ता को २२-९-१९७४ को दुकान की नियुक्ति प्रदान कर दी गई है और १-१०-१९७४ से उनकी दुकान कार्य कर रही है ।

श्री धर्मपाल पुत्र श्री गिरधारी को जो दुकान आवंटित की गई थी उसकी नियुक्ति तथा उन्हें खाद्यान्न का कोटा रोक कर उनके बालिग न होने के आरोप पर परगना मजिस्ट्रेट आंवला के माध्यम से जांच कराई गई । जांच में आरोप सही पाया गया । अतः श्री धर्मपाल द्वारा भरे गये अनुबन्ध-पत्र को समाप्त करने के आदेश जिलाधीश बरेली द्वारा कर दिये गये हैं ।

*६—श्री बाबू लाल वर्मा—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त ।]

*७—श्री रघुनाथ सिंह—

[विस्तीर्णता के कारण निरस्त ।]

ललितपुर एवं झांसी जिलों में किसानों से गेहूं की सीधी खरीद की रकम का भुगतान

*८—श्री रघुनाथ सिंह (जिला झांसी)—

क्या सरकार को पता है कि ललितपुर एवं झांसी जिलों में जहां गेहूं की किसान से सीधी खरीद ६ जुलाई, १९७४ को बन्द कर दी गई थी अभी तक सभी किसानों को गेहूं की सरकार द्वारा रकम चुकता नहीं की जासकी है? क्यासरकारको यह भी पता है कि इन जिलों के जिन किसानों ने सरकार को सीधे गेहूं बेचा है उन्हें गेहूं वसूली के समय प्रोत्साहन हेतु दिये जाने वाला तेल, शक्कर, डीजल, खाद, कपड़ा आदि सामान भी नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

६ जुलाई, १९७४ से किसानों से गेहूं की सीधी खरीद बन्द किये जाने पर जिला ललितपुर व झांसी में किसी को भी भुगतान करना अब शेष नहीं है । जिला ललितपुर में अब केवल ६ किसानों को छोड़कर शेष सभी को उनकी मांग तथा आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के अनुसार साम न दे दिया गया । आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हैं और यदि वे मांग करेंगे तो उन्हें भी उपलब्ध करा दी जायेंगी । जिलाधिकारी ने उन्हें तदनुसार सूचित भी कर दिया है । जिला झांसी में जिन किसानों ने इन सुविधाओं की मांग की थी वह उन्हें उपलब्ध करा दी गई हैं ।

गन्ना पर्यवेक्षकों की पदोन्नति तथा गन्ना ग्राम सेवकों की होमजोन में नियुक्ति

*९—श्री प्यारे लाल वर्मा (जिला एटा)—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इस समय कितने कृषि स्नातक गन्ना पर्यवेक्षक हैं जिन्हें अभी तक गन्ना सेवा वर्ग दो में नियुक्त नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? तथा क्या सरकार यह भी बतायेगी कि गन्ना सेवकों को उनके होम जोन में नियुक्त न करने के सरकार के आदेश हैं ? परन्तु उसके बावजूद भी उनकी नियुक्तियां होम जोन में ही हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

गन्ना विकास विभाग में इस समय कुल १८७ कृषि स्नातक गन्ना पर्यवेक्षक कार्यरत हैं । वर्ग दो में नियुक्तियां सीधी भर्ती द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चुने जाने पर तथा ज्येष्ठता के आधार पर, अनुपयुक्त को त्यागते हुये, पदोन्नति द्वारा की जाती है । चूंकि उक्त सभी कृषि स्नातक गन्ना पर्यवेक्षक ज्येष्ठतानुसार काफी कनिष्ट है, अतः अभी इनकी पदोन्नति का प्रश्न नहीं उठता ।

गन्ना ग्राम सेवकों को उनके होम जोन में न नियुक्त करने के सरकारी आदेश हैं परन्तु इनके अल्प वेतन भोगी कर्मचारी होने एवं स्थानीय परिस्थितियों के कारण कुछ अपने होम जोन में हैं ।

कानपुर स्थित बिक्री-कर कार्यालय में भ्रष्टाचार की शिकायत

*१०—श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिव शंकर निवासी सुतरखाना, कानपुर का कोई इस आशय का शिकायती-पत्र कि कानपुर स्थित बिक्री-कर कार्यालय सेक्टर नं० २ में भारी भ्रष्टाचार तथा अनियमिततायें व्याप्त हैं, विधान सभा सदस्य सर्वश्री हिम्मत सिंह तथा गया प्रसाद मेहरोत्रा द्वारा अग्रसारित होकर उन्हें (वित्त मंत्री) ६ जून, ७४ को मिला, जिसकी प्राप्ति की सूचना मंत्री जी ने श्री हिम्मत सिंह को सम्बोधित अपने पत्र दिनांक १० जून, १९७४ द्वारा स्वीकार की है ? यदि हां, तो मुख्य शिकायत क्या है तथा उस पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां। मुख्य शिकायत यह है कि श्री गिरजा शंकर अग्रवाल, लिपिक, बिक्री-कर कार्यालय, खण्ड–२ कानपुर भ्रष्ट कर्मचारी हैं और वे एक अन्य लिपिक श्री शिव नरेश सिंह से मिल कर व्यापारियों की पत्रावलियों से जरूरी कागजात हटा देते हैं, फिर कागजात के अभाव से होने वाली हानि का भय सम्बन्धित व्यापारियों को दिखाकर उनसे नकद या सामान के रूप में रिश्वत लेकर हटाये गये कागजातों को पुनः सम्बन्धित पत्रावलियों में रख देते हैं।

उक्त शिकायती-पत्र पर आवश्यक जांच सहायक आयुक्त (शासकीय) बिक्री-कर, कानपुर के माध्यम से कराई जा रही है जो अभी पूर्ण नहीं हुई है।

*११—श्री मधुकर दिघे—

[६वें गुरुवार में प्रश्न संख्या २१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सुल्तानपुर जिले में गेहूं की खरीद हेतु नियुक्त किये गये कर्मचारियों क भत्ता

*१२—डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सुल्तानपुर जिले में किसानों से गेहूं एकत्र करने के वर्तमान अभियान में ३०–६–७४ तक कितना गेहूं खरीदा गया ? इस अभियान में विभिन्न विभागों के कितने अधिकारियों तथा कर्मचारियों को लगाया गया ? इस सम्बन्ध में इन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कितना मार्ग एवं दैनिक भत्ता दिया गया या देय है तथा इस अभियान में उपयोग में लाई गई जीपों, ट्रकों के चलाने में पैट्रोल एवं डीजल का कितना व्यय किया गया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

१२,५०६ कुन्तल ४६ कलो २०० ग्राम गेहूं खरीदा गया। राजस्व, नियोजन, चकबन्दी एवं मार्केटिंग के कुल ८८० कर्मचारी लगाये गये जिसमें १८० पचायत सेवक, १९५ ग्राम सेवक, ४६३ लेखपाल, २१ मार्केटिंग विभाग के एवं सहकारी संघ के २१ कर्मचारी थे। इनके अतिरिक्त १५५ राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारी पर्यवेक्षक के रूप में लगाये गये। राजस्व, चकबन्दी व नियोजन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने गेहूं वसूली के साथ-साथ अपना विभागीय कार्य भी किया। अभी सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों के यात्रा भत्ता बिल प्राप्त नहीं हुए हैं किन्तु ऐसा अनुमान है कि उनको १८,००० रुपये यात्रा भत्ता में देय होगा। पी० सी० एफ० के अधिकारियों व कर्मचारियों को ५४८.०९ पैसे का भुगतान कर दिया गया है और १०३ रुपये का भुगतान अवशेष है। जीपों पर पेट्रोल में कुल १६,२१८ रुपये व्यय हुआ है जिसमें १४,६८७ रुपये शासन के तथा १५३१ रुपये पी० सी० एफ० के। पी० सी० एफ० द्वारा गेहूं की ढुलाई के लिये अपने ठेकेदार को अब तक ४,९९७ रुपये का भुगतान

किया जा चुका है तथा लगभग ६,५०० रुपये का भुगतान बिलों की जांच के बाद किया जायेगा।

*१३—श्री राम सेवक यादव—

[निधन हो ने के कारण निरस्त।]

बाट तथा माप विभाग में निरीक्षकों की नियुक्ति

*१४—श्री मधुकर दिघे—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगी कि बांट तथा माप विभाग में लोक सेवा आयोग ने जिन उम्मीदवारों का निरीक्षकों के लिये चुनाव किया था, उनको अभी तक विभाग का काम नहीं दिया गया है ? यदि हां तो यह किन कारणों से ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये उम्मीदवारों को आवश्यक औपचारिकतायें परी करने के लिये आदेश जारी किये जा चुके हैं। १५ उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश भी जारी कर दिये गये हैं जिनमें से १२ उम्मीदवारों ने निरीक्षक के पदों पर कार्य-भार ग्रहण कर लिया है। शेष उम्मीदवारों के सम्बन्ध में औपचारिकतायें पूरी हो जाने पर तथा रिक्तियों के लिये उपलब्धता के अनुसार नियुक्त आदेश जारी किये जायेंगे।

रिटायर्ड कर्मचारियों की विचाराधीन पेन्शन दर

*१५—श्री सत्य प्रकाश—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकारी रिटायर्ड कर्मचारियों की पेन्शन दर बढ़ाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो सरकार कब तक अपना निर्णय घोषित करेगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को मानकर भारत सरकार द्वारा किये गये किंचित परिवर्तनों के आधार पर राज्य सरकार रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन एवं तदर्थ वृद्धि के बारे में अध्ययन कर रही है।

उक्त परिवर्तनों में यथेष्ट वित्तीय भार निहित है अतः राज्य सरकार उन पर अध्ययन करने के उपरान्त ही निर्णय ले सकेगी।

उत्तर प्रदेश खाद्य तथा आवश्यक वस्तु निगम की स्थापना

*१६—श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि उत्तर प्रदेश खाद्य तथा आवश्यक वस्तु निगम की स्थापना पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो निगम की स्थापना का उद्देश्य क्या है तथा इसकी स्थापना कब तक हो जायेगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

निगम की विधिवत् स्थापना दिनांक २२ अक्तूबर, १९७४ को हो चुकी है। इसके उद्देश्य उक्त निगम के मेमोरेन्डम आफ ऐसोशियेशन में उल्लिखित हैं जिसके अनुसार मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:—

(१) खाद्यान्नों, तिलहनों तथा अन्य कृषि उत्पादों की वसूली, खरीद, संग्रहण, संचरण, अन्तर्राज्य संचरण सहित, वितरण और विक्रय को हाथ में लेना।

(२) चावल मिलों, आटा मिलों, बनस्पति मिलों सहित तेल मिलों, खाद्य आहार बनाने वाले उद्योगों या ऐसे ही अन्य उपक्रमों, जो कि खाद्यान्नों और खाद्य पदार्थों के तैयार करने या उत्पादन करने में सहायक हों, को बढ़ावा देने या स्थापित करने में योजना बनाना, बढ़ावा देना या सहायता करना ।

(३) अधिक मात्रा में उपभोग में आने वाली कोई भी अन्य चीजों, जो समाज की आवश्यकता के लिये परमावश्यक है, की वसूली, आयात, उत्पादन, संग्रहण, तैयारी, सम्पूर्ति एवं वितरण को हाथ में लेना ।

(४) राज्य की किसी भी मिलों, फैक्टरियों या उपक्रमों को जो कि निगम के उद्देश्यों के सदृश्य व्यापार कर रही हों, जिन्हें इन्डस्ट्रीज (डेवलपमेंट एन्ड रेगूलेशन) ऐक्ट, १९५१ के अन्तर्गत भारत सरकार ले ले और जिनका प्रबन्ध निगम को सौपा जाये, उनका प्रबन्ध, नियंत्रण करना और चलाना ।

(५) किसी भी व्यापारिक उपक्रमों, प्रोजेक्ट या ऐसी ही अन्य यूनिटें जो डबल रोटी, बिस्कुट, केक, पैस्ट्रीज और अन्य खाद्य उत्पादकों, डेयरी उत्पादों आदि का उत्पादन करती हैं उनकी स्थिति, मूल्य, प्रकृति और परिस्थितियों, विशेषतया निगम के उद्देश्यों से सम्बद्ध परिसम्पत्ति, सम्पत्ति और अधिकारों की जांच करना तथा ऐसे यूनिटों को लेना जिन्हें निगम उचित समझे तथा इस कार्य के लिये विशेषज्ञों या एजेन्सियों को नियुक्त करना और पारिश्रमिक देना ।

उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल्स, इटावा में लाभ व हानि

*१७—श्री अब्दुल रऊफ लारी—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा की सरकारी स्पीनिंग (सूती) मिल में सन् १९७१–७२ व १९७२–७३ व १९७३–७४ में कितना लाभ या हानि हुआ है ? विशेष रूप से गत चार महीनों में जो लाभ हुआ है, क्या सरकार उससे अवगत कराने की कृपा करेगी ?

श्री इस्तफा हुसैन—

सहकारी वर्ष १९७१–७२, १९७२–७३ और १९७३–७४ में उ० प्र० सहकारी कताई मिल्स, इटावा में निम्नलिखित लाभ एवं हानि हुई है:—

वर्ष				लाभ या हानि
				रु०
१९७१–७२	..	..	.. हानि	१४,८२,१७७.०६
१९७२–७३	..	..	.. हानि	३,९७,३७४.३५
१९७३–७४	..	..	.. लाभ	१०,९१,२६९.४८

गत चार महीने मई, जून, जुलाई एवं अगस्त, १९७४ में कुल रु० ५,४७,७७१.०० का शुद्ध लाभ हुआ ।

संसद सदस्यों एवं विधान मण्डल के सदस्यों की उपलब्धियों में अन्तर

*१८—श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

विधान सभा के द्वितीय सत्र १९७४ के दिनांक २४–६–७४ में प्रश्नकर्त्ता के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न नम्बर १ के उत्तर के संदर्भ में कि विधान सभा व लोक सभा के सदस्यों को दी जाने

वाली सुवि ओं में कोई संवैधानिक मतभेद नहीं है तो फिर वह सहूलियत प्रदेश के विधायकों को न दिये जाने की क्या वजह है जो लोक सभा या राज्य सभा के सदस्यों को मिल रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सं द सदस्यों और रा य विधान मंडल के सदस्यों को दी जाने वाली सुविधायें, 'संविधान' की अलग-अलग विधायी सूचियों की प्रविष्टियों के अन्तर्गत दी जाती हैं, और यह केन्द्र तथा राज्यों के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करती हैं। केन्द्र तथा राज्य के वित्तीय संसाधनों में कोई समता नहीं है और सूचनानुसार संसद सदस्यों को देय सुविधाओं के अनुरूप किसी भी राज्य में विधान मण्डल के सदस्यों को सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं ।

पंजाब तथा हरियाणा राज्यों से खाद्यान का कथित आयात

*१९—श्री राम चरन शाह (जिला लखीमपुर-खीरी)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि पंजाब, हरियाणा तथा अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितना गेहूं तथा अन्य खाद्यान्न अगस्त तथा सितम्बर, १९७४ में आयात किया गया तथा उत्तर प्रदेश सरकार के गोदाम में लाने पर खर्चा सहित क्या भाव पड़ा ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माह अगस्त तथा सितम्बर, १९७४, में प्रदेश सरकार द्वारा पंजाब हरियाणा आदि राज्यों से कोई गेहूं अथवा अन्य खाद्यान्न आयात नहीं किया गया है ।

विधान मण्डल के सदस्यों के निसवा स्थान पर टेलीफोन की सुविधा की मांग

*२०—श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देश के विधान मण्डल सदस्यों के निवास स्थानों पर राज्य सभा एवं लोक सभा के सदस्यों के समान टेलीफोन की सुविधा प्रदान करने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो यह सुविधा कब तक दे दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

ऐसा कोई विचार नहीं है । प्रश्न नहीं उठता । प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुये इस सुविधा के सम्बन्ध में विचार करना संभव नहीं है ।

ग्रामीण अंचलों में चीनी की आपूर्ति

*२१—श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या सरकार, महामहिम राज्यपाल महोदय के १९ मार्च, १९७४ के अभिभाषण में संदर्भ में, कृपया बतायेगी कि इस वर्ष चीनी का उत्पादन सात लाख टन अधिक हुआ है ? यदि हां, तो क्या सर ार इस आधार पर ग्रामीण अंचलों में प्रति मास प्रति व्यक्ति एक किलो चीनी देने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

राज्यपाल महोदय के १९ मार्च, १९७४ के अभिभाषण में यह बात कही गई थी कि पिछले साल पूरे देश में चीनी के उत्पादन में सात लाख टन की वृद्धि हुई है परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रदेश को आवंटित लेवी चीनी के मासिक कोटे की मात्रा के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति मास एक किलो चीनी उपलब्ध करान की व्यवस्था फिलहाल संभव नहीं है।

मिर्जापुर जिले में दिया गया ट्रक टायर का परमिट

*२२—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि जनपद मिर्जापर में गत ६ माह से सप्लाई दफ्तर से किन-किन लोगों को ट्रक टायर के परमिट दिये गये हैं और उनमें से कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास ट्रक नहीं है ? उनको परमिट दिये जाने का क्या कारण है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माह मई, १९७४ से २२ नवम्बर, १९७४ तक जिन व्यक्तियों को टायर उपलब्ध कराये गये उनकी सूची संलग्न है†। इनमें से ६ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको गेहूं खरीदारी योजना के अन्तर्गत ट्रैक्टरों की ट्रालियों में उपयोग हेतु टायर दिये गये ।

चूंकि ट्रैक्टर की ट्रालियों में भी ट्रक टायर ही उपयोग में आते हैं अतएव इन व्यक्तियों को टायर उपलब्ध कराये गये ।

बहराइच जिले के मजदूरों को राशन कार्ड की आपूर्ति

*२३—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बहराइच जिले के विकास खंड इकौना, सिरसिया एवं हरिहरपुर रानी तक किन-किन गांव सभाओं के सम्पूर्ण मजरों के परिवारों को अब तक राशन कार्ड नहीं मिला है ? क्या इस सम्बन्ध में सिरसिया बी० डी०सी० मीटिंग में प्रस्ताव १९७४ में पारित किया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

प्रश्नगत ३ विकास खण्डों में से केवल विकास खंड सिरसिया की ८९ ग्राम सभाओं में से १६ ग्राम सभाओं के कुछ परिवारों को राशन कार्ड अभी तक नहीं मिल सके हैं। इस सम्बन्ध में सिरसिया बी० डी० सी० मीटिंग में वर्ष १९७४ में एक प्रस्ताव पारित किया गया है। राजकीय मुद्रणालय इलाहाबाद को आदेश दे दिये गये हैं कि वांछित संख्या में राशन कार्ड जिलों को तुरन्त उपलब्ध कराये जायें ।

*२४—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त ।]

बहराइच जिले में कथित भुखमरी की स्थिति

*२५—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बहराइच जिले के हरिहर पुर रानी व सिरसिया इकौना विकास खंड में गल्ले के अभाव में भुखमरी की स्थिति अगस्त, १९७४ से पैदा हो गई है और कई लोग भुखमरी से मर चुके हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार तुरन्त प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर सस्ते गल्ले की दूकान खोल कर लोगों के जीवन की रक्षा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

प्रश्न में उल्लिखित स्थानों में न भुखमरी की स्थिति है और न वहां भुखमरी से किसी की मृत्यु हुई है। अतः वहां गल्ले के वितरण की किसी विशेष व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है

---

†छापी नहीं गई ।

*२६—श्री गंगा प्रसाद—

(मंगलवार के प्रश्न संख्या ६८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।)

खण्डा गन्ना समिति, जिला देवरिया के सदस्य द्वारा खाद की कालाबाजारी

*२७—श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि माह जुलाई और अगस्त, १९७४ में खन्डा गन्ना समिति जिला देवरिया के किसी सदस्य द्वारा खाद की कालाबाजारी सी० डी० आई० खन्डा द्वारा करने की शिकायत सरकार को प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां ।

प्राप्त शिकायत के आधार पर विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच करायी गई, परिणाम-स्वरूप दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

जिला मेरठ में प्रति यूनिट चीनी का वितरण

*२८—श्री मोहन लाल कपूर—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि अगस्त-सितम्बर,१९७४ में प्रति यूनिट कितनी चीनी बंटवाने के आदेश मेरठ जिलाधीश को दिये गये ? क्या उस आदेश के अनुसार मेरठ में चीनी वितरित की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

प्रश्नगत अवधि के लिये शहरी क्षेत्रों में ७५० ग्राम प्रति यूनिट प्रति मास चीनी वितरित करने के आदेश जिलाधिकारी, मेरठ को थे । परन्तु उपलब्धता के आधार पर जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा शहरी क्षेत्र में ६०० ग्राम प्रति यूनिट प्रति मास की दर से चीनी वितरण की व्यवस्था की गई ।

श्री राम बाबू, शक्कर बिक्रेता, जिला कानपुर के स्टाक की जांच

*२९—चौधरी राम पाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगी कि कानपुर जिले की डेरापुर तहसील के बान ग्राम के शकर रिटेलर राम बाबू को माह अगस्त, १९७४ में तहसीलदार डेरापुर ने चोर बाजारी के अभियोग में गिरफ्तार किया और स्वयं जमानत लेकर छोड़ दिया ? यदि हां, तो उक्त डी० आई० आर० के मुल्जिम को छोड़कर उक्त तहसीलदार ने अवैधानिक कार्य किया और चोर बाजारी को बढ़ावा दिया तथा सांठ-गांठ की है तो इस संबंध में उक्त रिटेलर तथा तहसीलदार के विरुद्ध क्या कार्य-वाही की गई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

तहसीलदार द्वारा २६ अगस्त,१९७४ को इनके स्टाक की जांच की गई थी व स्टाक में कुछ अन्तर पाया गया था, जिसके आधार पर थाना मंगलपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की । राम बाबू शक्कर विक्रेता ने स्वयं जिला जज के न्यायालय से anticipatory जमानत प्राप्त कर ली । अतः तहसीलदार डरापुर के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

स्वर्णकारों को सस्ते गल्ले की दुकानों का आवंटन

*३०—श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि सरकार सस्ते गल्ले की दुकानों को देने हेतु स्वर्णकारों को भी प्राथमिकता देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह आदेश कब से लागू हो जायेंगे और यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी नहीं। इनका नाम प्राथमिकता सूची से एक उच्च स्तरीय समिति के निर्णय के अनुसार निकाला गया है ।

*३१—श्री हरीश कुमार गंगवार—

[६ठें गुरुवार में प्रश्न संख्या २७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

कानपुर जिले की तहसील डेरापुर में चीनी के फुटकर बिक्रेता

*३२—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगी कि कानपुर जिले में प्रत्येक न्याय पंचायत में दो शकर रिटेलर नियुक्त किये जाने का शासन का आदेश है यदि हां, तो क्या यह सही है कि डेरापुर के तहसीलदार ने रिटेलरों की जो सूची माह अगस्त, १९७४ में बनाकर डी० एस० ओ० को भेजी थी उन रिटेलरों से लम्बी रकम वसूल की और उक्त सूची में अधिकांश चोर बाजारी और बोगस रिटेलर थे और अब उक्त बोगस सूची को न्यायोचित आधार पर परगनाधिकारी द्वारा संशोधन करके पुनः भेजा जा रहा है, यदि हां, तो उक्त तहसीलदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

प्रत्येक न्याय पंचायत में लेवी चीनी की दो दूकानें तक खोले जाने के शासन के आदेश हैं। तहसीलदार, डेरापुर, जिला कानपुर ने फुटकर चीनी बिक्रेताओं की न्याय पंचायत वार सूची परगनाधिकारी डेरापुर के माध्यम से प्रस्तुत की थी जिसमें परगनाधिकारी, डेरापुर द्वारा कुछ मामलों में तहसीलदार द्वारा की गयी संस्तुति उपयुक्त न होने के कारण संशोधित की गयी । तहसीलदार द्वारा सूची प्रस्तुत करने में किसी प्रकार के भ्रष्टाचार अथवा पक्षपात किये जाने की कोई शिकायत परगनाधिकारी, डेरापुर की जानकारी में नहीं आई ।

केन यूनियन लि०, बभनान, जिला बस्ती द्वारा चालू की गई सिंचाई योजना

*३३—श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन यूनियन लिमिटेड बभनान, जिला बस्ती में वर्ष १९५१–५२ में उपरोक्त यूनियन द्वारा कोई सिंचाई योजना चालू की गई थी जिसके अधीन बिजलीघर, पावर लाइन, नलकूप आदि लगाये गये थे ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या थी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

केन यूनियन लि० बभनान, जिला बस्ती में वर्ष १९५१–५२ में नहीं अपितु वर्ष १९५२–५३ में सिंचाई योजना चालू की गई थी, जिसके अन्तर्गत बिजलीघर, पावर लाइन एवं नलकूप लगाये गये थे । योजना की रूपरेखा निम्न प्रकार है:—

वर्ष १९५२ में सहकारी गन्ना संघ, बस्ती (पश्चिमी) एवं गोण्डा (दक्षिणी) के नाम से एक समिति का गठन हुआ । इस समिति का गठन इस ध्येय के साथ किया गया कि एक डीजल

इंजन का पावर हाउस बनाया जाय और उससे प्राप्त बिजली से १०० नलकूप लगाकर आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई उपलब्ध कराई जाय। जिससे कि बभनान चीनी मिल के सुरक्षित क्षेत्र के कृषकों को उचित मूल्य पर सिंचाई सुविधायें उपलब्ध हो सकें। जिसके फल स्वरूप गन्ने एवं अन्य फसलों की पैदावार में वृद्धि हो तथा कृषकों की आर्थिक दशा म सुधार हो।

*३४—कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

[स्पष्टीकरण के हेतु हटाया गया।]

लखनऊ क्षेत्र के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एवं निरीक्षकों का निलम्बन

*३५—श्री नज़ीर अहमद (जिला मेरठ) तथा श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ क्षेत्र के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एवं दो निरीक्षकों का निलम्बन फरवरी, १९७४ मास में किया गया था? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या क्या आरोप हैं?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

लखनऊ क्षेत्र के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एवं दो निरीक्षकों का निलम्बन मार्च, १९७४ में किया गया था। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, लखनऊ (हजरतगंज क्षेत्र) एवं उनके अधीन कार्यरत दोनों निरीक्षकों के विरुद्ध अपने कर्त्तव्यों के प्रति उदासीनता, कर्त्तव्य विमुखता, अधिकारों का दुरुपयोग तथा नियमानुसार कार्य न करने के आरोप थे।

जिला पूर्ति कार्यालय, लखनऊ द्वारा टायर के परमिट का वितरण

*३६—श्री नज़ीर अहमद, तथा श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिलापूर्ति कार्यालय, लखनऊ में जून, १९७४ में टायर के परमिट के प्रार्थियों को परमिट न देकर अन्य व्यक्तियों को दे दिये गये? यदि हां, तो इस धांधली के सम्बन्ध में अब तक कितने कर्मचारी निलम्बित किये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

यह सही नहीं है कि माह जून, १९७४ में जिला पूर्ति कार्यालय, लखनऊ में टायर के प्रार्थियों को परमिट न देकर अन्य व्यक्तियों को दे दिये गये। हां, केवल एक मामले में एक व्यक्ति ने सम्बन्धित परमिट गृहीता के जाली हस्ताक्षर बनाकर एक परमिट प्राप्त कर लिया था।

इस मामले की विभागीय जांच की गई। परमिट गलत व्यक्ति को दे देने की जिम्मेदारी दो लिपिकों की पाई गई। इन दोनों लिपिकों को कनिष्ठता के आधार पर छटनी करके विभाग से निकाल दिया गया है।

अतारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश राज्य लाटरी से आय एवं उसका आवंटन

१—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला पौड़ी-गढ़वाल)—

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य लाटरी से वर्ष १९७३–७४ में और अब तक (२३ जून, १९७४ तक) कुल कितना धन प्राप्त हुआ और वह धन प्रदेश के किन-किन अस्पतालों को किस काम के लिये दिया गया?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

वर्ष १९७३-७४ में उत्तर प्रदेश राज्य लाटरी से १५.५० लाख रुपये की शुद्ध आय हुई। १-४-१९७४ से २३-६-१९७४ तक लगभग एक लाख रुपये की शुद्ध आय का अनुमान है। उपर्युक्त आय में से कुल ९ लाख रुपये हस्तान्तरित कर दिये गये हैं। ४.५ लाख रुपये संलग्न तालिका के अनुसार विभिन्न जिलों को तथा ४.५ लाख रुपये उत्तर प्रदेश चिकित्सा निधि को।

जिला अस्पतालों को धन का आवंटन जिला स्तरीय स्वास्थ्य समितियों द्वारा एवं निदेशक, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य की संस्तुति पर उत्तर प्रदेश चिकित्सा निधि समिति द्वारा किया जाता है जिसका प्रयोग भवन निर्माण, साज-सज्जा क्रय तथा रोगियों की सुख-सुविधा के लिये किया जा सकता है।

वर्ष १९७३-७४ में उत्तर प्रदेश चिकित्सा निधि द्वारा २,३२,१३२ रुपये की धनराशि प्रदेश के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को भवन की मरम्मत एवं साज-सज्जा हेतु दी गई।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५१४-५१८ पर)

मोटे कपड़े को नियंत्रित मूल्य पर बेचने के कथित आदेश

२--श्री तीरथ राम कोहली (जिला इलाहाबाद), तथा श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि सूती वस्त्र निर्माण मिलों को यह निर्देश है कि वह अपने उत्पादन में से कुल ६० प्रतिशत मोटा कपड़ा नियन्त्रित मूल्य पर बेचने हेतु तैयार करें? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष १९७३-७४ तथा १९७४-७५ में अब तक उपरोक्त निर्देश की अवहेलना में किस-किस मिल को क्या-क्या दण्ड दिया गया?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी नहीं।

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के कर्मचारियों पर मुकदमा

३--श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामोद्योग खादी बोर्ड के अधिकारियों एवं उसके कर्मचारियों से संबंधित कितने मुकदमें अदालतों में चल रहे हैं? मुकदमों की पैरवी में बोर्ड का कितना रुपया एक वर्ष के अन्दर खर्च हुआ है?

श्री इस्तफा हुसैन--

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिकारियों एवं उसके कर्मचारियों से संबंधित १७ मुकदमें अदालतों में चल रहे हैं। मुकदमों की पैरवी में बोर्ड का गत एक वर्ष (दिसम्बर, १९७३ से नवम्बर, १९७४ तक) २,२२० .७६ रु० व्यय हुआ है।

स्टील रोलिंग मिलों और आर्क फरनेन्स को दिया गया कोयला

४--श्री सत्यपाल मलिक--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत जनवरी, फरवरी या मार्च में जब प्रदेश के स्टील रोलिंग मिलों व आर्क फरनेस को बिजली नहीं दी गई तो उस दौरान उन्हें कितना कोयला दिया गया और उस कोयले का क्या हुआ?

श्री इस्तफा हुसैन—

प्रश्नगत अवधि में स्टील रोलिंग मिलों को २१९ वैगन तथा २० मी० टन और आर्क फरनेसों को २२ वैगन कोयला उपलब्ध हुआ। इस कोयले के दुरुपयोग की रिपोर्ट शासन की जानकारी में नहीं आयी।

बरेली जिले में प्रति यूनिट गेहूं की मात्रा में वृद्धि और अन्य आवश्यक वस्तुओं के वितरण की मांग

५—श्री सत्य प्रकाश—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली में सस्ते गल्ले की दुकानों में १ किलो गेहूं प्रति यूनिट की मात्रा कब तक बढ़ा दी जावेगी और यह मात्रा बढ़ाकर कितने किलो प्रति यूनिट कर दी जायेगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

बरेली या किसी अन्य नगर में दिये जाने वाले गेहूं की दर में वृद्धि किये जाने पर केन्द्रीय सरकार से प्राप्त आवंटन में वृद्धि होने की दशा में ही विचार किया जा सकेगा।

६—श्री सत्य प्रकाश—

क्या सरकार सस्ते गल्ले की दूकानों पर गल्ले के साथ-साथ अन्य उपभोक्ता वस्तुयें जैसे मिट्टी का तेल, साबुन आदि वितरण का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक वर्तमान सस्ते गल्ले की दुकानें उपभोक्ता भंडार बना दिये जावेंगे ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

शासन के यह आदेश हैं कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर खाद्यान्नों एवं चीनी के अतिरिक्त अन्य आवश्यक वस्तुयें जैसे मिट्टी का तेल, नमक, वनस्पति, दालें, साबुन, तेल, मसाले इत्यादि बिकवाने की व्यवस्था भी की जाय। सहकारिता विभाग से भी अनुरोध किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टोर खोलने के सुझाव पर विचार करें।

चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण

७—श्री सुखद राज सिंह (जिला बहराइच) तथा श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का कोई निर्देश पूरे प्रदेश सरकार को अगस्त, १९७४ में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो वह क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

केन्द्रीय सरकार से चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के संबंध में राज्य सरकार को कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।

विधान सभा के गत चुनाव के मत-पत्रों की छपाई में प्रयुक्त कागज

८—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के गत आम चुनाव के समय राजकीय प्रेस, इलाहाबाद, लखनऊ तथा रुड़की में मतदान-पत्र छपाने में कुल कितने कागज का इस्तेमाल हुआ तथा कुल कितना कागज बरबाद हुआ ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

गत आम चुनाव में मतदान-पत्र छपाने में राजकीय मुद्रणालयों में कुल २८०.६ टन कागज इस्तेमाल हुआ था उसमें से १०.८१७ टन बेकार हुआ।

९—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

उपरोक्त तीनों प्रेसों को मतदान-पत्र छापने के लिये कितना-कितना कागज कहां-कहां से प्राप्त हुआ ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

२२५.८३ टन कागज भंडार में उपलब्ध था तथा ८८.४२२ टन निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुआ था:—

	टन
(१) बिहार सचिवालय प्रेस, पटना	११.१००
(२) राजकीय प्रेस, हैदराबाद	१९.९८०
(३) चुनाव अधिकारी, महाराष्ट्र, बम्बई	२५.५३०
(४) कन्ट्रोलर, रीजनल गवर्नमेंट प्रेस, इन्दौर	७.७७०
(५) कन्ट्रोलर रीजनल गवर्नमेंट प्रेस, ग्वालियर ..	६.२१६
(६) गवर्नमेंट सेंट्रल प्रेस, भोपाल	७.८३६
(७) अतिरिक्त मुख्य सचिव, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद ..	९.९९०
योग ..	८८.४२२

एल० एच० शुगर फैक्टरी, पीलीभीत द्वारा बाह्य क्रय केन्द्रों पर गन्ना मूल्य में कटौती

१०—श्री धीरेन्द्र सहाय—

द्वितीय सत्र १९७४ के ८वें सोमवार के ता० प्र० २६ के संदर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एल० एच० शुगर फैक्टरी, पीलीभीत ने विधान सभा चुनाव के बाद १९७३–७४ में १.२५ प्रति कुंटल ढुलाई गन्ने के नाम पर "आउट स्टेशन" पर गन्ने के भाव में कटौती की ? यदि हां, तो क्यों और क्या सरकार यह भी बतावेगी कि विधान सभा चुनाव के बाद इसी सत्र में प्रदेश की दूसरी चीनी मिलों ने ढुलाई गन्ने के नाम पर गन्ने के भाव में कटौती की है ? यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां, एल० एच० शुगर फैक्टरी, पीलीभीत ने सीजन १९७३–७४ में "आउट स्टेशन" पर गन्ना ढुलाई की मद में भारत सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम दर ३२ पैसे प्रति क्विंटल से अधिक दर रु० १.२५ प्रति क्विंटल पर देय गन्ना मूल्य में से कटौती इस कारण की है कि उक्त मिल ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य से अधिक दर रु० १३.२५ प्रति क्विंटल पर गन्ना क्रय किया है। गन्ना ढुलाई भाड़ा की पूर्ति हेतु कटौती की निर्धारित अधिकतम दर ३२ पैसे प्रति क्विंटल गन्ने की निर्धारित न्यूनतम मूल्य (जो इस मिल के लिये रु० ९.०३ प्रति क्विंटल निर्धारित था) से संबद्ध है। इसके संबंध में भारत सरकार को लिखा गया है। इस संबंध में की गयी कटौती की दरों का मिलवार ब्योरा संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५१९–५२३ पर)

सहकारी चीनी मिलों की वार्षिक जनरल मीटिंग को निरस्त करने का कथित आदेश

११—श्री धीरेन्द्र सहाय—

द्वितीय सत्र १९७४ के ९वें सोमवार के तारांकित प्रश्न ३४ के संदर्भ में क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना आयुक्त न प्रदेश की सभी सहकारी चीनी मिलों में होने वाली

वार्षिक जनरल मीटिंग को तत्काल निरस्त कर दिये जाने के आदेश अप्रैल, १९७४ में प्रसारित किये थे ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह आदेश मंझौला चीनी मिल में १० डाइरेक्टर में सात निर्विरोध चुने जाने के बाद किये गये ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी नहीं ।

१२--श्री शिवानन्द नौटियाल--

[५ वें गुरुवार में प्रश्न संख्या १८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

१३--श्री शिवानन्द नौटियाल--

[५वें गुरुवार में प्रश्न संख्या १९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

१४--श्री राम सुन्दर पांडेय--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त ।]

विभिन्न कोषागारों के कर्मचारियों का स्थायीकरण

१५--श्री त्रिवेणी सहाय, श्री सत्य प्रकाश, श्री बाबू लाल वर्मा तथा श्री मन्ना लाल (जिला लखीमपुर-खीरी)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ३१ अगस्त, १९७४ को कोषागार तथा लेखा प्रशासन विभाग में ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी थी जो कि ३ वर्ष से अधिक अवधि से अस्थायी रूप से अथवा लीव बैकेन्सी पर सेवारत थे ? (जानकारी सभी श्रणियों के कर्मचारियों को पृथक्-पृथक् अपेक्षित है) उन्हें अब तक स्थाई न करने का कारण क्या है तथा कब तक स्थाई घोषित कर दिये जायेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

३१ अगस्त, १९७४ की विभिन्न कोषागारों में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के अस्थायी कर्मचारियों की संख्या (कैश स्टाफ के कर्मचारियों को छोड़ कर) क्रमशः १८० तथा १६ थी । जिला स्तर पर कतिपय प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण उनको अभी तक स्थायी नहीं किया जा सका । संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा स्थायीकरण के संबंध में आवश्यक औपचारिकता पूरी की जा रही है जिसके पूर्ण होने के उपरान्त ही उन्हें स्थायी किया जा सकेगा ।

उत्तर प्रदेश राजकीय हस्तकला द्वारा माल की बिक्री से प्राप्त धनराशि

१६--श्री अब्दुल रऊफ लारी--

क्या लघु उद्योग मंत्री को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राजकीय हस्तकला द्वारा वित्तीय वर्ष १९७२-७३ तथा १९७३-७४ में अलग-अलग कितने मूल्य का सामान कितने रुपये में नीलाम व बिक्री किया गया है ?

श्री इस्तफा हुसैन--

जी हां । वर्ष १९७२-७३ तथा १९७३-७४ में राजकीय उत्तर प्रदेश हस्तकला द्वारा बिक्री किये गये अयोग्य माल का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ५२४ पर)

१७—श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

बाढ़ ग्रस्त जिलों में गल्ले का वितरण

१८—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री वीर सिंह सेंगर (जिला जालौन)—

क्या खाद्य एवं पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि जुलाई तथा अगस्त, १९७४ में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में सस्ते दाम पर गल्ला वितरण हेतु जिलानुसार सस्ते गल्ले की कितनी दुकान खोली गईं तथा उनके माध्यम से कितना-कितना, क्या-क्या गल्ला बेचा गया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

अब तक प्राप्त सूचना संलग्न तालिका में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ५२५ पर)

उद्योग निदेशालय एवं खादी बोर्ड का आकस्मिक निरीक्षण

१९—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री मलखान सिंह तथा श्री वीर सिंह सेंगर—

क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ३०-८-७४ को जब उनके द्वारा कानपुर स्थित उद्योग निदेशालय तथा खादी बोर्ड आदि का अचानक निरीक्षण किया गया तब वहां क्या स्थिति पाई गई ? पूर्ण रिपोर्ट क्या है तथा दोषी कर्मचारियों तथा विभागाध्यक्ष के विरुद्ध क्या कार्यवाही अब तक की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इस्तफा हुसैन—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बिक्री-कर विभाग के कर्मचारियों का स्थायीकरण

२०—श्री त्रिवेणी सहाय, श्री सत्य प्रकाश, श्री मन्ना लाल तथा श्री मोहन लाल कपूर—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ३१ अगस्त, १९७४ को बिक्री-कर विभाग, बिक्री-कर आयुक्त तथा जिला बिक्री-कर कार्यालयों में ऐसे कर्मचारियों की सख्या कितनी थी जो कि ३ वर्ष से अधिक अवधि से अस्थायी रूप से अथवा लीव वेकैन्सी पर सेवारत थे ? (जानकारी सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की पृथक-पृथक् अपेक्षित है। उन्हें अब तक स्थायी न करने का क्या कारण है तथा कब तक स्थायी घोषित कर दिये जायेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

३१ अगस्त, १९७४ बिक्री-कर विभाग विभिन्न कार्यालयों में ऐसे कर्मचारियों, को ३ वर्ष से अधिक अवधि से अस्थायी रूप अथवा लीव वेकैंसी में सेवारत थे की संख्या, उन्हें स्थायी न करने का कारण एवं वे कब तक स्थायी घोषित होंगे, का विवरण इस प्रकार है:—

विभाग की श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या		कर्मचारियों को स्थायी न करने का कारण	कब तक स्थायी होंगे	विवरण
	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी			
१	२	३	४	५	६
(१) बिक्री-कर आयुक्त के मुख्यालय एवं उनके प्रशासकीय नियंत्रण में अन्य अधीनस्थ कार्यालय ।	४९२	५२	(१) १५१ तृतीय तथा ३२ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ऐसे हैं जो वृत्ति आदि कर में कार्य कर रहे हैं, जो अस्थायी प्रकृति का कार्य है । जिन पदों पर यह कार्य कर रहे हैं, उनके आगे चलते रहने की संभावना नहीं है । अतः इन कर्मचारियों को स्थायी नहीं किया गया ।	जब यदि ये कर्मचारी बिक्रीकर के अधिष्ठान पर पूर्णतया आ जायेंगे ।	यह मामला शासन के विचाराधीन है ।
			(२) १७६ कर्मचारी जो मंडल, रेंज मुख्यालय के बिक्रीकर के कार्यालयों में हैं । जिन पदों पर यह कार्य कर रहे हैं उनके तीन वर्ष जनवरी और अगस्त, १९७४ के बीच पूरे हुए । पदों के स्थायीकरण की कार्यवाही चल रही है ।	पद स्थायी होने के शीघ्र बाद ।	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४	५	६
			(३) तृतीय श्रेणी के १८५ पदों पर एक रिट याचिका में पारित स्थगन आदेशों के कारण (पद स्थाई है)	बिक्रीकर आयुक्त के कार्यालयों को छोड़ कर जहां स्थगन आदेश अभी भी लागू हैं, शेष कार्यालयों में कार्यरत ३६६ कर्मचारियों को स्थायी करने की कार्यवाही की जा रही है। इन 166 कर्मचारियों का स्थायीकरण उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश, दिनांक २० नवम्बर, १९७४ के संशोधन से सम्बद्ध हो सका है।	स्थगन आदेश के कायम रहते बिक्रीकर आयुक्त के मुख्यालय के पदों पर स्थाई करण संभव नहीं है।
(२) न्यायाधीश (पुनरीक्षण) के मुख्यालय एवं उनके अधीनस्थ कार्यालय।	शून्य	११	१० चपरासी के तथा १ स्त्रीपर का पद अभी स्थाई होने को शेष है।	पदों के स्थाई होने के उपरान्त यथा संभव शीघ्र।	यह मामला शासन के विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

भूतपूर्व सदस्य, श्री विश्वनाथ के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

माननीय अध्यक्ष जी, एक और दुखः बात के सम्बन्ध में मैं आज इस माननीय सदन की ओर से दुःख प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे एक भूतपूर्व विधायक, बाराणसी निवासी, श्री विश्वनाथ साहू, जिन्हें झींगन साहू के नाम से सारा वाराणसी जानता था, का निधन हो गया। वह इस माननीय सदन के सदस्य थे और वाराणसी में सामाजिक कार्यकर्ताओं के जीवन में उनका अपना स्थान था। श्री झींगन साहू जनसंघ के टिकट पर चुन कर आये थे, लेकिन उनका व्यक्तिगत और पारस्परिक मेलजोल सभी दलों के सदस्यों के साथ कैसा रहा है, उसको मैंने स्वयं देखा है। बिना घृणा के सभी के साथ भाईचारे के रूप में काम करने की उनकी बात को सभी जानते हैं। मान्यवर, उनके निधन से एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता का अंत हुआ है जो राजनैतिक कारणों के कारण आपसी कड़वाहट पैदा न होने देने में बहुत अग्रणी थे। मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से और इस सदन की ओर से श्री झींगन साहू की मृत-आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हम लोगों की इस भावना को उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

*श्री मुहम्मद असगर अहमद (जिला बदायूं)—

मान्यवर, माननीय विश्वनाथ साहू सन् १९६२ से ६७ और ६७ के बाद जब "संविद" सरकार बनी, ६७ के अन्त तक, इस सदन के सदस्य रहे। उनसे उस जमाने में बहुत साथ रहा था। बहुत ही भले सज्जन थे और उनकी शिक्षा और सामाजिक कामों में बड़ी रुचि रहती थी। उन्हें बनारस के म्युनिसिपलबोर्ड और कारपोरेशन म मुझे वहां जाने का मौका मिला था। उसके भी वह सदस्य रहे और कई डिग्री कालेजेज के वह सभापति और वाइस प्रेसीडेंट रहे। जमाना तो कुछ ऐसा आता जा रहा है मालूम नहीं हममें से कितने समय से पहले ही चले जायं क्योंकि अभी इसी सदन में जितने भी भूतपूर्व विधायकों का निधन हुआ है वह लगभग ७० वर्ष या उससे कम की आयु के थे। मालूम ऐसा होता है कि हममें से बहुत से मालूम नहीं किस समय चलते बनें। हमें उनके निधन पर बहुत दुख है और मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि हमारी संवेदना उनके परिवार तक पहुंचा दें और उनकी रूह की शान्ति के लिये दुआ करता हूं।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन तथा नेता भारतीय लोक दल ने जो भावनायें स्वर्गीय झींगन साहू के बारे में व्यक्त की हैं मैं अपने दल को और अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं। उनके जीवन की अनेक विशेषतायें थीं। जहां सार्वजनिक जीवन में कारपोरेटर की हैसियत से उन्होंने लोगों की सेवा की वहां भगवान ने जो धन उनको दिया था उसका उन्होंने हमेशा सदुपयोग किया। गरीबों, दुखी लोगों को हमेशा खिलाया। वह दयानन्द जी के बड़े कट्टर भक्त थे और अन्त तक उन्होंने आर्य समाजी के रूप में जनता की सेवा की। वह बड़े कठोर भी थे। अगर विरोध में कोई चीज मुंह से किसी के निकल जाय जो उनको ठीक नहीं लगती थी तो उस पर वह बहुत तीव्र विवाद करते थे। लेकिन वह बड़े स्नेही थे। सदन में बातचीत करते समय जब कोई उनसे सहमत न हो तो वह बड़ी तीखी भाषा का प्रयोग करते थे लेकिन सदन से बाहर निकलते ही वह हमको भोजन कराते थे। इस तरह वे बड़े स्नेही थे और उनके हृदय की कटुता क्षण भर में निकल जाती थी। जहां तक मेरी जानकारी है वह बनारस में सबसे अधिक लोकप्रिय थे इस मानों में कि छोटे से छोटा व्यक्ति भी उनका आदर करता था और उनसे प्यार करता था। हर वर्ग में उनके प्रति आदर और प्यार था। हम सब उनके निधन से बड़े दुखी हैं। संवेदना का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

संदेश मेरी ओर से तथा मेरे दल की ओर से उनके दुखी परिवार तक अध्यक्ष महोदय आप पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)—

अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री झींगन साहू के सम्बन्ध में जो विचार माननीय नेता सदन और अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे निवेदन है कि संवेदना का संदेश मेरी ओर से तथा मेरे दल की ओर से उनके दुखी परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री नियाज हसन खां (जिला प्रतापगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, झींगन साहू के निधन पर हम सबको बड़ा अफसोस है । जहां तक मेरी जानकारी है वह बहुत ही खुश इखलाक आदमी थे और उनकी बड़ी इज्जत थी । मैं अपने दल और अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता सदन, अन्य दलों के माननीय नेताओं ने विश्वनाथ प्रसाद जी के बारे में जो शोकोद्गार प्रकट किये हैं मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं । वह इस सम्मानित सदन के सदस्य थे । मुझे उस समय इस सदन में आने का अवसर नहीं मिला था लेकिन मैं जानता हूं कि बनारस से जो मेल चलता था और जिस दिन असेम्बली खुलती थी उस दिन वह प्रतापगढ़ में अवश्य मिलते थे । जैसा कि माधव प्रसाद जी ने कहा कि बहुत से प्रतापगढ़ के विधायक जो भोजन नहीं कर सकते थे, वे समझते थे कि झींगन जी का कम्पार्टमेन्ट ढूंढ़ लिया जाय । वे सब को खिलाते-पिलाते थे । मुझे भी ऐसा मौका मिला है । मेरे दल के विधायक मुझे पकड़ कर वहां ले गये । उसी ट्रेन से वे जाते थे और जिस दिन असेम्बली खुलती थी, प्रतापगढ़ में उन्हें देखने का बार-बार मौका मिलता था । वे एक विचारों के पक्के व्यक्ति थे और अतिथि-सत्कार के प्रेमी थे । उनके निधन से निश्चय ही सार्वजनिक जीवन में रिक्तता आयी है । मैं आपके द्वारा अपेक्षित शोकोद्गार और संवेदना शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचा दूंगा । अब आप दो मिनट के लिये खड़े हो जायं ।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए ।)

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (मालकर) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९७४†

परिवहन मंत्री (श्री राजमंगल पांडेय)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन विभाग–अनुभाग ४ की अधिसूचना संख्या १९५१-टी तीस-४-६४-के एम–७४, दिनांक ३० अगस्त, १९७४ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (मालकर) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९७४ को उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (मालकर) अधिनियम, १९६४ की धारा ३२ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७४†

सामुदायिक विकास मंत्री (बलदेव सिंह आर्य)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज अनुभाग–२ की अधिसूचना संख्या ३२३४ बी/३३-१२२-७४, दिनांक ३ नवम्बर, १९७४ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७४ का उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापी नहीं गई ।

नगर महापालिका लखनऊ चुंगी नियमावली, १९७४†

राजस्व मन्त्री (स्वामी प्रसाद सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से नगरपालिका अनुभाग–६ की अधिसूचना संख्या ४९२४-बी/ ११-६-७४-२५६-७३, दिनांक २६ अगस्त, १९७४ द्वारा प्रख्यापित नगर महापालिका लखनऊ, चुंगी नियमावली, १९७४ को उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (तृतीय संशोधन) नियमावली, १९७४†

राजस्व मन्त्री (स्वामी प्रसाद सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से राजस्व विभाग अनुभाग–१ की अधिसूचना संख्या १९६ ११-३(११)-७३, राजस्व-१, दिनांक २७ जून, १९७४ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (तृतीय संशोधन) नियमा ली, १९७४ को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग-२ की विज्ञप्तियों में किये गये संशोधन‡

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से वित्त (बिक्री-कर)अनुभाग–२ की विज्ञप्ति संख्या एस० टी० दो-९३७५ दस-९(२०)-७४, दिनांक १९ दिसम्बर, १९७४ द्वारा विज्ञप्ति संख्या एस० टी०-दो-३३२ दस-१०१२-१९७१, दिनांक १५ नवम्बर, १९७१ में किये गये संशोधन को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, १९४८ की धारा ३-क की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

वित्त मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार की कुछ सूचनायें हैं :

माननीय सर्वश्री दशरथ सिंह, रामपति तथा राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, सदस्यगण, विधान सभा, ने दिनांक २७–१२–७४ को यह सूचना दी है कि २६–१२–७४ को विधान सभा में गोला गोली कांड के सम्बन्ध में वक्तव्य देते हुए मननीय वित्त मंत्री ने यह कहा कि श्री राघव राम पाण्डे का सम्बन्ध कम से कम सत्ता कांग्रेस से नहीं है । सूचना देने वाले माननीय सदस्य का कहना है कि यह बात बिल्कुल असत्य एवं निराधार है, इसलिये ऐसा कथन करके माननीय वित्त मन्त्री ने विशेषाधिकार की अवहेलना की है ।

माननीय वित्त मंत्री ने सदन में यह कहा था कि 'उनका (श्री राघव राम पाण्डे का) का सम्बन्ध शासकीय दल से तो नहीं बताया गया ।' श्री सत्यपाल मलिक ने माननीय वित्त मन्त्री द्वारा यह कथन किये जाने के कुछ ही समय बाद यह प्रश्न उठाया था कि 'मंत्री महोदय ने बताया कि भूतपूर्व विधायक सत्तारूढ़ दल के नहीं हैं और प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य ने कहा कि वे सत्तारूढ़ दल के हैं । तो मान्यवर, हम लोग यह जानना चाहते हैं कि सदन को कौन गुमराह कर रहा है ।' उसी समय मैंने यह व्यवस्था दी थी कि इसमें गुमराह करने का कोई सवाल नहीं है । एक राय इनकी है और एक उनकी है । कई दफा पक्केतौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि कौन किस दल का है । अतः इस मामले में अब विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता ।

---

†छापी नहीं गई ।
‡छापे नहीं गये ।

मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

अब दूसरा सर्व श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, हरीश कुमार गंगवार व आशाराम यादव ने माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी है। सूचना में कहा गया है कि गत सप्ताह प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ने मुरादाबाद में एक दुग्ध सहकारिता संस्थान के द्वारा आयोजित समारोह में भाषण करते हुये यह घोषित किया है कि सहकारिता विभाग के कर्मचारियों को सहकारी समिति के लाभों में लाभांश मिला करे, इस आशय का प्राविधान करने हेतु सहकारिता अधिनियम में संशोधन किया जायेगा। नीति संबंधी प्रश्नों को सदन में सूचना देने से पूर्व उनका बाहर प्रकाशन करना परम्परा के विरुद्ध और अनुचित होते हुए भी विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं बनाया जा सकता। इस संबंध में उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों के संहित संकलन के पृष्ठ ५२४-५२५ पर निर्णय संख्या ९० दृष्टव्य है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

अध्यक्ष महोदय, ऐसा उन्हें नहीं कहना चाहिये था। आपको यह उन्हें कहना चाहिये हमें भी बताना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष--

वह तो मैं कहूंगा।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

अध्यक्ष महोदय, माधव बाबू के मन में कोई गलतफहमी न रहे। यह कर्मचारियों के सहयोग से या कर्मचारियों के साक्ष्य लेने से जो भी विचार हों लेकिन मैंने कभी यह नहीं कहा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

जो आपने रिप्रजेंटेटिव को कहीं उससे हैरानी हुई, हम लोगों को भी बताना चाहिये था।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

सहकारिता विभाग के कर्मचारियों के रिप्रेजेंटेटिव मिलना चाहते थे लेकि ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। वहां पर कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष ने प्रश्न उठाया था सहकारी दुग्ध कंपनी लिमिटेड या कुछ ऐसा ही नाम है। उन्होंने कहा हमको इसमें वेतन कम मिलता है। मान्यवर, उन्होंने बताया कि न्यूनतम वेतन २२० रुपया है तो मैंने कहा भाई सारे देश की स्थिति को देखते हुए यह वेतन कम नहीं है लेकिन इलाज इसका एक यह सोचना पड़ेगा कि तुमको भी दुग्ध कम्पनी के शेयर खरीदने की इजाजत दी जाय ताकि तुमको लगे कि हम भी हिस्सेदार हैं। मैंने यह नहीं कहा कि सरकार की नीति इस प्रकार की होगी या सहकारिता अधिनियम में संशोधन किया जायेगा तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है इस बात का।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

अध्यक्ष महोदय मुझे जो सूचना मिली और इसको मैंने एकोनामिक टाइम्स दिनांक २३ दिसम्बर, ७४ में भी पढ़ा था जिसके आधार पर मैं यह समझता था कि यह बात सही है।

बाजरा एवं धान काण्ड के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री के कथन के बारे में मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

अब एक और सदस्य श्री ओम प्रकाश सिंह ने तथा सर्वश्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, कल्याण सिंह, सत्य प्रकाश, मोहन लाल कपूर और दिनेश चन्द रस्तोगी ने दिनांक २७—१२—७४ को दो सूचनायें दी हैं जिनमें यह कहा गया है कि जब प्रतिपक्ष के नेताओं द्वारा प्रस्तुत संसदीय जांच समिति गठित किये जाने वाले प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा था, उस बीच माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि, 'संसदीय समिति द्वारा जांच कराने से असली दोषी बच जायेंगे तथा निर्दोषों को और जिल्लत होगी' माननीय सूचना देने वाले सदस्यों का यह कहना है कि इस प्रकार का कथन करके माननीय मुख्य मंत्री ने सदन के माननीय सदस्यों पर स्पष्ट आक्षेप किया है। और सभी दलों के सदस्यों की न्याय क्षमता और निष्पक्षता पर शंका व्यक्त की है और इस प्रकार इस आदरणीय सदन की अवमानना हुई है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

आपने बड़ी गम्भीर बात कह दी है। अपने और अपनों को न्यायप्रिय और निस्पक्ष समझा और दूसरों को नहीं समझा। श्रीमन्, सभी पर इन्होंने छींटा कसा है। इन्होंने बड़ी होशियारी से कहा है कि इससे जो दोषी होंगे वह बच जायगे और निर्दोष होंगे उनकी जिल्लत होगी। यह विरोध पक्ष के प्रति उनकी बड़ी बुरी भावना का द्योतक है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

माधव बाबू ने जो प्रश्न उठाया, मैं उसको स्पष्ट कर दूं। मेरे कहने का तात्पर्य वह बिलकुल नहीं है जो वह समझे हैं। मेरा यह कहने का कदापि मतलब नहीं है कि सदन का कोई सदस्य निष्पक्ष नहीं है। बल्कि सत्य तो यह है कि आप सभी निष्पक्ष हैं। मेरा मकसद कहने का केवल यह था कि हम सजा किसी को कर नहीं सकते हैं। यह सदन अभियुक्तों को जेल भेज नहीं सकता है। इसलिये जितने दिन चलेगा, उतने दिन तक जेल जाने वाले लोग जेल जाने से बचे रहेंगे। यदि मेरे यह कहने में उनको कोई फर्क मालूम पड़ता हो तो माधव बाबू उसको सही मान लें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

आप श्रीमन्, स्वयं निर्णय करें कि पहले वाले और इसमें कोई अन्तर या नहीं।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

कोई भी व्यक्ति जो सत्य का प्रयोग करता है, तो अपनी भावनाओं को प्रयुक्त करता है। माननीय मुख्य मंत्री जी उन शब्दों का प्रयोग करने में और शब्दों का जाल बनाने में बहुत ही कुशल हैं और यह जो बाजरा कांड था और उसमें जो उनकी पार्टी से संबंधित सदस्य अभियुक्त हैं उनको बचाने के लिये प्रयत्न इन शब्दों के जाल से किया है। जो ओम प्रकाश शर्मा नाम बताया, यहां पर जिस विधायक का पता बताया था, वह वही है चूना पत्थर वाली गली। उस पर पर्दा डालने के लिये इन्होंने प्रयोग किया था और इस तरह से इन्होंने सदन पर आरोप लगाया था कि मैं केवल न्याय कर सकता हूं, दूसरे दल वाले नहीं। श्रीमन्, इसलिये यह विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री ने इस प्रकार के शब्द अवश्य कहे थे कि, इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से दोषी लोग दण्ड मिलने से बाकी रह जायेंगे और निर्दोषों को बिला वजह जिल्लत उठानी पड़ेगी।' इन शब्दों में ऐसा कोई आक्षेप नहीं है जैसा कि सूचना देने वाले माननीय सदस्यों का विचार है।

[श्री अध्यक्ष—]

इस मामले में किसी विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन के अवमान का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। अतः मैं इन दोनों सूचनाओं को अस्वीकार करता हूं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

'जाल' हर जगह बुरा नहीं होता, जो रक्षक जाल का काम करते हैं, उनकी हम तारीफ करते हैं।

खाद्य तथा रसद मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री सत्यप्रकाश मालवीय, सदस्य विधान सभा ने दिनांक २७–१२–७४ को यह सूचना दी है कि माननीया खाद्य मंत्री ने ७ अगस्त, १९७४ को सदन में आश्वासन दिया था कि बाजरा काण्ड जांच की सी० आई० डी० रिपोर्ट सदन को दी जायगी और २६–१२–७४ के उपवेशन में इसी विषय पर अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में माननीय खाद्य मंत्री ने कहा कि "गोपनीय जांच की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखना जनहित में नहीं है।" माननीय श्री मालवीय ने इस आधार पर माननीय खाद्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकर की अवहेलना करने तथा सदन का अवमान करने का प्रश्न उठाने की अनुमति मांगी है। मैंने दिनांक ७ अगस्त, १९७४ की कार्यवाही देखी। उसमें इस प्रकार कोई आश्वासन नहीं दिया गया था।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, मुझे पहले सुन लें, माननीया मंत्री जी ने उस दिन कहा था। मान्यवर, उस वक्त बताया गया था कि रिपोर्ट १५–२० दिन में आ जायेगी और इसलिये यह बात सदन में हमने कही थी। लेकिन अभीतक वह रिपोर्ट मेरे पास उपस्थित नहीं हुई है। किन्तु जैसा कि नेता विरोधी दल कह रहे हैं तो मैं उसकी पुनः जानकारी कर लूंगी कि वह रिपोर्ट कम्प्लीट हुई है कि नहीं। यदि कम्प्लीट हो गई है तो, मैंने जैसा उस बार कहा था कि उसकी सदन को सूचना दूंगी।

श्री अध्यक्ष—

सूचना देना और सदन के पटल पर रखना, दो बातें हैं।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय—

इसके बाद जब अल्पसूचित तारांकित का उत्तर दिया गया तो उसमें कहा कि जो खुफिया जांच हुई उसको बताना जनहित में नहीं है। मेरा कथन यह है कि गोपनीय जांच की बात पहले सदन में कही नहीं गयी थी, बल्कि यह कहा गया था कि रिपोर्ट कम्प्लीट नहीं है. और सदन में जो आश्वासन दिया गया था वह यह था कि जब रिपोर्ट कम्प्लीट हो जायगी तो उसकी सूचना सदन में दी जायगी, जिस संदर्भ में माननीय मंत्री ने वक्तव्य दिया था, जब रिपोर्ट विभाग के पास आ जायगी तो समस्त रिपोर्ट की सूचना सदन को दी जायगी। इस प्रकार जो माननीय सदन को आश्वासन दिया गया था उससे वह वंचित किया जा रहा है। इससे स्पष्टतया विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है।

खाद्य तथा रसद मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

अध्यक्ष जी, २१ मार्च, १९७४ को जब पहली बार मूल प्रश्न में माननीय नेता विरोधी दल ने उठाया था उसमें भी हवाला नहीं था कि सदन के पटल पर इस प्रकार की सूचना रखी जायगी। चौधरी साहब ने यह कहा था उस वक्त भी कि इस पर क्या कार्यवाही करने की बात है, उसके जवाब में मैंने कहा था कि रिपार्ट आयेगी तब सूचना दूंगी। उसके बाद जब यह सदन मिलता है, रिपोर्ट कम्प्लीट हो चुकी, उसकी सूचना मैंने सदन को दी कि "अब मामला दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अनुसंधान के लिये अपराध अनुसंधान विभाग को शीघ्र कार्यवाही हेतु शासन द्वारा सौंप

दिया गया है और अनुसंधान आरम्भ हो गया है। गोपनीय जांच की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखना जनहित में नहीं है।" इस प्रकार यह सूचना सदन को मुझे देनी थी जो मैंने माननीय नेता विरोधी दल से इस सदन में कहा था कि वह बार-बार इंसिस्ट कर रहे थे कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भी जो आयी है इसकी सूचना दे दें, मैंने कहा था कि कम्प्लीट नहीं है, जैसे कम्प्लीट हो जायगी सूचना दूंगी। जब सत्र आरम्भ होता है तो जो जवाब दिया है, इसकी सूचना दे दी कि रिपोर्ट कम्प्लीट हो चुकी है क्योंकि यही सूचना देनी थी। मैं समझती हूं कि माननीय सदन के सामने मैंने जो कुछ कहा था वह इतना ही था कि रिपोर्ट पूरी हो गयी या नहीं इसकी सूचना मैं दूंगी। यह सूचना मैंने समय पर दे दिया जैसे यह सदन आरम्भ होता है। मैंने किसी प्रकार से सदन की अवमानना नहीं की है।

श्री अध्यक्ष—

उस वक्त बताया गया था कि रिपोर्ट १५–२० दिन में आ जायगी और इसलिये यह बात सदन में हमने नहीं कही थी। खाद्य मंत्री ने यह कहा था—'लेकिन अभी तक वह रिपोर्ट मेरे पास उपस्थित नहीं हुई है। किन्तु जैसा कि नेता विरोधी दल कह रहे हैं तो मैं उसकी पुनः जानकारी कर लूंगी कि वह रिपोर्ट कम्प्लीट हुई है कि नहीं। यदि कम्प्लीट हो गयी है तो मैंने जैसा उस बार कहा था कि उसकी सदन को सूचना दूंगी'। इन शब्दों को देखने से स्पष्ट है कि माननीया खाद्य मंत्री ने यह आश्वासन नहीं दिया कि वे सी० आई० डी० की जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखेंगी। उन्होंने केवल जांच रिपोर्ट के पूरा होने की सूचना देने की बात कही थी। मैं समझता हूं कि इस विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। ऐसा निर्णय कई बार इस सदन में दिया गया, हाउस आफ कामंस में भी होता रहा है और लोक सभा में भी ऐसा है। अधिकतर जो आश्वासन सम्बन्धी बातें हैं आश्वासन समिति के देखने की बात होगी।

श्री भगवती प्रसाद द्वारा मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय भगवती सिंह का विशेषाधिकार का मामला उस दिन तय हो गया था। माननीय मुख्य मंत्री ने कह दिया था। इसको मैं अस्वीकार करता हूं।

२० अगस्त, १९७४ के तारांकित प्रश्न संख्या २ पर श्री मुहम्मद असरार अहमद द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

परिवहन मंत्री (श्री राजमंगल पांडेय)—

मान्यवर, शोधन वक्तव्य निम्नलिखित हैं जो मैं आपकी आज्ञा से पढ़ रहा हूं।

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

मैंने विशेषाधिकार का प्रश्न दिया था १८ तारीख को।

श्री राज मंगल पांडेय—

दिनांक २० अगस्त, १९७४ को श्री मुहम्मद असरार अहमद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २ के सम्बन्ध में श्री मुहम्मद असरार अहमद ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि क्या माननीय मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि इस एजेन्सी के पदाधिकारी और सदस्य कौन हैं और कोई गैर सरकारी सदस्य भी है।

[श्री राजमंगल पाण्डे--]

उस समय सदन में माननीय अध्यक्ष ने कहा था कि गैर सरकारी सदस्य नहीं हैं। उक्त उत्तर ठीक नहीं था। सही उत्तर इस प्रकार है कि लघु कृषक विकास एजेंसी, बदायूं में निम्नलिखित तीन गैर सरकारी सदस्य हैं।

(१) श्री जय लाल सिंह, ग्राम दबधरा, डा० अशफपुर, जिला बदायूं।

(२) श्री खड़गजीत सिंह, निवासी भानपुर, विकास क्षेत्र बिसौली, बदायूं।

(३) श्री लीलाधर, निवासी हिमाऊपुर, विकास खण्ड गुन्नौर, जिला बदायूं।

२--इसी प्रश्न के संबंध में श्री मोहम्मद असरार अहमद ने एक अन्य अनुपूरक प्रश्न पूछा कि अनुदान के बारे में जो प्रार्थना-पत्र आते हैं, जिन कृषकों को अनुदान दिया जाता है उसकी प्रक्रिया क्या है, किस मद में कितना रुपया मिलता है ?

इस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि ये सारे किसान तीन कैटेगरीज में विभक्त हैं। एक कैटेगरीज है ० एकड़ से २.५ एकड़ तक, दूसरी कैटेगरी है २.५ से ७.५ एकड़ तक और तीसरी कैटेगरी ५ एकड़ से ७.५ एकड़ के बीच या इससे अधिक जो हैं।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था। सही उत्तर यह है कि लघु सीमा कृषक योजना के अन्तर्गत किसानों की केवल दो कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी में ० एकड़ से २.५ एकड़ तक के किसान हैं जिनको सीमान्त किसान कहा जाता है और दूसरी कैटेगरी में २.५ एकड़ से ५ एकड़ तक के किसान हैं जिनको लघु कृषक कहा जाता है। योजना के प्रारम्भ में लघु कृषकों की अधिकतम जोत सीमा ७.५ एकड़ निर्धारित की गई थी, किन्तु १ अप्रैल, १९७४ के पश्चात् भारत सरकार ने यह सीमा ७.५ एकड़ से घटाकर ५ एकड़ कर दी है।

३--मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

संशोधित वक्तव्य उन्होंने दे दिया है। अब उसको लेकर आप प्रश्न नहीं कर सकते हैं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

एक बात तो मैं जान सकता हूं कि उस समय मंत्री जी ने बिना सोचे समझे असत्य जवाब क्यों दे दिया ? यह तो मालूम हो जाना चाहिये कि यह किस कारण से हुआ ?

(मूल प्रश्न तथा उत्तर के लिये देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ २२६-५२८ पर)

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

भूल हो गई।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री बाबूलाल वर्मा--

मान्यवर, मैंने १८ तारीख को एक विशेषाधिकार का प्रश्न दिया था जो १७ तारीख को अभूतपूर्व घटना सदन में घटी थी और माधव बाबू ने कहा था कि छात्रों पर से गुन्डा ऐक्ट हटाया जाय (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

उस दिन की घटना के बारे में सब के द्वारा एक रास्ता निकल आया है तो फिर इसको फिर से उठाना चाहते हैं। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। वह तो अस्वीकृत है।

श्री बाबू लाल वर्मा—

मैंने १८ तारीख को दिया है।

श्री अध्यक्ष—

उसको अस्वीकृत कर दिया है। व्यवस्था का क्या प्रश्न है।

श्री बाबू लाल वर्मा—

श्रीमन्, मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

उस दिन जो कुछ हुआ वह सब भूल जाइये।

श्री बाबू लाल वर्मा—

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने वे शब्द कहे या नहीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

वह सब अस्वीकृत है।

श्री बाबू लाल वर्मा—

मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने उस समय क्या कहा।

(व्यवधान)।

अमर ज्योति टाकीज देवरिया के चौराहे पर हुई मारपीट आदि की घटनाओं के सम्बन्ध में नियम ५१ के अतर्गत वक्तव्य

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

माह अगस्त १९७४ या उसके पिछले महीनों में कोई भी लूट की घटना देवरिया में अमर ज्योति सिनेमा के पास चौराहे पर नहीं हुई।

दिनांक १९–८–७४ को लगभग साढ़े ९ बजे रात्रि में श्री धर्मराज सिंह संयुक्त मंत्री सोशलिस्ट पार्टी देवरिया ने थाना कोतवाली पर इस आशय की लिखित रिपोर्ट दी कि उसी रात साढ़े ८ बजे अमर ज्योति सिनेमा के चौराहे पर २ दुकानदारों का उनसे झगड़ा हो गया था और उक्त दुकानदारों तथा उनके भाइयों ने वादी और उसके साथियों को गुप्ती तथा लात घूसों से मारा। घटनास्थल पर तीन सिपाही पहुंच गये और उन्होंने वादी की जान बचाई तथा एक अभियुक्त को घटनास्थल पर ही पकड़ लिया। उक्त रिपोर्ट पर कोतवाली पर धारा १४५/१४८/३०७ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज हुआ थानाध्यक्ष घटना स्थल पर तुरन्त पहुंचे व विवेचना प्रारम्भ की तथा उसी रात उन्होंने एक अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया। दो अभियुक्तों ने बाद में न्यायालय में आत्म समर्पण

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

किया। विवेचना के उपरान्त मुकदमें में सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।

इस घटना में केवल वादी श्री धर्मराज सिंह तथा रामाज्ञा सिंह चौहान को साधारण चोटें आई थीं। उन्हें शीघ्र ही अस्पताल पहुंचाया गया था और वे कुछ ही दिन बाद वहां से डिस्चार्ड हो गये थे। इस घटना में गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के महामंत्री श्री राम छबीला मिश्र को कोई चोटें नहीं आईं। यह सही नहीं है कि इस घटना के संबंध में हजारों की संख्या में जनता ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस की निष्क्रियता की शिकायत की अथवा पूरे नगर में एवं जिले में घोर आतंक एवं रोष व्याप्त हुआ।

श्री राम औतार शर्मा वाइस प्रिंसिपल, अग्रसेन इंटर कालेज, देवरिया ने थाना कोतवाली पर दिनांक १०-८-७४ को साढ़े ८ बजे रात्रि में इस आशय की लिखित रिपोर्ट दी थी कि रेलवे क्रासिंग के चौराहे पर (न कि अमर ज्योति सिनेमा के चौराहे पर) कुछ नामजद व ५ अन्य अभियुक्तों ने उन पर हमला करके लात मुक्कों से मारा तथा घड़ी व कलम छीन लिया इस रिपोर्ट पर थाने पर धारा ३९५ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत मुकदमा कायम हुआ व पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही की गई। विवेचना से घटना केवल मारपीट की पाई गई और घड़ी व कलम छीने जाने की बात सही नहीं पाई गई, अतः मुकदमा धारा १४७/३२३ भारतीय दंड विधान में परिवर्तित किया गया। विवेचना के उपरान्त सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया।

दिनांक ५-८-७४ को ९.१० बजे सुबह श्री मुहीउद्दीन निवासी गरुड़पार देवरिया ने थाना कोतवाली पर लिखित सूचना दी कि १४-८-७४ की रात्रि में ९ बजे अमर ज्योति सिनेमा के सामने ५ नामजद व ३ अज्ञात व्यक्तियों ने उन्हें मारा पीटा और उनका बैग जिसमें ६५० रुपये थे व २ किलो गुड़ छीन लिया। इस सूचना पर धारा ३९५ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया। विवेचना से रिपोर्ट अतिरंजित पाई गई और मामला केवल मारपीट का पाया गया, अतः मुकदमा धारा १४७/३२३ भारतीय दंड विधान में परिवर्तित किया गया। एक अभियुक्त गिरफ्तार हो चुका है और जेल भेजा जा चुका है। शेष के विरुद्ध धारा ८२/८३ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

यह सही नहीं है कि देवरिया में कत्ल, डकैती, चोरी व राहजनी के अपराधों में वृद्धि हो रही है।

यह आरोप भी निराधार है कि पुलिस अधीक्षक देवरिया तस्कर व्यापार कराते हैं चावल गेहूं बिहार के रास्ते चीन भेजते हैं व नाजायज तरीके से धन कमाते हैं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं सदन का समय अधिक न नष्ट करके माननीय मुख्य मंत्री जी के वक्तव्य के उस अंश को चुनौती देता हूं जिसमें पढ़ा गया है कि देवरिया जिले में कत्ल-डकैती की अराजकता की स्थिति नहीं है। मान्यवर, इस सदन को इस प्रकार से गुमराह करके लोकतंत्र पर कुठाराघात करना है। मैं आपको भी बता दूं कि जहां माननीय परिवहन मंत्री जी रहते हैं वहां ४ सनसनीखेज हत्यायें हुई। ग्राम दीनापट्टी के सभापति मदनराम माननीय मंत्री जी से मिल करके गये थे, रास्ते में उन्हें निर्दयतापूर्वक टुकड़े-टुकड़े कर दिया गया। मान्यवर, पिछले दिनों ये हत्यायें हुई। अभी एक सरकारी कर्मचारी २०,००० रुपये लेकर जा रहा था। उसके पास जो पैसे थे, उसे डकैत-हत्यारों ने देखा कि इनकी जेब में पैसे ह, और उन्हें मार डाला गया।

मान्यवर, ऐसा कोई थाना नहीं है जिन थानों में महीने में एकाध हत्यायें न होती हों और जिले में तो प्रतिदिन हत्यायें होती रहती हैं। मान्यवर, थाना निबुंआ बिशुनपुरा, कप्तानगंज, तरया-सुजान में हत्यायें की गईं और थाना पटुहेरवा में हत्या की गई। मान्यवर, थाना पटुहेरवा जो है, वहां पर हत्याओं और डकैतियों का बाजार गर्म हो गया है। मान्यवर, इस प्रकार का गलत वक्तव्य देना बड़ी आश्चर्यजनक बात है। मान्यवर, वहां पर राहजनी और नकबजनी की तो बाढ़ आ गई है, इनके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। मान्यवर, मैं यह बातें डकैती-कत्ल की कह रहा हूं और माननीय, मंत्री जी हंस रहे हैं। जैसे हमने बहाये अश्क कोई मुस्करा दिया। मान्यवर, वहां की स्थिति बहुत गम्भीर है। वहां पर लूट मची हुई है। जो काम भिन्ड और मुरैना के डाकू कर रहे हैं, वह काम देवरिया जिले की पुलिस कर रही है। पुलिस वाले अपने एजेन्टों के बल पर रुपया अंधाधुन्ध कमा रहे हैं, उन पर किसी प्रकार की रोक-टोक नहीं है। वहां की हालत बड़ी गम्भीर है।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

नियम ५६ के अन्तर्गत कुछ सूचनायें प्राप्त हुई हैं, एक श्री ओम प्रकाश सिंह ने २८ दिसम्बर, १९७४ को लखनऊ विश्वविद्यालय छात्रसंघ के·····

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, कौन सा आइटम है।

श्री अध्यक्ष--

१३ वां। २८ दिसम्बर, १९७४ को लखनऊ विश्वविद्यालय छात्रसंघ के चुनाव में पी० ए० सी० एवं पुलिस के तथाकथित अमानुषिक अत्याचार से छात्रों तथा अध्यापकों में व्याप्त तीव्र असन्तोष के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश सिंह ने दिया है।

इसको मैंने नियम ५१ के अन्तर्गत स्वीकार किया है, वक्तव्य के लिये।

श्री शतरुद्ध प्रसाद (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, २८ दिसम्बर को लखनऊ विश्वविद्यालय में चुनाव हुआ तो वहां पर भी पुलिस के बल पर सरकार ने दमन किया है। नियम ५१ के अन्तर्गत आपने स्वीकार किया है। आप ऐसे निर्देश दें कि सरकार इस सम्बन्ध में जल्दी ही वक्तव्य दे।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)--

मान्यवर, यह वक्तव्य का ही सवाल नहीं है। इस पर चर्चा होनी चाहिये। यह बहुत ही अहम मसला है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

नियम ५१ में इस सवाल को मैंने भी दिया है और आपने नियम ५१ स्वीकार किया है। तो उन व्यक्तियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिये जिन्होंने इसे नियम ५१ के अन्तर्गत दिया है।

श्री अध्यक्ष--

उस समय बतलाया जायेगा।

श्री नियाज हसन खां (जिला प्रतापगढ़)--

जो लखनऊ विश्वविद्यालय में कान्ड हुआ है। वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग चुनाव लड़ रहे थ, उनको बन्द कर दिया गया। जब सरकार द्वारा समर्थित लोगों ने देखा कि चुनाव उनके खिलाफ जा रहा है तो वोटिंग बन्द कर दी गयी और बैलेट बाक्सेज फेंक दिये

[श्री नियाज हसन खां]

गये । कई बैलेट बाक्सेज बाहर मिले । जो कांग्रेस (आर) के कन्डीडेट थे, उन्होंने ऐसा कराया ।

श्री अध्यक्ष--

यह बतायें कि यह कार्य-स्थगन कैसे बनता है । स्वायत्तशासी विश्वविद्यालय का मामला है, सरकार का प्रत्यक्ष मामला नहीं है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

इसकी तो जानकारी है कि विश्वविद्यालय एक स्वायत्तशासी संस्था है । यह महत्वपूर्ण है । ये कांग्रेस दल के प्रत्याशी थे, सरकारी दल उनको समर्थन दे रहा था । जब उन्होंने देखा कि वे हार रहे हैं तो यह सब कर दिया और मारपीट हुई । १५ मिनट पहले ही वोटिंग बन्द कर दिया जिससे इनको कहने का मौका मिल जाये कि १५ मिनट बाकी थे । बिल्कुल एक पुलिस का घेरा बन गया था । इसका शांति-व्यवस्था से सम्बन्ध है । अतः इस पर कार्य रोककर यदि तुरन्त विचार नहीं किया गया तो अशांति हो जायगी न केवल लखनऊ में बल्कि दूसरी जगहों पर भी । इसलिये मैं कहता हूं कि इस प्रश्न का बड़ा महत्व है । यदि इस पर बाद में बयान हुआ और एसेम्बली उठा दी गयी तो बड़ा अनर्थ हो जायगा ।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

श्रीमन्, वहाँ पर पुलिस छात्रों के ताले तोड़ रही है, सामान निकाल रही है, घड़ियाँ व दूसरी चीजें ले जा रही है । इसका सरकार से सीधा सम्बन्ध है । आपने अभी कहा था कि यह स्वायत्त शासी संस्था का मामला है । यदि पुलिस बच्चों पर प्रहार करेगी तो इसका क्या हश्र होगा ।

(एक साथ कई सदस्यों के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष--

यदि सब लोग एक साथ बोलने लगेंगे तो कार्यवाही कैसे लिखी जायेगी । इसलिये आप सब कृपया बैठें । यह कैसे कार्यस्थगन का प्रश्न बनता है । नियाज हसन साहब बतायें ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

श्रीमन् इस पर आप काम बन्द कराकर एक या १ १/२ घंटे की बहस करा दें । यदि आप निर्णय नहीं करेंगे तो एक दम तो लोग बोलेंगे ही । आप कृपया इस पर बहस करा दें ?

श्री नियाज हसन खां --

किसी प्रकार का इंडिसिप्लिन हो, इसके हम पक्ष में नहीं हैं । सवाल यह हो रहा है इलेक्शन आपने रुकवा दिये और मेरी जानकारी यह है कि रोक देने के बाद भी.....

श्री अध्यक्ष--

क्या माननीय मुख्य मंत्री ने चुनाव रोक दिए हैं, या वहाँ के अधिकारियों ने करो हैं ?

श्री नियाज हसन खां--

मैंने निवेदन किया कि जिस बिना पर ....(व्यवधान)...(एक साथ कई सदस्यों के बोलने पर)

श्री दीपनारायण पाण्डेय (जिला गोन्डा)--

इलक्शन में वहाँ पर जनसंघ के सदस्यों ने गुन्डागर्दी करवाई है । ये तथ्य सामने आ जायेंगे, मंत्री जी सब बतलायेंगे ।

श्री काशी नाथ मिश्र —

मेरे और माननीय त्रिवेणी सहाय जी के बयान ले लीजिये ? (एक साथ फिर सदस्यों के बोलने पर) . . .

श्री अध्यक्ष--

यदि सब लोग एक साथ बोलेंगे तो कैसे काम बनेगा ? मैंने कहा कि यह कार्य-स्थगन का प्रस्ताव कैसे बनता है । अभी तो तथ्यों के उल्लेख का समय नहीं आया है । पहले यह बताया जाय कि यह कैसे कार्य-स्थगन का प्रस्ताव बनता है ?

श्री फियाज हसन खां--

बनेगा इसलिये, जैसा मैंने अभी अर्ज किया चुनाव रोक दिये गये । अब यह कोशिश हो रही है कि सरकारी कैन्डीडेट को जिताया जाय इस अधूरे चुनाव में ही । जब यह नौबत पहुंचेगी तो सारे शहर में आबोहवा खराब होगी, इससे ज्यादा क्या होगा, अशांति बढ़ेगी । जब आपने वोटिंग बन्द करा दिया, लाठी चार्ज कराया, जितने खड़े थे, उनको बन्द कर दिया चाहे वे भाग ले रहे थे या नहीं, फिर भी आप इलेक्शन का रिजल्ट सुनाने जा रहे हैं । जब इलेक्शन बन्द करा दिया गया तो फिर दुबारा होना चाहिये । अगर उसके आधार पर आप अपने कैन्डीडेट्स को सफल घोषित करेंगे तो शान्ति भंग हो जायगी । इसलिये इसके ऊपर काय-स्थगन बनता है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

आपने स्वायत्तशासी संस्था की बात कही । जिस समय चुनाव चल रहा था पी०ए०सी० के लोगों ने कुछ अपराधी छात्रों को ही नहीं बल्कि विश्वविद्यालय के पूरे परिसर में बिना इस बात का ख्याल किये कि कौन अपराधी है और कौन नहीं, सभी छात्रों को पीटा और पूरे क्षेत्र में आंसू गैस का प्रयोग किया । चूंकि सरकारी तंत्र पी०ए०सी० ने निर्दयता से छात्र समुदाय को पीटा इसलिये इस पर चर्चा आवश्यक है ।

श्री अध्यक्ष---

चर्चा तो आवश्यक हो सकती है लेकिन कार्य-स्थगन की बात मैं पूछ रहा हूं ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

२८ तारीख को विश्वविद्यालय का चुनाव होने वाला था और २७ तारीख को दारुलशफा में इस बात की चर्चा हुई कि चूंकि विद्यार्थी परिषद् का उम्मीदवार जीतने वाला है इसलिये २८ तारीख को किसी तरह चुनाव को स्थगित कराया जायगा । यह मालूम होने के बाद मैंने अपने साथी दशरथ सिंह से कहा कि यह तो बहुत अन्याय होने जा रहा है । आप स्वयं देखें कि २७ तारीख तक अगर कोई झगड़ा हुआ तो वह यह कि जिन उम्मीदवारों के जीतने के चान्सेज थे उन्हीं लोगों को मारा गया और लोग यह सोचते हैं कि जनसंघ के लोगों ने उपद्रव कराया । वास्तविकता यह है कि विद्यार्थी परिषद् के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला कराया गया । कार्य-स्थगन का विषय इसलिये बनता है कि २८ तारीख को जानबूझ कर सरकार की तरफ से उस चुनाव को विफल कराने की कोशिश की गयी । इसलिये छात्रों में घोर असन्तोष है । जिसका परिणाम यह है कि इसके खिलाफ विश्वविद्यालय में तो उपद्रव होंगे ही प्रदेश के हर डिग्री कालेज में भी उपद्रव होने की आशंका है । इसको देखते हुये कार्य-स्थगन का मामला बनता है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अध्यक्ष महोदय, विद्यार्थी परिषद् के जो उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिये लड़ रहे थे वह हमारे जिला बलिया के हैं और वहीं से उनके समर्थक और विरोधी, दोनों गोल के लोग आये थे। मैंने लड़कों से कहा कि हुल्लड़बाजी नहीं करनी है, शान्ति पूर्ण तरीके से अपना काम करो। वहां जनसंघ के विधायक लोग भी पंहुचे थे। ("आप कहां थे" की आवाजें।) मैं तो बाहर था और दोनों गोल में छात्रों के दो राजनीतिक गुटों में वहां गुत्थम-गुत्था और लड़ाई-झगड़ा होने लगा। (व्यवधान) .....

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—

यह विषय की वैधता पर नहीं बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं अभी उसकी वैधता में नहीं जा रहा हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

विश्वविद्यालय के अधिकारी कानून के अन्तर्गत डेसीजन लेने के लिये सक्षम हैं। (व्यवधान) वहां के अधिकारियों की जिम्मेदारी है। शांति व्यवस्था कायम करने के लिये वहां के अधिकारी जब सरकार से मदद मांगेंगे तो सरकार देगी। सरकार का सीधे कोई सम्बन्ध नहीं है, इसलिये कार्य-स्थगन को आप स्वीकार न करें, नियम ५१ के अन्तर्गत आप बयान दिलवा दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

इसको वक्तव्य के लिये मैंने स्वीकार किया है।

अब एक माननीय राम रेखा यादव का है मुकदमों की वापसी के बारे में, वह अस्वीकार है।

एक माननीय बाबूलाल वर्मा का है, गन्ने के बारे में वक्तव्य पहले स्वीकार हो चुका है, यह अस्वीकार है।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ व्यवधान)

श्री बाबू लाल वर्मा—

मेरी बात सुन लें...

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)—

इस मामले में (व्यवधान) केन्द्रीय मंत्री श्री चन्द्रजीत यादव का भी हाथ है, इसमें ५० लाख का घपला है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न का विषय है, आप प्रश्न कर लें।

श्री बाबू लाल वर्मा—

हमारे वाले में वक्तव्य से केवल काम नहीं चलेगा...

(कई सदस्य एक साथ बोलने के कारण कुछ समझ में नहीं आ सका।)

श्री काशीनाथ मिश्र—

जब आपने नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य स्वीकार कर लिया है तो आगे चलिये। (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष—

आप अल्पसूचित प्रश्न कर सकते हैं ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

वह भी कहां स्वीकार होता है ? मैंने अल्पसूचित प्रश्न किया, वह एडमिट ही नहीं हुआ ।

श्री अध्यक्ष—

एडमिट हुआ है । (व्यवधान)...

श्री बाबू लाल वर्मा—

(गन्ने का टुकड़ा दिखाकर) यह देखिये इसमें किसान के खून-पसीने की कमाई है ... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष—

इस तरह से मैं इजाजत नहीं देता । उसके लिये आप चर्चा मांग सकते हैं । गन्ने का सवाल पहले स्वीकार हो चुका है । गन्ने वालों का प्रेम विलम्बित प्रेम है... (व्यवधान). और सब अस्वीकृत है ।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

हमारी सूचना का क्या हुआ ? (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष—

यह नियम ५६ का नहीं है । इसके ऊपर आप अल्पसूचित प्रश्न कर सकते हैं ।

श्री मधुकर दिघे—

अल्पसूचित प्रश्न करने पर भी मंत्री लोग उसका जवाब नहीं देते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

इसका उपाय मैं आपको बतलाता हूं । आप इसके ऊपर चर्चा मांगें मैं उसको स्वीकार कर लूंगा ।

(व्यवधान).....

लेकिन अगर इस तरह से इतने लोग खड़े होंगे तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा । ऐसे नहीं चलेगा आप लोग बैठें ।

(व्यवधान) ....

मैंने दिघे जी को बतला दिया है कि आप अल्पसूचित प्रश्न करें, अगर सरकार उसका जवाब न दे तो नियम ५१ में हम उसको स्वीकार कर लेंगे ।

(स्वास्थ्य मंत्री को पुकारने पर तथा उनके खड़े होने पर)

(व्यवधान).....

श्री अध्यक्ष—

सहकारी समिति से ऐसे सवाल का कोई सम्बन्ध नहीं है । उसकी भी वही हालत है जो उनके सवाल का है । (व्यवधान)... तथ्यों की बात नहीं है चर्चा की बात है । नियम ५६ में नहीं बनता है तो आप नियम ५१ में दें । (व्यवधान) ....

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

१८ दिसम्बर को मैंने दिया था । मान्यवर, आज से १४ वर्ष पहले श्री बहुगुणा जी जो उस समय इंडस्ट्रीज के डिप्टी मिनिस्टर थे तभी नवभारत सहकारी लिमिटेड को रुपया दिया गया था । इस सम्बन्ध में सेन्ट्रल के मिनिस्टर श्री उमाशंकर दीक्षित, श्रीमती कमला बहुगुणा, प्रेसिडेंट जिला कांग्रेस कमेटी, इलाहाबाद तथा श्री जगपति दुबे, एटार्नी, प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी पर नोटिस जारी की गई है । लेकिन वहां के अधिकारियों पर नोटिस जारी कराने वालों पर बड़ा दबाव डाला जा रहा है कि इतने बड़े-बड़े आदमियों के खिलाफ तुम लोगों ने नोटिस क्यों जारी किया है ।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

माननीय मालवीय जी ने जो प्रश्न उठाया है उसके लिये आप इस असेंम्बली के बन्द होने के पहले बयान के लिये समय जरूर निर्धारित कर दें ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मान्यवर, गन्ने के विषय में आपने कुछ नहीं उत्तर दिया है । बाबू लाल जी कब से बोल रहे हैं ।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

लाखों रुपये का मामला है । इसमें उमाशंकर दीक्षित जो केन्द्रीय मंत्री हैं उनका हाथ है । एक भी पैसा ब्याज और जो दंड का पैसा है वह नहीं दिया गया है ।

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने संशोधन का प्रस्ताव रखने के लिये स्वास्थ्य मंत्री जी को कहा है । यह लोग कहां से भाषण दे रहे हैं ।

(कई सदस्य साथ-साथ बोलते रहे ।)

श्री अध्यक्ष—

मैंने कह तो दिया है कि बयान देंगे ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

इससे बड़ी सत्य की और दूसरी बात नहीं हो सकती ।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, यह गम्भीर मामला है....

श्री अध्यक्ष—

आप आरोप पर आरोप लगाते चले जा रहे हैं । आप बोलते चले जा रहे हैं । चर्चा के लिये मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं । जब चर्चा चले तब आप बोलियेगा ।

सवाल यह है कि जब आप कोई सवाल करते हैं या कोई प्रश्न उठाते हैं और उसको स्वीकार कर लिया जाता है तब आप उसके तथ्यों पर आ जाते हैं । होना यह चाहिये कि आप जो कुछ पहले कहते हैं वह जिस समय चर्चा हो उस समय कहें । मैंने इसको स्वीकार कर लिया है । जब इस पर चर्चा हो तब आप बोलियेगा ।

श्री मोती लाल देहलवी—

हमारी जानकारी के अनुसार इसमें मुख्य मंत्री का हाथ है । वह जवाब दें ।

श्री अध्यक्ष—

मैं फिर कह रहा हू कि आप आरोप पर आरोप लगाते चले जा रहे हैं। आपने सूचना दी है। यह जो आप बोल रहे हैं जिस समय बहस होगी उस समय कहियेगा। होता ऐसा है कि जब स्वीकार हो जाता है तब आप तथ्य की बातें करने लगते हैं। यह आप बाद में कहियेगा।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर।)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये। यह सब कुछ लिखा नहीं जायगा।

सवाल यह है कि आप जवाब देने के लिये दूसरे दल को मौका देंगे।

श्री मोती लाल देहलवी—

[* * *]

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठ जाइये। आप बोलते चले जा रहे हैं। यह सब कुछ लिखा नहीं जायगा।

श्री मोती लाल देहलवी—

[* * *]

श्री अध्यक्ष—

अगर दबाने की कोशिश होती तो चर्चा के लिये स्वीकार नहीं होता।

वित्त मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी—

पहली तारीख को बयान होगा।

श्री गिरिजा शंकर पाठक (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव भेजा है वह स्वीकार नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष—

यह सवाल कार्य-स्थगन का नहीं है, यह कार्य-स्थगन नहीं बनता इसलिये इसको अस्वीकार किया है। आप प्रश्न करें।

श्री गिरिजा शंकर पाठक—

लाखों रुपयों की गड़बड़ी है। केवल ५० रुपया किराया देते थे। आज उसमें काफी बन गया है, कमरे बन गये हैं। लाखों रुपयों का वहां पर व्यय हुआ है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, यह सारे आरोप निराधार हैं और झूठे हैं।

श्री गिरिजा शंकर पाठक—

मान्यवर, इस पर आप दो घंटे की बहस चलाइये।

[* * *] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

दो घंटे की बहस नहीं। यह जो सवाल उठाते हैं उसके लिये उपाय है आप के पास। आप अपने नेता से पूछें कि इन सब सवालों को उठाने के लिये क्या उपाय हैं और उनका आप सहारा लें।

श्री गिरिजा शंकर पाठक—

आप नेता से पूछने के लिये कह रहे हैं। हमको आप शिक्षा दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कभी आप को शिक्षा नहीं दी होगी कि सच और असच बोलें और इसी प्रकार के आरोप लगाते रहें आप। इसलिये चर्चा का समय नहीं दिया जायगा।

श्री गिरिजा शंकर पाठक—

चर्चा का समय दीजिये। १० रुपये टाउन एरिया में बढ़ाने के लिये मैं कह रहा हूं।

(शोर)

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

(शोर के कारण सुनाई नही पड़ा)। यदि अध्यक्ष महोदय, आप गंभीरता के साथ लें तो राजनीतिक जीवन में इस तरह की बात नहीं होनी चाहिये—यह दूसरा आरोप है। एक आरोप श्री देहलवी जी ने दिया है और दूसरा सत्य प्रकाश मालवीय जी ने दिया। इलाहाबाद के सम्बन्ध में लाखों रुपया का घोटाला है इसको कई सदस्यों और श्री पाठक जी ने कहा है। जो श्री मालवीय जी ने आरोप लगाया है उसकी सफाई और वक्तव्य दिया जाना चाहिये जो कि जनतंत्र को कामयाब बनाने के लिये और मुख्य मंत्री की प्रतिष्ठा के लिये अनुकूल होगा। आजकल राजनीतिक जीवन में जो भ्रष्टाचार फैल रहा है उसकी सफाई होनी चाहिये, इस पर यह सदन गर्व महसूस करेगा, यदि इस पर चर्चा का समय दिया जाय।

(श्री शतरुद्ध प्रकाश तथा श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला साथ-साथ बोलते रहे।)

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

५० लाख रुपया जो दान दे रहा है वह करप्ट और भ्रष्ट है। इसलिये कोई भ्रष्टाचार नहीं मिटा सकता है। ५० लाख रु० भ्रष्ट और करप्ट आदमी ही दे सकता है। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या बोलते हैं। . . . . उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है ५० लाख रु० प्रशासन को आप समझते हैं कि करप्ट और बेईमान है और ५० लाख रु० घूस लेते हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)—

जो आरोप लगाये गये हैं वह गलत हैं। केवल सदन की कार्यवाही को न चलने देने के लिये हैं। यह प्रजातंत्र है, आप लोग बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री सत्य पाल मलिक (जिला मेरठ)—

यहां पर कई कांडों की चर्चा हुई लेकिन मुख्य मंत्री जी ने उनके बारे में मान लिया। आज कई एक कामरोको प्रस्ताव आये हैं। एक मुख्य मंत्री जी से संबंधित है, दूसरा श्री उमाशंकर दीक्षित जी से है और तीसरा श्री चन्द्रजीत यादव से है। हम चाहते हैं कि यह झूठे साबित हों

लेकिन यह बात तभी सम्भव होगी जब बहस की इजाजत हो, चाहे सदन एक दिन के लिये बढ़ाना पड़े। सिर्फ सरकार के मना कर देने से यह मामला नहीं दबेगा। मैं इस कारण चाहता हूं कि चर्चा का समय निश्चित कर दिया जाय। केवल बयान देने से हल नहीं होगा।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

अध्यक्ष जी, मुझे खेद है कि इस सदन में कई ऐसी बातें उठाई गई हैं, बार-बार घुमा फिराकर उठाई गई हैं, जिनका केन्द्रीय नेताओं से संबंध है और कुछ मेरे लिये भी बातें कही गई हैं। मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं अगर विपक्षी दलों के लोग ऐसे लोगों के बारे में जो सदन में होते नहीं, लेकिन राजनैतिक जीवन में हैं, कोई बात उछालना चाहते हैं, तो मान्यवर, उनको उन तथ्यों की गहराई के बारे में आपके कक्ष में पूरी तरह से अवगत कराना चाहिये और ऐसे तथ्यों के बारे में मान्यवर, अगर आप कुछ ग्राह्यता समझते हैं, तो मान्यवर, यह कांग्रेस सरकार कभी डिगेगी नहीं उसका जवाब देने में, इस हाउस में या इस हाउस के बाहर।

जहां तक माननीय मलिक की बात है, उनकी नियत के बारे में मुझे सुभा नहीं है कि वह क्या चाहते हैं। लेकिन काम वह करना चाहिये जिसके करने से निभ जाय। दूसरी बात माननीय शतरुद्ध प्रकाश जी बिना नोटिस के उठा रहे थे। पर्ची मेरे पास भी आई थी। उसमें न पता और न बोलने वाले का नाम है। न प्रेस और न छापने वाले का नाम है। मैंने पता लगाया तो मालूम हुआ कि एक रीजनल ट्रान्सपोर्ट अधिकारी, जो एक भ्रष्ट अधिकारी थे, ने पर्ची मेरे खिलाफ छपवायी और इसलिये बंटवाई कि मैंने उनके भ्रष्ट कारनामों की वजह से उनके ऊपर काफी सख्ती की है। इस बात को मैं साफ कर देना चाहता हूं। जहां तक सहकारी समितियों का मामला है, मैं उसे छिपाना नहीं चाहता, बल्कि कह देना चाहता हूं ताकि तथ्य सदन के सामने आ जायं।

जब मैं उप-मंत्री था तो बहुत सारी समितियां बनी थीं। बहुत सारी ने पैसा वापस किया और बहुतों ने नहीं किया। हमने उसमें छानबीन शुरू करवायी थी कि किस-किस ने पैसा वापस नहीं किया। इसलिये घोटाले की नीयत होती तो मेरे जमाने में प्रश्न क्यों नहीं उठाया जाता। लेकिन बजाय दबाने के, माननीय सदस्यों ने नहीं उठाया। जो बात माननीय शतरुद्ध प्रकाश सिंह ने आज दिया, उसको मैं छिपाना नहीं चाहता। काफी शोर हो रहा था, इसलिये सभी माननीय सदस्य उसको सुन नहीं पाये होंगे। इसलिये मैं सभी को उसके बारे में बता देना चाहता हूं। एक पर्ची मेरे खिलाफ बांटी गयी कि जब मैं संचार मंत्री था उस वक्त बहुत रुपया कमा लिया। मैं इस कारण उस संबंध में बोल रहा हूं क्योंकि आखिर मैं भी एक इंसान हूं। हर एक माननीय सदस्य को काफी सोच-समझ कर कहना चाहिये, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी इधर या कभी उधर जा सकता है और आक्षेप लगा सकता है। लेकिन जो पर्ची छपाई गई है, उसमें न प्रेस-लाइन है और न किसी का नाम है। जो भाई समझते हैं कि मैंने ऐसा किया है, तो उनसे निवेदन है कि अगर प्रेस-लाइन के साथ छाप दें, तो माननीय शतरुद्ध प्रसाद जी का उस बात को उठाना ठीक हो जायेगा। मुख्य मंत्री कोई बाहर का मंत्री नहीं हुआ बल्कि वह ऐसा व्यक्ति है, जो यहां बैठा है। इसलिये मैं उस बात को साफ कर देना चाहता हूं।

मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर इसमें कोई तथ्य सिद्ध कर दे, तो मैं इस सदन से ही नहीं, राजनैतिक जीवन से सन्यास लेकर अपने घर चला जाऊंगा। चार्ज यह है कि जब मैं संचार मंत्री था, तो एक फर्म से २ करोड़ रुपये ले लिये। इरिक्शन को बाहर निकाल दिया है और आई० आई० टी० को अन्दर कर लिया। लेकिन इस संबंध में दिल्ली की फाइल गवाह है। उस दल के माननीय सदस्य पार्लियामेंट में मौजूद हैं और वहां पर हाउस में प्रोसीडिंग्स मंगा कर पढ़वा सकते हैं। संचार मंत्री होने पर आई० आई० टी० की बल्जियम कम्पनी

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)

को प्राप्त करने का काम किया । इरिक्शन को बाहर भेजने का सवाल नहीं । इस चिली एकाउण्ट के बारे में भारत नहीं जानता था । मेरी पहली नोटिस है फाइल में हमने उनको बिदा नहीं किया । मैंने उनको बिदा नहीं किया, हिन्दुस्तान में रखा । पी० एन० टी० डिपार्टमेंट में ले आया और जो रुपया रखा था उसे देखने के लिये हमारे लड़के विलायत गये इससे बड़ा झूठ और असत्य का क्या ज़वाब दिया जा सकता है जो चीज कि फाइलों में मौजूद है । मैं केन्द्र सरकार की फाइलों को नहीं ला सकता लेकिन जो बयान दे रहा हूं वह सार्वजनिक बयान है और अखबारों में छपेगा ।

सत्य प्रकाश जी तथा अन्य माननीय सदस्यों के दस्तखत से एक और प्रस्ताव आया है । उसमें लिखा है कि मैं एक किराये के मकान में रहता हूं । अन्दर अन्दर उसे बहुत लम्बा बना दिया है और अपने नाम से क्या क्या कर रखा है । मेरा भाई और मैं उसमें साथ रहते हैं । किराये के मकान में रहते हैं । किसी प्रकार से आज की तिथि के बाद यह बात साबित हो जाय कि उस मकान में मैं किरायेदार नहीं हूं, किराया नहीं देता हूं तो मैं आपसे फिर दुबारा कहता हूं कि इस प्रश्न पर भी मैं राजनीति से सन्यास ले कर घर चला जाऊंगा लेकिन एक असत्य तथा लांछनपूर्ण वातावरण पैदा करना कहां तक उचित है, इस पर विरोधी दल को विचार करना चाहिये । आपको कुछ कहने का अधिकार है इसलिये ऐसा करना आपके लिये वाजिब नहीं है, यह कहने के लिये मैं आपसे क्षमा चाहूंगा । आपकी गलत अथवा सही न जाने कितनी बातें हम बर्दाश्त करते हैं । इसलिये नहीं कि हमारे पास कहने को कुछ है नहीं । बल्कि इसलिए करता हूं कि इस सदन में विरोधी दल को कुछ कह देने में कुछ हर्ज नहीं है । निर्णय हम को लेना होता है । वह हमसे ज्यादा बोल लें तो हमको बर्दाश्त करना होगा । जहां तक मेरा ताल्लुक है वह मकान एक कपूर जी का है । उनके चार मकान हैं । १२, १२-ए, १२-बी तथा १२-सी १२ ए में मैं रहता हूं और १९३९ से उसमें हूं । किरायेदार हूं । मैंने कोई मकान नहीं बनाया । ईश्वर ने बड़ी कृपा की कि मेरे पास कोई मकान नहीं है । मैं समझता हूं कि मकान बनाने के बाद आज की दुनिया में कोई नहीं कह सकता कि लड़के बच्चे वहां रहेंगे या किसी और शहर में चले जायेंगे ? कोई जरूरत मुझे उसकी प्रतीत नहीं होती । आज तक किरायेदार हूं और जाब्ते से किराया देता हूं । मैंने उसमें कोई बड़ा भारी घुटाला कर दिया है जैसा उस पर्चे में छपा है उससे बड़ा असत्य और झूठ निराधार कोई दूसरी चीज हो नहीं सकती और ऐसी बातों पर बहस करने की मैं कोई आवश्यकता भी नहीं समझता हूं ।

श्री सत्यपाल मलिक--

मंत्री जी ने बयान दिया बहुत खुशी की बात है । मुख्य मंत्री जी ने कहा कि बिना प्रेस लाइन के पर्चा था । लेकिन सीतापुर की फैक्टरी में क्या हुआ ? झूठे कारखाने निकले । गौरीशंकर राय जी उमा शंकर दीक्षित को चिट्ठी लिखते हैं और आरोप लगाते हैं ।

श्री ईश्वरी सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । इस प्रकार बोलने की इजाजत आप किस नियम के अन्तर्गत दे रहे हैं ? जो सदस्य चाहता है बिना इजाजत उठ कर बोलने लग जाता है । क्या नियमावली में कोई ऐसा तरीका दिया हुआ है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

चिट्ठी लिखने की बात आप कह रहे हैं । लेकिन खोज बीन हमने शुरू की । अगर हमने छिपाया होता तो खोज बीन क्यों शुरू की होती ? झूठे कारखाने अथवा किन पर

पैसा बाकी है इस बारे में हमने ही जांच शुरू करवाई । बजाय पीठ ठोंकने के आप कह रहे हैं कि उमाशंकर दीक्षित को चिट्ठी लिखी गयी ।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)--

रजत कुमार ईमानदार आफिसर था इसलिये ऐसा हो सका ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मैं मानता हूं कि रजत कुमार ईमानदार आफिसर था और अगर वह छानबीन न करता तो उस पर हमला भी शायद न होता।

श्री मुलायम सिंह यादव--

इसलिये ही उसका स्थानान्तरण कर दिया गया है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

वे छुट्टी पर वर्द्धा गये हुये हैं । उनके स्थानांतरण का कोई सवाल नहीं है ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

दैनिक जागरण में यह आया है, मैं आपको कटिंग भेज दूंगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

उनके माता और पिता जी से मेरे घरेलू संबंध हैं । मैं उनके अन्याय की बात नहीं करूंगा । जो न्याय करे उसके ऊपर कैसे सख्ती करूं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

यह मत सोचिये कि इससे लांछन लगेगा । अगर उसमें प्रेस लाइन नहीं है और वह सत्य बात है तो उसकी सफाई होनी चाहिये और छानबीन होनी चाहिये।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९७४†

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९७४, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पर विचार किया जाय।

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९७४ को सदन की एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन सदन के समक्ष १ माह के अन्दर प्रस्तुत करे ।(व्यवधान)

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, आपने मेरा एक अल्प सूचित तारांकित प्रश्न स्वीकार किया था और मंत्री महोदय ने जवाब देना स्वीकार नहीं किया ।

---

†१७ अगस्त, १९७४ की कार्यवाही में छपा है ।

श्री अध्यक्ष--

उसको हम देख लेंगे ।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

(× × × ×)

श्री अध्यक्ष--

अब तो हम आगे चले गये ....(व्यवधान)

श्री राम अधार--

(× × × ×)

श्री राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया (जिला आगरा)--

यह किस नियम के अन्तर्गत बोल रहे हैं ? बिना इजाजत के बोल रहे हैं ।

श्री राम अधार--

(× × × ×)

श्री अध्यक्ष--

आपका कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री राम अधार--

(× × ×) (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप सदन चलाने के लिए आते हैं यदि सदन नहीं चलने देंगे तो मैं.. (व्यवधान) इस समय में जो आप कह रहे हैं वह नहीं लिखा जायेगा। माननीय बाबूलाल जी ने, जो मंत्री जी ने बिल रखा है उस पर संशोधन रख दिया है उस पर वह बोल रहे हैं बीच में आप अनावश्यक बात करते हैं । (व्यवधान) मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा । (व्यवधान) आप दो बार धमकी दे चुके हैं आप जो बोल रहे हैं वह नहीं लिखा जायेगा ।(व्यवधान) श्री बाबू लाल वर्मा आपने संशोधन रख दिया है ठीक है आप बोलिये ।

*श्री बाबू लाल वर्मा--

अध्यक्ष महोदय, सन् १९[illegible] में होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड बनाया गया था और उसके बारे में ऐक्ट पास हुआ था और आज फिर से ऐक्ट में कुछ संशोधन करके बिल के रूप में लाया गया है । इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहूंगा मान्यवर, आपके माध्यम से पहले एक कमेटी बनाई गई थी उसमें रजिस्ट्रार, चेयरमैन तथा मेम्बर बनाये गये तो वह लोग ही सब कुछ तय करते थे इस तरह से २२ वर्ष के कार्यकाल में होम्योपैथिक चिकित्सा का विकास ठीक से नहीं हुआ और अपने प्रदेश में जो १६ कालेजेज खोले गये जिनमें से आधे जो हैं वह उन बोर्ड के मेम्बरों के यहां हैं श्रीमन्, यहां के जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने अपने यहां या आपस के लोगों के यहां कालेज खोले हैं इसमें जो वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री हैं जो जौनपुर के हैं वह स्वयं एक बोर्ड चलाते हैं । तो इसमें जो गड़बड़ियां हैं वह इस प्रकार की हैं जो छात्र इन कालेजों

(× × × ×) श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में पढ़ते हैं, २२ वर्ष हो गये उनके रहने के लिये कोई स्थान नहीं है। जब रहने के लिए व्यवस्था नहीं होगी तो पढ़ाई फिर क्या होगी ? इसके साथ ही जो छात्र होम्योपैथी कालेजों से पढ़कर निकलते हैं उनके लिए फिर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जहां पर वह प्रैक्टिस कर सकें और कुछ सीख सकें और होम्योपैथी की दवाओं में जो कमी है उसे पूरा कर सकें ।

आज जो छात्रों से २२ रुपया प्रति माह शुल्क लिया जाता है, उसके आधार पर उन छात्रों को सुविधायें नहीं दी जाती हैं और जो छात्र इसके लिए आन्दोलन करते हैं, अपनी मांग रखते हैं, तो डंडे के बल पर उनकी मांगों को दबा दिया जाता है । इस प्रकार से अब होम्योपैथिक मेडिसन बोर्ड का विकास करना चाहिये, होम्योपैथी दवाओं का सरकार को प्रचार करना चाहिये और इसके विकास और प्रचार हेतु छात्रों को जो सविधायें मिलनी चाहिए, वह उन्हें अवश्य मिलनी चाहिये, जोकि वास्तव में उन्हें मिल नहीं पाती हैं । जब छात्र पढ़कर वहां से निलकते हैं, उन्हें जो दवाएं और सुविधायें जनता को वितरित करनी चाहिये, उसके लिए भी सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है । मैं चाहता हूं कि इस ऐक्ट के साथ साथ इसमें भी कुछ अन्य चीजें अवश्य जोड़ी जायें।

मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड की अनियमितताओं की जांच हेतु एक प्रशासक की नियुक्ति तुरन्त की जाय तथा व्यक्तिगत होम्योपैथिक कालेजों के उत्थान हेतु कम से कम ३ लाख रुपया प्रतिवर्ष अनुदान एवं कार्यरत प्राध्यापकों और कर्मचारियों की पद्धति सेवा नियमावली बना कर उनका वेतन स्तर अन्य चिकित्सा सेवाओं के समान किया जाय । अभी ७ आदमियों की जो एक कमेटी बनी थी, उससे प्रान्त के तमाम होम्योपैथिक कालेजों में जो तमाम प्रकार की गड़बड़ियां हुई हैं, उनकी जांच कराई जाए । कानपुर होम्योपैथिक कालेज हेतु भूमि की व्यवस्था नहीं कराई गई है, अतः उस हेतु कानपुर नगर महापालिका द्वारा भूमि की तुरन्त व्यवस्था कराई जाए । इसमें जो रजिस्ट्रार महोदय हैं, उनकी तानाशाही के अनेक प्रमाण मिले हैं, उन सब की अविलम्ब जांच कराई जाए । इलाहाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, इलाहाबाद की प्रबन्ध समिति द्वारा छात्रों पर जो झूठे मुकदमें चलवाये गये हैं, उनकी जांच की जाए और उन मुकदमों को निर्दोष छात्रों पर से (इस समय १ बजकर ४० मिनट पर, अधिष्ठाता, श्रीमती मोहसिना किदवाई पीठासीन हुईं।) शीघ्र उठा लिया जाए । यह विधेयक बहुत अच्छा है, फिर भी इसमें बहुत सी ऐसी खामियां हैं, जिनका सुधार होना बहुत आवश्यक है । इसलिये यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर विचार करने के लिए यह आवश्यक है कि इसे एक प्रवर समिति को सौंपा जाए, जहां पर फिर से इस संबंध में शांतिपूर्वक निर्णय लिया जा सके और उसके बाद ही कोई फैसला इस पर लिया जाए ।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः इस बात की अपील करता हूं कि इसको एक प्रवर समिति को सौंपा जाए, जो एक महीने में अपनी रिपोर्ट दे, जहां पर इसकी ठीक से छानबीन हो सके ।

*श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

होम्योपैथिक का जो बिल आया हुआ है, बोर्ड बनाने के संबंध में यह विधेयक है । हमारी चिकित्सा प्रणाली में ३ विधियां हैं, जिनमें यह भी एक महत्वपूर्ण विधि है । लेकिन मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि एलोपैथिक तो बढ़ रही है, आयुर्वेदिक को भी बढ़ाने का सरकार प्रयास कर रही है और होम्योपैथिक पद्धति को भी सुधारने के लिए निश्चय ही आपने यह एक कदम उठाया है । लेकिन जैसा कि आपने स्वयं इसके उद्देश्य में कहा है "इन प्राइवेट संस्थाओं में शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाने तथा होम्योपैथिक बोर्ड के नियंत्रण को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक समझा गया है।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री त्रिवेणी सहाय]

वास्तव में इन कालेजों के पास न तो पुस्तकालय ही है और न दक्ष और प्रशिक्षित अध्यापक ही हैं ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे बड़ा खेद है कि सन् ५१ में यह ऐक्ट बना था और सन् ५१ के बाद जब कभी भी यह बात उठी कि होम्योपैथी को डेवलप किया जाए, तब तब हमारे दिमागों में एक ही बात आती रही और यह आता है कि बोर्ड के अन्दर मेम्बरशिप है वह बढ़ा दी जाय, या कम कर दी जाय और उसके अधिकारों को बढ़ा दिया जाय और इससे होम्योपैथी सुधर जायगी । इसी मूल भावना से आज यह संशोधन आया है । होम्योपैथी के अध्यापकों की योग्यता बढ़े, डाक्टरों की कमी पूरी हो, दवाओं का अच्छा इस्तेमाल हो, दवाओं की अच्छी प्रगति हो, उसके सबंध में आप बतायें कि आखिर इस दिशा में क्या प्रयास किया । हर साल संशोधन आता है । १९५१ से लेकर आज तक ऐसा लगता है कि केवल बोर्ड को चेंज कर देने से, उसकी सदस्यता को बदलने से, उसको नये-नये अधिकार देने से, होम्योपैथी का डेवलपमेंट हो जायगा ।

होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली ऐसी प्रणाली है, जिस पर आज गम्भीरता से विचार होना चाहिये कि उसके कालेज को, उसके स्कूल्स को, उसके डाक्टर्स को, उसकी डिस्पेंसरीज को कैसे मोबिलाइज किया जा सकता है । लेकिन १९५१ से लेकर आज तक केवल एक बात होती है कि बोर्ड कैसे बढ़ेगा, उसमें राज्य सरकार के कितने लोग जायेंगे जैसे बोर्ड चुनाव का अखाड़ा हो गया है । इसीलिए होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड के अन्तर्गत कोई प्रगति नहीं हुई है । बल्कि यह था कि लोगों ने जाली सर्टिफिकेट ले लिया और डाक्टर हो गये । होम्योपैथिक डाक्टर गांवों में इतने सफल क्यों हुए उसका कारण यह है कि हमारा देश गरीब है । गांवों में बसने वाले लोग बहुसंख्यक गरीब हैं और सस्ता इलाज चाहते हैं । सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया कि उसके डाक्टर निकलें, उनको नौकरियां दी जाय, उनकी डिस्पेंसरीज कायम की जाय । डाक्टरों को भेजने के लिए एम०बी०बी०एस० डाक्टर ही होना चाहिये यह जो विचार आपके मन में बैठा हुआ है यह पूर्णतया गलत है । इसको मिटाना होगा । कुछ ऐसे मसले हैं जिनमें होम्योपैथी का डाक्टर योग्य होगा । दो चीजों की आज आवश्यकता है । एक तो सस्ते दाम पर दवायें उपलब्ध होनी चाहिये, और दूसरे डाक्टर ऐसा साधारण व्यक्ति होना चाहिये जिसके पास जनता आम तौर से पहुच सकती है । होम्योपैथिक डाक्टर ने अपनी प्रैक्टिस इतनी बढ़ा ली है कि आज सबसे बड़ी लाइन उसके यहां लगती होगी क्योंकि उसकी दवा का असर पड़ता है ।

हमारा विरोध इसलिए कि सरकार खाली बोर्ड में परिवर्तन करके होम्योपैथिक संस्था को बढ़ाना चाहती है, यह धोखा है । आज कांस्ट्रक्टिव थिंकिंग होनी चाहिये । यह मेडिकल बोर्ड का विंग है इसको डेवलप करने के लिए कार्य होना चाहिये । हर साल जिस प्रकार विधान सभा का सत्र होता है आयुर्वेदिक कालेज और होम्योपैथिक कालेज के विद्यार्थी हड़ताल करते और मांग करते हैं कि वायसचांसलर और अध्यापक भ्रष्ट हैं, हमें पढ़ाते नहीं है, उनकी आवाज सही है अपनी जगह पर । आप केवल अपनी दिशा बदल दें । १९५१ से लेकर अब तक २३ साल से इसके सबंध में केवल एक ही प्रक्रिया हो रही है । जहां से काम शुरू होता है और जहां खत्म होता है । फिर जहां से काम शुरू हुआ होता वहीं से फिर शुरू कर दिया जाता है । होम्योपैथिक चिकित्सा में उन्नति लाने के लिए सरकार के पास क्या कास्ट्रक्टिव प्रोग्राम है । मैं जानना चाहूंगा कि इसकी तरक्की करने के लिए सरकार के पास क्या-क्या योजनायें हैं । सारी योजनायें हमारे सामने आनी चाहिये । तब हम सोचेंगे कि आप सही माने में इसकी तरक्की के बारे में सोच रहे है । खाली बोर्ड बन जाने से इसकी कोई तरक्की नहीं हो सकती है । मैं माननीय बाबूलाल जी के संशोधन का समर्थन करता हूं ।

*डाक्टर जितेंद्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)—

मान्यवर, यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है इसके जो उद्देश्य और कारण हैं उसमें लिखा हुआ है कि होम्योपैथी बोर्ड को प्रभावी बनाने के लिये संशोधन करना आवश्यक समझा गया। मैं इसका स्वागत करता हूं कि फैकल्टी खोलने की बात की गई है। शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिये यह आवश्यक था लेकिन बोर्ड के नियंत्रण को अधिक प्रभावी बनाने के स्थान पर सरकार अपना निर्णय बोर्ड के ऊपर अधिक प्रभावी बना रही है। इस विधेयक के द्वारा जहां इस बोर्ड को स्वायत्तशासी संस्था होना चाहिये था वहां पर सरकार ऐसी ने बात रख दी है। जैसे कि रजिस्टर्ड चिकित्सकों में से ५ चुन कर आयेंगे और ७ आदमी सरकार नियुक्त करेगी। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है। क्या रजिस्टर्ड चिकित्सक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने में सक्षम नहीं होंगे। सरकार ७ आदमी अपनी ओर से नामजद करना चाहती है। इसके माने यह हैं कि सरकार अपने खास-खास लोगों को बोर्ड में बिठा कर चाहती है कि जैसा वह चाहे करें।

दूसरा सरकार ने यह भी अधिकार लिया है कि होम्योपैथी चिकित्सा में कोई चिकित्सक अभी तक कोई गलत कार्य करता था तो बोर्ड उसको निकाल देता था। लेकिन अब बोर्ड द्वारा ऐसे डाक्टर के ऊपर लगाये गये प्रतिबन्ध को यदि सरकार चाहे तो समाप्त कर सकती है। तीसरी इसी के अन्त में नई धारा जोड़ कर यह की गई है कि सरकार ने अपने हाथ में अधिकार ले लिया है कि सरकार चाहे तो बोर्ड को समय-समय पर जो आवश्यक निर्देश देगी जिनका पालन करना बोर्ड के लिये मान्य होगा। यदि सरकार सोचे कि किसी नियम को या ऐसे कार्य को जो बोर्ड के कार्यक्षेत्र में है उसको सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है तो वह बोर्ड के पास नियम बना कर भेज देगी। बोर्ड को उसको मानना पड़ेगा।

इसमें कोई भावना बोर्ड को प्रभावी बनाने की दिखाई नहीं देती है बल्कि सरकार इसको अपने हाथ का खिलौना बनाना चाहती है। जिन खंडों में सरकारी नियंत्रण की बात कही गई है उनको हटाया जाना चाहिये। यह स्वायत्तशासी संस्था बनना चाहिये। रजिस्टर्ड चिकित्सकों का इसमें बहुमत होना चाहिये। लेकिन सरकार चुनाव और नामजदगी दोनों को बराबर करना चाहती है। चुनकर पांच आयेंगे और नामजदगी के द्वारा सात आयेंगे। बोर्ड के प्रस्ताव को जैसा कि मैंने निवेदन किया कि सरकार जब चाहे अपने सुझाव जो कि उसे मान्य होंगे, मानना पड़ेगा ऐसा बना के भेज देंगे। तो इससे अच्छा तो यह है कि बोर्ड बनाये ही न जायं और सरकार के सेक्रेटरी को यह अधिकार दे दिया जाय कि वह बोर्ड का सारा काम करे इन शब्दों के साथ मैं श्री बाबूलाल वर्मा के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि इसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाय।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

माननीया अधिष्ठात्री महोदया, यह विधेयक जिन कारणों से प्रस्तुत किया गया है, उसका म स्वागत करता हूं। लेकिन कुछ बातों के कारण श्री बाबू लाल वर्मा ने तथा हम लोगों ने जो प्रस्ताव दिया है कि इसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाय। डा० जितेन्द्र कुमार अग्रवाल ने यह कहा है कि इसमें ७ व्यक्तियों को नामजद किया जायगा। जहां तक मैं देखता हूं कि ऐसी नामजदगी जो है, जिस प्रकार अब तक नामजदगी होती रही है सरकार की तरफ से, इस बारे में हमें कुछ अनुभव है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का तथा माननीय अधिष्ठात्री महोदया को भी अनुभव होगा कि इसमें सरकार की पार्टी के कुछ विशेष लोग नामजद होते हैं। इसलिये मुझे शंका है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि संकाय बना कर किसी विशेष पार्टी की ओर से, पार्टी विशेष के लोग ही रखे जायं। माननीया अधिष्ठात्री महोदया, इससे पहले जब कभी

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

नामजदगी की गई थी, तो उसमें ५ कांग्रेसी व्यक्तियों को ही रखा गया था। इसलिये जहां मैं एक ओर इस विधेयक का स्वागत कर रहा हूं दूसरी ओर इस प्रदेश के जो छात्र तथा जो अध्यापक हैं या जो मैनेजिंग कमेटी के लोग हैं, उन सब लोगों ने अपना-अपना प्रतिवेदन भिन्न-भिन्न प्रकार से रखा है, अच्छा यह होगा कि यह प्रवर समिति के सुपुर्द रख दिया जाय। इस प्रकार का एक प्रस्ताव पहले आया था, जिसको माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रवर समिति के सुपुर्द किया था। इसमें डेढ़ दो महीने का मामला है, कोई इसमें विलम्ब नहीं होगा। इस लिए मेरा निवेदन है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इस पर विचार कर लें उसके पश्चात इसको पारित किया जाय।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

माननीया अधिष्ठात्री महोदया, मैं श्री बाबू लाल वर्मा, माननीय सत्य प्रकाश मालवीय, माननीय त्रिवेणी सहाय तथा माननीय दशरथ सिंह के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीया अधिष्ठात्री महोदया, इस प्रस्ताव के समर्थन की पृष्ठभूमि में मैं एक बात कह देना आवश्यक समझती हूं कि सरकार की यह जो नीति ऊपर से जान पड़ती है कि यह जो होम्योपैथिक प्रणाली को अधिकाधिक सक्षम बनाना चाहते हैं, इसमें सरकार की नियत बिलकुल साफ है ही नहीं है और यही कारण है कि आजादी के २७ वर्षों में किसी भी देश में ऐसा नहीं सुना गया और न देखा गया कि राजनीति को विज्ञान के द्वारा प्रभावित किया जाय या विज्ञान को राजनीति के द्वारा प्रभावित किया जाय। इसमें लेकिन ऐसा है कि विज्ञान को जो निष्पक्ष रहना चाहिये, स्वतंत्र रहना चाहिये, वहां भी राजनीति के द्वारा विज्ञान को प्रभावित किया जाता है, साधारण विज्ञान नहीं, जीवन विज्ञान।

आज इस देश की दुर्गति हो रही है, चिकित्सा प्रणाली में अव्यवस्था फैली हुई है और जिसे जीवन का विज्ञान कहते हैं, जिसे आयु का विज्ञान कहते हैं। आयु का विज्ञान मैं आपको बतलाना चाहता हूं। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को बताना चाहता हूं, कि यह जो आयु का विज्ञान है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। डा० हनीमेन जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे उन्होंने इस होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली का आविष्कार किया। इस देश में बड़े बड़े महर्षि हो गये हैं जैसे पतंजलि, चरक, सुश्रुत, बागभट्ट, वृद्ध बागभट्ट, अग्निवेश, मैल आदि। इन महर्षियों ने आयुर्वेद विज्ञान के जो सिद्धान्त बताये हैं, वे ये हैं--निदान, पूर्वरूप, रूप, उपसय, संप्राप्ति रोगों के ज्ञान के लिये ५ प्रकार से व्यवस्था की है। उपसय के १८ भेद किये हैं और उसी में एक भेद के आधार पर डा० हनीमैन ने होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली का आविष्कार किया है। उनको इसका जनक कहा जाता है। जिसके मूल तत्व है--

विषस्य विषमौषधम्

हमारा देश अत्यन्त निर्धन है और हमारे देश की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गयी है। जो सरकारी अस्पताल हैं, उनमें दवाइयां नहीं हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण एक मात्र यह बताया गया है कि सरकार के पास बजट नहीं है, पैसा नहीं है। सरकार को होम्योपैथी का प्रचार और प्रसार करना चाहिये, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यह नहीं हो सका है। सरकार ने इस ओर ध्यान भी नहीं दिया है। प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं की स्थिति यह रही है कि जहां एलोपैथिक चिकित्सा के लिए ६८ करोड़ रुपया दिया गया वहां प्राकृतिक चिकित्सा के लिये यूनानी, आयुर्वेद, तिब्बी, होमियोपैथिक के लिये ७ करोड़ रुपया ही दिया गया। यह स्थिति है और यह स्थिति अत्यन्त ही भयावह है। आज एलोपैथिक चिकित्सा से अच्छे अच्छे लोग भयभीत हैं कि कहीं रिएक्शन न हो जाये। जो दवाई फायदा पहुंचाती है वही दवाई रिएक्शन भी करती है। इसीलिये लोग डर रहे हैं। जो मिक्सचर है उसके प्रयोग से लोग डरने लगे हैं। विटामिन से भी लोगों की मृत्यु हुई है। इस तरह की स्थिति है आज।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य आप बिल पर बोलिए कि इसको प्रवर समिति को भेजा जाये अथवा न भेजा जाय ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

माननीय अधिष्ठात्री जी, मैं उसी पर बोल रहा हूं । इसको प्रवर समिति को भेजा जाये । मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कुछ और चीजें हैं । इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये और जो विचार आये हैं उनके आधार पर किया जाये । मैं उन पर आने के पूर्व जो इसका उद्देश्य होना चाहिए वह यह है कि होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली को अधिक से अधिक सक्षम बनाना चाहिये । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सबसे पहले होम्योपैथी का अलग से जब तक निदेशालय नहीं होगा, हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यह अलग होना चाहिये और इसी प्रकार से प्रान्त में जच्चा बच्चा के होम्योपैथिक अस्पताल अधिक होने चाहिये, होम्योपैथी के रिसर्च सेन्टस अलग से खोले जाने चाहिये । इस समय जो हमारे होम्योपैथी के चिकित्सक हैं, उनकी स्थिति बड़ी ही डांवाडोल है, उनको भी अधिक से अधिक सुविधा देनी चाहिये । होम्योपैथिक कालेजों का विस्तार होना चाहिये, प्रत्येक ब्लाक पर होम्योपैथिक डिस्पेन्सरी होनी चाहिये और जो यह करोड़ों रुपयों का खर्चा परिवार नियोजन के नाम पर हो रहा है, यह बन्द होना चाहिये। मेरे अपने जिले में ही लाखों रुपया बरबाद हुआ है । श्री उषापति भट्ट जो सरकार में स्वास्थ्य सचिव के पद पर आसीन है, स्वयं मुझसे कह चुके हैं कि तुम्हारे जिले में लाखों रुपये का घोटाला हुआ है । समझ में नहीं आता कि कब इन सब चीजों की समाप्ति होगी । परिवार नियोजन के लिये भी होम्योपैथी को बढ़ाना चाहिये । कुछ लोगों की यह धारणा थी कि ये चीनी की मीठी गोलियां हैं, यह प्रभावशाली औषधि नहीं है लेकिन मैं क्या बताऊं कि यह कितनी प्रभावशाली औषधि होती है । मेरी प्रार्थना है कि हर जिले अस्पताल में होम्योपैथिक चिकित्सकों की नियुक्ति की जाय । होम्योपैथिक स्कूल लखनऊ में छात्रों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, वह भी बन्द किया जाय ।

इस संशोधित बिल में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जाने वाले ७ बोर्ड के सदस्यों के लिये यह आवश्यक बना दिया गया है कि केवल रजिस्टर्ड होम्योपैथ ही मनोनीत किये जायें जबकि मूल अधिनियम में ७ होम्योपैथ चाहे वह रजिस्टर्ड हों अथवा अधिनियम की धारा ६० के अन्तर्गत सूचीबद्ध हों या रजिस्ट्रेशन होने वाली निर्धारित योग्यता रखते हों, मनोनीत किये जा सकते हैं । मैं इसलिये कहता हूं कि केवल रजिस्टर्ड के लिये न किया जाय और जो भी होम्योपैथ हैं, उनके लिये ही किया जाय। यह आवश्यक नहीं है कि जो अनुभवी है और पूर्व अनुभव के हों, वे रजिस्टर्ड ही हों ।

वर्तमान संशोधित बिल में प्रस्तावित किया गया है कि होमियोपैथिक बोर्ड में कानपुर यूनिवर्सिटी के ऐकैडैमिक कांउसिल के सदस्यों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति बोर्ड का सदस्य हो । यह प्राविधान उचित नहीं है । इसके स्थान पर यह होना चाहिये कि एक सदस्य उस विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालयों की ऐकेडैमिक कांउसिल से सदस्यों द्वारा चुना हुआ होना चाहिये जिन विद्यालयों में होम्योपैथिक फैकल्टीज़ हों ।

इस प्रकार से प्रान्त में जिन जिन विश्वविद्यालयों में होम्योपैथी की फैकल्टी स्थापित की जायेगी, उन सभी विश्वविद्यालयों के ऐकेडेमिक कांउसिल के सदस्यों को होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड के सदस्य के चुनने का मौका मिलेगा ।

प्रस्तावित संशोधित अधिनियम में डिप्टी डायरेक्टर होमियोपैथी को पदेन बोर्ड के सदस्य होने का अधिकार है । इसके स्थान पर डिप्टी डायरेक्टर अथवा ज्वाइंट डायरेक्टर अथवा डाइरेक्टर होमियोपैथी शब्द भी लिखे जाने चाहिये ताकि यदि भविष्य में डिप्टी डाइरेक्टर के स्थान पर ज्वाइन्ट डायरेक्टर या डायरेक्टर हों तो पुनः अधिनियम के संशोधन की आवश्यकता न पड़े ।

[श्री पुरुषोत्तम कौशिक]

इसी प्रकार से प्रस्तावित संशोधित बिल में प्राविधान किया गया है कि नेशनल होमियोपैथिक मैडिकल कालेज का प्रधानाचार्य पदेन होमियोपैथिक मैडिसिन बोर्ड का पदेन सदस्य बनाये जाने का प्राविधान अप्रजातांत्रिक प्रतीत होता है । प्रधानतया जबकि तीन बोर्ड के सदस्य होम्योपैथिक कालेजों के प्राध्यापकों द्वारा चुने जाने का प्राविधान अधिनियम में दिया हुआ है।

और यदि इस अभिप्राय से किया गया है कि राजकीय होमियोपैथिक मैडिकल कालेज का प्रधानाचार्य पदेन बोर्ड का सदस्य हो तो उचित यह होगा कि इसमें यह प्राविधान होना चाहिये था कि राजकीय कालेज का एक प्रधानाचार्य सरकार द्वारा बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया जायगा। इस प्रकार से यदि यह किया जाय तो इसका जो पवित्र उद्देश्य है, यह पूरा हो जायगा ।

सैक्शन २० आफ दी होम्योपैथिक सेन्ट्रल कौसिल ऐक्ट, १९७३ और यू० पी० होम्योपैथिक मैडिसिन अमेन्डमेन्ट ऐक्ट, १९७४, इन दोनों का यदि तुलनात्मक अध्ययन किया जाय तो उनके अधिकारों में जो बातें हैं, उनको देख लेना अत्यन्त आवश्यक होगा। एक बात और कह दूं कि होम्योपैथिक सेन्ट्रल कांउसिल ऐक्ट, १९७३ तथा संशोधित होमियोपैथिक बिल १९७४ की धारा ४१–बी को तुलनात्मक रूप से देखने पर स्पष्ट है कि दोनों ही केन्द्री तथा प्रस्तावित संशोधित बिल में उन्हीं विषयों पर समान रूप से कार्यवाही करने के लिये केन्द्रीय कांउसिल तथा प्रान्तीय संशोधित बिल में फैकल्टी को अधिकृत किया गया है। चूंकि संशोधित बिल परिष्कृत होने पर लेटेस्ट ऐक्ट उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित होगा अतः वह केन्द्रीय सरकार के ऐक्ट द्वारा गठित सेन्ट्रल होमियोपैथिक कांउसिल के निर्देशों को माने अथवा न मानने के लिये स्वतन्त्र होगा।

एक चीज मैं और साफ कर दूं कि जो प्रस्तावित होमियोपैथिक संशोधन बिल में फैकल्टी के गठन की बात है इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि संकाय का गठन अधिनियम के अन्तर्गत करना उचित है जिस प्रकार से अन्य शिक्षण संस्थाओं के अन्तर्गत फैकल्टीज होती है उसी तरह से इसमें भी फैकल्टी का होना अपेक्षित है ।

भारतीय चिकित्सा अधिनियम (इंडियन मैडिसिन ऐक्ट) के अन्तर्गत भी संकाय के गठन की प्रक्रिया धारा ३६(ए) में दी हुई है जिसे देखने से ज्ञात होगा कि इस संकाय का गठन अधिक प्रजातांत्रिक तथा रचनात्मक है अपेक्षाकृत इस संशोधित बिल में होमियोपैथिक संकाय के। क्योंकि इंडियन मेडिसिन ऐक्ट के अन्तर्गत बोर्ड का अध्यक्ष ही संकाय का अध्यक्ष (डीन) होता है जो कि हर तीसरे वर्ष कार्यकाल समाप्त होने पर बदल जायगा जबकि होमियोपैथिक प्रस्तावित संकाय में फैकल्टी का डीन पदेन डिप्टी डायरेक्टर होगा जोकि परमानेन्ट डीन होगा। इस संदर्भ में यह भी इंगित करना आवश्यक प्रतीत होता है कि प्रान्त में जितने भी विश्वविद्यालय हैं और उनके अन्तर्गत जितने भी विभिन्न विषयों की फैकल्टीज है उनके भी डीन एक निर्धारित अवधि तक ही रहते हैं तथा वरिष्ठ प्राध्यापकों में से निर्धारित अवधि समाप्त होने पर युनिवर्सिटी द्वारा नियुक्त डीन होते रहते हैं। चूंकि इंडियन मेडिसिन ऐक्ट में विभिन्न फैकल्टी नहीं हैं एवं अध्यक्ष का कार्यकाल ही तीन वर्ष का होता है अतः अध्यक्ष को ही फैकल्टी का डीन बनाया गया है जिसका कार्यकाल तीन वर्ष का होता है। आयुर्वेद में भी डिप्टी डाइरेक्टर एवं डायरेक्टर महोदय हैं परन्तु उन्हें केवल फैकल्टी का सदस्य रहने का प्राविधान ऐक्ट में दिया हुआ है जबकि प्रस्तावित होमियोपैथिक अधिनियम में डिप्टी डाइरेक्टर परमानेन्ट डीन बनाने का प्राविधान दिया हुआ है । यह विचारणीय विषय है कि केवल होमियोपैथिक संकाय के लिये क्यों डिप्टी डाइरेक्टर को परमानेन्ट डीन नियुक्त किया जा रहा है जिसका कि उदाहरण किसी भी शैक्षणिक संकाय में नहीं मिलेगा ।

इसी प्रकार से प्रस्तावित होमियोपैथिक बिल में नेशनल होमियोपैथिक मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य को पदेन सदस्य एवं सचिव फैकल्टी का बनाया गया है जबकि इंडियन मेडिसिन ऐक्ट में राजकीय आयुर्वेदिक कालेज के प्रधानाचार्य को आयुर्वेदिक फैकल्टी जो कि इंडियन मेडिसिन ऐक्ट के अन्तर्गत गठित करने का प्राविधान है नहीं बनाया गया है। शायद ही किसी शैक्षणिक संस्था की संकाय में प्रस्तावित होमियोपैथिक अधिनियम के अनुसार संकाय के पदाधिकारी अर्थात् डीन एवं सचिव नियुक्त करने का प्राविधान अधिनियम में दिया होगा। समझ में नहीं आता कि जिस समय इस होमियोपैथिक संकाय के पदाधिकारी सदस्य डीन डिप्टी डाइरेक्टर, सदस्य सचिव, नेशनल होमियोपैथिक मेडिकल कालेज को प्रस्तावित किया गया उस समय इस संकाय की कार्य प्रणाली को कार्य रूप में परिणत करने की प्रक्रिया पर क्यों नहीं विचार किया गया।

यह सारी परिस्थितियां है जिनके सम्बन्ध में अपने विचार मैंने व्यक्त किये है और मैं समझता हूं कि इस प्रदेश की जनता के हित में और जो करोड़ों आदमियों की चिकित्सा का कोई साधन नहीं है उन लोगों के हित में सोचने की आवश्यकता है। सब जगह राजनीति घुसेड़ देने से कार्य होने वाला नहीं है। मैं किसी संकाय के गठन का विरोधी नहीं हूं। यह बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक व्यक्ति प्रिंसिपल, डिप्टी डायरेक्टर, डीन सब कुछ हो उचित नहीं प्रतीत होता। इस सम्बन्ध में बिल्कुल खुले विचार से ही सोच कर कार्य करना चाहिये इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने प्रवर समिति के प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त किये उन्होंने इस विधेयक का समर्थन ही किया है। जितनी बातें उन्होंने कहीं वे इस विधेयक के समर्थन में ही कहीं। जिस मंशा से यह विधेयक लाया गया है उसका सभी ने समर्थन किया है। अब जब वे इसकी मंशा से सहमत है तो इसे प्रवर समिति में भेजने की क्या आवश्यकता है? जब यह अच्छी चीज हो रही है तो इसे जल्दी से जल्दी माननीय सदस्यों को पास करना चाहिये। मैंने देखा कि माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का किया तो समर्थन मगर अंत में कह दिया कि इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय। अभी माननीय सदस्य जो बोल कर बैठे है, उन्होंने कुछ पर्चे आदि जो बंटे है उसे पढ़ा। मेरे पास वे पर्चे भी आये, मैंने उनको भी पढ़ा है और उन पर विचार भी किया है। पहले माननीय वर्मा जी ने जिस पर्चे को पढ़ा वह भी देखा है।

यह बात सही है कि मूल विधेयक सन १९५१ में बना था। उसके पहले इस चिकित्सा प्रणाली की स्थिति अच्छी नहीं थी। कोई भी व्यक्ति २–४ शीशी होम्योपैथिक की लेकर बैठ जाता था, और डाक्टर बन जाता था। जब से यह अधिनियम बना, तब से काफी सुधार हुआ। अब कायदे से डाक्टरों का रजिस्ट्रेशन होने लगा है। सरकारी नेशनल होम्योपैथिक कालेज भी लखनऊ में है। १६ और कालिजेज हैं जो प्राइवेट लोगों द्वारा चलाये जा रहे हैं। प्रदेश में ९९ सरकारी होम्योपैथिक चिकित्सालय हैं और ३६ और खुलने वाले हैं यह बात सही है कि हमारे जैसे गरीब देश के लिये यह चिकित्सा प्रणाली बड़ी लाभदायक और सस्ती है। इसकी दवायें बड़ी सस्ती होती है। मगर इनको दे वही सकता है जो अनुभवी है और योग्यता रखता है। इसमें बड़े अध्ययन करने की जरूरत पड़ती है। योग्य और अनुभवी डाक्टर ही अच्छी दवा दे सकता है। शासन द्वारा इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे यहां योग्य और अध्ययन करने वाले डाक्टर, होम्योपैथिक के, पैदा हों और इस चिकित्सा प्रणाली का अधिक से अधिक प्रसार हो। यह हो भी रहा है।

जैसा कि माननीय सदस्यों ने बतलाया कि इन कालेजों में कहीं भवन नहीं है, कहीं लेबोरेटरीज नहीं है, योग्य अध्यापक नहीं है, इन्तजाम सुव्यवस्थित नहीं है, असन्तोष है लोगों को

[श्री लक्ष्मीशंकर यादव]

हर तरफ से शिकायतें आती हैं और इन तमाम चीजों को समाप्त करने के लिये ही यह विधेयक लाया गया है । एक संकाय बनेगा। आज तक जो मूल अधिनियम था उसमें बोर्ड को ही यह सारा अख्तियार था, इन विद्यालयों के सिलेबस बनाने से लेकर आखिर तक पढ़ने लिखने का सारा इन्तजाम करना, उनको सम्बद्ध या एफिलिएशन करने का काम जो अभी तक वही करता था, परीक्षकों की नियुक्ति, परीक्षाओं का इन्तजाम करना, उनका परीक्षाफल निकालना सारा का सारा इन्तजाम बोर्ड के ही हाथ में रहा जिससे लोगों को सन्तोष नहीं रहा । अब संकाय बनने पर ये तमाम अधिकार उसी संकाय को दे दिये जायेंगे । एक माननीय सदस्य ने कहा कि खाली बोर्ड बनाने के लिये ही यह विधेयक लाया गया है, ऐसा नहीं है । पुराने ५१ वाले ऐक्ट में भी नहीं है । पहले बोर्ड के हाथ में दिया था अब इनको दिया है केवल इतना फर्क है कि जैसे पहले होते थे १५ सदस्य, १५ सदस्य आज भी रहेंगे। ३ सदस्य इसमें और बढ़ाये गये हैं । एक तो कानपुर यूनिवर्सिटी का चुना हुआ होगा, वहां की होमियोपैथिक फैकल्टी चुन करके सदस्य यहां भेजेगी और एक यहां का डिप्टी डाइरेक्टर होगा । एक नेशनल होमियोपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ का प्रिंसिपल होगा । इस तरह से बोर्ड में १८ सदस्य हो जायेंगे । जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि एक संकाय बनेगा जिसमें ३ सदस्य तो ये होंगे । कानपुर फैकल्टी द्वारा चुना हुआ एक, एक नेशनल होमियोपैथिक मेडिकल कालेज लखनऊ का प्रिंसिपल और एक डिप्टी डाइरेक्टर। ये जो बोर्ड में चुन कर आवेंगे एक अध्यापकों में से ही आयेंगे। वे अपने में से ही एक को चुन कर भेजेंगे । इस तरह से ५ सदस्य होंगे और जैसा कि मैंने कहा, इन्हीं के हाथ में एफिलिएशन देना होगा, किस तरह से उसका प्रबन्ध हो सके, किस तरह से योग्यता वाले अध्यापक वहां पहुंच सकें और उपयुक्त भवन हो, उसके लिये लेबोरेटरीज हों तथा और भी जितनी आवश्यक चीजें इसके सुधार के लिये हैं कि होमियोपैथिक शिक्षा अच्छी दी जा सके, अच्छे डाक्टर निकल सकें जो सही माने में जनता की सेवा कर सकें, इस चीज को अपने दिमाग में रख कर निकलें ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

एक बात मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं ।

यह बात समझ में नहीं आयी कि वही आदमी नेशनल होमियोपैथिक मेडिकल कालेज का प्रिंसिपल, डिप्टी डाइरेक्टर और डीन होगा । डिप्टी डाइरेक्टर डीन या प्रिंसिपल को आदेश देगा, तो वही आदेश देने वाला और वही आदेश ग्रहण करने वाला, यह कहां का औचित्य है ? आदेश देने वाला भी वही और आदेश लेने वाला भी वही ।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

वह सब उसमें लिखा हुआ है । जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा और तमाम माननीय सदस्यों ने भी कहा कि योग्यता वाले टीचर नही रखे जाते । योग्यता वाले पहले हो तो जांय । योग्यता वाले तमाम अध्यापक या प्रिंसिपल हो जायं, उसके लिये संकाय में व्यवस्था की जा रही है । इसलिये उसमें रोटेशन का प्रबन्ध करना उचित नहीं होगा । इस लिये विधेयक में इस तरह का प्राविधान नही किया गया है । हमारे दूसरे साथी अग्रवाल जी ने नामिनेशन की चर्चा की । मूल अधिनियम में भी ७ नामिनेशन की व्यवस्था थी और इसके द्वारा भी ७ नामिनेशन की व्यवस्था है । इसमें पार्टी का कोई प्रश्न नही है । चुनाव से जो ५ आयेंगे वे रजिस्टर्ड प्रेक्टिसनर्स में से आयेंगे और ३ जो चुनाव से आयेंगे, कालेज के अध्यापक अपने में से चुनकर उनको भेजेंगे । वे भी होमियोपैथिक डाक्टर होंगे ।

(इस समय २ बजकर २१ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)

इस तरह से ५ और ३ आठ हो जाते हैं । ७ का केवल नामिनेशन होना है । लेकिन फिर भी लिये जायेंगे जो रजिस्टर्ड होमियोपैथ हैं, रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हैं जो अच्छी योग्यता रखते हैं और जो चुनाव में नहीं आना चाहते हैं । उनकी योग्यता से हम कुछ लाभ उठा सकें, जो इस तरह

के आदमी हैं इसलिये यह व्यवस्था की गई है कि उनको नामिनेट किया जाय। इसी दृष्टिकोण से भी विधान परिषद् में नामजदगी हुआ करती है। इसलिये मैं समझता हूं कि कुछ लोग नामिनेट किये जांय जो इस विषय की बहुत अच्छी जानकारी रखते हों, योग्य हों और वे पचड़े में नही पड़ना चाहते हैं, किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं हों, चुनाव में नही आना चाहते हों, ऐसे लोगों से लाभ उठाने के लिये यही एक रास्ता है कि उनको नामिनेट किया जाय इसलिये ऐसा प्राविधान किया गया है।

दूसरी बात शासन ने जो अपना अधिकारी बैठाया है उसके बारे में है। मान्यवर ऐसा पहले भी था। धारा ५३ जिसके अन्दर शासन को आख्तियार था कि अगर ठीक से बोर्ड न चले तो भंग कर दिया जाय। कोई ऐसी स्थिति आ जाय कि जिससे कि परिस्थित बिगड़ती हो तो शासन को अधिकार है कि वह ऐसा आदेश दे या ऐसा फैसला करे जिससे इस प्रणाली का हित हो इसलिये यह प्राविधान रखा गया है। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य आम तौर पर इसका स्वागत माननीय सदस्यों ने किया है, अपने प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव वापस लेंगे जिससे कि जल्दी से जल्दी यह पारित हो जाय और लागू किया जा सके।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९७४ को सदन की एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन सदन के समक्ष १ माह के अन्दर प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९७४ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर बिचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2

२—उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, १९५१ ई०, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा २ में खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ८, १९५२ ई० की धारा २ का संशोधन

"(खख) 'संकाय' का तात्पर्य धारा ४१-क के अधीन संघटित होम्योपैथी संकाय से है ;"

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड-२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 3

३—मूल अधिनियम की धारा ४ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :— धारा ४ का प्रतिस्थापन

"४—बोर्ड में निम्नलिखित मेम्बर होंगे, अर्थात् :—

(क) सात मेम्बर जो राज्य सरकार द्वारा रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डाक्टरों में से नामजद किये जायेंगे ;

[श्री अध्यक्ष]

(ख) तीन मेम्बर जो उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक संस्थाओं के अध्यापकों द्वारा अपने में से निर्धारित रीति से निर्वाचित किये जायेंगे ;

(ग) पांच ऐसे मेम्बर जिन्होंने होम्योपैथी में कम से कम दस वर्ष का चिकित्सा कार्य किया हो, जो राज्य रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डाक्टरों द्वारा अपने में से निर्धारित रीति से निर्वाचित किये जायगे ;

(घ) कानपुर विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाला एक मेम्बर, जो होम्योपैथिक संकाय के बोर्ड यदि संघटित किया जाय, के मेम्बरों द्वारा और जब तक कि ऐसा बोर्ड संघटित न हो जाय उक्त विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् द्वारा निर्वाचित किया जायगा ;

(ङ) उप निदेशक, होम्योपैथी, उत्तर प्रदेश, पदेन ;

(च) प्राचार्य, नेशनल होम्योपैथिक कालेज, लखनऊ, पदेन ।"

श्री जितेन्द्र कुमार अग्रवाल—

अध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ४ की मद (क) को निकाल दिया जाय और आगे की मदों को पुनरांकित कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ४ की मद (क) को निकाल दिया जाय और आगे की मदों को पुनरांकित कर दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल—

अध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ४ की मद (ग) की प्रथम पंक्ति में शब्द 'पांच' के स्थान पर शब्द 'सात' कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ४ की मद (ग) की प्रथम पंक्ति में शब्द पांच' के स्थान पर शब्द 'सात' कर दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 4, 5 और 6

धारा १७ का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा १७ में :—

(१) खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(च) वह किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश से होम्योपैथी के रूप में चिकित्सा-कार्य करने से विवर्जित कर दिया गया हो ; या" ;

(२) खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्—

"(छ) वह किसी लाभप्रद पद पर हो या बोर्ड के अधीन कोई सेवायोजन स्वीकार करे ; "

(३) प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (ङ) और (च) में अभिदिष्ट अयोग्यतायें राज्य सरकार के आदेश से हटाई जा सकती हैं।"

५—मूल अधिनियम की धारा २२ निकाल दी जाय। धारा २२ का निकाला जाना

६—मूल अधिनियम की धारा ४१ में,— धारा ४१ का संशोधन

(क) खंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(१) धारा ४१—क के अधीन संघटित संकाय की सिफारिश पर सम्बद्धता के प्रयोजनार्थ होम्योपैथीक शैक्षिक अथवा शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना और ऐसी मान्यता को निलम्बित करना अथवा वापस लेना ;".

(ख) खण्ड (२), (३), (६), (७) तथा (८) निकाल दिये जायें।

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल—

अध्यक्ष महोदय मैं आपकी की आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ में मूल अधिनियम की धारा १७ की उप धारा (३) को निकाल दिया जाय।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

मान्यवर, मैं विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ४ में मूल अधिनियम की धारा १७ की उपधारा (३) को निकाल दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ४, ५ और ७ इस विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 7

७—मूल अधिनियम की धारा ४१ के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ादी जायें अर्थात्:— नयी धारा ४१—क, ४१—ख तथा ४१—ग का बढ़ाया जाना

संकाय का संघटन

"४१-क—(१) होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली में शिक्षण तथा परीक्षण निकाय के रूप में अपने कर्तव्यों तथा कृत्यों का समुचित निर्वहन करने के लिये बोर्ड होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली में एक संकाय संघटित करेगा।

(२) संकाय में निम्नलिखित मेम्बर होंगे, अर्थात् :—

(क) उप निदेशक, होम्योपैथी, जो संकाय का पदेन डीन होगा ;

(ख) एक मेम्बर, जो धारा ४ के खण्ड (ख) के अधीन निर्वाचित मेम्बरों द्वारा अपने में से निर्धारित रीति से निर्वाचित किया जायगा ;

(ग) कानपुर विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाला धारा ४ के खण्ड (घ) के अधीन निर्वाचित मेम्बर ;

श्री अध्यक्ष--

(घ) एक मेम्बर, जो खण्ड (ख) तथा (ग) में अभिदिष्ट बोर्ड के मेम्बरों से भिन्न मेम्बरों द्वारा अपने में से, निर्धारित रीति से निर्वाचित किया जायगा ;

(ङ) प्राचार्य, नेशनल होम्योपैथिक कालेज, लखनऊ पदेन जो संकाय का सचिव भी होगा ।

(३) संकाय, चार से अनधिक मेम्बरों को ऐसी अवधि के लिये तथा ऐसे प्रयोजनों के निमित्त जो निर्धारित किये जायं निर्धारित रीति से सहयोजित कर सकता है ।

(४) उपधारा (२) के खण्ड (ख), खण्ड (ग) अथवा खण्ड (घ) के अधीन संकाय का कोई मेम्बर बोर्ड का मेम्बर न रह जाने पर, ऐसा मेम्बर न रह जायगा ।

संकाय की शक्तियां तथा कृत्य

४१-ख--(१) संकाय की निम्नलिखित शक्तियां तथा कृत्य होंगे, अर्थात्--

(क) बोर्ड से सम्बद्ध संस्थाओं में होम्योपैथिक चिकित्सा विज्ञान की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें बोर्ड उचित समझे, सामान्य शिक्षण अथवा विशेष या प्रबोधन अनुक्रम के लिये विषयों की पढ़ाई तथा पाठ्यक्रम निर्धारित करना ;

(ख) परीक्षाएं लेना और ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने बोर्ड से सम्बद्ध संस्थाओं में विषयों का अध्ययन किया हो, डिप्लोमा प्रदान करना ;

(ग) बोर्ड से सम्बद्ध संस्थाओं द्वारा निवास स्थान तथा अनुशासन के सम्बन्ध में किये गये प्रबन्धों का सामान्य पर्यवेक्षण करना और उनके विद्यार्थियों के स्वास्थ्य तथा सामान्य कल्याण की प्रोन्नति के लिये प्रबन्ध करना ;

(घ) परीक्षकों की नियुक्ति और बोर्ड द्वारा ली गई परीक्षाओं के परीक्षाफल प्रकाशित करना ;

(ङ) बोर्ड से सम्बद्ध संस्थाओं का निरीक्षण करना और ऐसे निरीक्षणों के आधार पर कार्यवाही करने के लिये बोर्ड को सिफारिश करना ;

(च) होम्योपैथिक संस्थाओं को सम्बद्धता के लिये तथा ऐसी सम्बद्धता को निलम्बित करने अथवा वापस लेने के लिये बोर्ड की सिफारिश करना ;

(छ) बोर्ड से सम्बद्ध संस्थाओं में विभिन्न विषयों की पढ़ाई में प्रवेश की नीति के सिद्धान्त तथा प्रतिमान निर्धारित करना ।

बोर्ड तथा संकाय के बीच मतभेद होने पर मामला राज्य सरकार को अभिदिष्ट किया जायगा ।

४१-ग--होम्योपैथिक शिक्षा से संबंधित किसी मामले पर संकाय तथा बोर्ड के बीच कोई मतभेद होने की दशा में वह मामला राज्य सरकार को अभिदिष्ट किया जायगा और राज्य सरकार का उस पर निर्णय अन्तिम होगा ।"

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ में मूल अधिनियम में *प्रस्तावित नई धारा ४१-क की उप धारा (२) (क) को हटा दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

(क) संबद्ध कालेजों के प्रधानाचार्य वरिष्ठता के आधार पर रोटेशन से संकाय के पदेन डीन होंगे ।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

मान्यवर, मुझे स्वीकार नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ७ में मूल अधिनियम में प्रस्तावित नई धारा ४१-क की उपधारा (२) (क) को हटा दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय --

(क) संबद्ध कालेजों के प्रधानाचार्य वरिष्ठता के आधार पर रोटेशन से संकाय के पदेन डीन होंगे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल--

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ में मूल अधिनियम में प्रस्तावित नई धारा ४१-ख की मद (छ) को निकाल दिया जाय ।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

मान्यवर, मुझे स्वीकार नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ७ में मूल अधिनियम में प्रस्तावित नई धारा ४१-ख की मद (छ) निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 8 व 9

८--मूल अधिनियम की धारा ५३ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:--

नई धारा ५३-क का बढ़ाया जाना

निदेश, इत्यादि जारी करने की राज्य सरकार की शक्ति

"५३-क--(१) राज्य सरकार को बोर्ड द्वारा की गयी अथवा किये जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के सम्बन्ध में अथवा किसी ऐसे अन्य मामले में जो बोर्ड से सम्बन्धित हो, अपनी राय को लिखित रूप में संसूचित करने तथा की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में सलाह देने की शक्ति होगी ।

(२) बोर्ड ऐसी सलाह पर की गयी अथवा किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही की, यदि कोई हो, संसूचना राज्य सरकार को देगा ।

[श्री अध्यक्ष]

(3) यदि बोर्ड युक्तियुक्त सयय के भीतर राज्य सरकार के सन्तोषानुसार आवश्यक कार्यवाही करने में असफल रहे तो राज्य सरकार बोर्ड द्वारा दिये गये किसी स्पष्टीकरण अथवा प्रत्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप ऐसे निदेश जारी कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे, और बोर्ड ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा।

(४) यदि राज्य सरकार की राय में, बोर्ड से सम्बन्धित किसी विषय में, बोर्ड का कार्य समुचित रूप से किये जाने के लिए तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो तो वह बोर्ड से पूर्व परामर्श किये बिना, स्वयं ही अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप ऐसी कार्यवाही कर सकती है जो आवश्यक हो औ उसकी सूचना बोर्ड को दी जायगी।

धारा ५६ का संशोधन

९--मूल अधिनियम की धारा ५६ की उपधारा (२) में--

(१) खण्ड (क) निकाल दिया जाय,

(२) खण्ड (थथ) तथा (थथथ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:--

"(थथ) अवधि तथा प्रयोजन जिसके लिए धारा ४१-क की उपधारा (३) के अधीन संकाय द्वारा मेम्बर सहयोजित किये जा सकते हैं।"

खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९७४

(जैसा कि उ० प्र० विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, १९५१ का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम

१--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम, १९७४ कहलायेगा।

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल--

मान्यवर, खंड ८ के विरोध के सम्बन्ध में मुझे कहना है कि माननीय मंत्री जी ने बड़ी मासूमियत से कहा कि हमने पहले जो बोर्ड को भंग करने का अधिकार सरकार के पास था उसे हटा करके नई धारा में कभी-कभी मशविरा देने का अधिकार लिया है। बोर्ड को खत्म करने की बात किसी गंभीर आरोप पर ही आती है। लेकिन रोज इन्टरफियरेन्स करने का रास्ता ढूंढ लिया गया है जो कि स्वायत्त शासी संस्थाओं के हित में नहीं है। इससे अच्छा होता कि बोर्ड को को समाप्त ही कर दिया जाता और मंत्री जी स्वास्थ्य सचिव को ही बोर्ड के सारे अधिकार दे देते। इसलिये यह बड़े अप्रजातांत्रिक ढंग से यह खंड जोड़ा गया है। अतः मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

मान्यवर, मैं इस खंड ८ के विषय में पहले ही निवेदन कर चुका हूं और यह खंड क्यों रखा गया है इसका तर्क भी दे चुका हूं। यह विधेयक के हित में रखा गया है और मैं आशा करता हूं कि होम्योपैथिक का हित हो।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मान्यवर, यह जो आपका बोर्ड है इसके बारे में अनेक संकायें हैं। यदि आप कहते हैं कि वह संकायें निर्मूल हैं तो आप इसके लिये एक उच्च स्तरीय जांच क्यों नही करा देते हैं? इसलिये संकायें दूर हो जांय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ८ ,९ खंड १ प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९७४ जैसा कि विधान परिषद्, द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९७४ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा परित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृति हुआ ।)

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) अध्यादेश, १९७४ के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, १९७४†

*श्री श्रीनारायण (उर्फ भुलई भाई) (जिला देवरिया)--

अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से निम्न लिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं ।

"यह सदन उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (संपत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) अध्यादेश, १९७४ का अननुमोदन करता है ।"

मान्यवर, बार-बार यह कहा जाता है कि यह राज्य धर्म निर्पेक्ष राज्य है लेकिन रह रह कर यह हिन्दुओं की धार्मिक भावना पर ठेंस पहुंचाता है । इस देश में रहने वाले हिन्दुओं पर ही आघात पहुंचाया जाता है । हिन्दू शान्तिपूर्वक रहने वाले हैं लेकिन बार बार रह रह कर उनकी धार्मिक भावना पर ठेंस पहुंचायी जाती है । अध्यक्ष जी, इस अध्यादेश में यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (संपत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, १९७४ पर ि चार किया जाय । धर्म निर्पेक्ष राज्य को किसी धर्म विशेष पर आक्षेप नहीं करना चाहिये । सभी विचार वालों को अपने धर्म मानने की स्वतंत्रता होनी चाहिये । आजादी होना चाहिये लेकिन यहां तो हिन्दू धर्म पर रह-रह कर ठेंस पहुंचाई जाती है अ र उसके मानने वालों को उकसाया जाता है । मान्यवर, ऐसा मालूम हुआ है कि बम्बई के एक मस्जिद से अरब में लड़कियां बेची गयीं, इसी तरह से केरल से भी लड़कियां गई हैं । लेकिन यह सरकार सिर्फ हिन्दुओं पर ही कानून बनाती है । यदि इसको कानून बनाना ही है तो हिन्दू शब्द निकाल दिया जाय केवल सार्वजनिक धार्मिक संस्था रखा जाय । इससे सभी धर्मों पर अर्थात मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर सभी पर कानून बन जावेगा । केवल हिन्दुओं के लिये कोई कानून न बनाया जाय ।

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (संपत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक,

---

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

†२६ दिसम्बर, १९७४ की कार्यवाही में छपा है ।

[श्री बलदेव सिंह आर्य]

१९७४ पर विचार किया जाय। मान्यवर, यह अधिनियम सन् १९६२ में पारित हुआ था और इसकी अवधि दो वर्ष के लिये थी। यह विचार था कि राज्य सरकार एक व्यापक विधेयक हिन्दू धार्मिक संस्थाओं के सम्बन्ध में इस सदन में प्रस्तुत करेगी, परन्तु इस बीच में यह कार्य नहीं हो सका। फलतः ५ बार इस अधिनियम की अवधि बढ़ानी पड़ी। इस बार १८ दिसम्बर, १९७४ को यह अवधि समाप्त हो रही थी। एक अध्यादेश के द्वारा इस अवधि को बढ़ा दिया गया है। मैं इस अध्यादेश को अधिनियम के रूप में इस सदन में विचारार्थ प्रस्तुत कर रहा हूं।

मान्यवर, १९६८ में हिन्दू ट्रस्ट बिल भारत सरकार ने राज्य सरकारों के पास सम्पति के लिये भेजा था और यह परिकल्पना की गयी थी कि वह विधेयक जल्दी ही पारित हो जायेगा, लेकिन अभी तक वह बिल अधिनियमित नहीं हो सका। मान्यवर, यह एक ऐसा महत्वपूर्ण विधेयक है जो हमारे प्रदेश में जो हिन्दू धार्मिक संस्थायें हैं, मठ हैं और मंदिर हैं और उनकी सम्पत्ति का आज जिस तरह से अपव्यय हो रहा है, उस संबंध में १९६२ में विधेयक पारित किया गया था उसे २ वर्ष की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव है, १८ दिसम्दर, १९७६ तक अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि हमारे प्रदेश में जो हिन्दू मठ, मंदिर हैं और संस्थायें हैं, उनकी सम्पत्ति का कोई अपव्यय न कर सकें, हस्तांतरण न कर सकें। इन बातों का इस विधेयक में प्राविधान है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्यगण इस महत्वपूर्ण विधेयक को पारित करेंगे।

*श्री आशाराम यादव (जिला मिर्जापुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण), (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, १९७४ को जनता की राय जानने के लिये एक माह तक जनता में परिचालित किया जाय।

मान्यवर, यह विधेयक तो लाया गया है, उसका कुछ अंशों में समर्थन करता हूं। लेकिन इसमें कई त्रुटियां हैं इसलिये इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिये राय रखता हूं। इसमें एक चीज लिखी है कि हिन्दू धार्मिक संस्थायें। मान्यवर, हिन्दुस्तान में हिन्दू धर्म कहीं नहीं मिलेगा। हिन्दुस्तान में हिन्दू धर्म नहीं है। जैन, बुद्ध, आदि, ये धर्म हैं, लेकिन हिन्दू धर्म नहीं है। जैसे जर्मनी का रहने वाला जर्मनी, जापान का रहने वाला जापानी कहलाता है, उसी तरह से हिन्दुस्तान का रहने वाला प्रत्येक नागरिक हिन्दू है। इस तरह से अगर यह विधेयक हिन्दुओं को संबोधित है, तो उसके अनुसार केवल हिन्दू मठ मंदिर को ही नहीं अधिकृत करना चाहिये बल्कि मस्जिदों और गिरजाघरों को भी, जहां पर कि घोर अपव्यय हो रहा है, इसके अंदर लेना चाहिये। रामास्वामी अइयर कमीशन की रिपोर्ट ने जो रिपोर्ट दी थी और १९६१ में जो एक साधू सम्मेलन पटना में हुआ था, जिसमें कि केन्द्र के मंत्री नन्दा जी भी उपस्थित थे, उस अधिवेशन में भी साधु-समाज ने यह स्वीकार किया था कि एक ऐसा संशोधन होना चाहिये जिसके द्वारा मठ और मंदिरों में, जहां-जहां अपव्यय हो रहा है, उसको रोका जा सके। बाद में उसकी एक कमेटी ने जगह-जगह निरीक्षण किया। गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद आदि जगहों के मंदिरों का निरीक्षण किया और उदाहरण दिया कि वहां जो आमदनी हो रही है उसमें धर्म के प्रचार हो रहे हैं, शैक्षिक संस्थायें चल रही हैं, सामाजिक कार्य हो रहे हैं और कहां-कहां पर अपव्यय की गुन्जाइश नहीं है। यह कमीशन की रिपोर्ट में भी लिखा गया है। कमीशन की रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि हिन्दू मठों और मंदिरों में ऐसे लोग घुसे हुये हैं जिन्होंने शादी-ब्याह कर लिया है और जो संपत्ति चढ़ावा और अचल संपत्ति से आती है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिये कोई ऐसा संगठन बनाया जाना चाहिये जिसमें अपव्यय रोका जा सके और स्वायत्ता कायम रह सके ताकि मठ और मंदिरों की जो शैक्षिक संस्थायें और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरे सामाजिक काम हैं, वे चलते रहें जिसके लिये कमेटी ने यह भी आगे कहा है कि प्रदेशीय स्तर पर ऐसी कमेटी २१ सदस्यों की बनाई जाय जिसमें ५,७ सदस्य सरकारी अधिकारी हों जो सरकार की ओर से नियुक्त किये जायं और वह मंदिरों के धन का जो अपव्यय हो रहा है उसका निरीक्षण करें । विधेयक में जो दिया गया है उसके अनुसार आयुक्त, सहआयुक्त, और अनुसंधानकर्त्ता अधिकारी की नियुक्ति के बारे में कहा गया है । इससे सरकार पूर्णतया मंदिरों को अपने हाथ में ले लेना चाहती है । जहां सरकारीकरण होता है वहां भ्रष्टाचार व्याप्त होता है । ऐसा होने से मंदिरों द्वारा जो सांस्कृतिक कार्य और शैक्षिक संस्थायें चलाई जा रहीं हैं वह बन्द हो जायेंगी और सरकार का कदम बढ़ने से मन्दिर भ्रष्टाचार का अखाड़ा बन जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य विधेयक की परिधि के बाहर जा रहे हैं । इसमें दो साल बढ़ाने की बात है, उसी पर वह सीमित रहें ।

श्री आशाराम यादव--

स्वायत्तता उनकी ठीक रहे इसीलिये मैं यह सब बता रहा था। सन् ५२ में यह विधेयक आया था । बार-बार सरकार इसका समय बढ़ाती रही । सरकार की नीयत साफ नहीं लगती और वह विधेयक न लाकर बार-बार टाल रही है और इस प्रकार प्रतीत यह होता है कि यह मठाधीशों से मिली हुई है और सरकार उनके पैसों से चुनाव लड़ रही है । अगर सरकार यह कानून ले आयेगी तो उसकी आमदनी मारी जायगी और चुनाव में हार जायगी । लिहाजा सरकार की नीयत साफ नहीं है । चुनाव में जाकर वह प्रार्थना करती है इन मठाधीशों से कि वे उसको पैसा दें और देवी उनको जरूर जिआयें। लिहाजा जो यह दो वर्ष का समय मांगा जा रहा है इसको नहीं बढ़ाया जाना चाहिये और अधिक समय सरकार अगर चाहती है तो वह इसे प्रवर समिति को दे दे जो एक महीने के अन्तर्गत अपनी रिपोर्ट दे दे और ६ महीने के अन्दर सरकार इस विधेयक को ले आवे जिससे मंदिरों के रुपये का जो अपव्यय हो रहा है उसे रोका जा सके।

*श्री वेद प्रकाश अग्रवाल (जिला फैजाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक संस्था (संपत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, १९७४ को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपनी रिपोर्ट १५ दिन के भीतर दे दें ।

मान्यवर, ६२ के अन्दर यह बिल आया था और अब दो साल के लिये इसकी अवधि और बढ़ाने की बात कही जा रही है । शंका यह होती है कि मंदिरों के मठाधीशों तथा महन्तों ने कांग्रेस सत्ताधारियों से सवाल किया कि आप ऐसा विधेयक ला रहे हैं क्या ? उन्होंने कहा कि यह गलत है केवल प्रचार के लिये यह किया जायगा, वह आयेगा नहीं। (व्यवधान) आपके मंत्री आपसे अधिक लायक हैं। मेरा कहना यह है कि ६२ से लेकर ७४ तक १२ वर्षों में यह सरकार इस विधेयक को बना नहीं पाई और अब इसे फिर दो साल के लिये टाला जा रहा है। जब वह १२ साल के अन्दर नहीं बना पाई तो फिर दो साल में कैसे बना सकेगा ।

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि जो विधेयक लाया गया है वह एक धर्म निरपेक्ष राज्य के अन्दर लाया गया है तो इसमें हिन्दू शब्द क्यों रखा गया है । यह मेरी समझ में नहीं आता है । अगर आपको करना ही था तो "उत्तर प्रदेश सार्वजनिक धार्मिक संस्था (संपत्ति अपव्यय निवारण) विधेयक" रखते। इसमें "हिन्दू" नहीं जोड़ना चाहिये था । वह क्यों जोड़ा गया है....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--
आपको क्यों आपत्ति है ?

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल--
आपत्ति इसलिये है कि आप अपने दिल से भी पूछिये कि आपको क्या आपत्ति है । अगर आप में जनेऊ पहनने की ताकत है, उसकी मान-मर्यादा की हिम्मत है तो हिन्दू के नाम पर चिढ़ते क्यों हैं । भारत सरकार की एक हिन्दू रेलीजियस इन्डोमेंट्स कमीशन की १९६०-६२ की रिपोर्ट है...

एक सदस्य--
आपके नेता जय प्रकाश नारायण को जनेऊ चढ़ा रहे हैं ।

*श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)--
जय प्रकाश नारायण हमारे नेता नहीं हैं बल्कि हम उनके कुछ विचारों के समर्थक हैं ।

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल--
मान्यवर, मैं तो यह कह रहा था इस रिपोर्ट में लिखा है 'जहां तक उत्तर भारत के मठों आश्रमों का सम्बन्ध है कमीशन ने गोरखनाथ मठ (गोरखपुर) को देखा और उनकी व्यवस्था से हम प्रभावित हुये । बिहार में बोध गया मठ तथा ऋषिकेश और हरिद्वार में शिवानन्द आश्रम, परमार्थ निकेतन, श्री कृष्ण निवास आश्रम, श्री गिरीशानन्द आश्रम, अयोध्या में मणिराम की छावनी तथा वेदान्ती जी के आश्रमों को देखा जिनमें नियमित रूप से साधुओं की शिक्षा एवं अपने संप्रदाय के सिद्धातों का प्रचार एवं प्रकाशन होता है ।' तो मान्यवर, कमीशन की यह रिपोर्ट कहती है कि जहां पर धर्म और संस्कृति के प्रवचन होते हैं वहां पर प्रचार होता है । अयोध्या में ऐसे मठ और आश्रम हैं जहां पर कि पांच-पांच और आठ-आठ सौ लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं, जहां पर सात-सात संस्कृत की पाठशालायें हैं । देश विदेश के प्रकान्ड विद्वान लोग वहां पर आते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं और आप इसको समाप्त करना चाहते हैं और वह इसलिये कि जो बच्चे वहां से निकलते है वे आपको अच्छे मालूम नहीं होते हैं । उन पर कुठाराघात करने के लिये आपने यह व्यवस्था की है । इस स्थान को कितना उपेक्षित किया जाता है । उत्तर प्रदेश के अन्य धार्मिक स्थानों पर सरकार कितना ध्यान देती है लेकिन अयोध्या में जहां पर कि २५ लाख लोग दर्शन करने के लिये आते हैं,एक भी पैसा व्यय नहीं करती है इसलिये कहना पड़ता है कि आप उसको कब्जे में करने के लिये तैयार हैं । जिस स्थान पर लोग कल्पवास और सरजू में स्नान करने के लिये आते हैं वहां पर हमारे मंत्री जी मौन हो जाते हैं । हम लोगों ने पहले भी मांग की थी कि इस स्थान की साज-सज्जा और रख-रखाव के लिये, घाटों के निर्माण के लिये १० लाख रुपये की स्वीकृति दे । उस बारे में कुछ नहीं सोचा गया । वहां पर एक पुल बनाया गया है जिससे घाटों की दुर्व्यवस्था हो गई है ...

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--
पुल से नुकसान हुआ है ?

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल--
पुल बनाने से वहां पर इतनी गन्दगी हो गई है जिसको यदि सुधार दिया जाय या उसके लिये कोई कैनाल बना ली जाय तो उस स्थान पर चार-चांद लग जायेंगे । १० लाख रुपये की अयोध्या

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की नगरपालिका ने मांग की थी ताकि वहां की साज-सज्जा बढ़ा दी जाय । सुना है ३ लाख रुपये इसके लिये मंजूर हुये हैं । अगर ऐसा किया है तो मैं समझता हूं कि मैं उनका आभारी हूंगा और उनको बधाई दूगा ।

मान्यवर, इस रिपोर्ट के अन्दर आप देखें आपको याद होगा १९६२ के बाद एक यहां पर प्रवर समिति बनाई गई जिसकी अध्यक्षता अलगूराय शास्त्री जी ने की थी । उन्होंने सारे प्रदेश का भ्रमण किया था वह मसूरी, झांसी आदि अन्य स्थानों में भी गये उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस दौरे में ५ लाख रुपया सरकार का व्यय हुआ और एक रिपोर्ट बनी ६२,६३ और ६४ से आज १० वर्ष हो गये लेकिन आज तक इस पर विधेयक नहीं बना ऐसा क्यों है तो इस के पीछे कोई षड़यंत्र है इसलिये शंका पैदा होती है । प्रवर समिति की एक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई और उस पर ५ लाख रुपये खर्च हुए, उस कमीशन की रिपोर्ट में यह लिखा है कि लोक सभा सदस्य श्री प्रकाशवीर शास्त्री, उत्तर प्रदेश लखनऊ के श्री पीताम्बर दास एम० एल०सी० एवं श्री स्वामी करपात्री जी ने अपने साक्षियों में इस सम्बन्धी कानून बनाने का विरोध किया है और देश के अनेकों लोगों तथा कलकत्ता के एक शिष्ट मंडल ने कानून द्वारा सरकारी हस्तक्षेप की आलोचना की है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश के बन मंत्री श्री अलगू राय शास्त्री ने आयोग के पास भेजे गये अपने पत्र में धर्म स्थानों की व्यवस्था के सम्बन्ध में सरकार को अलग रखने का सुझाव दिया है । तो मान्यवर, यह रिपोर्ट है उसके माध्यम से मैं सरकार के सामने यह बात रखना चाहता हूं ।

एक बात और कह कर समाप्त करता हूं इसी रिपोर्ट में आगे कहा गया है "धर्म स्थान की धार्मिक एवं आर्थिक व्यवस्था तथा उससे सम्बन्धित आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का कानून द्वारा हस्तक्षेप सर्वथा वर्जित होना चाहिये।" मान्यवर, एक चीज और कोट करना चाहता हूं आज जिस विधेयक को बनाने की बात है उसे इन बारह चौदह वर्षों से टालते आये हैं और फिर टालना चाहते हैं तो इसके लिये यह कांग्रेस सरकार दोषी है । अगर यह सच्चे दिल से चाहते तो यह बहुत पहले विधेयक आना चाहिये था और सन् ६२ में विधान सभा ने प्रवर समिति बनाई उस पर इतना व्यय हुआ उसके बाद भी नहीं हुआ तो शंका की बात पैदा होती है । मान्यवर, इसी में आगे कहा गया है थोड़े गृहस्थ अधिकारी धार्मिक विषयों में किसी विरक्त मठाधिपति का नियंत्रण करें और मार्ग दर्शन दें यह भारतीय संस्कृति एवं प्राचीन आदर्शों के सर्वथा प्रतिकूल है । मान्यवर, मैं इसलिये कह रहा हूं कि यह विधेयक जब बनेगा तो इसके अन्दर कमिश्नरों और आयुक्तों की दो तीन लोगों की कमेटी बनाई जायेगी । तो यह बात सर्वथा अनुपयुक्त है । अच्छा होता इसमें मठाधिपतियों को इसमें लिया जाता । तो मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी संस्थाओं से मान्यवर, कितनी ही हजारों की संख्या में पाठशालाएं और डिग्री कालेज चल रहे हैं । अय्यर साहब की रिपोर्ट में कहा गया है कि दो तीन डिग्री कालेज इन संस्थाओं से चल रहे हैं । तो आज धार्मिक और सांस्कृतिक मर्यादाओं को देखते हुये इन इंस्टीट्यूशन्स से हजारो लोग पल्लवित हो रहे हैं और शिक्षा का प्रचार हो रहा है । तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये इसको प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, अभी यहां पर चर्चा चली हिन्दू के सम्बन्ध में और धर्म के सम्बन्ध में तो उसमें यहां तक कुछ मित्रों ने कहा कि श्री जय प्रकाश जी जनेऊ उतरवा रहे हैं । तो करोड़ों हिन्दू ऐसे हैं जो जनेऊ धारण करते है और करते रहेगें । लेकिन प्रश्न यह है कि हिन्दू कौन है । हिन्दू की अनेक परिभाषाएं हैं । जो हमारे धर्मशास्त्र या पुराण हैं उनमें मान्यवर, हिन्दू की कोई परिभाषा नहीं है उसमें "आर्य" की परिभाषा है । लेकिन फिर भी जिसमें परिभाषा की गई है उनमें सर्वप्रथम परिभाषा रही है उस पर अनेक शंकराचार्यों ने अपनी व्यवस्था दी है. . .

[श्री पुरुषोत्तम कौशिक]

और जिसे ग्राह्य किया वह यह है । यह परिभाषा नहीं कि कोई चोटी रखता है या नहीं । यों तो बड़े-बड़े चोटी के नेता भी चोटी नहीं रखते हैं । अन्त्येष्ठि कर्म कैसे होता है—मरने पर वह गाड़ा जाता है या जलाया जाता है या बहाया जाता है, तो यह संस्कार तीनों तरीकों से होता है, हमारे यहां कहा गया है क्रमि विड, भष्म् संगितम् । बौद्धों में जलाया जाता है और बौद्ध भी विशाल हिन्दू समाज के अंग हैं । एक तो मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूं कि आपने इसमें जैन को अलग किया है या मिलाया है । हिन्दू सार्वजनिक संस्थाओं के नाम पर जो किया है, उसमें जैन को लिया है या नहीं, क्योंकि उनके पास अथाह सम्पत्ति है । यहां भले ही न हो, लेकिन बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में आप देखें । जैन लोग रोटी बेटी के सम्बन्ध में भी हिन्दुओं के साथ हैं । तो आप जो देखें क्रमि, विड भष्म् संगितम्, पारसी धर्म में मृत आदमी को दही आदि लगाकर टांग दिया जाता है, जहां पर गिद्ध आदि पक्षी उसके शरीर को खा जाते हैं और खाने के बाद उस पर वीट कर देते है तो यह तो विड की स्थिति है । क्रिम की स्थिति जब आती है, जब उसे गाड़ा जाता हैं और धरती के कीड़े आदि उसे खा लेते हैं । भष्म् की स्थिति वह है, जब उसको जला दिया जाता है और जलने के बाद उसके अवशेष शरीर का भष्म् बन जाता है । तो यह तीनों प्रकार की व्यवस्थायें हिन्दू धर्म में वर्तमान हैं ।

एक सदस्य—

माननीय सदस्य विषय से बाहर जा रहे हैं । वह तो हमें उपदेश दे रहे हैं, हम उनका उपदेश सुनने के लिये नहीं आये हैं ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

आपको यह चीज खटक क्यों रही है ? क्योंकि आपके संस्कार ही वैसे नहीं हैं । मैं हिन्दू धर्म की सर्वमान्य परिभाषा रखना चाहता हूं । हिन्दू उसे कहा गया है । पारसियों के धर्मग्रन्थ (अवेस्ता) में अहुरमज्द (असुर महान) कहा गया है । हमारे यहां कहा है—"आसिन्धु सिन्धु पर्यन्तादस्य भारत भूमिका । पितृर्मः पुण्यमूश्चैव, सर्वे हिन्दुरिति स्मृतः । तो ब्रम्हपुत्र से लेकर सिन्धु पर्यन्त तक यह जो लोग हैं,यह हिन्दू हैं और यह सिन्धु शब्द का पर्यायवाची है । 'सदा सिन्धु, शस्य, शब्द अरबी आदि में मिलते हैं ।

परिवहन मंत्री (श्री राज मंगल पाडेय)—

मान्यवर, एक निवेदन यह है कि चूंकि यह विषय से अलग है, यह तो संस्कृत में व्याख्यान दे रहे हैं और इधर इनकी बातों का संस्कृत में कोई जवाब देने वाला नहीं है । एक माननीय स्वामी प्रसाद जी है, इसके बाद आप उन्हीं को मौका दीजियेगा । वहीं संस्कृत में इनका जबाब दे सकेंगे ।

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

श्रीमन्, इसका जवाब तो देवरिया के लोग ही दे सकते हैं ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

यह हुई शब्द हिन्दू की परिभाषा अब आप.....

श्री अध्यक्ष--

यह जो परिभाषा है, उसमें देश में और कहीं भी किसी को कोई शक नहीं है। अब जो हिन्दू हैं उनके बारे में यह आया है, इस पर आप बोलें।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

श्री रामास्वामी अय्यर ने धर्मादा आयोग की रिपोर्ट में अपनी बात को अच्छी तरह से प्रस्तुत किया है।

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये, तो ठीक है, लेकिन आपको अधिकार क्या है कि इनको पूर्ण रूप से ले लें। क्योंकि आपका उद्देश्य तो केवल इनकी संपत्ति के दुरुपयोग को रोकना है न कि स्वयं आप मठाधीश बन जायं।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

श्रीमन्, इसमें २ वर्ष की अवधि बढ़ाने का केवल प्रस्ताव है माननीय सदस्य इस विषय से बाहर जा रहे हैं।

*श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसे एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाए और देश के इस संबंध में जो जानने वाले लोग हैं, जो हिन्दू धर्म और हिन्दू संस्कृति को जानते हैं उनकी राय की जाय। आप को तो फूटी कौड़ी की भी हिन्दू धर्म के संबंध में जानकारी नहीं है।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

माननीय अध्यक्ष, यह बिल केवल इस बात के लिये आया है कि जो पुराना बिल है चूंकि पार्लियामेंट में पब्लिक ट्रस्ट बिल केन्द्रीय सरकार, इस प्रकार की संस्थाओं में जो अपव्यय होता है उसको रोकने के लिये, एक बिल केन्द्रीय बन रहा है इसलिये आप यह बहाना ला रहे हैं कि चूंकि वह अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है हमारे उत्तर प्रदेश का बिल है उसकी अवधि खत्म हो रही है हमको दो साल का समय और दे दिया। दो साल का समय कोई बड़ बात नहीं थी। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री क्या यहां रामकोला की रामायण शुरू करना चाहते हैं।

रामकोला की रामायण में यह था कि जैसे कथा शुरू हुई एक आया, सीता कौन थी, जवाब दे दिया। दूसरा आया, सीता कौन थी? तीसरा आया, सीता कौन थी? जितने मिनिस्टर आते हैं वह पढ़ते नहीं हैं कि क्या इसमें संशोधन करने की मंशा है। जैसे-जैसे मंत्री होते जाते हैं रामकोला की भागवत शुरू करने बैठ जाते हैं, कि दो साल का समय बढ़ा दिया जाय। आपने यह १९६० का बिल है पढ़ने की कोशिश की। इसमें क्या संशोधन होना चाहिये। कभी देखा आपने? आंखों से नहीं देखा होगा। १९६० में बिल आया था, १९६२ की प्रोसीडिंग मैं पढ़कर सुना दूं। श्री महाबीर प्रसाद श्रीवास्तव समाज कल्याण मंत्री थे उनका भाषण हुआ। १९६२ की ६ अप्रैल की प्रोसीडिंग है, पैज ४२७। "जब तक कोई विशेष विधेयक सेंटर से नहीं बनता है तब तक के लिये हम यह चाहते हैं कि संपत्ति का अपव्यय न होने पाये। इससे ज्यादा और कोई बात इसमें नहीं है। इसकी पूर्ति दफा ७ से हो जाती है, अगर वह पारित हो जाता है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री त्रिवेणी सहाय]
तब तक के लिये जब तक कि विधेयक नहीं बनता उसके लिये हमारा पुराना कानून है । जब वह पारित हो जायगा तब हमारी सारी कार्यवाही उसी के अनुसार होने लगगी अभी कोई व्यापक विधेयक बनाने की आवश्यकता नहीं है यह जिस उद्देश्य से बनाया गया है उसकी पूरी पूर्ति उससे हो जायगी । "

यह १९६२ में हमारे महावीर प्रसाद जी श्रीवास्तव ने बात कही थी जो आपने विधेयक के उद्देश्य में लिखा है । १४ साल आंख मूंद कर रखा । १९६० में, १९६२ में, १९६५ में १९६७ में, १९६९ में और फिर पिछले साल यह विधेयक आया था । उसमें यही संशोधन था कि दो साल के लिये अवधि बढ़ा दी जाय । क्या आपने इसकी कोशिश की कि जो बिल आप का बना हुआ है उत्तर प्रदेश में जो लागू है, जैसी कि लोगों की भावना है, कि किसी जाति, पंथ, या धर्म के आधार पर कोई एक्ट नहीं बनना चाहिये कोई विचार करके पब्लिक ट्रस्ट बिल बनाया, उसमें हो सकता है कि सारी धार्मिक संस्थायें हों । लेकिन मेरा कहना है कि माननीय मंत्री ने यह बिल लाने के पहले क्या देखा ? अफसरों ने सामने ला कर रख दिया । उन्होंने कहा कि सरकार जैसा कहे हम तैयार हैं । बलदेव सिंह जी आर्य, सुनिये ।

आपको श्रीमन्, ऐसी दशा है कि अगर इनके अधिकारी कहें गुहार लगा दो तो लगा देते हैं । पुराने बिल में बहुत बड़ा लैकूना है । सेक्शन ६ में क्या है । इसके अध्याय ३ का हैडिंग है "संपत्ति अपव्यय निवारण" । इसमें कमिश्नर्स को पावर्स दे दी हैं कि जिस संस्था के बारे में शिकायत मिले कि उसकी संपत्ति का अपव्यय हो रहा है तो उसका सर्वेक्षण सरकार करायेगी । उसके बाद कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता है । १२०० रुपये वार्षिक जिस संस्था की आमदनी होगी और उसकी संपत्ति के अपव्यय की शिकायत होगी तो सरकार जांच करायेगी । लेकिन आज १२०० रुपये संपत्ति की कीमत क्या है ? पहले संशोधन आया था कि १२०० रुपये की संपत्ति के बजाय ४२०० रुपये की संपत्ति कर दी जाय । अगर आप इस दिशा में संशोधन लायें होते तो ठीक होता । यह तो मामला मंदिरों का है ।

मेरा कहना यह है कि आप जो यह बिल बना रहे हैं और दो साल की अवधि मांगते हैं तो इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है । आपका यह बिल स्टैंड करता है । लेकिन ऐसे कितने ही महन्त हैं जो लाखों की संपत्ति पर अधिकार किये बैठे हैं । महन्ती के बारे में भी नियम है । एक तो यह है कि कोई महन्त शादी नहीं करेगा । यदि कोई महन्त शादी कर लेगा तो उसकी महन्ती समाप्त हो जायेगी । आप बताइये कि इस प्रदेश में कितने महन्त हैं जिन्होंने दूसरे नामों से शादी कर ली है । यदि आप जानना चाहते हों तो मैं आपको उनके नाम भी बता सकता हूं । इसकी संपत्ति को लेने की आपकी हिम्मत नहीं है । अगर आप इस चीज को कर देंगे तो मठाधीश समाप्त हो जायेंगे । लेकिन आप यह नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपकी मंशा तो केवल दो वर्ष की अवधि बढ़ाने की है ।

एक नई बात आपको बता रहा हूं कि महात्मा तुलसीदास जी ने अपनी रामायण अवधी भाषा में लिखी है । अवधी भाषा गोंडा, बहराइच, बस्ती और फैजाबाद में बोली जाती है । इनका जन्म स्थल सरकार ने बांदा जिले में बताया है जब कि इनका जन्म-स्थल गोंडा में है । गोडा में ही सूकर क्षेत्र है । लेकिन सरकार ने आज तक सूकर क्षेत्र के बारे में कुछ भी नहीं किया है । दूसरी बात यह है कि आपने जो यह बिल लाये हैं इसमें हिन्दू के नाम की बड़ी चर्चा हुई है । हिन्दू कोई बुरी चीज नहीं है । आप भी हिन्दू हैं और हम भी हिन्दू हैं । अपने को हिन्दू कहलाने में हर व्यक्ति को अभिमान होना चाहिये । जो व्यक्ति इससे चिढ़ते हैं या भागते हैं वह ठीक नहीं हैं । यदि उत्तर प्रदेश की धार्मिक संस्थाओं की दशा को ठीक करने के लिये बिल लाते हैं तो इससे पहले अपने दिमाग को सही कर लीजिये । इस बिल को आपने कभी देखा भी नहीं होगा । इस बिल में बहुत सी कमियां हैं उनको ठीक करके लाइयेगा । अगर इस बिल की कमियां ठीक कर ली जायेंगी तो हम इसका स्वागत करेंगे ।

हमने अखबारों में पढ़ा कि हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश के धार्मिक संस्थानों का नवीनीकरण करने जा रहे हैं। हमें बड़ी खुशी हुई कि ऐसे लोग भी पैदा हुए हैं जो धार्मिक स्थलों को ठीक करने का विचार कर रहे हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो यह कदम उठाया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। आज आपकी तरफ के बैठे हुए लोगों में से ऐसे भी लोग हैं, यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। इसमें ऐसा नहीं है कि जीवन दिशा अलग-अलग होती है, जिस दिशा से हम प्रेरित होते हैं। हम किसी भी पार्टी में हों, इधर कार्य करने की हमारी इच्छा होती है। ५ लाख रुपये श्री अलगूराय शास्त्री ने प्रदेश भर का दौरा करके खर्च कर दिया और परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि आज कोई लाभप्रद परिणाम नहीं हुआ। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। इससे पहले जब होमियोपैथिक का बिल आया तो माननीय यादव जी ने इस बात के लिए बिल रखा कि बोर्ड बनाया जाय। जब देखो तब बोर्ड के कंस्ट्रक्शन पर ही विचार हुआ है। कभी यह नहीं सोचा गया कि इसमें क्या तरक्की होनी चाहिये। किस तरह से इसका डेवलपमेन्ट होना चाहिये। कौन-कौन सी व्यवस्थायें अच्छी लागू की जा सकती हैं, इस मुद्दे पर कभी विचार नहीं किया गया। पीटे-पिटाये हमेशा वही बिल रख दिये जाते हैं। इस को उत्तर प्रदेश की जनता में प्रसारित किया जाय ताकि इस सम्बन्ध में योग्य और अच्छे विचार मिल सकें और धार्मिक संस्थाओं का सरकारीकरण हो पाये। इस पर भी मार्गदर्शन मिल जाय। इसलिए इसको जनता में प्रसारित करने का मैं समर्थन करता हूं।

(श्री प्रभुनारायण के बुलाये जाने पर)

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कभी समय नहीं दिया जाता है।

*श्री प्रभु नारायण (जिला वाराणसी)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय त्रिवेणी सहाय जी की बातों को सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है। आज उनका भाषण बहुत ही गम्भीर था और उसमें तथ्य बहुत था, मैं उस बहस में जाना नहीं चाहता। उन्होंने यह कहा कि हिन्दू नाम से इधर के पक्ष के लोग जो हैं उचक जाते हैं। लेकिन हमें तकलीफ इस बात से है कि हिन्दू शब्द की परिभाषा के सिलसिले में उनका दल भी एक रूप नहीं है।

श्री त्रिवेणी सहाय--

आपका दल अच्छा है।

श्री प्रभु नारायण--

हमारे माननीय कौशिक जी ने हिन्दू की परिभाषा कर्मकाण्ड और संस्कार तथा और चीज़ों से जोड़ा। मैं माननीय सदस्यों से इतना ही कहना चाहता हूं कि हिन्दू शब्द का व्यापक मतलब है। हमारे ऐसे साथी हैं जो यह समझते हैं कि जो सनातन धर्म को माने वह हिन्दू है। वैदिक धर्म को माने वह ब्राह्मण है और जो मान्यवर. . . .

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, इतने अनुभवी सदस्य और जिन्होंने काफी अध्ययन भी किया अगर वह हिन्दू संस्कृति को ब्राह्मण संस्कृति कहते हैं, तो यह बड़े खेद की बात है ।

बाबा राम नाथ (जिला मैनपुरी)--

अपने को जो हिन्दू कहे वही हिन्दू है ।

श्री प्रभु नारायण--

हमारे जनसंघ के भाइयों ने हिन्दू धर्म को संकुचित कर दिया। वह हिन्दू के नाम से चिढ़ने लगे। वह हिन्दू धर्म की परिभाषा को संकुचित कर रहे हैं । वे लोग उसके साथ जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म को जोड़ने की कोशिश करते हैं ।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मैं बता देना चाहता हूं कि जनसंघ की जो नीति है कि जो सबसे पुरानी संस्कृति है उस संस्कृति को मानने वाला ही हिन्दू है ।

श्री प्रभु नारायण--

मान्यवर,इस मौके पर मैं और कोई बात न कह कर यह कहना चाहता हूं कि जो २ साल की अवधि रखी गयी है वह बहुत ही उचित है। देश में जो प्रमुख हिन्दू स्थल हैं, या जो हिन्दू धर्म के संस्थान हैं और जो धार्मिक स्थल हैं वह बहुत समय से चल रहे हैं लेकिन मैं जानता हूं कि उनकी स्थिति कितनी बुरी और दयनीय हो गयी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि दक्षिण की इस व्यवस्था कानून बनने के बाद वहां के धार्मिक स्थानों की स्थिति बहुत सुधरी है। उसमें पर्याप्त सुधार हुआ है। बड़े-बड़े मन्दिर जैसे रामेश्वरम्, मीनाक्षी आदि में यह व्यवस्था कानून लागू है। हमारे उत्तर प्रदेश में भी इस कानून की आवश्यकता है। काशी जी को ही आप ले लीजिए वहां दो विश्वनाथ मन्दिर बन गये हैं। करपात्री जी ने दूसरे विश्वनाथ मन्दिर की स्थापना की है। अब कुछ चढ़ावा वहां भी चढ़ने लगा है। मान्यवर, उसका बहुत ही अपव्यय हो रहा है । जो चढ़ावा है उसका सदुपयोग हो सके, उसका नुकसान न हो सके, उसकी संपत्ति को नुकसान न हो। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि वे धर्म की कट्टरता को लेकर अपने को बनाने की कोशिश न करें। सदैव उदारता की जीत हुई है, कट्टरता की जीत कभी नहीं हुई है। यह आप कहीं पर भी उठा कर देख लें। इस प्रकार आपको सफलता नहीं मिलेगी।

*श्री राम प्रकाश त्रिपाठी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे पूर्व जो वक्ता महोदय बोल रहे थे उनको सुनकर मुझे एक कहानी याद आ जाती है। एक गांव के किनारे तीन औरतें बैठी थीं और वे आपस में बात कर रही थीं। पहली औरत ने कहा कि हमारे पति बहुत अच्छा बोल लेते हैं, दूसरी ने कहा कि हमारे पति उनसे भी अच्छा बोल लेते हैं और तीसरी औरत ने कहा कि हमारे पति सबसे अच्छा बोल लेते हैं। एक ने इसका कारण पूछा। पहली औरत कहने लगी कि हमारे पति जब बोलने लगते हैं तो कोई घर में समझ नहीं पाता है और दूसरी ने कहा कि हमारे पति जब बोलने लगते हैं तो गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं समझ पाता है. तीसरी औरत कहने लगी कि हमारे पति जब बोलने लगते हैं तो मैं खुद भी नहीं समझ पाती हूं कि वह क्या कहते हैं। तो मान्यवर, यह स्थिति इस विधेयक की बन रही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस विधेयक में २ वर्ष के पीरियड को बढ़ाने की बात है। सरकार ने एक मंशा बनाई है कि हिन्दू धार्मिक संस्थाओं के द्वारा जो अपव्यय हो रहा है, उसको रोकने के लिए हम एक व्यवस्था करेंगे और जैसा कि माननीय त्रिवेणी सहाय जी ने कहा कि १९६२ में पहली बार यह सोचा गया था कि इस प्रकार का एक विधेयक लाया जाय। तब से इसमें बराबर ५ संशोधन हुए लेकिन अब तक व्यापक रूप से इस पर नहीं सोचा गया। मुझे तो ऐसा लगा कि यह केवल डिलेइंग टैक्टिक्स के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता है। माननीय मंत्री जी द्वारा बताया गया कि वित्तीय कठिनाई के कारण वे इसे ऐसा नहीं कर सके। मैं माननीय मंत्री जी से और आपके द्वारा मंत्री जी की सरकार से पूछना चाहता हूं कि उर्दू के गजट को छपवाने के लिए सरकार के पास वित्तीय कठिनाई नहीं थी, और नाना प्रकार के व्यर्थ के खर्चे करने के लिए आपके पास कठिनाई नहीं है, लेकिन इसके लिए न सरकार के पास पैसा है और न समय है। इसमें पांच-पांच संशोधन होते चले जा रहे हैं और अब भी बुरी तरह से अपव्यय हो रहा है। आज आप देखें कि हिन्दू धार्मिक संस्थानों की कितनी बुरी हालत है? सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने कोई ऐसा बिल पारित किया, यह बात कही जा सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश को खास तौर से सोचना होगा। सेन्ट्रल गवर्नमेंट के सामने तो सारे भारत की तस्वीर होती है लेकिन इस प्रदेश की सरकार को हिन्दू धार्मिक केन्द्रों के बारे में विशेष रूप से सोचना होगा और उसका मूल कारण यह है कि यहां पर विशेष धार्मिक केन्द्रों का आकर्षण है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म स्थान अयोध्या और भगवान का जन्म स्थान मथुरा, इसी प्रदेश में हैं। गंगा, यमुना, सूर, तुलसी, रसखान सभी तो इस प्रदेश में हैं। तो यह प्रदेश धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत है।

अभी हमारे माननीय सदस्य दक्षिण के मठों और मन्दिरों की बड़ी तारीफ कर रहे थे। एक दिन माननीय राज्यपाल जी का वक्तव्य भी पढ़ा था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे मन्दिरों की भी वही व्यवस्था होनी चाहिए जो कि दक्षिण के मन्दिरों की है। लेकिन देखा जाता है कि इसी सदन में दो-दो, तीन-तीन वर्ष बाद इस विधेयक का पीरियड बढ़ाया जा रहा है। यदि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय तो एक बार जनता की राय जान लेने के उपरान्त और ठंडे दिमाग से इस पर विचार कर लें जिससे इसमें किसी प्रकार की कमी न रहे। इस विधेयक का यहां के लोगों के सेन्टीमेंट से सम्बन्ध होगा, मनोयोग से सम्बन्ध होगा, आत्मा से सम्बन्ध होगा, इसलिए और भी जरूरी है कि इस पर जनता की राय जानने के बाद सोच विचार करना चाहिये। कुछ उसके कारण भी हैं। यहां पर इस देश में हम यह समझने लगे हैं कि जितने भी साधू सन्यासी हैं, सब बेईमान हैं। विदेशों में विशेष रूप से पश्चिमी देशों में वहां पर बड़े बड़े फिलासफर्स से, बड़े बड़े योगियों से अगर पूछा जाय तो वे अपना संबंध राजाओं महाराजाओं से बताते हैं। कोई हैनरी फोर्थ से अपना संबंध बताता है तो कोई हैनरी फिफ्थ से लेकिन हमारे देश में अगर आप राजा महाराजाओं से भी पूछें तो वे अपना संबंध किसी कोपीन धारण करने वाले से बतायेंगे किसी ऋषि महर्षि जैसे वशिष्ट, बाल्मीकि से बतायेंगे। तमाम के तमाम अपना संबंध ऋषि मुनियों से बताते हैं। तो हमारे देश के लोगों की आत्मा के ऊपर बड़ा कुठाराघात होगा यदि इसे जल्दबाजी में पास कर दिया जाता है। इसलिए मेरा पुनः अनुरोध है कि जनता की राय जानने के लिये इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय।

माननीय प्रभु नारायण सिंह जी ने शब्द 'हिन्दू' के बारे में जो दृष्टिकोण रखा उससे स्पष्ट नहीं हुआ कि उन्होंने विशालता को संकुचित किया है या संकुचित शब्द को बिशाल बनाने का प्रयास किया है। मुझे तो ऐसा लगा कि उन्होंने शब्द जाल फैलाने की कोशिश की। हम लोग जब कहते हैं कि समग्र भारत भूमि पर रहने वाले सभी लोग हिन्दू हैं तो इस परिभाषा को आप संकुचित बताते हैं और केवल ब्राह्मण संस्कृति को कह कर हिन्दू की परिभाषा करना चाहते हैं यह विशालता मेरी समझ में नहीं आती। हिन्दू एक जीवन पद्धति का नाम है, वह

[श्री राम प्रकाश त्रिपाठी]
कोई मजहब नहीं है बल्कि एक जीवन पद्धति है, जीवन के रहने का तरीका है । इसीलिये इकबाल साहब ने भी कहा है कि:—

कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी,
वर्षों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा ।

तो वह "कुछ बात" और कुछ नहीं है बल्कि यही हमारी विशाल हृदयता है । इस विशाल हृदयता को माननीय प्रभुनारायण सिंह समझ नहीं सके। उनकी बुद्धि इतनी संकुचित है कि इस विशालता को समझने की क्षमता उनमें नहीं है । इतनी विशेष व्यवस्था के बारे में जो यह पीरियड मांगा जा रहा है तो पीरियड तो मनवा ही लेंगे, पाशविक बहुमत से पास हो जायगा लेकिन अगर इस दो साल के पीरियड को अंतिम मान कर इस बीच सरकार गम्भीरता से सोच कर कोई ठोस पग इसमें उठाये तो बहुत अच्छा होगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय वेद प्रकाश जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं ।

*श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन विपक्ष का है, खास कर जो जन संघ के हमारे माननीय सदस्य का है कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय, तो अगर कोई विधेयक माननीय मंत्री जी की तरफ से होता तो वह भेजा जाता, लेकिन यह तो केवल अवधि के लिये है कि दो साल के लिये और बढ़ा दिया जाय । माननीय सदस्य ने जो बहस की वह तो हमारे मत के अनुकूल की उनकी बहस थी कि धार्मिक संस्थाओं में अपव्यय नहीं होना चाहिये । कुछ सदस्यों का यह भी कहना था कि जो अपव्यय हो रहा है वह होने दीजिये । तो उनकी पार्टी में ही दो तरह के विचार हैं । सरकार और इस सदन की मंशा है कि हिन्दू धार्मिक संस्थाओं में जो अपव्यय हो रहा है उसको रोकने के लिये दो साल की अवधि बढ़ा दी जाय । उनका संशोधन नियमों के विरुद्ध है लेकिन आपकी उदारतावश बहस कर ली नहीं तो प्रक्रिया नियमावली में जो नियम है उसका अगर आपने सख्ती से पालन किया होता तो अमेंडमेंट पहले ही रूल आउट हो जाना चाहिये था ।

माननीय सदस्य ने जहां तक "हिन्दू" शब्द की चर्चा की है तो वह तमाम लोग जो इस प्रदेश में रहते हैं जब तक कोई यह नहीं कहता कि मैं इसाई हूं या कोई और हूं, हिन्दू हैं । हमारे प्रभुनारायण सिंह जी ने सही कहा कि ब्राह्मणों की संस्कृति है, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं । ब्राह्मणों ने ही इस हिन्दू संस्कृति को खड़ा किया। "क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी" इस लाइन को तब लिखा गया था जब हिन्दुस्तान के लोगों ने देश की आजादी के आन्दोलन में हिस्सा लिया था । हिन्दू सभ्यता की तारीख को जाने बिना हिन्दू सभ्यता को गुमराह करने की माननीय सदस्य कोशिश न करें।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

माननीय प्रभुनारायण सिंह जी ने कहा, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ब्राह्मण शब्द के बारे में बुद्ध भगवान ने क्या कहा है । भगवान गौतम बुद्ध का कथन धम्मपद (पाली भाषा) में है—"सुखम् मत्तैय्यता लोके अथोपेतेय ता सुखम—सुखम सा मंज्य ता लोके तो बम्मन्जता सुखद ।" मातृ सेवा लोक में सुख कर हैं, पितृ सेवा सुख कर है , समता सुखकर है, ब्राह्मणत्व उससे भी सुख कर है ।

*श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, मैं हिन्दू या हिन्दू धर्म की व्याख्या या उसके खूबियों का या उसके कमियों के बारे में चर्चा नही करूंगा, मेरा प्रश्न तो सीमित है । श्री श्री नारायण जी ने जो अननुमोदन का प्रस्ताव रखा है और मेरे जनसंघ के मित्रों ने जो इसे प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा है मैं उससे सहमत नही हूं । जनसंघ दल की तो दो विचार धारायें सामने आयीं । श्री श्री नारायण जी ने कहा कि इससे हिन्दू भावनाओं को बहुत बड़ी ठेस पहुंचती है

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री त्रिवेणी सहाय जी ने जो कुछ कहा उससे हमारे विधेयक को समर्थन मिलता है। हम चाहते हैं कि जो हिन्दू धार्मिक संस्थान हैं, मठ आदि हैं, मंदिर हैं, उनकी व्यवस्था ठीक प्रकार से हो। श्री त्रिवेणी सहाय जी भी यही चाहते हैं, परन्तु आलोचना उन्होंने इस बात से की कि इतना समय क्यों लगा है।

मान्यवर, जैसा मैंने कहा कि १९६८ में भारत सरकार ने एक पब्लिक ट्रस्ट बिल प्रसारित किया था और उस पर राज्य सरकारों की सहमति मांगी थी। वह अधिनियमित नहीं हो पाया है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार द्वारा शीघ्र ही यह अधिनियम बन जायेगा और फिर सारे देश में एक कानून बन जायेगा। लेकिन जब तक वह अधिनियम नहीं बनता तब तक जो हमारा यह अधिनियम है वही चालू रहेगा। इस अधिनियम की केवल अवधि दो वर्ष और बढ़ाने की बात है। उसी के लिये यह विधेयक लाया गया है। जिन खराबियों का माननीय सदस्य ने जिक्र किया है वे सभी जब नया भारत सरकार का कानून आयेगा तो दूर हो जायेंगी। मेरा विश्वास है कि शीघ्र ही इस सम्बन्ध में नया विधेयक आयेगा जिससे माननीय सदस्य की शिकायतें दूर हो जायेंगी। इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक संस्था (संपत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) अध्यादेश, १९७४ का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, १९७४ को जनता की राय जानने के लिये १ माह तक जनता में परिचालित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, १९७४ को सदन की एक प्रवर समिति के सिपुर्द कर दिया जाय, जो अपनी रिपोर्ट १५ दिन के भीतर दे दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, १९७४ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २ और ३ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, १९७४ पारित किया जाय।

खण्ड २,३, खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का), विधेयक, १९७४

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९६२

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, १९६२ की अवधि को और बढ़ाने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) अधिनियम, १९७४ कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १०६२ की धार का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, १९६२ की धारा १ की उपधारा (३) में शब्द "बारह वर्ष" के स्थान पर शब्द "चौदह वर्ष" रख दिये जायं ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २२, १९७४ का निरसन

३—उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) अध्यादेश, १९७४ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, १९७४ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जन-जातियां तथा विमुक्त जातियां ऋण अनुतोष अध्यादेश, १९७४ के अननुमोदन का संकल्प

*श्री श्रीनारायण (उर्फ मुलई भाई) (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष जी, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं:—

"यह सदन उत्तर प्रदेश अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जन-जातियां तथा विमुक्त जातियां ऋण अनुतोष अध्यादेश, १९७४ का अननुमोदन करता है ।

एकरा पहिले सरकार का तरफ से जे अध्यादेश निकलल रहे, ओकरा इस बारे में हम पहिले दो शब्द कहे के चाहत बानी । अध्यक्ष जी, जबई अध्यादेश आईल वोह वक्त में हरिजन लोग जे शिक्षा से बहुत दूर बा लोग, लेकिन जे महाजन लोग हरिजन लोग के कर्जा दे ले बाअ सतावे लागल लोग । वो लोग हरिजन लोग के बोला बोला के पहिले का तारीख में जबरदस्ती निशान लेवे लागल लोग आउर प्रोनोट लोग बनवावे लागल । एह तरह से उ लोग हरिजनन के सतावे लागल । हरिजन लोग के जगह-जगह शोषण आउर दोहन होवे लागल । सरकार जब पहिले अध्यादेश जारी कइलस त खाली हरिजन लोग पर से ही कर्जा खतम करे के बात रहे । उ लोग हर तरह से मजबूर होके महाजन लोग का पास जाये लागल और महाजन लोग पिछला तारीख में दस्तखत करवा के, प्रोनोट बनवा वे वोह लोग के सतावे के शुरू कर देहल । हमार विचार पहिले से रहे कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कर्जा उ सब लोग के माफ होने के चाहीं जेकरा लगे एक एकड़ से कम खेत बाटे। अब सरकार हमार ई बात मान लेहलस। एकरा वजह से अब हम आपन ई संकल्प वापस लेत बानी।

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस लिया गया।)

उत्तर प्रदेश भूमिहीन षि श्रमिक ऋण अनुतोष विधेयक, १९७४†

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

अध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमिहीन कृषि-श्रमिक ऋण अनुतोष विधेयक, १९७४ पर विचार किया जाय।

मान्यवर, मैं इस विधेयक के संबंध में सिर्फ दो निवेदन करना चाहता हूं। सामंत युग के दिन हमारे गरीब, देहात के रहने वाले मजदूरों, जो संगठित नहीं थे, एक बोझ बने हुए थे। इन लोगों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा गया था और इसलिये इस सरकार ने महात्मा जी के जन्म दिन पर, राष्ट्र पिता जी के जन्म दिन पर यह निश्चय किया कि इन लोगों को इन बंधनों से मुक्ति मिले और इसी दृष्टि से इस विधेयक को, इस आर्डिनेंस से भी और आगे बढ़ाया ताकि जो ये इंसान हैं, जो हमारा खेत जोतते हैं, सख्त मेहनत करते हैं, समाज के जो काम करने वाले लोग हैं उनको इस समाज में इस तरह के ऋण से मुक्ति मिले जो १०-१५ २०—५० रुपयों के हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं।

कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि ऋण तो आपने म फ कर दिया लेकिन नया ऋण देने की क्या व्यवस्था की है, इनका काम कैस चलेगा। मान्यवर, हमारी तरफ के और उस तरफ के माननीय सदस्यों के म में जरूर यह विचार आ रहा होगा कि अब उनके बेटे-बेटियों के ब्याह पर कौन रुपया देगा। मकान जब गिरेगा तो कौन रुपया देगा, बीमार पड़ेंगे तो कौन रुपया देगा। इसके लिये मा यवर हमारी सरकार ने संकल्प किया है, हमने जो निश्चय किया है उसमें समय तो अवश्य थोड़ा सा लगेगा। इन जंजीरों को तोड़ने का काम शुरू करने में समय तो अवश्य लगेगा पर इस नयी व्यवस्था को जन्म देने का निश्चय हमने किया।

(मेजों की थपथपाहट)

आशा है कि इधर और उधर के सभी माननीय सदस्य इसमें सहायता देंगे। हमारा संकल्प है, जो हमारे ऐसे व्यक्ति हैं, जो इस परिधि में आते हैं उनको सहकारी समितियों द्वारा ऋण दिलाने की व्यवस्था की जाय और इस तरह की संस्थायें बनायीं जायं। इन सस्थाओं के दोषों से भी आप अच्छी तरह अवगत होंगे। मेरे साथी जो इनसे संबंधित हैं मुझे माफ करेंगे। मैं कोई उपेक्षा की दृष्टि से ऐसा नहीं कह रहा हूं। अभी तक सहकारिता उन लोगों के हाथ में है जो संपत्ति वान हैं। संपत्ति को संपत्ति हीनों तक पहुंचाया जाय इसलिये हमने र्णय लिया कि क्रेडि कोआपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा इ को खेतों के लिये या जी आव यकता के लिये ऋण दिलाया जाय। इस संबंध में रिजर्व बैंक आफ इंडिया और अन्य संस्थाओं से हमारा परामर्श चल रहा है और हमा र आशा है कि इसका सच्चा स्वरूप, पूरा स्वरूप हम प्रदेश के सामने रख सकेंगे।

मान वर, पुराने बंधनों को तोड़ने में तकलीफ तो होती ही है और नयी सीरीज की रचना करने में नया जन्म देने में पीड़ा अवश्य होती है, लेकि ल इसको ठीक किया जा सकता है। इन कठिनाइयों में जिनमें हमारे गांवों के लोग पड़े हैं, गरीब लोग पड़े हैं, उनको इन कठिनाइयों से निकालने का उत्तरदायित्व हमारा है। इन गरीब लोगों को इन कठिनाइयों से निकालने के लिये हम कोशिश करेंगे। हमने प्रशासन को सतर्क किया है और सारे जिलाधीशों को लिखा गया है कि अपने-अपने तहसीलों और रेवेन्यू स्टाफ के ब्लाकों के जरिये गांव के लोगों में इस संबंध में चर्चा कर दें इस संबंध मे सारे ग्राम प्रधानों को पत्र लिखकर इसके कारण

†दिसम्बर क कार्यवाही में छपा है।

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

देते हुए और रेडियो पर इसकी चर्चा की थी ताकि ग्रामीण जनता समझ सके कि किस लिये हमने इस काम को किया है। गांव की जनता जिसके बद पर कपड़ा ठीक से नहीं है और उसकी मेहनत से हम चावल, गेहूं और चीनी दूसरे देशों को भेजते हैं और प्रदेश को लाभ होता है। इसलिये वे इस नये विधेयक से लाभान्वित हों। अतः इस विधेयक पर विचार के लिये माननीय सदन के सम्मुख इसको प्रस्तुत कर रहे हैं।

*श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमिहीन कृषि श्रमिक ऋण अनुतोष विधेयक, १९७४ राय जानने के लिए एक माह तक जनता में परिचालित किया जाय। मान्यवर, बहुत दिनों के बाद हमारे मुख्य मंत्री जी और उनकी सरकार ने गरीब जनता के हृदय को छूने का जो काम किया है उसके लिये मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं। लेकिन इसके पीछे जो भावना आपकी है वह भावना केवल सस्ती लोक प्रथा की बनी है और वही भावना काम कर रही है। मान्यवर, बहुत सी समाज की व्यवस्था के अन्दर ऐसी बातें हैं जो कानून के द्वारा पालन नहीं हो सकती है। मैं बताना चाहता हूं कि गांव के जो कानून बने हैं कि भूमिहीन कृषकों को इतनी मजदूरी मिलनी चाहिये लेकिन उस आधार पर उनको मजदूरी नहीं मिलती है। आपने कानून बनाया है हिन्दू कोड बिल लेकिन उसका समाज म पालन नहीं हो रहा है। इसलिये समाज में कानून के द्वारा नहीं प्रथा के द्वारा नियमों का परिचालन किया जाय।

शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)--

मान्यवर, माननीय सदस्य क्या यह चाहते हैं कि गरीबों का कर्जा न मांफ किया जाय ?

श्री बाबू लाल वर्मा--

हम भी चाहते हैं कि माफ किया जाय। मान्यवर, १९५३ में सत्याग्रह में जम्मू कश्मीर की जेल में गया था। तो वहां के डाक्टर जो थे वह जो भी बीमार होता था चाहे उसको पेट में दर्द हो, कान में दर्द हो या और कोई मर्ज हो सभी में मिक्सचर नं० १० देते थे। इसी प्रकार अनेक विधेयक लाकर हमारे बहुगुणा जी हर मर्ज के लिये मिक्सचर नं० १० देना चाहते हैं आपने कहा कि गांव के अन्दर जो गरीब किसान हैं जो कि महाजनों से दबे हैं या जो गांव में कर्जा देते थे जैसे कि शादी में मरने में या खाने में। तो एक बार कर्जा देने पर किसान को वह अपने चंगुल में फंसा लेते थे और वह फंस जाता था। परिवार में एक आदमी कमाने वाला है और १० खाने वाले हैं तो उसके परिवार में लोग भूखों मरते हैं और दूसरे लोग उसकी मेहनत से लाभ उठाते हैं।

हम इसके पक्षपाती हैं। हम यह नहीं चाहते हैं कि शोषण हो। इसका उद्देश्य बहुत अच्छा है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपने एक एकड़ वाले का कर्ज माफ कर दिया लेकिन भूमिहीन की परिभाषा क्या है। क्षेत्र समिति और गांव सभा के मैनुअल में यह नियम है कि ३ १/२ एकड़ वाले तक को भूमिहीन माना जावेगा। तो वह भी भूमिहीन है जिसके पास ३ १/२ एकड़ तक भूमि है। उसका कर्ज आपने क्यों नहीं माफ किया ? दूसरी बात आपने की कि इन लोगों को कर्ज मिलने की कोई व्यवस्था नहीं की। मैं गांव में गया हूं और जनता की राय जानने की कोशिश की है। जनता के अन्दर जो इसके प्रति भावना है उसको मैं बतलाना चाहता हूं। बहराइच में एक मोची मर गया। सारे दिन लाश पड़ी रही। कफन के लिये कहीं से उधार पैसा नहीं मिला। आखिर में चन्दा किया गया। तो आपने कर्ज मिलने का रास्ता तो बन्द कर दिया लेकिन कर्ज दिलाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। अब भूमिहीन किसान को कर्ज कैसे मिलेगा। गांव में सहकारी समिति में ऐसे भूमिहीन व्यक्ति हैं जिनके नाम पर खाद, बीज लिया गया है और अब उनको इस कारण जेल में बन्द किया जा रहा है। गरीब किसानों को झूठे अंगूठे लगाकर कर्ज दिया गया है तो वह कहां से देवें। आपने कहा है कि जो महाजन कर्ज देता है वह ब्याज अधिक लेता है। लेकिन आपने क्या दर रक्खी है। १२ प्रतिशत आप ब्याज लेते हैं। भूमिहीन यदि दवाई के लिये कर्ज लेता है तो वह कहां से देगा। पहले आप

जितने भूमिहीन हैं उनको जमीन की व्यवस्था कर दें । जमीन का वैज्ञानिक ढंग से विकास करायें जिससे किसान उसमें पैदा करके कर्ज अदा कर सके । वह आपने नहीं किया । आपको चाहिये कि उसको बिना ब्याज ऋण दें ताकि किसान अपनी जमीन से खूब पैदा कर सके । ५,१० साल तक उससे कर्ज न मांगें और बाद में बिना ब्याज के वसूलयाबी करें । लेकिन जो कुछ आपने किया है वह तो स्टेन्ट है । श्रेय आप लूटना चाहते हैं लेकिन भूमिहीन को कर्ज देने की व्यवस्था नहीं की गई है ।

दूसरी बात, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं । एक ओर आपने कर्ज माफ कर दिया और दूसरी ओर आपने उन भूमिहीन किसानों पर, जिनको एक-दो एकड़ जमीन मिली थी, उन पर भी लगान लगा दिया । मुजफ्फरनगर में कांग्रेस सम्मेलन में बहुगुणा जी ने प्रस्ताव रखा था कि सवा-छ एकड़ तक, जो अलाभकर जोत है, लगान माफ कर दिया जाय लेकिन आपने लगान फिर लगा दिया । तो भूमिहीन किसानों पर लगान लगा रहे हैं और जो कर्ज देते हैं, उस पर ब्याज लेते है । कर्ज भी इसलिये दे रहे हैं कि सरकार के कर्ज से छुटकारा न पावे । इसलिये मेरा निवेदन है कि सवा-तीन एकड़ तक जो किसान हैं, उनको भी सारे साधन जुटावें और कर्ज माफ करें । उनसे ब्याज न लें ताकि वे खेती में विकास कर सकें । लेकिन यह कर नहीं पाये । जब अभी तक किसानों की मदद आप नहीं कर पाये तो आगे क्या कर पावेंगे । आप कब तक शासन में रहेंगे, इसका भी भरोसा नहीं । इसलिये कहना पड़ता है कि जो व्यवस्था है, इतना तो ठीक है, लेकिन जो कमियां रह गयी हैं, उनको अगर जानना चाहते हैं, तो इसको जनता की राय जानने के लिये जनता में भेजिये । गांव के रहने वाले को कुछ खास चीजों की जरूरत होती है । आपने एक बार सहकारी समितियों से कर्ज दे दिया । उससे उसका साल भर काम नहीं चल सकता । उसको रोजमर्रा की चीजों के लिये (जैसे मिट्टी का तेल, खाना, कपड़ा) पैसे की जरूरत पड़ती है । उसके लिये कोई व्यवस्था नहीं । परेशानी अलग से पैदा कर दिया । गरीब, नंगे और भूखे किसान का रास्ता बन्द कर दिया और व्यवस्था की नहीं । इसलिये जनता की राय जानिये । जो कर्ज देते थे, वे भी नाराज हैं और जिनको कर्ज से माफी मिली है, वे भी नाराज हैं, इसलिये कि उनके लिये कोई व्यवस्था की नहीं । इसलिये जनता की राय जानिये कि जिस फायदे के लिये किया है, उसको वे मानते हैं कि नहीं । पहले लोग २,४ रोज की मजदूरी पहले दे देते थे, लेकिन अब जब दिन भर काम करेगा, तो शाम को मजदूरी देंगे । इसलिये मेरा निवेदन है कि पहले इस संबंध में जनता की राय जानिये, उनको व्यवस्था करिये ।

श्री आशा राम यादव (जिला मिर्जापुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमिहीन कृषि-श्रमिक ऋण अनुतोष विधेयक, १९७४ को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपनी रिपोर्ट एक माह के अन्दर प्रस्तुत कर दें ।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं लेकिन कुछ संशोधनों के साथ मान्यवर, हमारी सरकार जैसे हर विधेयक लाती है तो उसमें कुछ न कुछ राज रहता है । इस विधेयक को लाने में भी सरकार की मन्सा सफा नहीं है । मान्यवर, आगे पार्लियामेंट का चुनाव आने वाला है । पार्लियामेंट के चुनाव को ध्यान में रखकर ही सरकार इस विधेयक को लायी है । मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सरकार कृषि श्रमिकों के लिये एक प्रोपोगन्डामात्र कर रही है लेकिन वे पुनः के पुनः कर्जदार बने ही रह जायेंगे मैं अभी रास्ते में आ रहा था । एक ही ट्रेन में बैठे एक साहूकार ने कहा कि सरकार यह कानून बना रही है । उससे कोई फर्क नहीं पड़ता । कर्ज तो हमें देना होता है और कर्ज उस मजदूर को लेना है । जिस तारीख से विधेयक लाया गया वह कर्ज मुक्त कर दिया गया लेकिन आगे जब वह कर्ज लेने आयेगा तो उस कर्ज में वह पहले वाले मुक्त किये हुए कर्ज को जोड़

[श्री आशा राम यादव]

देंगे । सरकार ने कर्ज मुक्त करने से पहले आगे के लिये कर्ज दिलाने की कोई व्यवस्था बैंकों से अथवा सहकारी समितियों से नहीं की है । इस तरह से साहूकार उस श्रमिक से पिछला कर्ज भी वसूल कर लेगा क्योंकि सरकार किस तरह से अनुतोपादक कर्ज वह पुनः पा सकेगा इसके लिये व्यवस्था नहीं करने जा रही है । यह केवल आगे वाले चुनाव के लिए स्टंट मात्र है ।

दूसरी कमी इस विधेयक में यह है कि कृषि श्रमिकों को यह चीज दी जा रही है लेकिन साथ साथ गांव में धोबी, लोहार, नाऊ वगैरह भी रहते हैं जिनकी आमदनी बहुत मामूली है, उनका जीवन स्तर बहुत गिरा हुआ है । वे भी कर्जदार हैं । अभी मिर्जापुर के प्राइमरी स्कूल में मैं पहुंचा । वहां पर हेडमास्टर ने पी०टी० कराने का सरकारी आदेश दिया था उसमें ७ लड़के खड़े हुये थे आधे घंटे के बाद सभी गिर गये क्योंकि उनमें ताकत नहीं थी । अध्यापक ने बुला कर उनसे पूछा कि रोटी के साथ कितने लड़कों को दाल मिलती है तो पूरे विद्यालय में तीन लड़के ऐसे थे जिनको रोटी के साथ दाल मिलती थी और बाकी को सूखी रोटी मिलती थी । लिहाजा कृषि मजदूरों के साथ धोबी, लोहार तथा नाऊ आदि लोगों को भी कर्ज से छूट की सुविधा मिलनी चाहिये थी ।

इसी तरह से शहरों में रिक्शा चालक है । कुछ मजदूर भी हैं जो देहात से मजदूरी करने आते है । चार रुपये की मजदूरी मिल गयी तो मिल गयी वर्ना वापस बेकार लौट जाते है । वे भी कर्जदार रहते हैं । शहरों में साहूकार गुंडों को रख कर रिक्शेवालों को रुपया ब्याज पर देते हैं और एक सीमा के अन्दर वह अगर रुपया नहीं पाते हैं तो वह रकम दूनी वसूल की जाती है । ज्यादातर रिक्शेवाले उन रकम जो मियाद के अन्दर वापस नहीं कर पाते हैं और ये गुंडे उनसे जबरदस्ती व मार पीट कर, उनकी औरतों के साथ व्यभिचार करके रुपया वसूल करते हैं। इस विधेयक के अन्तर्गत उनको भी सुविधा मिलनी चाहिये थी । लेकिन इस सरकार ने केवल श्रमिक मजदूर को ही यह सुविधा दी है । फिर यह श्रमिक मजदूर केवल साहूकार के कर्ज से मुक्ति पा सका है । जो कर्ज उसने सरकारी बैंक तथा सहकारी समिति से लिया है उससे उसे मुक्ति क्यों नहीं दी गयी है ? फिर देहातों में पैसे वाले लोग इन मजदूरों तथा श्रमिकों के नाम से सहकारी समितियों से कर्ज लिये हुए हैं, खाद लिये हुए हैं और वही इससे फायदा उठाते है । जो श्रमिक खाद के रूप में सरकारी पैसा लिये हुए हैं उस पर भी उनको छूट मिलनी चाहिये थी । मेरा निवेदन है कि कर्ज से अगर इन श्रमिकों मजदूरों का छुटकारा दिलाना है तो फिर अनुतोपादक तथा उत्पादक दोनों कर्ज दिलाने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये जो कर्ज कि ब्याज मुक्त हो । अगर उसकी व्यवस्था नहीं होगी तो आपका कानून धरा का धरा रह जायेगा और मजदूरों पर कर्ज ज्यों का त्यों बना रहेगा । इन बातों के साथ मैं सरकार से चाहता हूं कि ऋण की व्यवस्था सरकार करे और जो लोग छूट गये हैं वे भी इसके अन्दर आ जाने चाहिये । इसलिये इन शब्दों के साथ मैं यह चाहता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो एक महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे और तब यह बिल पास किया जाय ।

श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी (जिला मुरादाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से जो विधेयक माननीय मंत्री जी ने पेश किया है, में संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमिहीन कृषि श्रमिक ऋण अनुतोष विधेयक, १९७४ को सदन की एक संयुक्त प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जो कि अपनी रिपोर्ट १५ दिन में दे दें। मान्यवर, यह संशोधन मैंने इसलिये प्रस्तुत किया है क्यों कि मैं यह समझता हूं कि सरकार ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसके पीछे भावना अच्छी है लेकिन यदि हम वास्तव में देखें तो जिन लोगों के लिये यह प्रस्तुत किया है उनको इससे कोई फायदा नहीं पहुंचेगा । बल्कि वे आज और मुसीबतों में फंस गये हैं । सरकार ने यह विचार नहीं किया कि जिन लोगों को घर पर बैठे ऋण मिल जाता है, और अपनी जरूरतों को पूरा कर लेते हैं उनके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लिये कर्ज की क्या व्यवस्था होगी । जो लोग इनको इक्सप्लायट करते थे उनके लिये तो आप अवश्य कानून बनायें लेकिन जो गरीब मजदूर है वह अपने रोजगार के लिये या गाय भैंस खरीदने के लिए या अपने परिवार का काम चलाने के लिये कर्ज लेता है वह कहां से कर्जा लेगा । उसके लिये आपने क्या व्यवस्था की है । कोई जरूरत उसे पड़ती है, बीमारी आदि में उसे रुपया मिल जाता था, वह व्यवस्था भी आपने उससे इस विधेयक के द्वारा छीन ली ।

इस विधेयक के लाने से आपकी उनके प्रति कोई हमदर्दी नहीं है बल्कि इसके पीछे राजनीतिक भावना छिपी है । कोई मजदूर किसी के दरवाजे पर क्यों जाय यदि उसे इन सारी चीजों की व्यवस्था हो जाय । जब उसकी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं, तभी वह जाता है। आपने इस विधेयक को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस से लागू किया है । महात्मा गांधी यह नहीं कहते थे कि आप उसकी सहायता कर्ज की व्यवस्था करके करें बल्कि वास्तविक हमदर्दी यह है कि उस आदमी को अपने पैरों पर खड़े होने की व्यवस्था करा दें । जिससे वह अपने परिवार की रोजी-रोटी कर सकें । किन्तु सरकार ने यह नहीं किया है बल्कि वह व्यवस्था उनसे छीन ली है।

कानून से गरीब मजदूर की मुसीबतें हल नहीं होंगी । सरकारी कर्मचारी जो हैं और फोर्थ-क्लास इम्प्लायी जो उनको मिलते हैं वे उनके घरों पर काम करते हैं । जो सरकारी वाहन उन्हें मिले होते हैं उनका दुरुपयोग किया जाता है । चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो सभी में यही हालत है । जब आप इन सरकारी मुलाजिमों को इसका दुरुपयोग करने से नहीं रोक सकते हैं तो इन महाजनों को कैसे रोक पायेंगे । ये सारी बातें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं तो मैंने तो आपको बताया कि उन लोगों से घरों पर काम कराते है उसकी कोई लिखा-पढ़ी नहीं होती है । लखनऊ शहर में ऐसे सरकारी वाहन हैं जिनका उपयोग आफिसर करते हैं अपने घरों के काम के लिए और आप उनको रोकते नहीं हैं, पता नहीं क्यों । मैं इस बिल की भावना से सहमत हूं मेरी ऐसे लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है जो लोगों का एक्सप्लायटेशन करते है । परन्तु अगर आपको वास्तव में पीड़ित लोगों के लिये हमदर्दी है तो उसके लिये आप उचित व्यवस्था उन लोगों की जरूरत के वक्त मदद करें । आप फर्जी उद्योगों के नाम पर करोड़ों रुपया लोगों को निकाल कर दे रहे हैं। आपने इस बात को माना है कुछ लोग फर्जी रुपया निकाल लेते हैं और भी इसी प्रकार की नाना प्रकार की फेसिलिटी उनको देते हैं, जो लोग समर्थ हैं उनको आप पैसा देते हैं और वह लोगों को एक्सप्लाइट करते हैं । लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके लिए कोई आल्टरनेटिव नहीं दे रहे हैं इस तरह से उनको बीच में छीन रहे हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं यह इसी प्रकार है जैसे एक टाईफाइड के मरीज के साथ हमदर्दी करना और उसको पौष्टिक आहार देना जिसको वह हजम नहीं कर सकता है उससे उसको नुकसान ही होगा । तो इसके लिये आपको आल्टरनेटिव एरेजमेंट भी करना चाहिये । इसलिये इस आल्टरनेटिव सुझाव के लिए इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और जिस पर वह विचार करे और जो उसके विचार हो उसके बाद इस बिल को लाया जाय और जो कमी इसमें है उनको पूरा करने के बाद इसको यहां रखा जाय। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अपील करूंगा कि मेरे संशोधन को स्वीकार किया जाय।

*श्री देव कुमार यादव (जिला बांदा)---

मान्यवर, मैं पूरे अभिनन्दन के साथ इसका समर्थन करता हूं और माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को आज ही पास किया जाय। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह बात बिलकुल सही कही कि पहली बार इस देश में उत्तर प्रदेश सरकार ने शोषण का अन्त करने के लिये यह कदम उठाया है जो अभिनन्दनीय है। उत्तर प्रदेश

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवकुमार यादव]

ही नहीं बल्कि सारे देश में हमने पहलकदमी की है हम इस कार्य के लिए तहे दिल से स्वागत करते हैं। इस बिल से सारे देश के अन्दर एक अच्छा वातावरण बना है और सारे देश के अन्दर एक सही भावना जनता में जागी है । इस मांग को लेकर बिहार एवं अन्य प्रांतों में भी इस बात की मांग हुई है कि वहां पर भी इसको चालू किया जाय। मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि इस आदर्श बिल को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाय इसके लिये समस्यायें है । इस कानून के पास होने के बाद देहात का अनुभव है कि शोषक वर्ग ने जब अचानक यह पास हुआ तो उन्होंने जनता का तरह-तरह से शोषण करना शुरू कर दिया। मैं खुद जानता हूं मेरी जातीय जानकारी है कि मेरे क्षेत्र के अन्दर एक शोषक वर्ग के आदमी ने पुलिस की मदद से थाने में आदमी को बुलाया और पुलिस के दरोगा की मदद से जबरदस्ती स्टाम्प पर दस्तखत कराये नाजायज कर्ज को जायज करने की कोशिश की । यह सारी घटनायें आज प्रदेश के अन्य भागों में भी घट रही हैं । तो श्रीमन् मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं तुरन्त इसके इम्पलीमेन्टेशन के लिये कारगर योजना बनायें और जो कर्जदार हैं उनको राहत मिल सके और ऐसे लोग इसका वायोलेशन न कर सके और पुलिस को इस बात के आदेश दिये जाने चाहिये कि जो इस प्रकार की रिपोर्ट आयें उसमें लोगों को तुरन्त गिरफ्तार किया जाय और कानून के हवाले उनको किया जाय।

जहां तक कर्ज देने की व्यवस्था का सवाल है मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि ऐसे शोषित लोगों को और भूमिहीनों को कर्ज देने के लिये सहकारी समिति की योजना बनायें । आज तक सहकारी समितियां ऐसा करती हैं कि बगैर जमानत कर्जा नहीं देती हैं तो इससे भूमिहीनों को कर्ज नहीं मिल पाता। मैं सहकारिता मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिये सही प्रबन्ध किया जाय और उनसे जमानत न ली जाय तभी इस बिल की भावना को लागू किया जा सकता है और इन शोषण और उत्पीड़न से परेशान लोगों को राहत दी जा सकती है। इन शब्दों के साथ मैं पुनः इस बिल का समर्थन करता हूं और निवेदन है कि इसका इम्पलीमेंट प्रभावकारी ढंग से कराने के लिये आवश्यक कदम उठाये जायें ।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)--

माननीय अध्यक्ष जी, जो विधेयक माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । इस विधेयक को लाने के लिय मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं । यदि इस विधेयक का कार्यान्वियन ठीक ढंग से हुआ, तो इसका लाभ, जो जमींदारी कानून पास हुआ था उससे बहुसंख्यक जनता को लाभ मिला था, अब उस कानून के बाद इस कानून का बहुत ज्यादा असर जनता पर पड़ेगा और बहुत ज्यादा उसे लाभ मिलेगा। कुछ लोगों ने कहा कि यह राजनैतिक स्टेन्ट किया गया है । इससे स्पष्ट है कि इतना तो वह भी मानते हैं कि सरकार ने कुछ अच्छा काम किया है । इससे हरिजनों तथा मजदूरों का विशेष हित हुआ है । मान्यवर, इस कानून के द्वारा देश की बहुसंख्यक जनता को एक बहुत बड़ी दासता से मुक्ति मिली है, उन्हें राहत मिली है। जो बहुत दिनों से गुलाम रहे हैं, खेतिहर मजदूरों ने राहत की सांस ली है। जो १०,२० रुपये का कर्ज लेता है, वह बढ़ते-बढ़ते बढ़ता चला जाता है, एक आदमी कर्ज लेता है, उसको उसके लड़के और पोते चुकाते रहते हैं, लेकिन वह अदा नहीं होने पाता है । गरीब कर्जदार का कर्ज दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता रहता है । इस प्रकार यह सदा से एक तरह के गुलाम रहे हैं ।

मुझे बताया गया है कि बांदा जिले में कर्ज देने की कुछ विशेष घटनायें होती हैं । एक बेचारा मजदूर था, वह कर्ज चाहता था, उसने एक शोषक जमींदार से जाकर कहा कि बाबू जी मुझे ५०० रु० कर्ज चाहिये। किन्तु उसने बाद में कर्ज नहीं लिया, क्योंकि उससे बाद में लोगों ने बताया कि वह व्यक्ति बहुत ही जालिम है, उसके पंजो से कभी छूट नहीं पाओगे । कर्ज न लेने के साल भर के बाद, उस भूतपूर्व जमींदार ने उसको बुलाकर कहा कि अरे फलांने तुमने फला समय कहा था कि मुझे ५०० रुपये कर्ज चाहिये । मैंने वह रुपया तुम्हारे लिये तुम्हारे नाम निकाल

कर डाल दिया था। सो तुम उसका मूलधन नहीं तो ब्याज तो अदा कर दो, उसका सूद तो हर साल दे दिया करो। इस तरह से शोषक जमींदार रुपया भी नहीं देते हैं, फिर भी ब्याज उसका वसूला करते हैं। इस विधेयक के द्वारा मजदूर और हरिजनों का बहुत बड़ा कल्याण किया गया है इसका कार्यान्वियन यदि सही तरीके से हुआ तो २५ करोड़ रुपये का लाभ इस प्रदेश के किसानों को होने वाला है।

एक सबसे अच्छी चीज जो सरकार ने की है वह अदालतों से मुक्ति है, जो उसने किसानों को दिलाई है। उनको परेशान करने के लिये झूठे मुकदमें अदालतों में दायर किये जाते थे, और पैरवी ठीक से न होने के कारण उनके विरुद्ध डिग्री आदि हो जाया करती थी। इसी कारण से मान्यवर, आप देखेंगे चाहे हमारा देश हो या प्रदेश, दिनों दिन छोटे किसानों की संख्या कम होती जा रही है और बड़े किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके पीछे बात यह रहती है कि किसी को थोड़ा सा कर्ज दिया और बदले में उसकी पूरी जमीन ले ली। मान्यवर, दो चीजें अवश्य सरकार से निवेदन करूंगा। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोआपरेटिव द्वारा उन्हें कर्ज देने की व्यवस्था की जा रही है। इस कोआपरेटिव का अनुभव हमें और किसानों को बड़ा ही कटु रहा है। मैं चाहता यह हूं कि कोआपरेटिव के बदले जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनके द्वारा उनको कर्ज दिलवाने की व्यवस्था करें तो बड़ा अच्छा होगा। माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि गरीब किसान या हरिजनों का कर्ज माफ करने के लिये जो उन्होंने महाजनों से कर्ज लिया उसके लिये तो उन्होंने कदम उठाया लेकिन सरकार को चाहिये कि बहुत से कोआपरेटिव के लोगों ने किसानों का कर्जा फर्जी दर्ज कर लिया है, कहीं-कहीं छोटे कर्मचारियों ने, लेखपालो ने तकाबी फर्जी लिख दी है। सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिये कि जो इस तरह की तकाबियां हैं, जो छोटे किसानों और हरिजनों पर लगा दी गयी हैं उनको भी सरकार को माफ करना चाहिये। यह खुशी की बात है। हमारे एक साथी ने कहा कि सारा देश इससे आकर्षित हुआ है। अभी जो नरौरा में उच्च नेताओं की कान्फ्रेंस हुई उसमें १३ सूत्री जो कार्यक्रम है। उसमें एक कार्यक्रम यह भी है कि हरिजनों और गरीबों को किस तरह से ऋण की व्यवस्था की जाय। मैं समझता हूं कि यह थोड़े समय ही पहले आर्डिनेंस लागू हुआ था। हमारे प्रदेश की तरफ से हमारे माननीय मुख्य मंत्री की तरफ से यह प्रस्ताव रखा गया होगा जो केवल हमारे प्रदेश में ही नहीं सारे देश के जो नेता हैं उस पर विचार कर रहे हैं। और इस पर सरकार को विचार करना चाहिये।

मैं सरकार को एक बात के लिये और बधाई देना चाहता हूं जिस समय आर्डिनेंस लागू हुआ उस समय किसानों ने इन लोगों को कर्ज देना बन्द कर दिया। मैंने उसी समय माननीय मुख्य मंत्री को एक पत्र भी लिखा था।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस सवाल पर कई लोग बोलना चाहते हैं। कम से कम एक समय बांध दीजिये।

श्री माता प्रसाद--

मान्यवर, खुशी की बात है उसी समय गवर्नमेंट ने आर्डर कर दिया था कि एकएकड़ से कम के किसान जो हैं, जो हरिजन हैं, उनको बीज आलू यह सब, चूंकि बोने का सीजन था दिये गये। यद्यपि कुछ कठिनाइयां हुईं। मैं सरकार से चाहूंगा कि अगर उनके लिये ऋण की कोई व्यवस्था नहीं की गयी तो उनकी कठिनाइयां बढ़ जायेंगी।

एक बात और कह कर अपनी बात खत्म करूंगा। सरकार को चाहिये कि जो इस तरह से छोटे किसान, मजदूर और हरिजन हैं, उनके लिये कोई जामिनदार नहीं होना चाहिये।

[श्री माता प्रसाद]

बल्कि अपनी जिम्मेदारी पर उनको कर्ज दिया जाना चाहिये । ऐसी बात होती तो सरकार उनकी स्वयं जिम्मेदारी ले और जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनसे उनको कर्ज दिलाने की व्यवस्था करें । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

*बाबा रामनाथ (जिला मैनपुरी)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । साथ ही साथ हीगेल के शब्दों में कहता हूं कि ये गैंग्रीन कैन नाट बी क्योर्ड वार्य लैवेंडर वाटर । इसके अलावा मैं साफ तरीके से कहना चाहता हूं कि आज से २५ साल पहले इस हुकूमत ने जो दावा किया था। जो संविधान के आर्टिकिल ४६ में दिया है उस पर यह लैवेंडर वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं । मैं वह निदेश तत्व आपके सामने पढ़ना चाहता हूं ।

"The State shall promote with special care the educational and economic interest of the weake sections of the people and, in particular of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from soocial injustice and all fo.ms of exploitation".

अब सवाल यह आता है कि आर्थिक दृष्टिकोण से जो वर्ग पिछड़ा है उनको क्या मिला, २७ साल के बाद भी ? ग्राम समाज की ९२ लाख एकड़ जमीन थी उसमें हरिजनों को कितनी मिली । यह माननीय मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे । इसके अलावा २७० फार्म बने हैं । मंगलदेव विशारद कमेटी की रिपोर्ट है । उसमें लिखा है कि ५० एकड़ से लेकर चार हजार एकड़ तक वे जमीन समेटे बैठे हैं । क्या जो यह २७० फार्म हैं उनसे एक विस्वा भी जमीन निकाल कर हरिजनों को दिलाई ? यह विधेयक एक ढोंग मात्र है । दिया है कुछ और इसके साथ ले भी लिया । हरिजन केवल सूद खोरों से ही पीड़ित नहीं हैं बल्कि कोआपरेटिव सोसाइटीज और बैंक आदि सारी संस्थाओं के इनके लिये, द्वार बन्द कर दिये हैं । हमारे रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक चल रहे हैं । इनसे आपकी बातचीत हो रही है । यह कुछ नहीं है केवल समय लेने की बात है । सीलिंग ऐक्ट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हदबन्दी कानून के लागू होने पर जो जमीन निकलेगी वह हरिजनों में बांट दी जायेगी लेकिन मैं नहीं समझता कि हरिजनों को कोई जमीन मिली हो । जो जमीन इससे निकली है उसके लिये आपने कहा है कि एक आयोग का गठन होगा । इसमें वर्षों लगेंगे और हरिजनों को जमीन नहीं मिल पायेगी । कितने ही आयोग बने लेकिन गवर्नमेंट किसकी रिपोर्ट मानी । अभी यूनिवरसिटी टीचर्स का बड़ा भारी जुलूस निकला था । कोठारी कमीशन ने जो टीचर्स को तनख्वाह देने की बात कही थी उसको सरकार ने नहीं माना । आपके किसी भी आयोग की रिपोर्ट पर सरकार ने अमल नहीं किया । सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है । इसी विधेयक के साथ-साथ एक दूसरा विधेयक भी आना चाहिये कि यह एजेंसीज हरिजनों को पैसा देंगी । जब आप ऐसा लायेंगे तो मैं समझूंगा कि असली माने में यह विधेयक आया है और मैं इसका स्वागत करूंगा । मैं आशा करूंगा कि सरकार मेरी बात पर ध्यान देगी ।

*श्री जमुना प्रसाद बोस (जिला बांदा)--

मान्यवर, आपने जो मुझे बोलने का समय दिया उसके लिये मैं आपका बड़ा आभारी हूं मैं समझता हूं कि यह जो विधेयक लाया गया है यह जमींदारी उन्मूलन विधेयक से भी बड़ा क्रांतिकारी कदम है । मैं इसके लिये सरकार को बधाई देता हूं और हिन्दुस्तान की सोशलिस्ट पार्टी भी हार्दिक बधाई देती है । जो हरिजन है उसके लिये अभी एक एकड़ का प्रतिबन्ध रखा गया है । इस प्रतिबन्ध से हरिजनों को मुक्ति मिलनी चाहिये । यह एक ऐसा कदम होगा जो इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारेगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं जो सभी वर्गों को छूट दे दी गई है तो हरिजनों के लिये भी इस सीमा में छूट दी जानी चाहिये। जमीन की जो पाबन्दी लगाई गई है वह खत्म हो जानी चाहिये। दूसरा मेरा सुझाव है कि ऋण मुक्ति का कद उठाया गया है। उसके बाद जो कठिनाइयां आयेंगी उसका उचित प्रबन्ध किया जाय। सहकारी समितियों द्वारा उनको ऋण दिलाने का प्रबन्ध किया जाय। उनको यदि कर्जा आसानी से मिलने लगेगा तो सच्चे माने में उनकी परेशानियां दूर हो जायेंगी। और उनको भारी राहत मिलेगी। मैं सरकार का इसके लिये अभिनन्दन करता हूं।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री जगदीश अवस्थी का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री गंजी प्रसाद (जिला वाराणसी)--

अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव के सम्बन्ध में बहुत लोग बोले हैं, इसके विरोध में भी बोल लेने दें। (व्यवधान)..जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो कहा गया कि गरीब जनता को इसका लाभ होगा। लेकिन गरीबों को कोई लाभ नहीं पंहुचा। इसी तरह से जब भूमि बंटने लगी तो हरिजनों को कहां भूमि मिली।

श्री अध्यक्ष---

मैंने समझा था कि हो हल्ले वाला घंटा खत्म हो गया (व्यवधान)...।

श्री गंजी प्रसाद---

हमको बोलने का समय दिया जाय। (व्यवधान)...।

श्री अध्यक्ष--

इस तरह से समय नहीं लिया जाता है। बोलने का उसको हक है जिसने नोटिस दिया है। (व्यवधान)...।

हर सदस्य को बोलने का हक है, इसलिये किसी सदस्य को दूसरे के बोलने में रुकावट नही होनी चाहिये।

श्री जगदीश अवस्थी (जिला कानपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं और उनको बधाई देता हूं। उन्होंने एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रदेश के समक्ष प्रस्तुत किया है। इस विधेयक में यह प्रदर्शित किया गया है कि जो शतप्रतिशत साहूकार ने कर्ज देकर भूमिहीन कृषक श्रमिकों को कभी भी मुक्ति नहीं देते हैं, उनको इस विधेयक द्वारा मुक्ति का अवसर दिया गया है। इस विधेयक को प्रस्तुत करके बहुत बड़ा काम हुआ है अगर कोई ग्रामीण अंचल में सर्वेक्षण करके देखे एक एकड़ से अधिक तक के भी लोग जिनको महाजन लोग कर्जा देते हैं और उसके बदले में उनकी जमीन ले लेते हैं और फिर ब्याज में कभी उद्धार नहीं हो पाते हैं। ऐसे जो बड़े-बड़े महाजन लोग है, जो किसानों को कर्ज देते हैं और उसके बदले में कभी भी उनको मुक्ति नही देते हैं। ऐसे कर्जदारों जो कर्ज लेते हैं, जो पैसे लेते हैं, वे उस पैसे को अदा नहीं कर पाते हैं, उनको राष्ट्रीयकृत बैंकों से कर्ज दिलाया जाय और ऐसे बड़े-बड़े महाजनों को उसके बदले में पैसा दे दिया जाय तभी सही रूप में इस प्रकार के कर्ज से मुक्ति मिल सकेगी। मैं एक बार फिर माननीय मुख्य मंत्री जी को यह बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो यह विधेयक प्रस्तुत किया है, बहुत बड़ा काम किया है। मैं विश्वास करता हूं कि सदन एक स्वर से इस विधेयक को पास करेगा। हमारे माननीय सदस्यों ने जो शंका उठाई है कि उनको अब कर्जा नहीं मिल पायेगा, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सहकारी सोसायटियां हैं अब उनका दायित्व बढ़ गया है, अगर उनकी तरफ हम लोग रुझान दें तो फिर ऐसे हमारे जो भूमिहीन लोग हैं जिनको पैसे नहीं मिल पायेंगे, उनको पैसे दिलाये जांय और कम ब्याज पर उनको

[श्री जगदीश अवस्थी]--

पैसे देकर उनको बड़े-बड़े महाजनों के ऋणों से मुक्त किया जाय। इन शब्दों के साथ एक बार मैं फिर माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस विधेयक को प्रस्तुत करके बहुत बड़ा काम किया है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें तो शक नहीं है, कि जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है उसके लिये वह धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन यह विधेयक केवल दिखावटी फूल ही न रह जाय, उसमें सुगंध भी होनी चाहिये। इस बात की हम लोगों को खुशी है कि आज 27 वर्ष के बाद माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान उन नंगे-भूखे किसानों की तरफ गया है जो सामन्तों द्वारा लूटे जाते हैं, थोड़ा कर्ज लेकर जिन्दगी भर गुलाम रहते हैं। माननीय मंत्री जी अगर इसका सही मानों में अर्थ निकालना चाहते हैं तो जो कोआपरेटिव का पैसा है जिसका उन्होंने जिक्र किया है उसको भी माफ कर दें, क्योंकि वह किसान मजदूरों का खून चूस रहे हैं और गलत ढंग से झूठे कर्जे बढ़ाकर हजारों रुपया कर दिये हैं। अभी अभी सबेरे एक सवाल-जवाब में माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया कि 5 करोड़ रुपया बड़े-बड़े पूंजीपतियों पर बाकी है। यह रूपया सेल्स टैक्स का उन पर बाकी है। इतना बाकी होने पर भी कोई व्यक्ति हवालात में नहीं गया। बेचारा किसान अगर थोड़ा बहुत रुपया अपनी मजबूरी के कारण नहीं दे पाता है तो उसको तहसील की हवालात में बन्द कर दिया जाता है और वहीं पर पड़ा रहता है उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं है। हमारे यहां के किसान हैं जो लखनऊ के रस्तोगियों से (ठढ़िया) से रुपया उधार लेते हैं। इन रस्तोगियों के लट्ठ बन्द लोग वहां घूमा करते हैं। होता यह है कि ये लोग 10 के साढ़े नौ रुपया देते हैं और 10 रुपये के 12 रुपये वसूल करते हैं। अगर कोई आदमी रुपया नहीं दे पाता है पिछड़ जाता है तो वह रकम बढ़ाकर काफी हो जाती है और ये रस्तोगी लोग यहां लखनऊ में दावा कर देते हैं। वह बेचारा गरीब आदमी एक दो बार ही में परेशान हो जाता है और तबाह हो जाता है। नतीजा यह होता है कि वह जेल में बन्द हो जाता है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि आपको इस तरह का कानून बनाना पड़ेगा जिससे उनका शोषण न हो सके। वह ठढ़िया कायदे से दीवानी से रुपया नहीं वसूल करता है वह तो अपनी गुन्डेगर्दी से रुपया वसूल करता है।

दूसरी बात मैं माननीय मंत्री जी से अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें केवल किसान मजदूर का नाम सिर्फ रखा गया है। इस में श्रमिक मजदूर को भी मिला लिया जाना चाहिये। एक मेहतर कौम है जो अपनी कमाई को महाजनों के हाथ में रख आता है। वह डेढ़ आना, आना और 3 आना तक ब्याज देता है, जिससे उसकी भी कमर टूट जाती है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें श्रमिक मजदूरों को भी शामिल कर लिया जाये, तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर यह चीज हो जाती है तो बहुत ही राहत इस वर्ग को मलेगी। लेकिन कर्मचारियों को बहुत ही चौड़ी नजर रखनी पड़ेगी। उनको यह देखना पड़ेगा कि इस मामले को लेकर कोई सामन्ती ठढ़िया गरीब आदमी को सताते तो नहीं हैं। एक बात और मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो कोआपरेटिव का फर्जी कर्जा है और उसके कारण जो किसानों को जेल जाना पड़ता है, उसको माफ किया जाना बहुत जरूरी है 10-10 वर्ष का कर्जा पड़ा हुआ है। वे हवालात में जा रहे हैं। उनको माफ किया जाये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा जो बिल रखा गया है उसका समर्थन करता हूं।

*श्री हुकुम सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का जो मौका दिया उसके लिये आपका आभारी हूं।

---

*वक्ता ने अपना भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री गंजी प्रसाद--

मैंने समय का बहुत निवेदन किया था, लेकिन आप मुझे समय नहीं देते हैं।

श्री अध्यक्ष--

इस तरह से जो निवेदन करता है उस पर मेरी नजर नहीं जाती है।

श्री गंजी प्रसाद--

अध्यक्ष की नजर सब पर जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

नजर तो जाती है। मैं आपके नेता के अनुसार ही कह रहा हूं कि जो हल्ला करे उसको न दिया जाये। आप चौधरी साहेब से पूछ लें।

श्री हुकुम सिंह--

अध्यक्ष महोदय, इस बिल की बड़ी आवश्यकता थी। इस बात को मद्दे नजर रखते हुये अगर किसी साहूकार ने किसी मजदूर से या भूमिहीन से कर्जा देकर प्रोनोट लिखा लिया तो आने वाली उनकी पीढ़ियां उस कर्जे को चुका नहीं पाती हैं। न इस वर्ग की कोई ट्रेड यूनियन और न संघर्ष समिति ही होती है। इस सरकार ने इस विधेयक को लाकर एक बहुत बड़ा क्रान्तिकारी कदम उठाया है। सभी वर्गों ने इसका स्वागत भी किया है। कुछ लोग भाषण देते समय इसे सिद्धान्तों और भावनाओं की ओर ले गये। और एक माननीय सदस्य ने पहले तो इसका स्वागत किया और फिर इसको सरकार का ढोंग बता दिया। कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि इस विधेयक का हर कदम, हर चीज और हर भावना प्रशंसा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

एक आध भ्रम इस विधेयक के बारे में मुझे है। इस विधेयक की धारा २ (ख) में दिया हुआ है कि :

> "रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज द्वारा साक्ष्यित कोई संव्यवहार या हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बन्धक का कोई संव्यवहार"

यह एक्सेप्शन्स में दिया हुआ है। इससे ऐसा आभास होता है कि कोई भी दस्तावेज रजिस्टर्ड कर दिया है अर्थात् यदि किसी भूमिहीन या श्रमिक ने अपने काम के लिये कर्जा लिया है और वह रजिस्टर्ड कर दिया है तो उसको इस विधेयक से कोई फायदा नहीं पहुंचता है। अतः मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि जब वे उत्तर दें, इस बात को साफ करने की कृपा करें कि ऐसे ट्रान्जैक्शन्स इस धारा में कवर्ड हैं या नहीं और यदि नहीं है उपयुक्त कदम उठाने की कृपा करें।

सिद्धान्तविहीन साहूकारों से रिलीफ मिला यह बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा क्रान्तिकारी कदम है परन्तु यह भी आप जानते हैं कि उस समय से जबकि कर्ज चैक से मिलने लगे हैं, २ वर्ष पूर्व भूमिहीनों और श्रमिकों के नाम बनावटी कर्जे दिखा दिये गये और सहकारी समितियों के सरपंचों या सुपरवाइजर्स ने फर्जी दस्तखत करा लिये, वे भी इस विधेयक से कवर्ड हैं या नहीं ?

हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुये कहा था कि हमारी सहकारी समितियोंमें कितना भ्रष्टाचार है, उसको देखते हुये क्या यह उचित नहीं होगाकि भविष्यमें कोई ऐसी बात होने न पाये। आज ऐसे ८० फीसदी भूमिहीनों और श्रमिकों के नाम से फर्जी कर्जे लिखाये गये हैं, अतः मेरी प्रार्थना है कि इस समस्या पर सरकार विचार करे और अगर वास्तव में ऐसा काम हुआ है तो उसे समाप्त करे। आज विभाग के सुपरवाइजर व रजिस्ट्रार ही वसूली करते हैं। उनके यहां पर कोई सुनवाई नहीं होती है, न मुकदमें ही दर्ज होते हैं। जिसके नाम से कर्जा है उसके ऊपर डिग्री कर देते हैं। इसलिये क्या यह आवश्यक नहीं होगा कि उनको भी रिलीफ इस विधेयक के द्वारा दिया जाय ?

[श्री हुकुम सिंह]

अन्त में मैं जो सरकार ने विधेयक प्रस्तुत किया है, उसका स्वागत करता हूं और इसके लिये माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने यह क्रांतिकारी कदम उठाया है ।

*श्री भामी (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी द्वारा जो विधेयक पेश किया गया है उससे एक तरफ जितना सुख होता है उससे बढ़ कर दूसरे पहलू पर मुझे दुःख हो रहा है । सुख इस पहलू पर कि जो भूमिहीन हैं, मजदूर हैं गांव के उनको जो गांव के तिकड़मबाज लोगों ने कर्जा दिया था वह माफ किया जा रहा है । यह सबको जानकारी है कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने जो रास्ता दिखाया है गरीबों को कर्जा देने के बारे में कोआपरेटिव सोसाइटीज से, गांव के तिकड़मी आदमी सोसाइटीज से उनके नाम पर कर्जा लेकर उनसे दस्तखत बनवा कर उनको कर्जदार बनाते हैं । इस पहलू पर बहुत दुःख होता है और सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया । एक बुढ़िया के बच्चे की शादी होने वाली थी । उसी दिन उसके बच्चे को बाघ खाने वाला था । बुढ़िया जब शादी के लिये चक्की चला कर आटा पीस रही थी तो खूब गाती थी लेकिन जब उसे मरने की बात याद आती थी तो बहुत रोती थी ।

इसी तरह एक तरफ तो यह खुशी होती है कि गांवों में जो बेईमानी और तिकड़म से कर्जा देने लायक हैं उनसे छुटकारा दिलाया, लेकिन जब रास्ता रुंध जाता है तो सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि उस भूमिहीन, हरिजन खेतिहर मजदूर के लिये कोई ऐसी व्यवस्था कर दे ताकि उसकी आमदनी का कोई जरिया हो जाय । आज जब हम लोग गांव में जाते हैं तो भूमिहीन हरिजन कहते हैं कि सरकार द्वारा हमको एक पैसा भी मिलने के लिये कोई कायदा कानून नहीं बनाया गया है । ऐसे आप कोआपरेटिव सोसायटी का रास्ता सोच रहे हैं, लेकिन उसके बारे में मुझे जानकारी है कि आज फर्जी गरीबों के नाम से तिकड़मी लोग कर्जा लेकर कर्जदार बनाते हैं । विधायक लोग दरख्वास्तें लेकर मंत्रियों के पास जाते हैं कि इस गरीब आदमी के नाम पर फर्जी दस्तखत करा कर कर्जा लिया गया है जिसकी वसूली की जा रही है लेकिन हाय रे कांग्रेस सरकार, चाहे मुख्य मंत्री हों, चाहे विभागीय मंत्री हों, किसी की यह जुर्रत नहीं है कि ईमानदारी से उसकी जांच करायें और उस फर्जी कर्जे से उसको मुक्त करायें । क्या २७ वर्षों में प्रदेश का भूमिहीन गरीब खेतिहर मजदूर यह सोचता था कि हमारे लिये भूमि की व्यवस्था नहीं होगी, नौकरी की व्यवस्था नहीं होगी, किसी उद्योग-धन्धे की व्यवस्था नहीं होगी । सिर्फ उसके सामने जूठे पत्ते फेंककर यह सरकार समझती है कि भूमिहीन प्रभावित होगा, वह प्रभावित नहीं हो सकता । आज वह अपना हक चाहता है । मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो कर्जे का रास्ता भूमि के लिये रुक गया है उसके लिये भूमि के बगैर कर्जा मिलने की कोई व्यवस्था कीजिये । इस सरकार को जो गरीब खेतिहर हरिजन मजदूर आदि हैं उनकी आमदनी बढ़ाने की ओर भी ध्यान देना चाहिये ।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय १५ मिनट के लिये और बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

कई माननीय सदस्य अभी बोलना चाहते हैं । मैं समझता हूं जब तक यह विधेयक पास न हो जाय सदन का समय बढ़ा हुआ माना जाय ।

(कोई आपत्ति नहीं की गई ।)

एक सदस्य—

यह बढ़ा हुआ समय केवल अपोजीशन को ही दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

अपोजीशन को भी मिलेगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री जयराज गौतम (जिला सुल्तानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने के बाद आज इन ३० प्रतिशत भूमिहीन किसान मजदूरों के लिये, उनका आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक जीवन-स्तर ऊपर उठाने के लिये जो भी क्रान्तिकारी कदम उठाये हैं उसके लिये यह सरकार बधाई की पात्र है। माननीय मंत्री जी ने जो यह विधेयक प्रस्तुत किया है वह सचमुच में गरीबों के लिये क्रान्तिकारी कदम है। इससे पूर्व बड़े बड़े लोग यदि किसी को ५ रुपया कर्ज देते थे तो पचासों रुपये सूद के वसूल कर लेते थे, सालों तक वह गरीब परेशान किया जाता था। जब यह आर्डिनेन्स जारी हुआ तो सर्वहारा वर्ग ने हृदय से उसका स्वागत किया। इस विधेयक का हमारे विरोधी सदस्यों ने भी यद्यपि स्वागत किया, किन्तु चूंकि वे विरोध पक्ष में हैं, इसलिये उन्होंने कुछ विरोध किया। मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा विधेयक है जिसको सभी को हृदय से उसका स्वागत करना चाहिये और इसे शीघ्र पास करना चाहिये।

(श्री गंजी प्रसाद को पुकारे जाने पर।)

एक सदस्य—

आपने जिनको पहचान लिया है उन्हीं को आप समय देते हैं। मुझे आपने समय नहीं दिया . . .

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें, इस तरह से नहीं समय मिलेगा। जब आपको पता नहीं है कि क्या कहना चाहिये यहां, तो आप बोलेंगे क्या, बैठिये।

*श्री गंजी प्रसाद—

अध्यक्ष महोदय, प्रथम तो मुझे आपको बधाई देनी है कि प्रथम बार आज मुझे इस विधान सभा में बोलने का अवसर मिला। इस विधेयक के सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है कि यह जो कर्ज लेने की मनोवृत्ति हो गयी है, इससे गुलामी प्रथा बढ़ती है। मनुष्य कर्जा खा कर राजनीतिक शोषण की तरफ जाता है, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कानून ऐसा बनना चाहिये जिससे देश के गरीब आदमियों, गरीब किसानों या छोटे छोटे रोजगारी जिनकी माली हालत खराब है, उनको सरकार द्वारा ऐसा प्रोत्साहन मिले कि वे स्वावलम्बी होकर अपने जीवन को स्वतंत्र भारत के नागरिक की हैसियत से बितावें। कर्ज लेने की प्रथा का इस्लाम मजहब में बहुत वहिष्कार है। मैं उस मजहब का आदर करता हूं। जहां आदमी कर्जा लेकर गुलाम होता हो, वहां इस तरह से विधेयक का विरोध करना ही चाहिये। मैं इस विधेयक में सुधार चाहता हूं। यदि सरकार ऋण ही देना चाहती है तो ऋण न देकर वह छोटे-मोटे उद्योग-धंधे, कुटीर उद्योग के लिये गांव-गांव में दस पांच गांव के बीच में एक छोटी-मोटी फैक्टरी खोले और उसमें उन्हीं लोगों को रखे जिनके पास भूमि न हो, और जिनके बच्चे पढ़े-लिखे न हों, बहुत गरीब हों, ताकि उनको काम मिल सके। अगर ऋण देने की व्यवस्था होती है तो इससे राजनीतिक शोषण होगा और सरकार इसका फायदा चुनाव में उठावेगी। कानून तो ऐसा बनना चाहिये जिससे सारे देश के लोग स्वतंत्र विचार रख कर अपनी स्वतंत्रता कायम रखें। ऋण की व्यवस्था स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के लुभावने भाषण से या सरकार के लुभावने भाषण से प्रेरित नहीं होने वाला हूं। पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो रिक्शा वालों ने सोचा, रोजगार करने वालों ने सोचा कि वे बैंक से पैसा लेकर रिक्शा खरीदेंगे लेकिन कुछ नहीं हुआ। उनके दिल की बात दिल ही में रह गयी। दूसरा लुभावना नारा था गरीबी को मिटाने का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गंजी प्र ाद]
लेकिन गरीब ही मिट गये, गरीबी आज भी मौजूद है और तीसरा लुभावना नारा यह है। मैं कहता हूं और मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस प्रथा को मिटाना चाहिये। एक बात मैं और कहता हूं कि बड़े-बड़े सामन्त लोग गरीबों को ऋण दे देकर उनका शोषण करते हैं और सरकार की तरफ से इसको खतम करने का नारा लगाया जाता है। मैं इसका सख्त विरोध करता हूं। मेरा निवेदन है कि हाथों की त लियों की थपकियां दे देकर वे सहानुभूति चाहते हैं लेकिन मैं उस सहानुभूति के विरोध में बोलना चाहता हूं। आदमी की कर ी और कथनी एक होनी चाहिये। सारे प्रदेश के प्रतिनिधि हाउस में बैठे हुए हैं। देश की क्या हालत है? जब भी आपको अपने बजट में कोई प्राविधान ऐसा आये जिससे हम गरीबों को, देश के लोगों को ऊपर उठावें, तो ऐसे नियम और आंकड़े के साथ हम चलें जिससे उनकी स्वतंत्रता और उनका मनोबल ऊंचा हो और वे समझें कि हम हिन्दुस्तान के या उत्तर प्रदेश के एक स्वतंत्र नागरिक हैं। उनके ऊपर किसी का दबाव नहीं है और वे स्वतंत्र हैं और अपने देश के हित में वे जो भी काम चाहें कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आपको बधाई देता हूं और आपसे मेरा निवेदन है कि जब भी हो आप मुझे बोलने का मौका देने की कृपा करें।

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)——

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का समय दिया। मान्यवर, यह बिल ऐसा है कि जो जरा भी दिल रखने वाला आदमी है, सभी इसका स्वागत करते हैं और मैं तो यहां तक कहता हूं कि आज से बहुगुणा जी का नाम दीनबन्धु हो जाना चाहिये क्योंकि यह सीधे-सादे गरीबों से संबंधित सवाल है। यह कहना कि करनी और कथनी में फर्क है यह सही नहीं है। एक जमाना रहा जब कि कांग्रेस दल दूसरे हाथों में चला गया था जो प्रस्ताव तो पास करते थे लेकिन उसे कार्यान्वित नहीं कर पाते थे लेकिन अब इन्दिरा जी के हाथ में कांग्रेस है इसीलिये कांग्रेस दल जो कहता है वह वही करता भी है। इसलिये हमारे मित्रों को इसका भ्रम नहीं होना चाहिये। एक दरख्वास्त मैं करूंगा। मुझे जो बात खटकती है वह मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं। गांवों में २ प्रकार के लोग रहते हैं। एक तो वह लोग हैं जिनके पास एक एकड़ से जमीन कम है और वह मजदूरी आदि करते हैं तथा दूसरी तरफ वह व्यक्ति हैं जिनके पास जमीन तो नहीं है पर उनके पास लाखों की जायदाद है, दूकानें हैं। इनके पास भी जमीन नहीं है। हमारे गांव में जब छोटी जोत वालों को बी ज बांटा गया तो उस व्यापारी को भी बीज मिल गया जिसके पास जमीन कम थी किन्तु अनाज सैकड़ों मन था। तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिये। इस तरफ मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसे व्यापारी या अन्य लोगों को इन सुविधाओं को न दिया जाय। केवल उन्हीं व्यक्तियों को यह सुविधा मिले जो भूमिहीन हैं, जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं। आशा है मुख्य मंत्री जी इस तरफ ध्यान देंगे। इस विधेयक पर मान्यवर, २ मिनट बोला जाय या ५ मिनट अथवा घंटों बोला जाय सिर्फ तारीफ ही करनी है। इसलिये मैं ज्यादा कुछ न कहकर पुनः अपने मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने यह बिल पेश किया है।

श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)——

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं जो आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि दे ा के गरीब हरिजनों के लिये समय-समय पर कानून बनते हैं यह बात तो सही है। लेकिन वह केवल कागज पर बनते हैं, यह कटु सत्य है कि इन कानूनों को कार्यरूप में परिणित नहीं किया जाता है जिसकी वज ् से कोई खास बात दिखायी नहीं देती है। कर्ज से मुक्त करने के सिलसिले में हमारा सुझाव है कि जहां आपने हरिजनों को, छोटे काश्तकारों को, मजदूरों को कहा है कि उन्होंने जो कर्जा लिया है वह न दें, तो इस संबंध में आज लोगों की यह हालत हो गयी है कि गांवों में गरीब हरिजनों को तथा छोटे-छोटे काश्तकारों को १० रुपया मिलना मुश्किल हो गया है। सभी काश्तकारों को १० रुपये मिलना मुश्किल हो गया है। क्योंकि सभी यह सोचते हैं कि

हमारा रुपया देने के बाद वापस नहीं मिलेगा। इसलिये मेरा कहना यह है कि कर्जा देना बन्द करने से पहले यह विचार, कानून अवश्य बना लेना चाहिये था कि इनको कर्ज कैसे सुलभ होगा। कैसे पैसा इनको मिलेगा जिससे इनको किसी दूसरे का मुंह ताकना न पड़े। और परेशानी भी न हो। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश में जो हरिजन हैं उसमें ८५ प्रतिशत हरिजन ऐसे हैं जिनके पास केवल १०–५ बिस्वा जमीन है और बहुत से ऐसे हरिजन हैं जिनके पास जमीन बिल्कुल नहीं है आपने कहा था कि बैंकों द्वारा इनको सुविधायें मिलेंगी पर आज इनको बैंकों से कर्ज नहीं मिल पाता है, इसलिये कि उनके जमीन नहीं है और अगर है तो केवल १०–५ बिस्वा जिससे कोई काम बनने वाला नहीं है। इनको शादी ब्याह, दवा, बच्चों की पढ़ाई आदि में काफी परेशानी का सामना करना है। इसलिये मेरा सुझाव है कि जो भूमिहीन हैं, गरीब हैं, हरिजन हैं इनको तत्काल इस तरह सुविधा की व्यवस्था करें जिससे उनको कर्ज के रूप में पैसा मिल सके। तभी मैं यह कह सकूंगा कि आपने उनके साथ हिमायत की है, तथा उनको सुविधा दी है। इसके साथ-साथ मैं यह भी कि कहूंगा कि उनको जो कर्ज दिया जाय उस पर सूद भी नहीं लिया जाय, क्योंकि उनकी हालत अच्छी नहीं है। बिना सूद के ऋण की व्यवस्था की जाय जिससे इन लोगों को दूसरी जगह कर्ज लेने न जाना पड़े और वह अपने बच्चों को पढ़ा सकें, बीमारी होने पर इलाज करा सकें और अपनी रोजी-रोजगार बढ़ा सकें। जब भी वह चाहते हैं कि कोई उद्योग-धन्धा करें, तो मैं आपसे अर्ज करूं कि हरिजन विभाग से हमेशा-हमेशा से मांग की जाती है कि सहायता मिले, परंतु एक व्यक्ति को एक हजार रु० मिलना ही नहीं है। जिले में ५० हजार रु० सहायता के लिये जाता है और वहां घर-घर दरख्वास्तें आ जाती हैं जिससे एक हजार रु० के लिये दरख्वास्तें देने और दौड़ने में काफी ही नहीं लाखों खर्च हो जाता है, उनकी दरख्वातें बेकार पड़ी रहती हैं और रद्दी की टोकरी में सड़ जाती हैं १००–२०० आदमियों (आवेदकों) में एक आदमी को मुश्किल से सहायता मिल पाती है। इसलिये जिनके पास जमीन नहीं है, रोजगार के साधन नहीं हैं और पैसा नहीं है उनको इस तरह की व्यवस्था कर दी जाय जिससे कि वे रोजगार करते या कोई उद्योग धन्धा पैसा मिलने पर कर सकें। उनको हमेशा दूसरों के आश्रित रहने की बात है तो वह स्वावलम्बी हो जायं और कर्जा लेने से छुटकारा मिल जाय। वह भी इस प्रदेश में इन्सान की तरह से रह सकें।

अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूं कि यहां मैं पहली बार आया हूं तो यहां मुझे कुछ सीखना भी है। मान्यवर, दूसरी बात कर्जा मुक्ति की है इसमें लोगों की निगाह में हरिजन बहुत ही गिर रहा है, बेईमान कहा जा रहा है और जुर्म इतना बढ़ रहा है कि जिसको बरदाश्त करने की क्षमता उनमें नहीं है। इसलिये हमारी मौजूदा सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि जो कानून बने वह कागज पर ही न रह जाय, गरीब हमेशा-हमेशा के लिये आसमान ताकता न रह जाय कि अब टपकेगा –अब टपकेगा। जैसा पहले आजादी के जो ऊसर बंजर जमींन थी तो गरीब सोचता था कि अब हमें वह मिल जायेगी लेकिन २७ साल गुजर गये और जमीन नही मिली बल्कि उनके पास जमींन चली गई जिनके पास पहले से जमींन थी। इसी तरह का यह अनुदान है।

मान्यवर मैं कहना चाहूंगा कि सरकारी नौकरियों में हरिजनों के सरक्षण की जो बात है तो मुख्य मंत्री जी ने गत सत्र में इस तरह का वादा विधान सभा में किया था कि मैं हरिजनों को जो २७ सालों में जो कोटा पूरा नहीं हुआ उसको पूरा करने के लिये ५ प्रतिशत जन-जाति और ४५ प्रतिशत अनुसूचित जाति को पूरा करने का वचन दिया था जिससे गांव में लोगों को आशायें बंधी थी। गांव में दूसरे लोगों ने सोचा कि कांग्रेस सरकार पूरी अछूतों की है इसके लिये नाराज हो गये कि सब अछूत ही लेंगे। लेकिन बाद में हरिजनों की दरख्वास्त जिस भी मंत्री के पास लेकर गये उन्होंने साफ कह दिया कि कोई भी नियुक्ति नहीं होगी। तो यहीं पर कहूंगा कि सरकार के तमाम जी०ओ० निकले हैं और बार-बार निकलते जाते हैं कि कोई छटनी हरिजनों की नहीं होगी क्योंकि कोटा पूरा नहीं हुआ है हरिजनों का। लेकिन सभी जी० ओ० रद्दी की टोकरी में सड़ रहे हैं और छटनी होती ही है तहसीलों में लेखपालों की बिना ट्रेनिंग किये हुये ५ साल सर्विस के हो चुके हैं और वह हरिजन भी हैं परन्तु जाति पांति के आधार पर एक आदमी की छटनी की गयी है। वही पर दो साल के अन्ट्रेन्ड लेखपाल काम कर रहे हैं इससे मुझे बड़ा दुख है कि गरीब हरिजनों के बच्चे बेकारी में दाने-दाने के लिये तरस रहे हैं। वह अछूत होने के नाते

[श्री दयाराम भास्कर]
चना चाय भी नहीं बेच सकते हैं । दूसरे उसके पास पैसा नहीं है जिससे कि वह अपने बच्चों का पेट भर सके क्योंकि चना भी नहीं बेच सकता है कि जिससे कि वह २ रु० कमा सके । कारण अछूत है ।

२७ साल हो गये, बड़ा ढिंढोरा छुआछूत दूर करने का पीटा गया लेकिन कलेक्टोरेट और जिला परिषद् में दुकानें हरिजनों को नहीं दी जाती हैं । अगर मुख्य मंत्री जी चाहते हैं तो उनके विकास के लिये दुकानें दी जायं । साफ बात है कि जितने भी भाई वहां हैं चुनाव के जमाने में सभी के यहां जाते हैं और नाश्ता पानी करते हैं । लेकिन चुनाव के बाद नाश्ता नहीं करेंगे और उसको स्थान नहीं देंगे । यह देश के लिये और सरकार के लिये कलंक की बात है । इसलिये मेरा अनुरोध है कि मुख्य मन्त्री जी इस ओर निश्चित रूप से ध्यान दें । ताकि जिसके अन्दर छुआछूत की भावना हो और जिसके माध्यम से शोषण होता है वह बंद हो । हरिजन को सम्मान देने के लिये ठोस कदम उठाये जाने चाहिये । अखिर में मुझे यह कहना है कि जो सोसाइटियां बनी हैं उनमें हरिजनों की सोसाइटियां अलग हों जिनमें हरिजन ही रहें ताकि जाल-फरेब जो आजकल हो रहा है वह खतम हो सके । अगर निश्चित रूप से सरकार इस ओर ध्यान दे तो हरिजनों की भलाई हो सकती है और लोगों को आशा बंधेगी कि सरकार जो कहती है वह करती है । इन बातों को मद्देनजर रखते हुये इस ओर विचार किया जाय ताकि गरीब और भूमिहीन का भला हो सके । मुख्य मंत्री जी से इस संदर्भ में एक बात और कहना चाहता हूं कि इस जाड़े में कपड़े के बिना हरिजन मर रहा है । वह मजदूरी करने जाता है और रात भर काम करता है। आजमगढ़ के सुरही गांव और गोकुलपुर गांव में दो हरिजन रात में बिजली मिलने के कारण काम करते-करते मर गये । जब आपको तथा सरकार को हरिजनों से इतनी हमदर्दी है तो यह रात वाला मामला जो बिजली का है वह खतम कीजिये । किसानों को दिन में बिजली दीजिये ताकि लोग ठंड मे जान बचा सकें ।

*श्री जंग बहादुर (मेहनगर, आजमगढ़)---
अध्यक्ष जी, यह जो विधेयक मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है और बहुत से लोगों ने धन्यवाद भी किया लेकिन मुझे तकलीफ हुई है क्योंकि सरकार के जितने नारे रहे हैं उनमें यह हरिजन को सरकारी बनाने का आखिरी नारा है। इसके द्वारा सरकार हरिजन को सरकारी बनाना चाहती है । जमींन एक भी हरिजन को नहीं मिली है ।

नौकरी के नाम पर आज एम०ए०, बी०ए०, बी-एड० और एल०टी०, मारे-मारे फिर रहे हैं । कर्ज में, ये चाहते हैं कि हरिजन इनके पीछे-पीछे चलें । तो यह नहीं चलेगा । ये हजारों और करोड़ों हरिजन चीटीं बन जायेंग और इस हांथी रूपी सरकार को धराशायी कर देंगे । सन् १९७१ में जगजीवन राम जी रक्षा मंत्री थे, लेकिन भारत-भूषण की उपाधि इंदिरा गांधी को मिली । तो यह सरकार की नीति है । यह हरिजनों के लिये कुछ नहीं करना चाहती । चाहे इधर के लोग हों, या उधर के, यह हरिजनों के दिलों की आवाज है कि यह सरकार हरिजनों के लिये कुछ नहीं करना चाहती । नाम जरूर हरिजनों का लेते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं । इनाम उधर के लोगों को मिलेगा, सजा मिलेगी इधर के लोगों को । लाइसेंस काण्ड में तुलमोहन पहले आ गये । जब एल० एन० मिश्रा का नाम आया तो लोक सभा समाप्त हो गयी । इसी तरह से बाजरा स्कैण्डल में और धान स्कैण्डल में तीन दिनों में मुख्य मंत्री ने बताया कि कोई शर्मा इनवाल्वड है । मान्यवर, इनकी हर जगह दुरंगी नीति है । हरिजनों के लिये है कुछ नहीं । हम लोगों को ये बोलने का भी मौका नहीं देना चाहते ।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)---
माननीय अध्यक्ष जी, हमारे आखिरी मित्र की पुरजोर तकरीर को सुनकर मुझे पसीना आ गया । मुझे उनसे हमदर्दी है । मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हरिजनों के खून को अब पसीना नहीं बनने देंगे और उसी की इसमें व्यवस्था की गयी है । बहुत दिनों तो उनका खून चूसा गया । यह बात हमारे माननीय सदस्य की ठीक होगी कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्नीक्षण नहीं किया ।

हरिजनों के लिये और होना चाहिये,लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि वास्तविकता खुद को बताती है । अगर माननीय सदस्यों क कुछ प्रश्न होंगे, तो मैं बता सकता हूं । पुलिस में सिपाही की भर्ती की है, दरोगा की भर्ती की है और उसमें ४५% और ५% का वादा पूरा किया है कि नहीं ? इस सरकार ने और पूर्ववर्ती सरकारों ने अपने बचन को पूरा करने के लिये बराबर चेष्टा की है । सामाजिक न्याय दिलाने के लिये सारे समाज को एक साथ चलना होता है । इसलिये प्रार्थना की थी कि इस विधेयक की मंशा को पूरा करने के लिये दलविहीन राजनीति मानकर काम करेंगे तो कुछ बात अच्छी होगी । शोषक और शोषित एक साथ कभी नहीं हो सकते । मुझे यह भी मालूम है कि हमारी आवाज "वाइस इन वाइल्डरनेस" होकर रह जायेगी । कहेंगे जरूर बहुत से लोग इसके पक्ष में, लेकिन उनके दिलों पर साप लोट रहा होगा कि यह क्या हो गया इसलिये हमें गुमराह नहीं होना है ।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

समाज के दोष को तो मानना ही होगा ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मुझे खुशी है कि दिघे जी ने भी कहा । लेकिन अपने "ही" लगा दिया ।

मान्यवर, हमारे मित्र पूछ रहे थे कहीं ऐसा न हो कि व्यापारी इसका फायदा उठा लें । परिभाषा में यह लिखा हुआ है कि यह विधेयक उस पर लागू होगा जिसका मुख्य धन्धा खेती पर निर्भर है । व्यापारी भूमिहीन के नाते इसके अन्दर नहीं आ सकता । एक माननीय सदस्य ने कहा कि जो रजिस्टर्ड डीड हैं वे तो लागू रहेंगे । यह ठीक है कि वे ऋण जिनके रजिस्टर्ड डीड है अथवा रजिस्टर्ड मार्गेज है यानी जो लीगल ड्यूज हैं उनको हमने इसके जरिये खत्म नहीं किया है लकिन आधे फीसदी लोन्स भी इस तरह के नहीं हैं । ९९.९ रेकरिंग परसेंट वही ऋण हैं जिनके अन्तर्गत १ एकड़ अथवा उससे नीचे वाला आदमी आता है ।

एक सदस्य ने कोआपरेटिव वाली बात उठाई । उत्तर प्रदेश में हमने जांच कराई और इस माननीय सदन को जानकारी हो अथवा न हो इस तरह से हरिजनों के नाम जिन्होंने कर्ज लिये और उनको उसका पता तक नहीं है कोआपरेटिव सेल की रिपोर्ट के मुताबिक २ करोड़ ८५ लाख रुपये की हमने वसूली मुल्तबी कर दी है और सोच रहे हैं क्या किया जाय । सरकार अथवा सरकारी यंत्र के द्वारा यह समाज नहीं बदला जा सकता जब तक कि सदन के हर सदस्य के व्यक्तिगत जीवन में वह मान्यतायें न हों जिनके आधार पर हम समाज को बदलना चाहते हैं भले ही आज म चीफ मिनिस्टर होऊं अथवा कल भाभी जी, लारी साहब चीफ मिनिस्टर अथवा कोई दूसरा चीफ मिनिस्टर हो । मैंने अपने ही कद वालों का नाम लिया है, चौधरी साहब का नाम इसलिये नहीं लिया क्यों कि मुझसे बहुत लम्बा कद उनका है । वह बुरा नहीं मानेंगे बी० एल०डी० का कोई दूसरा नेता हो जाय ऐसी कोई मेरी साजिश नहीं है ।

एक बात यह कही गयी कि कोआपरेटिव के जरिये इन भूमिहीनों को कर्जे देने की व्यवस्था की जाय । हमारी कोशिश है कि कोई रास्ता हम निकालेंगे जो विधिवत् हो ताकि वाजिब कर्जे लेने के लिये कोई व्यवस्था बनी रहे और दूसरे लोग इन भूमिहीनों के नाम पर कर्जे न ले सकें।

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

कोआपरेटिव में बहुत घपला है । रिजर्व बैंक से बातचीत चल रही है । यह कदम बहुत अच्छा है । एक जानकारी मैं चाहूंगा कि इस विधेयक की परिधि में जो आने वाले लोग है जिनको फिलहाल कर्ज नहीं मिल सकेंगे उनके आश्रितों के लिये क्या निशुल्क शिक्षा तथा चिकित्सा की सरकार घोषणा करेगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जहां तक उनकी शिक्षा का सम्बन्ध है सरकार ने जिम्मेदारी ले रखी होगी । जहां तक हरिजनों का ताल्लुक है या दूसरी शेड्यू ट्राइब्स् है उनकी जिम्मेदारी तो है ही लेकिन एक

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]
एकड़ में और भी जातियां आयेगी उनकी जिम्मेदारी नहीं है । पार साल जो बजट पेश किया था उस परिधि में काम किया जा रहा है। नया बजट जो आयेगा, उसमें क्या निकलने वाला है वह वक्त बतलायेगा ।

एक बात यह कही गयी है कि जगह-जगह लोग त्रस्त हैं । लोग जोर जुल्म करते हैं मी०आर०पी०सी० तथा आई०पी०सी०मौजूद है लेकिन कत्ल तथा डाके भी मौजूद हैं तो समाज के कातिलों और डाकुओं के ऊपर भी नजर रखनी पड़ेगी । यह नजर अकेले एक व्यक्ति, एक दल अथवा एक समाज का रूप या रुख के रखने से नहीं आ सकती है । बी०टी सी०, मुरादाबाद से साढ़े सात सौ पुलिस के सब-इन्सपेक्टर पास हुये है । मैं वहां गया था और मैंने वहां पर भी कहा और फिर उसे दुहराना चाहता हूं कि सिर्फ डाकुओं और चोरों को ही नहीं पकड़ना है बल्कि समाजिक प्रगति के खिलाफ जो सांस्कृतिक,आर्थिक मान्यताओं के साथ डकैती डाल रहे हैं उन पर भी कड़ी नजर रखनी होगी । इसे केवल एक दल नहीं कर सकता । नये जमाने में नया दृष्टिकोण जो लेकर आये हैं उनसे हमें मदद मिलेगी । एक माननीय सदस्य रस्तोगी जी जो शायद मुरादाबाद जिले के है, उन्होंने जिक्र करते हुये कहा कि आपने उन बेचारों के लिये कोई बन्दोबस्त नहीं किया । अंग्रेज भी यही कहते है कि पहले हमारा बन्दोबस्त कर लो । लेकिन हमने कहा कि तुम जाओ । वैसे ही इस विधेयक के द्वारा हमने कहा कि तुम जाओ उसके बाद क्या होगा वह देख लिया जायेगा । हमारा कदम उस दिशा में जाना चाहिये जिससे शोषण बन्द हो, सबको आराम सुख और शांति मिले । एक भाई ने कहा कि उन्हें सूद भी नहीं पड़ता चाहिये । मैं विश्वास तो नहीं दिलाता हूं लेकिन यह जरूर कहता हूं कि प्रिफरेन्शियल रेट होना चाहिये । भूमिवान और सम्पत्तिवान को जिस रेट पर मिलेगा उसी रेट पर उन्हें भी मिलेगा ..... ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--
हरिजनों और गांधी जी के नाम पर आप दुनियां की आंखों में कब तक धूल झोंकते रहेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--
मुझे खुशी इस बात है जब उन्होंने अपने भाषण में एक खतरनाक बात कही थी । मान्यवर, मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा विषयान्तर होकर बोलना चाहता हूं । वीर सावरकर ने कहा था--आ सिन्धुसिन्धु पर्यन्ता । कौशिक जी कभी-कभी बड़ी खतरनाक बात कहते है अन्यथा बेहतरीन है, पार्टी भी बुरी नहीं है। अगर यह बात माधव बाबू के दल से कही गई होती तो उतना खतरा नहीं लेकिन वे कहते हैं कि हिन्दू कहां है,किसे धूल झोंक रहे थे । वे समझते थे कि मैं भी वही काम कर रहा हूं । उन्होंने कहा कि हिन्दू वह है जिसकी यह पुण्य भूमि है । पुण्य-भू-पितृ-भूश्चैव । इसके माने तो यह हुये कि जो मक्का मदीना में पैदा हुये वे हिन्दू नहीं है और जो गया में पैदा नहीं हुआ वह बौद्ध नहीं है । मैं आपकी बहस में नहीं जाना चाहता. . . .

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--
सिर्फ मैं यह कहना चाहता हूं---भरी बज्म में राज की बात कह दो, बड़ा बेअदब हूं सजा चाहता हूं ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--
जमाना सजा देगा । अहले मेम्बरान, जिस जाति के होंगे अगली मर्तबा उन्हें वक्त बतला देगा । यह एक छोटा-सा बिल है हम इसी को मंजिल नहीं समझते है । हमारी नीयत साफ है । इसलिये मैं मानता हूं कि सारा सदन इसे स्वीकार करेगा ।

श्री अध्यक्ष--
आप वापस लेते है या नहीं ।

श्री बाबू लाल वर्मा—

माननीय मुख्य मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं कि हरिजनों को जो कर्ज दिये जायेंगे वह बिना जमीन की जमानत के देगें।

श्री अध्यक्ष—

आप इस स्टेज पर नहीं पूछ सकते हैं। आप वापस लेना चाहते हैं या नहीं।

श्री बाबू लाल वर्मा—

नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमिहीन कृषि श्रमिक ऋण अनुतोष विधेयक, १९७४ राय जानने के लिये एक मास तक जनता में परिचालित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमिहीन कृषि श्रमिक अनुतोष ऋण विधेयक, १९७४ को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपनी रिपोर्ट एक माह के अन्दर प्रस्तुत कर दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमिहीन कृषि श्रमिक ऋण अनुतोष विधेयक, १९७४ को सदन की एक संयुक्त प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जो कि अपनी रिपोर्ट १५ दिन में दे दें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमिहीन कृषि श्रमिक ऋण अनुतोष विधेयक, १९७४ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

खण्ड २ से ६, खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश भूमिहीन कृषि श्रमिक ऋण अनुतोष विधेयक, १९७४

भूमिहीन कृषि-श्रमिकों को ऋण ग्रस्तता से अनुतोष का उपबन्ध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमिहीन कृषि-श्रमिक ऋण अनुतोष अधिनियम, १९७४ कहलायेगा।

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

कतिपय ऋणों तथा दायित्वों पर प्रभाव न पड़ना।

२—इस अधिनियम की किसी बात का प्रभाव निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत आने वाले किसी अनुसूचित ऋणी के ऋणों तथा अन्य दायित्वों पर नहीं पड़ेगा, अर्थात्:—

(क) ऐसे ऋणी को किराये पर दी गई किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई देय किराया;

(ख) रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज द्वारा साक्ष्यित कोई संव्यवहार या हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बन्धक का कोई संव्यवहार;

(ग) न्याय-भंग से उद्भूत कोई दायित्व अथवा कोई अपकृत्य सम्बन्धी दायित्व;

(घ) की गई सेवाओं के लिये वेतन के रूप में या अन्यथा देय मजदूरी अथवा पारिश्रमिक के सम्बन्ध में कोई दायित्व;

(ङ) भरण-पोषण के सम्बन्ध में कोई दायित्व, चाहे वह न्यायालय की बिक्री के अधीन हो अथवा अन्यथा;

(च) निम्नलिखित को देय कोई ऋण:—

(१) केन्द्रीय सरकार अथवा कोई राज्य सरकार;

(२) कोई स्थानीय प्राधिकारी;

(३) उत्तर प्रदेश लोक-धन (देयों की वसूली) अधिनियम, १९७२ में यथा परिभाषित कोई बैंकिंग कम्पनी;

(४) उत्तर प्रदश लेतक-धन (देयों की वसूली) अधिनियम, १९७२ में यथा परिभाषित कोई निगम;

(५) कोई सहकारी समिति;

(६) कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ के अन्तर्गत कोई सरकारी कम्पनी;

(छ) कोई ऋण जो ऐसे ऋणी द्वारा क्रय किये गये माल की कीमत के बारे में हो;

(ज) सम्पत्ति के विभाजन या बंटवारे के कारण देय कोई प्रतिकर, अथवा उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ की धारा २९—क में निर्दिष्ट कोई प्रतिकर;

(झ) भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल की जा सकने वाली कोई धनराशि।

परिभाषाएं

३—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ मे अन्यथा अपेक्षित न हो,

(१) "सिविल न्यायालय" के अन्तर्गत—

(क) प्राविंशियल इन्सालवेन्सी ऐक्ट, १९२० के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कोई न्यायालय;

(ख) यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ के अधीन स्थापित कोई न्याय पंचायत;

(ग) प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, १८८७ के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई न्यायालय;

भी है ;

(२) "सहकारी समिति" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, १९६५ के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई या रजिस्ट्रीकृत समझी गई किसी समिति से है;

(३) "ऋण" का तात्पर्य नकद अथवा वस्तु के रूप में किसी अधिदाय से है, चाहे उसके लिये बिक्री हुई हो अथवा नहीं और इसके अन्तर्गत कोई संव्यवहार भी है जो सार रूप में ऋण हो;

(४) "भूमिहीन कृषि-श्रमिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी जीविका का मुख्य साधन कृषि-श्रम या खेती हो और जिसके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व या तो कोई भूमि न हो या उत्तर प्रदेश में भूमिधर, सीरदार, असामी या सरकारी पट्टेदार के रूप में ०.४०४६८५६४ हेक्टर (एक एकड़) से अनधिक भूमि हो;

(५) "अनुसूचित ऋणी" का तात्पर्य साधारणतया उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले ऐसे व्यक्ति से है जो भूमिहीन कृषि-श्रमिक हो ।

इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के परिणाम

४—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अथवा किसी ऐसी संविदा या अन्य लिखत में जो ऐसी किसी विधि के आधार पर प्रभावी हो, किसी बात के होते हुए भी और इस अधिनियम में अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबन्धित के सिवाय इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से, एतद्पश्चात् दिये गये परिणाम होंगे, अर्थात्—

(क) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व लेनदार को अनुसूचित ऋणी द्वारा देय प्रत्येक ऋण जिसके अन्तर्गत ब्याज, यदि कोई हो, की धनराशि भी है, पूर्णतया उन्मोचित समझा जायगा;

(ख) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व अनुसूचित ऋणी द्वारा देय कोई भी ऋण उससे अथवा उसकी किसी भी जंगम अथवा स्थावर सम्पत्ति से अथवा जंगम या स्थावर सम्पत्ति के प्रति, वसूल न किया जा सकेगा और उसके विरुद्ध ऐसे ऋण से सम्बन्धित किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में कोई ऐसी सम्पत्ति न तो कुर्क की जा सकेगी, नहीं बेची जा सकेगी और न उसके विरुद्ध किसी अन्य रीति से कार्यवाही की जा सकेगी;

(ग) कोई भी सिविल न्यायालय ऋण की किसी भी धनराशि की जिसके अन्तर्गत, ब्याज, यदि कोई हो, भी है, वसूली के लिये किसी अनुसूचित ऋणी के विरुद्ध कोई वाद अथवा कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा ।

परन्तु जहां कि किसी अनुसूचित ऋणी तथा किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद अथवा कार्यवाही संयुक्त रूप से संवर्धित की जाय वहां इस खण्ड की कोई बात, वाद लाये जाने अथवा कार्यवाही किये जाने के संबंध में वहां तक जहां तक कि उसका सम्बन्ध ऐसे अन्य व्यक्ति से है, लागू न होगी:

(घ) किसी अनुसूचित ऋणी के विरुद्ध किसी ऋण की वसूली के लिए इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक को लम्बित समस्तवाद तथा कार्यवाहियां (जिसके अन्तर्गत अपीलें, पुनरीक्षण, कुर्की तथा अथवा निष्पादन की कार्यवाहियां भी हैं) उपशमित हो जायेंगी :

परन्तु इस खण्ड की कोई बात—

(१) किसी ऐसी जंगम सम्पत्ति की बिक्री पर जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व हुई हो और पूरी हुई हो;

(२) किसी ऐसी स्थावर समिति की बिक्री पर जिसे ऐसे प्रारम्भ के पूर्व पुष्ट कर दिया गया हो,

लागू न होगी ।

(ङ) प्रत्येक अनुसूचित ऋणी जो किसी ऋण के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय द्वारा धन के लिये उसके विरुद्ध पारित की गई किसी डिक्री के निष्पादन में सिविल कारागार में निरुद्ध हो, छोड़ दिया जायेगा;

(च) किसी अनुसूचित ऋणी द्वारा गिरवी रखी गई प्रत्येक जंगम सम्पत्ति, ऐसे ऋणी के पक्ष में निर्मुक्त हो जायगी, और लेनदार उसे तुरन्त वापस करने के लिये बाध्य होगा ।

स्पष्टीकरण:—इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व अनुसूचित ऋणी ऋण के किसी ऐसे भाग को जिसका उसने पहले ही भुगतान न कर दिया हो, या जो उससे वसूल किया गया हो, वापस पाने का हकदार होगा ।

ऋण के बदल में श्रम कार्य संबन्धी करार शून्य होना ।

५—कोई भी रूढ़ि या परम्परा और कोई भी करार (चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व किया गया हो या इसके पश्चात् किया जाय) जिसके अधीन अथवा उसके कारण किसी अनुसूचित ऋणी या उसके आश्रितों अथवा उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य से लेनदार के लिये श्रमिक के रूप में या अन्यथा कार्य करना अपेक्षित हो, शून्य होगा ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १८, १९७४ का निरसन ।

६—(१) उत्तर प्रदेश अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जन-जातियां तथा विमुक्त जातियां ऋण अनुतोष अध्यादेश, १९७४ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इसके उपबन्धों के अधीन अथवा आधार पर किया गया या करने से रह गया कोई कार्य इस अधिनियम के अधीन अथवा इसके आधार पर किया गया या करने से रह गया समझा जायगा मानों यह अधिनियम, जहां तक इसका सम्बन्ध अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा विमुक्त जातियों के भूमिहीन कृषि-श्रमिकों से है, १ अक्टूबर, १९७४ को प्रारम्भ हुआ हो ।

श्री कल्याण सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं खण्ड २ की मद (च) को निकाल दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड २ की मद (च) को निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री कल्याण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड २ की मद (ब) को निकाल दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २ की मद (झ) को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड २, ३, ४, ५, ६ एवं खण्ड १ प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमिहीन कृषि श्रमिक ऋण अनुतोष विधेयक, १९७४ पारित किया जाय।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी)--

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं। बधाई इसलिये भी देता हूं कि आज पहली दफा चौधरी साहब के दल ने भी उनको बधाई देना शुरू कर दिया है और लोग तो रोजाना देते रहते थे। तो मान्यवर मैं उनको बधाई देता हूं। मैं इस बिल से सहमत हूं इसके दो मुख्य कारण हैं एक तो यह कि जो सामंती शासन की व्यवस्था थी उस पर यह कड़ी चोट करता है। दूसरा यह कि सरकार ने इस बिल को पेश करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धान्त को स्वीकार किया है। वह महत्वपूर्ण सिद्धान्त मान्यवर यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपने इनवेस्टमेंट का पूरा फायदा उठा लेता है और फिर उससे कैपिटल रेज करता है तो उसको मुआवजे का अधिकार नहीं है। मान्यवर मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह जो एक नया कदम उठाया है यह एक सही दिशा में कदम है। यह एक चरण की शुरुआत हुई है और मैं उम्मीद करता हूं कि चीनी कारखानों के मालिकों ने उससे पूरा फायदा लेने के बाद अब कैपिटल बना रहे हैं तो उनको भी अधिग्रहण करेंगे और उनके मुआवजे के अधिकार को खतम करेंगे। तो मान्यवर, मुख्य मंत्री जी एक महत्वपूर्ण बिल लाये हैं इसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमिहीन कृषि श्रमिक ऋण अनुतोष विधेयक, १९७४ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

लोक लेखा समिति में श्री फिरंगी प्रसाद विशारद के निर्वाचन की सूचना

श्री अध्यक्ष--

अब मैं सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि वर्ष १९७४-७५ की "लोक लेखा समिति" में श्री रामसेवक यादव के निधन के कारण हुए रिक्त स्थान की पूर्ति के निर्वाचनार्थ केवल श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, सदस्य, विधान सभा, गोरखपुर का नाम निर्देशन प्राप्त हुआ था जो वैध पाया गया। इस प्रकार इस निर्वाचन के लिये श्री फिरंगी प्रसाद विशारद अकेले नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी थे और चूंकि उन्होंने अपना नाम वापस नहीं लिया है। अतः श्री फिरंगी प्रसाद विशारद लोक लेखा समिति में श्री रामसेवक यादव के रिक्त स्थान पर विधिवत निर्वाचित हो गये हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदन में नोट प्राप्ति के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक और आपके लिये सूचना है, हमारे मार्शल को यहां एक अच्छा खासा नोट मिला है, जिसका हो, वह ले ले। जिसका पैसा गायब हो, वह पहले अपनी जेब देखे। इधर गेट पर मिला है।

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

सारे नोट वाले तो उधर ही बैठे हैं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

इसे किसी गरीब के हवाले कर दिया जाये।

श्री शफीकुर्रहमान वर्क—

पूरे सदन को उस नोट की मिठाई खिला दी जाए।

श्री अध्यक्ष—

वह धनराशि इतनी बड़ी नहीं है।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

एक नियम ५१ के अन्तर्गत श्री शतरुद्ध प्रकाश और श्री मोहम्मद असरार अहमद ने दिया है, और उसी से मिलता हुआ श्री काशीनाथ मिश्र ने दिया है, जिसे स्वीकार किया है। एक सूचना श्री मधुकर दिघे ने १७ अक्तूबर, १९७४ को सीतापुर जिले की बनस्पति फैक्ट्री में तथा कथित दस करोड़ रुपये के गोलमाल के बारे में दी है। तो यह दो हैं। अब यह केवल वक्तव्य के लिये है। यह जो माननीय मुलायम सिंह यादव ने दिया है, वह भी महत्वपूर्ण है। अगर समय हुआ तो यह लिया जा सकता है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने आज उद्योग निदेशालय, कानपुर के बारे में जबाव दिया है, वह आपने सुना भी है।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)—

जो मुख्य मंत्री ने दिया है, वह पर्याप्त नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४१ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ:
३० दिसम्बर, १९७४।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी "क"

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९७ पर)

कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु चलाई जा रही योजनाओं की सूची

१—अधिक उपज देने वाले बीज प्रायोजना के संगठन को सुदृढ़ बनाने की योजना ।

२—गेहूं तथा धान की सघन खेती की योजना ।

३—राज्य के पूर्वी जिलों अर्थात् गाजीपुर, देवरिया, जौनपुर तथा आजमगढ़ में कृषि उत्पादन कार्यक्रम को तीव्रतर करने की योजना ।

४—उत्तर प्रदेश के दाल उत्पादन वाले क्षेत्रों में सघन खेती की योजना ।

५—गण्डक, रामगंगा तथा शारदा सहायक की क्षेत्रीय विकास परियोजनायें ।

६—लघु कृषक तथा सीमान्त कृषकों के विकास की परियोजनायें ।

७—अलीगढ़ जिले में सघन कृषि कार्यक्रम की योजना ।

८—अल्मोड़ा तथा पौड़ी-गढ़वाल की क्षेत्रीय विकास परियोजनायें ।

९—उन्नत बीजों के उत्पादन, संग्रह तथा वितरण की योजना ।

१०—उन्नत कृषि प्रणालियों के प्रदर्शन तथा उन्नत कृषि यंत्रों को प्रदर्शित करने, बनाने, बेचने और उनको लोकप्रिय बनाने की योजना ।

११—पौध संरक्षण कार्यक्रम ।

१२—कृषि उत्पादक सामग्री के सप्लाई की योजना ।

१३—नगर के मल व कूड़े से मिलवा खाद तैयार करने की योजना ।

१४—स्थानीय खाद सम्बन्धी साधनों के उपयोग तथा उसके उत्पादन की योजना ।

१५—आधारित बीज भण्डारों की स्थापना ।

१६—मिट्टी की जांच और मिट्टी कार्य की योजना ।

१७—कृषि परीक्षण एवं प्रयोग की एकीकृत योजना ।

१८—कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना ।

१९—उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में विधायन संयंत्र (प्रोसेसिंग प्लांट) लगाने की योजना ।

२०—राज्य के अगम्य मैदानी क्षेत्रों में कृषि सामग्री के परिवहन व्यय के लिये राज्य सहायता देने की योजना ।

२१—भूमि एवं जल संरक्षण, जल विभाजक क्षेत्रों में उसका प्रसार ।

२२—कृषि प्रयोजनों के लिये खालों के पुनर्वापण की योजना ।

२३—सतत सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में भूमि एवं जल संरक्षण की योजना ।

२४—ऊसर तथा कटी हुई भूमि को खेती योग्य बनाने की योजना ।

२५—भूमि संरक्षण एवं चकबन्दी के समन्वित कार्यक्रम की योजना ।

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१३ पर]

तालिका

तीन वर्ष या उससे अधिक का गन्ना मूल्य सोसाइटी कमीशन व गन्ना उपकर क्रयकर के बकाया की दिनांक ३१-१०-७४ तक को मिलवार स्थिति (लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	नाम चीनी मिल	१९७३-७४ गन्ना मूल्य	सीजन से पूर्व का कमीशन	अवशेष उपकर/क्रयकर (सीजन १९६०-६१ से १९७०-७१ तक)
१	२	३	४	५
१	इकबालपुर ..	०.४१	०.५२	६.८८
२	देवबन्द ..	..	..	..
३	लक्सर ..	..	..	..
४	सहारनपुर ..	३७.४२	२.२५	..
५	सरसावा ..	२.३३	५.९६	२२.२१
६	मनसूरपुर ..	५.३४	०.४२	..
७	खतौली ..	०.२२	..	०.१०
८	रोहाना ..	२४.८५	०.२७	..
९	शामली ..	..	०.२४	..
१०	डोईवाला ..	४.२५	२.३१	०.७३
११	सखौती ..	०.१५	४.६९	२४.८७
१२	दौराला ..	..	..	..
१३	जसवन्त ..	०.१९	०.१३	..
१४	मोहीउद्दीनपुर ..	३.१९	३.२७	२८.८७
१५	बेगमाबाद ..	..	..	..
१६	सिम्भौली ..	..	..	..
१७	मवाना ..	१.५२	..	..
१८	बागपत ..	..	..	..
१९	बुलन्दशहर ..	३.६६	२.०८	२१.७३
२०	काशीपुर ..	..	..	..
२१	बाजपुर ..	..	०.१७	०.२८
२२	अमरोहा ..	७.६३	१२.८३	६०.४२
२३	बिलारी ..	०.५६	१.२०	२.६८
२४	रामपुर ..	४.११	२.७१	३५.५३
२५	शिवहारा ..	..	..	०.९६
२६	बिजनौर ..	..	४.७२	२६.८२
२७	धामपुर ..	०.०४	..	..
२८	नेवली ..	..	..	..

(लाख रुपयों में)

क्रम-संख्या	नाम चीनी मिल	१९७३–७४ गन्ना मूल्य	सीजन से पूर्व का कमीशन	अवशेष उपकर / क्रय-कर (सीजन १९६०–६१ से १९७०–७१ तक)
१	२	३	४	५
२९	बहेड़ी	..	१.०६	..
३०	बरेली	..	९.०७	०.९६	३.७०
३१	पीलीभीत	..	..	..	..
३२	मझोला	..	०.१०	..	..
३३	रोजा	..	..	..	..
३४	हरदोई	..	..	..	..
३५	हरगांव	..	..	..	..
३६	महतली	..	..	..	..
३७	बिस्वां	..	..	..	..
३८	गोला	..	..	..	..
३९	ऐरा	..	..	..	..
४०	पलियाकलां	..	..	..	..
४१	बुढ़वल	..	५५.७६	२.२६	१२.५३
४२	बाराबंकी	..	२७.२५	३.८५	३९.३२
४३	मोतीनगर	..	०.०३	०.१०	२.६४
४४	शाहगंज	..	०.३९	०.९८	..
४५	बभनान	..	..	..	१.८३
४६	नवाबगंज	..	..	..	..
४७	तुलसीपुर	..	..	..	..
४८	बलरामपुर	..	..	..	..
४९	जरवलरोड	..	३९.६०	८.२०	२४.७४
५०	खलीलाबाद	..	०.०७	..	..
५१	मुन्डेरवा	..	..	०.३०	..
५२	बस्ती	..	..	..	..
५३	वाल्टरगंज	..	..	०.५०	..
५४	सरदारनगर	..	०.१२	०.४७	..
५५	पिपराइच	..	११.२४	२.९४	२२ २३
५६	घुघली	..	..	..	..
५७	सिसवाबाजार	..	१.८१	..	..
५८	आनन्दनगर	..	०.०५	..	..
५९	प्रतापपुर	..	..	..	..
६०	बैतालपुर	..	..	..	८.०२
६१	गौरीबाजार	..	..	..	४.८६
६२	देवरिया	..	..	०.५१	५.०२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४	५
६३—छितौनी	..	..	..	१४.२६
६४—खड्डा	..	९.८२	१.६६	२६.२३
६५—कप्तानगंज	..	..	..	..
६६—लक्ष्मीगंज	..	..	..	३३.२६
६७—रामकोला (पी)	..	..	..	..
६८—रामकोला (के)	..	८.७८	०.४८	४६.७१
६९—पडरोना	..	०.०४	..	३.९५
७०—कठकुइयां	..	..	०.३६	६.२०
७१—सेवराही	..	..	..	६.७६
७२—भटनी	..	०.६८	१.४३	१८.५०
७३—औराई (वाराणसी)	..	०.०६	०.१८	..
७४—विच्छा	..	..	..	..
कुल योग	..	२६३.८०	६८.९५	५१२.८४

विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी "ग"

[देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१५ पर]

सूचना

क्रम-संख्या	ऋणी का नाम	धनराशि	उद्योग का नाम	स्थान जहां उद्योग स्थापित है	विशेष
१	२	३	४	५	६
१	श्री बैजनाथ दास	३,०००.००	वर्तन उद्योग	शमसाबाद	
२	,, बैजनाथ दास	२,०००.००	ब्रास वेयर	शमसाबाद	
३	श्रीराम वर्मा	७,०००.००	अल्मुनियम वक्स	शमसाबाद	
४	,, ज्ञान सिंह	५,०००.००	बकेट उद्योग	अजुहा बाजार	
५	,, सुखदेव प्रसाद	५,०००.००	बकेट व ट्यूब	लोदहा	
६	,, सैयद मुइनुद्दीन काजमी	७,५००.००	हड्डी मिलें	कड़ा	दुरुपयोग
७	,, नक्का	५००.००	जूता उद्योग	चमघा	
८	,, रसूल अहमद	५००.००	,,	सिरायू	
९	,, बंशी लाल	५००.००	,,	चमघा	
१०	,, मोहम्मद अब्बास	५,०००.००	चर्म शोधन	दौलतपुर	
११	,, राम कुमार	५००.००	लकड़ी उद्योग	सुहाई बुजुर्ग	
१२	,, जहीर हसन	६,०००.००	लकड़ी फर्नीचर	चक बाजीपुर	
१३	,, रामेश्वर प्रसाद	४,०००.००	बढ़ईगीरी	अजहा	
१४	,, अवधेश सिंह	७,०००.००	काष्ठ कला	कनवार	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	ऋणी का नाम	धनराशि	उद्योग का नाम	स्थान जहां उद्योग स्थापित है	विशेष
१	२	३	४	५	६
१५	श्री नियामत उल्ला	६,०००.००	काष्ट कला	सिराथू	
१६	,, गौरी शंकर	२,०००.००	,,	कनवार	
१७	,, मोहन लाल विश्वकर्मा	१,०००.००	,,	टिकरडीह	
१८	,, कलेश्वर प्रसाद विश्वकर्मा	१,०००.००	,,	अम्बईभई बुजुर्ग	
१९	,, हरेन्द्र सिंह	५,०००.००	,,	सिराथू	
२०	,, गुरूदीन	२,०००.००	,,	फतेहपुर बेला	
२१	,, राम कृपाल	१२५.००	,,	हाजीपुर पलवना	
२२	,, सूरजदीन	१,५००.००	लोहारगीरी	फतेहपुर बेला	
२३	,, छोटे लाल	१,०००.००	,,	गिरवरपुर	
२४	,, हीरा लाल	१,०००.००	,,	,,	
२५	,, मजन लाल	२,०००.००	साइकिल फ्रेम	अजुहा	
२६	,, मियां लाल	६,०००.००	स्टील फर्नीचर	शाहजादपुर	
२७	,, बशीर अहमद	१,०००.००	मोल्डिंग	कड़ा	
२८	,, खदा बक्स	१,०००.००	होजरी उद्योग	दारानगर	
२९	,, कृष्ण बिहारी सहगल	४,०००.००	,,	फरातगंज	
३०	,, गया प्रसाद	३,०००.००	,,	सेलरहा	
३१	,, लखन लाल	५,०००.००	सेनीटरी केमिकल	सिराथू	दुरूपयोग
३२	,, महेन्द्र कुमार जैन	३,०००.००	साबुन उद्योग	दारानगर	
३३	,, इब्राहिम हुसैन	२,०००.००	,,	चक दादरू	
३४	,, शिव मोहन रस्तोगी	५,०००.००	,,	कड़ा	
३५	,, गुलाब चन्द्र	४,०००.००	,,	शमसाबाद	दुरूपयोग

उत्तर प्रदेश विधान सभा

३६	श्री बिश्वराम दास	४,०००.००	कृषि यंत्र	शमसाबाद
३७	,, बुदि	२,०००.००	,,	छगलिया का पुरा
३८	,, जवाहर लाल	६,५००.००	रेडियो कैबिनेट	टीकरडीह
३९	,, राम चरन त्रिपाठी	२,०००.००	डिस्टिल्ड वाटर	दारानगर
४०	,, मंगल दास	५००.००	बान उद्योग	दारानगर
४१	,, फूल लाल तिवारी	३,०००.००	,,	गनपा
४२	,, अवध नारायण मिश्रा	२,०००.००	होल्डाल बेग	दारानगर
४३	,, गनेश प्रसाद	२,०००.००	,,	शमसाबाद
४४	,, राधे मोहन	२,०००.००	छलनी उद्योग	कसिया
४५	,, हरिश्चन्द्र वर्मा	२,०००.००	,,	शमसाबाद
४६	,, किशोरी लाल	४,०००.००	,,	कड़ा
४७	,, राम प्यारे	१,०००.००	रेडीमेट गारमेन्ट	बाने का पुरा
४८	,, शारदा प्रसाद साहू	२,०००.००	,,	कड़ा
४९	,, अब्दुल सत्तार	२,०००.००	,,	दारानगर
५०	,, भगवती प्रसाद गुप्ता	२,०००.००	चूना कंकड़	कड़ा
५१	,, गोविन्द दास	६,०००.००	,,	शमसाबाद
५२	,, राज नारायण मालवीय	४,५००.००	प्लास्टिक गुड्स	कड़ा
५३	,, राजेन्द्र कुमार जैन (स्वर्णकार मद ऋण) ..	३,०००.००	सुगंधित तैल	दारानगर
५४	,, राधे श्याम	७,०००.००	रोल्डगोल्ड आर्नामेन्ट्स	शाहजादपुर
५५	,, राम बाबू	१,५००.००	,,	,,
५६	,, सीताराम	५,०००.००	कार्ड बोर्ड बाक्सेज	,,
	योग, ५६ पार्टी	१,७४,१२५.००		

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारंकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२६ पर)

क्रम-संख्या	जनपद का नाम		
	मेरठ मण्डल		
१	देहरादून	..	१,१५५
२	सहारनपुर	..	१,९३९
३	मुजफ्फरनगर	..	४,२३०
४	मेरठ	..	८,११८
५	बुलन्दशहर	..	१,६१९
	योग	..	१७,०६१
	आगरा मण्डल		
६	अलीगढ़	..	२,०७०
७	मथुरा	..	१,३९५
८	आगरा	..	३,४७८
९	मैनपुरी	..	३,०३६
१०	एटा	..	३,४३७
	योग	..	१३,४१६
	रुहेलखण्ड मण्डल		
११	बरेली	..	७,६५८
१२	बिजनौर	..	१,१२९
१३	बदायूं	..	२,१२७
१४	मुरादाबाद	..	४,७६५
१५	रामपुर	..	२,२९१
१६	शाहजहांपुर	..	६,७३५
१७	पीलीभीत	..	१,८८४
	योग	..	२६,५८९
	इलाहाबाद मण्डल		
१८	फर्रुखाबाद	..	१,९२२
१९	इटावा	..	११,०८७
२०	फतेहपुर	..	४००
२१	कानपुर	..	२१,२२६
२२	इलाहाबाद	..	४,९८२
	योग	..	३९,६१७

क्रम-संख्या	जनपद का नाम		
	झांसी मण्डल		
२३	झांसी	..	७,७२१
२४	जालौन	..	१,७४४
२५	हमीरपुर	..	१,२८२
२६	बांदा	..	१,७८२
	योग	..	१२,५२९
	वाराणसी मण्डल		
२७	वाराणसी	..	१४,२५८
२८	मिर्जापुर	..	३,८३०
२९	जौनपुर	..	५६६
३०	गाजीपुर	..	४८८
३१	बलिया	..	३,३८२
	योग	..	२२,५२४
	गोरखपुर मण्डल		
३२	गोरखपुर	..	१२;९१८
३३	देवरिया	..	१,०१४
३४	बस्ती	..	३,९२०
३५	आजमगढ़	..	६०४
	योग	..	१८,४५६
	कुमायूं मण्डल		
३६	नैनीताल	..	१४,८७६
३७	अल्मोड़ा	..	८,१९५
३८	पिथौरागढ़	..	२,२१७
	योग	..	२५,२८८

क्रम-संख्या	जनपद का नाम			क्रम-संख्या	जनपद का नाम		
	लखनऊ मण्डल				**फैजाबाद मण्डल**		
३९	लखनऊ	..	३१,७०८	४५	फैजाबाद	..	२,७५५
४०	उन्नाव	..	२,५५०	४६	गोण्डा	..	३,६३८
४१	रायबरेली	..	४,६६२	४७	बहराइच	..	२,६१४
४२	सीतापुर	..	२,९३४	४८	सुल्तानपुर	..	६६८
४३	हरदोई	..	५,००८	४९	प्रतापगढ़	..	८,४१२
४४	लखीमपुर-खीरी	..	२,४३५	५०	बाराबंकी	..	५१२
	योग	..	४९,२९७		योग	..	१८,५९९

	गढ़वाल मण्डल		
५१	पौड़ी-गढ़वाल	..	१,७६९
५२	चमोली	..	२,८०३
५३	उत्तर-काशी	..	१,६०२
५४	टेहरी-गढ़वाल	..	४५०
	योग	..	६,६२४
	कुल योग	..	२,५०,०००

११ वें ड्रा से २७ वें ड्रा तक की आय का आवंटन

क्रम-संख्या	जनपद का नाम			५० प्रतिशत जिलों में आवंटित	५० प्रतिशत हास्पिटल फंड कमेटी को आवंटित
	मेरठ मण्डल				
१	देहरादून	..	..	३,५७०	..
२	सहारनपुर	..	..	२,३००	..
३	मुजफ्फरनगर	..	..	२,२०४	..
४	मेरठ	..	..	३,०६३	..
५	बुलन्दशहर	..	..	१,२३८	..
	योग		..	१२,३७५	..

क्रम-संख्या	जनपद के नाम	५० प्रतिशत जिलों में आवंटित	५० प्रतिशत हास्पिटल कमेटी को आवंटित
	आगरा मण्डल		
६	अलीगढ़	३,०५६	..
७	मथुरा	१,८३३	..
८	आगरा	३,८८४	..
९	मैनपुरी	३,३३९	..
१०	एटा	२,५४४	..
	योग ..	१४,६५६	
	रुहेलखण्ड मण्डल		
११	बरेली	८,६१८	..
१२	बिजनौर	१,९३५	..
१३	बदायूं	१,०८४	..
१४	मुरादाबाद	३,४३३	..
१५	रामपुर	२,२८७	..
१६	शाहजहांपुर	२,४९३	..
१७	पीलीभीत	७९६	
	योग ..	२०,६४६	..
	इलाहाबाद मण्डल		
१८	फर्रुखाबाद	१,४५६	..
१९	इटावा	२,३३६	..
२०	कानपुर	१७,२४२	..
२१	फतेहपुर	९४८	..
२२	इलाहाबाद	५,९५२	..
	योग ..	२७,९३४	..
	झांसी मण्डल		
२३	झांसी	२,३२०	..
२४	जालौन	१,२८०	..
२५	हमीरपुर	१,३२८	..
२६	बांदा	२,७५७	..
	योग ..	७,६८५	..

विधान सभा सचिवालय

क्रम-संख्या	जनपद के नाम			५० प्रतिशत जिलों में आवंटित	५० प्रतिशत हास्पिटल कमेटी को आवंटित
	वाराणसी मण्डल				
२७	वाराणसी	..	..	१९,३२७	..
२८	मिर्जापुर	..	..	६,५३२	..
२९	जौनपुर	..	..	९८०	..
३०	गोरखपुर	..	..	१,७८२	..
३१	बलिया	..	..	३,६८३	..
			योग ..	३२,३०४	..
	गोरखपुर मण्डल				
३२	गोरखपुर	..	..	१३,५७८	..
३३	देवरिया	..	..	३,८७२	..
३४	बस्ती	..	..	२,५७७	..
३५	आजमगढ़	..	..	२,३९०	..
			योग ..	२२,४१७	..
	कुमायूं मण्डल				
३६	नैनीताल	..	..	८,४६६	..
३७	अल्मोड़ा	..	..	२,८८४	..
३८	पिथौरागढ़	..	..	१,६०३	..
			योग ..	१२,९५३	..
	लखनऊ मण्डल				
३९	लखनऊ	..	..	२१,६५५	..
४०	उन्नाव	..	..	२,५०४	..
४१	रायबरेली	..	..	२,२४०	..
४२	सीतापुर	..	..	२,५७०	..
४३	हरदोई	..	..	२,५६८	..
४४	लखीमपुर खीरी	..	..	१,७७८	..
			योग ..	३३,३१५	..

क्रम-संख्या	जनपद का नाम			५० प्रतिशत जिलों में आवंठित	५० प्रतिशत हास्टिल कमेटी आबटित
	फैजाबाद मण्डल				
४५	फैजाबाद	..	..	२,३३९	..
४६	गोंडा	..	..	२,६४३	..
४७	बहराइच	..	..	२,१६४	..
४८	सुल्तानपुर	..	..	१,५६३	..
४९	प्रतापगढ़	..	..	१,२७९	..
५०	बाराबंकी	..	..	१,०९०	..
			योग ..	११,०७८	..
	गढ़वाल मण्डल				
५१	पौड़ी-गढ़वाल	..	..	१,९९०	..
५२	चमोली	..	..	१,३८०	..
५३	उत्तरकाशी	..	..	६७९	..
५४	टेहरी-गढ़वाल	..	..	५८८	..
			योग ..	४,६३७	..
			कुल योग ..	२००,०००	..

विधान सभा सचिवालय

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२८ पर)

वर्ष १९७३-७४ में चीनी मिलों द्वारा वाह्य क्रय केन्द्रों पर गन्ना मूल्य से कटौती के दर का व्योरा

क्रम-संख्या	नाम मिल		चलने की तिथि/बन्द होने की तिथि		आरम्भ में कटौती दर (पैसे)	दर में परिवर्तन का व्योरा तिथि सहित
१	२		३	४	५	६
१	इकबालपुर	..	१२-११-७३	७-६-७४	३२	विभिन्न केंद्रों पर अलग-अलग तिथियों से कटौती आरम्भ की /५० पैसे की १२-१२-७३, २५-१-७४ व १-२-७४ से ७५ पैसे को १५-३-७४, २९-३-७४ व २२-४-७४ से कुछ केंद्रों पर १०० पैसे की, १८-५-७४ से व कुछ पर १२५ पैसे की २२-५-७४ व २३-५-७४ से तथा १५० पैसे की कहीं पर २३-५-७४ से
२	डोईवाला	..	२१-११-७३	१३-६-७४	३२	
३	देवबन्द	..	१२-११-७३	११-५-७४	३२	५०(११-२-७४)
४	लक्सर	..	२८-११-७३	११-५-७४	अप्राप्त	
५	सहारनपुर	..	१४-१-७४	२९-५-७४	५०	७५(१७-३-७४), ५०(१९-३-७४), ७५(२९-३-७४)
६	सरसावां	..	२२-११-७३	३१-५-७४	५०	७५(१९-३-७४)
७	मनसूरपुर	..	८-११-७३	२-५-७४	२४ से ३२	५०(२५-११-७३) ७५(१२-३-७४)
८	खतौली	..	५-११-७३	३-५-७४	अप्राप्त	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	नाम मिल	चलने की तिथि/बन्द होने की तिथि		आरम्भ में कटौती दर (पैसे)	दर में परिवर्तन का ब्योरा तिथि सहित
१	२	३		४	५
९	रोहाना ..	१८–१–७४	१९–५–७४	५०–७५	५०(तिथि अप्राप्त), ७५ (तिथि अप्राप्त)
१०	शामली ..	२९–१०–७३	४–६–७४	३२	५०(१२–३–७४) ७५(३–६–७४)
११	सम्भौती ..	२३–११–७३	१७–५–७४	२८ से ३२	५०(१२–३–७४) ७५(२८–४–७४)
१२	दौराला ..	११–११–७३	२०–५–७४	अप्राप्त	.. ..
१३	जसवन्त ..	७–११–७३	१०–५–७४	अप्राप्त	५०(१–१२–७३)७५(१२–३–७४)
१४	मोहीउद्दीनपुर ..	२३–११–७३	१५–५–७४	५०	७५(१४–३–७४)
१५	बेममाबाद ..	३–११–७३	२०–५–७४	२८ से ३२	५०(२५–११–७३), ७५(१२–३–७४)
१६	सिम्भौली ..	२१–११–७३	१५–५–७४	२८ से ३२	५०(२५–११–७३) ७५(१६–३–७४)
१७	मवाना ..	११–११–७३	३०–५–७४	३२	५०(२५–११–७३) ७५(१२–३–७४)
१८	बागपत ..	८–११–७३	३१–५–७४	३२	
१९	बुलन्दशहर ..	२५–११–७३	२६–४–७४	३२	५०(२५–११–७३) १००(१७–३–७४)
२०	किच्छा ..	२०–३–७४	१५–६–७४	५०	
२१	काशीपुर ..	१९–११–७३	४–६–७४	५०	७५(२७–३–७४) कुछ केंद्रों पर १२५ पैसे की २७/३ से कटौती की व ८,९०० कि० गन्ना खरीदा ।
२२	बाजपुर ..	१५–११–७३	१८–६–७४	३२	
२३	न्योली ..	४–११–७३	१४–५–७४	३२	७५(२५–११–७४) १२५(२२–४–७४)
२४	अमरोहा ..	१६–११–७३	१५–५–७४	५०	७५(१७–३–७४)
२५	बिलारी ..	१६–११–७३	७–५–७४	७५	
२६	बहेड़ी ..	१२–११–७३	२५–६–७४	५०	७५(१–४–७४)
२७	बरेली ..	२१–११–७३	२०–५–७४	३२	५०(३–१२–७३) ७५(६–४–७४)

अनेर प्रकाशन सेवा

२८	पीलीभीत	..	१२–११–७३	२८–६–७४	५०	७५(२७–३–७४)	१२५(११–५–७४)
२९	वचौला	..	२६–११–७३	१–७–७४	२५ से ३२		
३०	धामपुर	..	१५–११–७३	१–५–७४	५०	७५(१३–३–७४)	कुछ केंद्रों पर कटौती नहीं की।
३१	स्योहारा	..	२१–११–७३	११–५–७४	अप्राप्त		
३२	बिजनौर	..	१५–११–७३	११–५–७४	३२	५०(२५–११–७३)	७५(१४–३–७४)
३३	रौजा	..	२६–११–७३	८–६–७४	५०	७५(२३–३–७४)	
३४	रजावुलन्द	..	२९–१०–७३	२४ ५–७४	५०	७५(२५–११–७३)	१००(११–४–७४) १७५(१२–५–७४)
३५	हरदोई	..	१६–११–७३	२–५–७४	५०	७५(१९–३–७४)	
३६	हरगांव	..	१५–११–७३	६–७–७४	५०	७५(२४–३–७४)	
३७	महोली	..	१५–११–७३	२५–६–७४	५०	७५(१४–३- ७४)	
३८	बिस्वां	..	१५–११–७३	२–६–७४	५०	७५(२३–३ ७४)	
३९	गोला	..	५–११–७३	१०–७–७४	५०		
४०	ऐरा	..	८–११–७३	१२–७–७४	५०	७५(२९–११–७३)	
४१	पलिया	..	१४–११–७३	१०–७–७४	५०		
४२	बाराबंकी	..	१२–१२–७३	५–५–७४	५०		
४३	बुढ़वल	..	१५–११–७३	२६–३–७४	५०		
४४	मसोथा	..	२२–११–७३	१९–३–७४	५०	विभिन्न निधियों से विभिन्न केंद्रों पर कटौती ५० पैसे २०-११ से ७५ पैसे २०-११, २२-११, २३–११, १–१–७४ २९–१–७४ ९–३–७४ से परन्तु ७ केंद्रों पर ५० पैसे १४ से २० दिसम्बर की तिथि में कर दिये। ५ केंद्रों पर १०० पैसे ३०-११, २-१२ से ६-१२ १२–१२ से कटौती की। दो केंद्रों पर ३-३ से कटौती की।	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२		३	४	५	६
४५	शाहगंज	..	१–१२–७३	२६–२–७४	५०	
४६	औराई	..	२५–११–७३	१८–३–७४	५०	
४७	खलीलाबाद	..	३–१२–७३	११–३–७४	५०	
४८	मुडेरवा	..	१०–१–७३	३१–३–७४	५०	
४९	बस्ती	..	२६–१२–७३	५–४–७४	५०	
५०	बाल्टरगंज	..	२०–१२–७३	४–४–७४	५०	
५१	बभनान	..	२२–११–७३	२१–३–७४	५०	
५२	नवाबगंज	..	२–१२–७३	२७–३–७४	५०	
५३	तुलसीपुर	..	१५–११–७३	२०–५–७४	५०	
५४	बलरामपुर	..	२२–११–७३	१६–४–७४	५०	
५५	जरवलरोड	..	१७–१२–७३	२६–३–७४	५०	
५६	प्रतापपुर	..	२८–११–७३	२५–३–७४	३४–५०	विभिन्न केंद्रों पर अगल-अलग से कटौती की जो ३४ पैसे से ५० पैसे तक की ।
५७	बैतालपुर	..	४–१२–७३	२०–३–७४	५०	
५८	गौरीबाजार	..	८–१२–७३	२१–३–७४	५०	
५९	देवरिया	..	४–१२–७३	२२–३–७४	५०	
६०	कैप्टेनगंज	..	३०–११–७३	१०–३–७४	५०	
६१	खड्डा	..	३०–११–७३	१४–४–७४	५०	
६२	छितौनी	..	२५–११–७३	१–४–७४	५०	
६३	लक्ष्मीगंज	..	१–१२–७३	६–३–७४	वाह्य केन्द्र नहीं है	
६४	रामकोला (प्रो०)	..	३०–११–७३	१०–३–७४	५०	
६५	रामकोला (के०)	..	१–१२–७३	१९–३–७४	३२	
६६	पडरौना	..	५–१२–७३	२०–३–७४	५०	
६७	कठकुइया	..	३०–११–७३	२५–३–७४	५०	

अनेक प्रयोग विधान सभा

१	२		३		४	५
६८	क्योराही	..	१–१२–७३	१६–३–७४	५०	
६९	भटनी	..	८–१२–७३	४–३–७४	५०	
७०	सरदारनगर	..	७–१२–७३	१६–३–७४	५०	विभिन्न केंद्रों पर विभिन्न दर से कटौती की जो शून्य से ५० पैसे तक थी।
७१	पिपराइच	..	९–१२–७३	१–२–७४	५०	
७२	धुधली	..	३०–११–७३	३०–३–७४	५०	
७३	सिसवाबाजार	..	२४–११–७३	२४–४–७४	५०	
७४	परेंदा	..	३०–११–७३	२४–४–७४	५०	

नोटः—लक्सर, खतौली, दौराता एवं स्योहारा चीनी मिलों के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "च"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२९ पर)

वर्ष	माल का मूल्य	घटी दर पर	माल का मूल्य	नीलामी द्वारा
१	२	३	४	५
				रु०
१९७२–७३	६५,८८४.६६	४३,६५९.१५	६,३४३.८७	१,१०१.००
१९७३–७४	४५,१५७.५३	३०,२९२.४५	१७,००५.१४	२,९९९.५१

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी "छ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३० पर)

तालिका

जिसका जिक्र अतांरांकित प्रश्न संख्या १८ के उत्तर में किया गया है।

(कुंटल में)

क्रम संख्या	जिला	दुकानों की संख्या	खाद्यान्न जो प्रश्नगत अवधि में वितरित किया गया				
			ज्वार	बाजरा	मक्का	चना	कुल योग
१	२	३	४	५	६	७	८
१	वाराणसी ..	११६	५,०९५	२,१९०	६३०	..	७,९१५
२	देवरिया ..	२९७	..	..	..	..	२५६
३	आजमगढ़ ..	१६	४१३	..	३१६	..	७२९
४	बस्ती ..	२८८	३,८२४	३६१	४,५७९	१,३१५	१०,०७९
	कुल योग ..	७१७	९,३३२	२,५५१	५,५२५	१,३१५	१८,९७९

संसद सदस्य पदेर्थ सभा

नत्थी "ज"

विधान सभा के विगत सत्र १९७४ के ११वें मंगलवार के लिये निर्धारित श्री मोहम्मद असरार अहमद के प्रश्न संख्या २ के संबंध में पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों का शोधन वक्तव्य ।

दिनांक २० अगस्त, १९७४ को श्री मोहम्मद असरार अहमद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २ के संबंध में श्री मोहम्मद असरार अहमद ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि क्या माननीय मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि इस एजेंसी के पदाधिकारी और सदस्य कौन हैं और कोई गैर-सरकारी सदस्य भी हैं ।

उस समय सदन में माननीय अध्यक्ष ने कहा था कि गैर-सरकारी सदस्य नहीं है । उक्त उत्तर ठीक नहीं था । सही उत्तर इस प्रकार है कि लघु कृषक विकास एजेंसी, बदायूं में निम्नलिखित तीन गैर-सरकारी सदस्य हैं:—

(१) श्री जय लाल सिंह,
ग्राम—दबधरा,
डा०—आशफपुर,
जिला—बदायूं ।

(२) श्री खडगजीत सिंह,
निवासी भानुपुर,
विकास क्षेत्र बिसौली, बदायूं ।

(३) श्री लीलाधर, अनुसूचित जाति के सदस्य
निवासी हिमाऊपुर,
विकास खंड गुन्नौर,
जिला—बदायूं ।

२—इसी प्रश्न के संबंध में श्री मोहम्मद असरार अहमद ने एक अन्य अनुपूरक प्रश्न पूछा कि अनुदान के बारे में जो प्रार्थना-पत्र आते हैं, जिन कृषकों को अनुदान दिया जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, किस मद में कितना रुपया मिलता है ?

उस समय सदन म उत्तर दिया गया था कि ये सारे किसान तीन केटेगरीज में विभक्त हैं एक केटेगरी है ० एकड़ से २.५ एकड़ तक, दूसरी केटेगरी है २.५ से ७.५ एकड़ तक और तीसरी ५ एकड़ से ७.५ के बीच या इससे अधिक जो है ।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था । सही उत्तर यह है कि लघु सीमा कृषक योजना के अन्तर्गत किसानों की केवल दो केटेगरीज हैं । पहली केटेगरी में ० एकड़ से २.५ एकड़ तक के किसान हैं जिनको सीमांत किसान कहा जाता है और दूसरी केटेगरी में २.५ एकड़ से ५ एकड़ तक के किसान है । जिनको लघु कृषक कहा जाता है । योजना के प्रारम्भ में लघु कृषकों की अधिकतम जोत सीमा ७.५ एकड़ निर्धारित की गई थी, परन्तु १ अप्रैल, १९७४ के पश्चात् भारत सरकार ने यह सीमा ७.५ एकड़ से घटाकर ५ एकड़ कर दी है ।

३—मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है ।

हेमवती नन्दन बहुगुणा,
मुख्य मंत्री ।

विधान सभा के वर्तमान सत्र १९७४ के ११ वें मंगलवार के लिये निर्धारित श्री मोहम्मद असरार अहमद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर ।

प्रश्न

२—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बदायूं के किन-किन ब्लाकों में किस-किस तिथि से स्माल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी ने कार्य किया और उन तारीखों से अब तक कितने-कितने भूमि वाले किसानों को क्या-क्या सुविधायें किस-किस योजना पर अब तक दी गई और उसकी वार्षिक रिपोर्ट तैयार हुई या नहीं क्या सरकार उसकी एक प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

उत्तर

२—लघु कृषक विकास एजेंसी, बदायूं जनपद के आसफपुर, बिसौली (बिसौली एवं इस्लामनगर) सहसवान (सहसवान एवं दहगांवां) तथा (गुन्नौर एवं जुनावई) विकास खंडों में दिनांक १५ अगस्त, १९७० से और अम्बियापुर, बिनावर तथा वजीरगंज विकास खंडों में दिनांक १ जनवरी, १९७१ से कार्य कर रही है ।

एजेंसी द्वारा किसानों को प्रदत्त सुविधाओं का विवरण संलग्न है ।

*एजेंसी की वर्ष १९७०–७१, १९७१–७२ तथा १९७२–७३ की वार्षिक रिपोर्टस् की एक-एक प्रति संलग्न है ।

हेमवती नन्दन बहुगुणा,
मुख्य मंत्री ।

*ये प्रतिवेदन कार्य सूची में छापे नहीं गये ।

लघु कृषक विकास एजेंसी, बदायूं द्वारा छोटे सीमांत किसानों को योजना के प्रारम्भ से ३० जून, १९७४ तक दी गई सविधाओं का विवरण

विभिन्न जोत वाले किसान जिनको सुविधा दी गई	योजना का नाम	सुविधाओं का विवरण जो स्तम्भ १ में उल्लिखित सभी किसानों को दी गई हैं	वितरित अनुदान की धनराशि (लाख में)
१	२	३	४
१—लघु कृषक—२.५एकड़ से ७.५ एकड़ तक (दिनांक१५-८-७० से अप्रैल, १९७४ तक) २—सीमांत किसान०एकड़ से २.५ एकड़ तक (१जनवरी १९७२ से)	(१)अल्प सिंचाई	(क) कूप निर्माण (ख) रहट एवं बोरिंग (ग) पंप सेट (घ) नलकूप (ङ) पक्की नाली	१५.९६
३—अप्रैल, १९७४ के बाद लघु किसानों की अधिकतम जोत सीमा ७.५ एकड़ से कम करके ५ एकड़ अधिकतम की गई है ।	(२)सहकारिता कार्यक्रम	३९६६८ कृषकों को सहकारी समितियों का सदस्य बनाया गया जिसके लिए ७.०० लाख व्याज रहित ऋण दिया गया ।	

१	२	३	४
	(३) कृषि ..	(क) उन्नतिशील कृषि यंत्रों का वितरण। (ख) कृषि प्रदर्शन (ग) अनाज की बखारी (घ) उद्यान .. (ङ) डनलप गाड़ी वितरण	२.९५
	(४) पशुपालन	(क) दुधारू पशुओं का वितरण (ख) मुर्गी पालन .. (ग) बकरी पालन ..	९.०४
	(५) कस्टम सर्विस	(क) खेतों का समतल करना (ख) ट्रैक्टरों द्वारा खेतों की जुताई।	०.२५
	(६) ग्रामीण शिल्पकार योजना	कृषि यंत्रों के रख-रखाव, मरम्मत, सफाई तथा बनाने से संबंधित ट्रेड में ४० कारीगरों को प्रशिक्षण दिया जाना।	

पी० एस० यू०पी०—ए०पी० १९२ वि० सभा—१९७५-८३५।